अष्टम माला, खंड 3, अंक 11

सोमवार, 25 मार्च, 1985/
4 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(आठवीं लोक सभा)



(खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 25 मार्च, 1985/4 चैत्र, 1907 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 9, नीचे से पंक्ति 7 तथा पृष्ठ 183, पंक्ति 4, "अजीत" के स्थान पर "अजित" पढ़िये।

पृष्ठ 9, नीचे से पंक्ति 8, "श्री सैयद अब्दुल हुसैन" के नाम पर "+" चिह्न पढ़िये।

पृष्ठ 47, पंक्ति 18 तथा पृष्ठ 168, पंक्ति 2, "कुन्हम्बु" के स्थान पर "कुन्जम्बु" पढ़िये।

पृष्ठ 63, पंक्ति 2, "श्री बोल्ला बल्ली शमैया" के स्थान पर "श्री बोल्ला बल्ली रमैय्या" पढ़िये।

पृष्ठ 138, नीचे से पंक्ति 7, "श्री एस0एस0 गुरड्डी" के स्थान पर "श्री एस0 एम0 गुरड्डी" पढ़िये।

पृष्ठ 163, पंक्ति 16, "अ0प्र0 [illegible] "99" के स्थान पर "991" पढ़िये।

पृष्ठ 189, नीचे से पंक्ति 11, "बोस" के स्थान पर "घोष" पढ़िये।

पृष्ठ 194, पंक्ति 21, "राजपुर" के स्थान पर "राजापुर" पढ़िये।

पृष्ठ 195, नीचे से पंक्ति 2, "रसोद" के स्थान पर "रशोद" पढ़िये।

पृष्ठ 196, पंक्ति 13, "इन्द्रजीत सिंह गुप्त (बरिहाट)" के स्थान पर "इन्द्रजीत गुप्त (बरिहाट)" पढ़िये।

पृष्ठ 197, पंक्ति 4, "मर्जुन" के स्थान पर "अर्जुन" पढ़िये।

पृष्ठ 199, पंक्ति 16, "रखते" के स्थान पर "रखने में" पढ़िये।

पृष्ठ 204, पंक्ति 17, "जिलों के" के स्थान पर "जिलों में" पढ़िये।

पृष्ठ 205, पंक्ति 21, "विक्षोरा" के स्थान पर "त्रिक्षोरा" पढ़िये।

पृष्ठ 215, पंक्ति 21, "बसिरहार" के स्थान पर "बसिरहाट" पढ़िये।

पृष्ठ 250, अंतिम पंक्ति, "धोलम" के स्थान पर "धोलम" पढ़िये।

पृष्ठ 256, पंक्ति 24 से 26 में दिये शीर्षक के नीचे "{जारो}" पढ़िये।

पृष्ठ 272, पंक्ति 6 से "{हिन्दो}" का लोप करके उसे पंक्ति 4 और 5 के बीच पढ़िये।

पृष्ठ 272, पंक्ति 8 से "{अनुवाद}" का लोप करके उसे पंक्ति 6 और 7 के बीच पढ़िये।

पृष्ठ 289, पंक्ति 18, "प्रस्ताव" को दुहरा तारांकित "××" करिये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 11, सोमवार, 25 मार्च, 1985/4 चैत्र, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 161 से 165	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	20—194
तारांकित प्रश्न संख्या : 166 से 180	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 852 से 856, 858 से 861, 863 से 879, 882 से 923, 925 से 985 और 987 से 1018	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	197—199
राज्य सभा से संदेश	200—201
संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	202
नियम 377 के अधीन मामले	202—207
(एक) चिलका झील के क्रमबद्ध विकास के लिए पर्याप्त धन का आवंटन करने की मांग	
श्रीमती जयन्ती पटनायक	202
(दो) अकबरपुर (फैजाबाद), उत्तर प्रदेश, की किसान सहकारी चीनी मिल के लाइसेंस को बहाल करने की मांग	
श्री रामप्यारे सुमन	203

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(तीन) जम्मू और काश्मीर के विभिन्न भागों के लिए "वायुदूत विमान सेवा" आरंभ करने की आवश्यकता

श्री जनक राज गुप्ता 204

(चार) राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिलों में नर्मदा नदी से सिंचाई के लिये सातवीं योजना में उपबंध करने की मांग

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 204

(पांच) आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में पेयजल की भारी कमी को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि दिये जाने की आवश्यकता

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी 2

(छः) खदान कर्मचारियों के विवाद को हल करने के लिए त्रिपक्षीय बैठक से पहले स्वामी अग्निवेश और उनके सहयोगियों को बिना शर्त रिहा करने की मांग

प्रो० मधु दण्डवते 205

(सात) भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस, कलकत्ता के लिये वर्तमान अंशकालिक कार्यकारी अधिकारी के स्थान पर एक पूर्णकालिक कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करने की मांग

श्री सैफुद्दीन चौधरी 206

(आठ) बिहार के पूर्णिया जिले में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये किसी प्रकार का औद्योगिक एकक स्थापित करने की आवश्यकता

श्री डूमर लाल बैठा 207

सामान्य बजट, 1985-86—सामान्य चर्चा
और
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1984-85 207—255, 246—286

श्री ललितेश्वर शाही 208

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन 209

श्रीमती वैजयन्ती माला बाली 211

श्री पी० चिदाम्बरम 215

श्री बी० एस० कृष्णा अय्यर 218

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक 220

श्रीमती शीला दीक्षित 221

श्री लाल डहोमा 223

डा० दत्ता सामन्त 226

श्री शान्ताराम पोतदुकें 228

श्री शान्ताराम नायक 229

श्री पी० शनमुगम 231

श्रीमती प्रभावती गुप्ता 233

श्री बनवारी लाल बेरवा 234

डा० के०जी० अदियोडी 235

श्री काली प्रसाद पाण्डेय 237

श्री ए०के० एंजा 238

श्री बी० के० गढवी 240

श्री अनादि चरण दास 242

श्रीमती फूलरेणु गुहा 244

श्री बलराम सिंह यादव 245

श्री श्रीहरि राव 247

श्री रामदेव राय 249

श्री जी० एस० घोलप 250

श्री राम रतन राम 252

श्री मूल चन्द डागा 253

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 256

सोवियत संघ के दूतावास के एक राजनयिक श्री इगोर ग्वेजा के लापता हो जाने के बारे में वक्तव्य 255—256

श्री खुर्शीद आलम खां 255

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1985 286—289

पुरःस्थापित करने के लिये प्रस्ताव

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 286

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 287

खण्ड 2, 3 और 1

पारित करने के लिये प्रस्ताव

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 288

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985 289—296

पुरः स्थापित करने के लिये प्रस्ताव

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 289

विचार करने के लिये प्रस्ताव

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 289

खण्ड 2 से 4 और 1 290

पारित करने के लिये प्रस्ताव

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 289

श्री एस० एम० भट्टम 290

डा० दत्ता सामन्त 291

श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव 291

श्री सैफुद्दीन चौधरी 292

श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर 292

श्री गिरधारी लाल व्यास 292

श्री बालकवि बैरागी 292

श्री मनोरंजन भक्त 293

श्री के० राममूर्ति 293

प्रो० एन०जी० रंगा 293

कु० ममता बनर्जी 293

श्री राम प्यारे पनिका 293

श्री दिलीप सिंह भूरिया 294

श्री आशुतोष लाहा 294

संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक 296

सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक 296

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक 296—304

विचार करने के लिये प्रस्ताव

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 296

श्री जनार्दन पुजारी 296

श्री सैयद मसुदल हुसैन 301

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी 302

संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक 304

खण्ड 2 से 4 और 1

पारित करने के लिये प्रस्ताव

श्री जनार्दन पुजारी 304

सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक 305

खण्ड 2, 3 और 1

पारित करने के लिये प्रस्ताव

श्री जनार्दन पुजारी 305

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक 305—306

खण्ड 2, 3 और 1

पारित करने के लिये प्रस्ताव

श्री जनार्दन पुजारी 306

अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाता) संशोधन विधेयक 306—308

विचार करने के लिये प्रस्ताव

श्री जनार्दन पुजारी 306

डा० दत्ता सामन्त 307

खण्ड 2 और 1

पारित करने के लिये प्रस्ताव

श्री जनार्दन पुजारी 308

पंजाब राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प,

राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक,

पंजाब बजट, 1985-86—सामान्य चर्चा,

लेखानुदानों की मांगें (पंजाब), 1985-86

तथा

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पंजाब), 1984-85 309—326

श्री एस० बी० चव्हाण 309

श्री एस० एम० भट्टम 309

श्री राज मंगल पांडे 325

लोक सभा

सोमवार, 25 मार्च, 1985/4 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

वार्षिक योजनाओं में "आवास" के लिए अधिक धनराशि का दिया जाना

*161. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिकताओं को पुन: निर्धारित करके वार्षिक योजनाओं में "आवास" के लिए अधिक धनराशि आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) आवास को उच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है।

(ख) ब्यौरे बताना सम्भव नहीं है क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने आवास क्षेत्र के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है। आवास समस्या एक बहुत विशाल समस्या है। हमें उन लाखों लोगों को मकान दिलाने हैं जो गन्दी बस्तियों (स्लम क्षेत्रों) में रहते हैं, गाँवों तथा शहरों में जिनके पास मकान नहीं है तथा गांव के भूमिहीन लोगों को भी मकान दिलाने हैं। मैं जानता हूं कि यह केन्द्र का विषय नहीं है; यह राज्य का विषय है। जीवन बीमा निगम सहायता दे रहा है, बैंक सहायता दे रहे हैं। कुछ राज्य सरकारें भी इसके लिए बड़े उपाय कर रही हैं।

लेकिन, इन सबके बावजूद, यह सत्य है कि देश में आवासहीन-परिवारों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अनुमान लगाया है प्रत्येक वर्ष आवास-हीन परिवारों में कितनी बढ़ोत्तरी हो रही है और देश के कुल आवासहीन लोगों की संख्या कितनी है और चूंकि यह संख्या बढ़ती जा रही है—सातवीं योजना के अन्त में हमारे यहां आवासहीन लोगों की संख्या बहुत हो जायेगी और यह एक बहुत बड़ी समस्या है—सातवीं योजना तक के आवासहीन परिवारों के लिए क्या उन्होंने योजना में उचित राशि रखने पर विचार किया है तथा इस बहुत बड़ी समस्या से निबटने के लिए क्या उनके पास कोई समयबद्ध कार्यक्रम है ?

श्री अब्दुल गफूर : हां, बेशक आवास एक बहुत बड़ी समस्या है लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं हैं कि यह समस्या अकेले सरकार द्वारा हल की जाये। अब तक इस तरफ का जहां तक संबंध हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमने अधिक धनराशि रखे जाने पर बल दिया है। लेकिन अभी तक मैं यह बताने के स्थिति में नहीं हूं कि इस विशेष क्षेत्र के लिए सरकार कितने धन का नियतन करेगी।

जहां तक भारत में मकानों की कमी का प्रश्न है, वर्ष 1981 में एक आकलन किया गया था और उस आकलन के अनुसार, वर्ष, 1981 में भारत में 210 लाख मकानों की आवश्यकता थी। इनमें से 160 लाख मकानों की ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 50 या 60 लाख मकानों की शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता थी। जो कुछ भी माननीय सदस्य ने कहा, बेशक यह एक बहुत बड़ी समस्या है लेकिन आप जानते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में राशियों के आबंटन की अभी तक घोषणा नहीं की गई है। अतः मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि कितनी धनराशि वह आबंटित करेंगे। इन सब कठिनाईयों को ध्यान में रखकर हमने अधिक धनराशि की मांग की है। छठी पंचवर्षीय योजना में 1491 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे लेकिन हम 8425 करोड़ रुपये की मांगकर रहे हैं परन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना में वह कितनी धनराशि देंगे मैं नहीं जानता। इसके बाद हम देखेंगे कि कितनी समस्या हल होती है और कितनी बाकी बचती है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने समस्या की विशालता को समझा है और वह इसके हल के लिए कोशिश कर रहें हैं। लेकिन क्या वह इससे अवगत हैं कि इन सब आवासहीन लोगों को मकान दिलाने के कार्यक्रमों में भूमिहीन लोगों को मकानों के लिए भूमि देने की कोई योजना नहीं है। भूमि के बिना तो आप एक झोंपड़ी भी नहीं बना सकते और खास-तौर से केरल जैसे राज्य में जहां मकान के लिए भूमि पाना बहुत कठिन है क्योंकि वहां पर भूमि की कीमतें बहुत अधिक हैं।

मैं यह जानता हूं कि इसे 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है। आवासहीन लोगों को मकान के लिए भूमि दिलाने हेतु केरल सरकार ने केन्द्र से विशेष सहायता प्रदान करने के लिए कहा है। मैं इस अनुरोध पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। और ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए केरल 500 रुपये सहायता के रूप में दिये जा रहे हैं। योजना आयोग ने भी

यह स्वीकार किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में 500 रुपये की सहायता काफी नहीं है। क्या इस सहायता राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है?

श्री अब्दुल गफूर : छठी योजना में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मकान देने के लिए सीधे सार्वजनिक क्षेत्रों को सहायता दी जाती थी।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मकान-स्थल दिलाने के लिए।

श्री अब्दुल गफूर : इसके लिए भी राज्यों को धनराशि आबंटित की जाती है और इन लोगों की जरूरतों को पूरा करना राज्यों का कार्य है। केन्द्र सरकार सब राज्यों में मकान बनाकर नहीं दे सकती।

प्रो० पी० जे० कुरियन : सहायता राशि की सीमा को बढ़ाने के बारे में क्या विचार है।

श्री अब्दुल गफूर : जहां तक सहायता राशि बढ़ाने का प्रश्न है इस पर प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधियों में हुई मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखकर विचार किया जायेगा। आपका सुझाव नोट कर लिया गया है और उस पर विचार किया जायेगा।

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, जो प्रो० कुरियन ने कहा है, इसके साथ ही मैं यह कहना चाहती हूं कि भूमिहीन लोगों को मकान उपलब्ध कराने की केरल राज्य के समक्ष एक गम्भीर समस्या है। मैंने केरल राज्य के मकानों से सम्बन्धित मंत्री से बात की थी और भूमिहीन लोगों को मकान दिलाने के लिए योजना बनाने का अनुरोध किया था। मुझे बताया गया कि भूमिहीन लोगों को मकान उपलब्ध कराने की कोई योजना केन्द्र या राज्य के पास नहीं हैं। केरल राज्य में दो वर्ग के लोग हैं— स्लम में रहने वाले लोग तथा तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग चूंकि भूमि उपलब्ध कराना संभव नहीं है इसलिए मैं यह चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए फ्लैट बनाने की संभावना पर विचार किया जाये। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकारों को विशेष निर्देश दें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिये तथा सीधा प्रश्न कीजिये।

श्री ए० चार्ल्स : क्या तटीय क्षेत्रों में भूमिहीन लोगों के लिए कोई योजना है?

श्री अब्दुल गफूर : लगभग सभी राज्यों से संबंधित आंकड़े मेरे पास हैं। जहां तक केरल राज्य का संबंध है मैं माननीय सदस्य को आंकड़े दे दूंगा।

श्री रेणुपद दास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि आर्थिक रूप से कमजोर तथा कम आय वर्ग के लिए 'आवासीय तथा शहरी' कार्यक्रमों के अंतर्गत आवास दिलाने में अभी तक कठिनाईयां हैं। इन कार्यक्रमों के लागू होने के बावजूद शहरी क्षेत्रों में, महानगरों में तथा नीचे जनपद मुख्यालयों में आवास समस्या गम्भीर हो गई है। मैं यह जानना चाहता

हूं कि चालू वर्ष में इन कार्यक्रमों पर कितना धन खर्च किया गया है तथा अगले वर्ष के लिए कितना धन आबंटित किया गया है।

श्री अब्दुल गफूर : ये आवास योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, कम आय वर्ग, मध्य आय वर्ग, उच्चतर आय वर्ग तथा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए हैं।

श्री रेणुपद दास : मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी धनराशि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा कम आय वर्ग के लोगों के आवास के लिए 'हुडको' को आबंटित की गई है।

श्री अब्दुल गफूर : 'हुडको' योजना मुख्यत: गरीब वर्ग के लोगों के लिए है। लगभग 80% इकाइयां गरीब वर्ग के लोगों के लिए हैं जिनके लिए धनराशि आबंटित की जाती है तथा अन्य वर्गों के लिए 20 प्रतिशत इकाइयां होती हैं।

श्रीमती फूलरेणु गुहा : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि समूचे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जो राशि आबंटित की गई है उसका क्या अनुपात है तथा उसमें से ग्रामीण भूमिहीन लोगों को जो राशि प्राप्त होती है उसका कितना अनुपात है।

श्री अब्दुल गफूर : मैं सूचना इकट्ठी करके आपको इसकी जानकारी दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साहो : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने यहां आंकड़े बताये कि 1981 में 24 मिलियन आवास की कमी थी जिसमें से 16 मिलियन ग्रामीण लोगों के आवास की कमी थी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि हमारे यहां आर्थिक स्तर पर क्षेत्रीय विषमताएं हैं और इस क्षेत्रीय विषमता का कारण अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के रहन-सहन के स्तर में गिरावट या गरीबी के कारण है, इसको देखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकारों को ऐसा आदेश या मार्ग-निर्देशन दिया जायेगा जिसमें उनसे कहा जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में समानता के आधार पर, गरीब लोगों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जाए ताकि क्षेत्रीय असंतुलन में कमी आये।

श्री अब्दुल गफूर : आप स्वयं इस बात को जानती हैं कि हमारे 20 प्वाइंट प्रोग्राम में यह स्पष्ट दिया हुआ है कि यहां की सोसायटी के सबसे वीकर सैक्शन के लोगों को मकान बनाने के लिए सहायता दी जाए। इसी तरह सारे हिन्दुस्तान में, सारी स्टेट्स में जो बात पाई जाती है, वह यह है कि सबसे पहले जिस चीज को लोगों ने जरूरी समझा वह हरिजनों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सहायता दी जाए। ऐसे लोगों के विकास के लिए आपके बिहार राज्य और आपके क्षेत्र में भी काम हुआ...

श्रीमती कृष्णा साही : आप तो जाति के आधार पर बात कर रहे हैं जबकि मैं आर्थिक

आधार पर जानना चाहती हूं कि क्षेत्रीय विषमता को कम करने के लिए सरकार का क्या दृष्टिकोण है या क्या कारगर ठोस कदम उठा रही है।

श्री अब्दुल गफूर : यह प्रश्न ऐसा है जिस पर सभी माननीय सदस्य डिफर करेंगे कि किस का आर्थिक आधार क्या माना जाए। जैसा हम देहातों में देखते हैं, वहां जो सबसे गरीब आदमी होता है, वह भी अपनी एक झोंपड़ी या शैल्टर बनाकर रहता है। यदि आप चाहें कि उसकी झोंपड़ी पक्की बनवा दी जाए तो वैसा हमारी गवर्नमैंट के पास कोई प्लान नहीं है लेकिन जहां तक लोगों को मिनिमम शैल्टर देने का सम्बन्ध है, उसके लिए हम सहायता दे रहे हैं। आपने जो सवाल उठाया है, देहात के लोगों की आर्थिक दशा को सुधारने के सम्बन्ध में, हम लोग रोज ही देख रहे हैं कि उसी दृष्टिकोण से हमारी योजनाएं बनाई जा रही हैं और सारी कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

देश में वनस्पति की कमी

*162. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों मे, विशेष रूप से देश के पहाड़ी इलाकों और आदिवासी क्षेत्रों में, वनस्पति घी और खाद्य तेलों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां पर उचित दर की दुकानों के माध्यम से भी उपरोक्त चीजें उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) देश के पिछड़े इलाकों और आदिवासी क्षेत्रों में वनस्पति घी और खाद्य तेलों के उचित वितरण के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) व (ख). देश में, विशेषकर, पहाड़ी क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों में वनस्पति तथा खाद्य तेलों की कमी का कोई विशिष्ट मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है। इस समय सारे देश में वनस्पति तथा खाद्य तेलों की उपलभ्यता कुल मिलाकर संतोषजनक है। तथापि, स्थानीय स्वरूप की अस्थाई कमी से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ग) वनस्पति के वितरण पर कोई केन्द्रीयकृत नियंत्रण नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में वनस्पति उत्पादकों द्वारा किए जाने वाले वनस्पति के उत्पादन की लगभग 50 प्रतिशत मात्रा, राज्य सरकार के समितियों अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचने के लिए अधिप्राप्त कर सकते हैं। उत्पादकों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होने के कारण वनस्पति देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक भेजा जा रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आयातित तेलों का आबंटन उचित

दर की दुकानों, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में दूर-दराज इलाकों में स्थित उचित दर की दुकानें शामिल हैं, के माध्यम से बेचने के लिए किया जा रहा है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या मैं माननीय मंत्री से यह ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार का कोई प्रस्ताव वनस्पति घी और खाद्य तेलों के उत्पादन के लिए निजी या सहकारी क्षेत्र में नयी इकाई स्थापित करने का है और अगर है तो क्या ऐसी कोई इकाई हरियाणा राज्य में स्थापित करने की कोई योजना है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : नयी इकाईयों के लिए लाइसेंस देने की हमारी नीति है और वर्तमान नीति के अधीन पहली प्राथमिकता सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी जाती है, उसके बाद संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों को तथा उसके बाद सहकारी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। पिछड़े जिलों तथा जिन जिलों में उद्योग नहीं हैं अगर उनमें ये अन्य संगठन इकाई स्थापित करने के लिए आगे नहीं आते हैं तो निजी क्षेत्र के आवेदकों के मामलों पर भी विचार किया जा सकता है।

प्रो० एन० जी रंगा : लाइसेंस कौन देता है ? क्या ये केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाते हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : लाइसेंस केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाते हैं। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि हरियाणा का कोई प्रार्थना-पत्र हमारे पास बकाया पड़ा है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : महोदय, क्या यह सत्य नहीं है कि जब वनस्पति के मूल्य बढ़ाये जाते हैं तो उसके साथ-साथ शुद्ध देसी घी के मूल्य भी बढ़ाये जाते हैं ? क्या शुद्ध देसी घी के मूल्यों पर काबू करने के लिए सरकार की कोई योजना है ? इसके साथ मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वनस्पति घी या खाद्य तेलों की, विशेष तौर पर होली, दीवाली, ईद, इत्यादि पर्वों पर गैर-कानूनी बिक्री को रोकने के लिए सरकार कौन-कौन से अन्य कदम सरकार उठा रही है।

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, देसी घी के मूल्यों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उनके मूल्य नियंत्रण की हमारे पास कोई योजना है। जहां तक पर्वों के दौरान वनस्पति की गैर-कानूनी बिक्री का प्रश्न है मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को नहीं समझ पाया हूं। ऐसी कोई गैर-कानूनी बिक्री नहीं होती है। खाद्य तेलों की बिक्री नियमों के अंतर्गत उचित दर की दुकानों के माध्यम से और वनस्पति को निजी एजेंसियों के माध्यम से जो उत्पादक मुकर्रर करते हैं से की जाती है। पर्वों के समय हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में घी बाजार में उपलब्ध रहे।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि वनस्पति घी परचून की दुकानों पर उचित दामों पर क्यों नहीं मिलता है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : कहां ?

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : देश में हर कहीं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : तीन लाख से भी अधिक उचित दर की ऐसी दुकानें हैं जिनके माध्यम से हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाने के तेलों का वितरण करती है और जब तक मुझे यह पता नहीं चलेगा कि कमी कहां पर हुई है तब तक मैं उत्तर नहीं दे सकूंगा । सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाने के तेलों की कीमतें निश्चित की जाती हैं और वनस्पति की कीमतें सरकार और निर्माताओं के बीच स्वैच्छिक समझौते के तहत निर्धारित की जाती है । यदि अधिक कीमतें वसूलने की कोई शिकायत होती है तो वितरक व्यापारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है । पैकटों पर कीमतें अंकित की जाती हैं और उपभोक्ताओं को यह पता होता है कि सरकार ने इन वस्तुओं को किस कीमत पर बेचने की अनुमति दी है । अतः मैं नहीं कह सकता कि ऐसी कोई आम शिकायत है कि उस खाने के तेल की अधिक कीमतें वसूल की जा रही हैं जिसे हम आयात करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करते हैं । मैं एक गलती सुधारना चाहता हूं । मैं कह चुका हूं कि सहकारिता का तीसरा स्थान होगा, परन्तु अब मेरे मन्त्रालय ने मुझे सूचित किया है कि नई इकाइयों के लिए लाइसेंस देने में प्राथमिकता के अनुसार सहकारी समितियों का तीसरा स्थान है ।

श्री डी० बी० पाटिल : उत्तर में यह कहा गया है कि राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे बिक्री हेतु सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अपने सम्बद्ध कार्यक्षेत्र में 30% वनस्पति प्राप्त कर सकते हैं । यदि ऐसी बात है तो मैं उन राज्यों के नाम जानना चाहूंगा, जिन्होंने इस सुविधा का लाभ उठाया है । राज्यों के कार्यक्षेत्र में उत्पाद के 30% तक को खरीदने का प्रावधान है । क्या किसी राज्य ने इस सुविधा का लाभ उठाया है और यदि हां तो किस सीमा तक ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं इस प्रश्न का तुरन्त उत्तर नहीं दे सकता । माननीय सदस्य इसके लिए अलग सूचना दें ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मन्त्री महोदय ने बताया है कि अभी तो सरकारी एजेंसियों और सहकारी समितियों को लाइसेन्स दिए जायेंगे परन्तु उनका कहना है कि यदि क्षेत्रों में सरकार या सहकारी समितियों, आगे नहीं आती हैं तो फिर निजी पार्टियों को लाइसेन्स देने पर विचार किया जाएगा । मेरी सूचना के अनुसार जम्मू और कश्मीर में चार पार्टियां ऐसी हैं । जिन्होंने अपनी वनस्पति घी की इकाईयां स्थापित की हैं । कश्मीर से आए छह आवेदन-पत्र मन्त्रालय में पहले से ही लटके पड़े हैं और उनमें से एक पर भी लाइसेन्स देने के लिए विचार नहीं किया गया है और श्रीनगर या किसी अन्य स्थान पर एक इकाई स्थापित करने का कश्मीर का बहुत ही विशेष मामला बनता है क्योंकि कुल मिलाकर हमारे यहां जाने वाली सड़क, अच्छे मौसम में चालू रहने वाली

सड़क है। जब यह बन्द हो जाती है तो कश्मीर की जनता को बड़ी कठिनाई होती है। क्या आप कश्मीर घाटी में एक या दो पार्टियों को लाइसेन्स प्रदान करने पर विचार करेंगे, जिससे कि इस अभाव को दूर किया जा सके ?

राव बीरेन्द्र सिंह : सभी आवेदन-पत्रों पर उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई लाइसेन्सिंग समिति द्वारा गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाता है। मैं किसी नये लाइसेन्स के लिए निवेदन पर 'हां' या 'ना' कहने की स्थिति में नहीं हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जब तक खाद्य मन्त्रालय आवेदन-पत्र स्वीकृति प्रदान नहीं कर देता, तब तक वाणिज्य मन्त्रालय लाइसेन्स प्रदान नहीं कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनको अलग से लिख सकते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उन्होंने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया है और इसीलिए हमें बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि भारत सरकार का एक उपक्रम गणेश फ्लोर मिल है, उसमें वी० आई० पी० कोटे के नाम पर वनस्पति के टिनों का कितना कोटा किस-किस के नाम है, क्योंकि 30 रुपये से 40 रुपये टिन तक का ब्लेक उन टिनों पर हुआ करता है, तो इस कोटे का वितरण किस प्रकार से होता है और इस प्रकार का कितना कोटा है जिसका फायदा आम जनता को न मिलकर कोटा लेने वालों को मिलता है।

[अनुवाद]

राव बीरेन्द्र सिंह : इसके लिए अलग सूचना भेजने की आवश्यकता है। जहां तक अन्य प्रश्न का सम्बन्ध है मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उस समय मेरे पास सूचना नहीं थी। जहां तक राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में 30 प्रतिशत वनस्पति निर्माताओं से प्राप्त करने का सम्बन्ध है, अभी तक किसी भी राज्य ने इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया है।

श्री एस० एम० भट्टम : हाल ही के दिनों में, वनस्पति की कीमतों में अचानक और अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। क्या सरकार को इसका पता नहीं है अथवा वे इस पर कुछ कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं ? जैसा कि मन्त्री महोदय ने अभी-अभी कहा है, इस पर किसी प्रकार का नियन्त्रण लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्या यह निर्माताओं के लिए आश्वासन है अथवा वे आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए कोई कदम उठायेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जैसाकि मैंने बताया है, न्यूनाधिक वनस्पति की कीमतें एक स्वैच्छिक समझौते के अधीन नियन्त्रित की जाती हैं। मैंने कीमतों को नियन्त्रित करने के सरकार के इरादों

के बारे में जो कुछ पहले कहा है वह देसी घी के बारे में था, वनस्पति के बारे में नहीं। हाल ही में वनस्पति के प्रत्येक पैक की कीमत, बजट में 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण बढ़ानी पड़ी थी। उसके परिणामस्वरूप, कुछ थोड़ी सी वृद्धि हुई है।..

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने स्वयं जिक्र किया है कि जो सुविधायें केन्द्र सरकार ने दे रखी हैं वह बहुत-सी राज्य सरकारें अवेल नहीं कर रही हैं। मैं जानना चाहूंगा क्या मन्त्री जी प्रत्येक राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में डायरक्शन्स भेजेंगे ?

दूसरी बात यह है कि जो ऐसे ट्राइबल इलाके हैं जहां पर पावर-हाउस या इस प्रकार के दूसरे डेवलपमेंट कांप्लेक्स बन रहे हैं वहां पर वनस्पति की उचित व्यवस्था न होने के कारण गरीब मजदूरों तथा आदिवासियों को वनस्पति बड़ा महंगा मिलता है तो क्या सारे देश में इस बात का सर्वेक्षण कराकर कि किन पाकेट्स में वनस्पति की अवेलेबिलिटी कम है, मन्त्री जी स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्टिव्ज देंगे कि उन इलाकों में वनस्पति की कमी न होने पाए—इस बात की वे व्यवस्था करें। क्या मन्त्री जी इस बात का आश्वासन यहां पर देंगे ?

[अनुवाद]

राव बीरेन्द्र सिंह : यह एक सुझाव है। परन्तु जब हमने राज्यों को यह सुविधा दे दी है तो इस सुझाव को कार्यरूप दिया जा चुका है। यदि वे इस सुविधा का लाभ उठाना अच्छा नहीं समझते हैं तो केन्द्रीय सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर सकती है।

चित्रमाला में नयी बंगला फिल्मों के शामिल करने पर प्रतिबन्ध

*163. **श्री सैयद मसुदल हुसैन**
श्री अजीत कुमार साहा } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी बंगला फिल्मों को चित्रमाला में शामिल करने का प्रतिबंध लगाये जाने के क्या कारण हैं जबकि चित्रहार कार्यक्रम में हिन्दी फिल्म दिखाई जायेंगी ; और

(ख) सरकार ने चित्रमाला कार्यक्रम में नयी फिल्में दिखाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन के "चित्रमाला" कार्यक्रम में बंगला सहित विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं की फीचर फिल्मों

के गीत और नृत्य अनुक्रम शामिल होते हैं। "चित्रहार" कार्यक्रम में केवल हिन्दी की फीचर फिल्मों के ही गीत और नृत्य अनुक्रम शामिल होते हैं। बंगला की नई फीचर फिल्मों सहित नई फीचर फिल्मों के अनुक्रमों को "चित्रमाला" कार्यक्रम में स्थान दिया जाता है बशर्ते कि इस प्रकार की फिल्में उनको प्रदर्शन अधिकार रखने वाली पार्टियों द्वारा दूरदर्शन को उपलब्ध कराई जाएं।

श्री सैयद मसुदल हुसैन : इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता है कि एक औसत बंगाली फिल्म का मानक किसी भी औसत हिन्दी फिल्म से कहीं अच्छा होता है।

श्री राम प्यारे पनिका : आप ऐसा नहीं कह सकते हैं।

श्री सैयद मसुदल हुसैन : मैंने 'औसत' कहा है। सत्यजित रे और मृणाल सेन की फिल्मों का उल्लेख किया जा सकता है। श्री पनिका जी क्या आपने सत्याजित रे का नाम सुना है? फिर भी बंगाली फिल्मों की अधिक खरीद नहीं होती है क्योंकि यह एक क्षेत्रीय भाषा है और दर्शकों की तथाकथित रुचि के कारण भी ऐसी स्थिति है। और इस कारण से यदि सरकार प्रदर्शन अधिकार जैसी कोई शर्त लगा देती है तो, हिन्दी फिल्मों से प्रतियोगिता करना बंगाली फिल्मों के लिए सम्भव न हो सकेगा। अतः, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बंगाली फिल्मों को यथापूर्व बिना किसी शर्त के दूरदर्शन पर दिखाने पर विचार करेगी।

श्री वी० एन० गाडगिल : कोई प्रतिबन्ध नहीं है, किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं है। एक मात्र शर्त यह है कि जिस व्यक्ति के पास प्रदर्शन के अधिकार हैं, उसे आगे आना चाहिए। जब तक वे प्रस्ताव नहीं ले जाते हैं, हम यह निर्णय नहीं ले सकते हैं कि कौन-सी फिल्म दिखाई जानी है और कौन-सी नहीं।

मैं माननीय सदस्य के सूचनार्थ यह और कहना चाहूंगा कि बंगाली के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाता है क्योंकि गत वर्ष 1984 में, चित्रमाला में हिन्दी फिल्मों से दिखाये गए गीत-दृश्यों की कुल संख्या 34 थी और बंगाली फिल्मों से कुल 33 गीत दृश्य दिखाये गये थे यानि केवल एक कम।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि गत तीन वर्षों में टेगौर और काजी नजरुल इस्लाम जैसे कवियों के बंगाली गीतों की राष्ट्रीय दूरदर्शन आवर्ती में अत्यन्त कमी आई है और यदि हां तो, उसके क्या कारण है और क्या – इस वर्ष चैतन्य महाप्रभु का पांच सौवा जन्म शताब्दी वर्ष होने के नाते सरकार उन पर फिल्म और उनके गीतों का तुरन्त दूरदर्शन पर प्रदर्शन करने पर विचार करेगी?

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमने महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्म एवं मरण वार्षिकोत्सवों और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर वर्ष का कलेंडर तैयार कर लिया है और तदनुसार ही कार्यक्रम रखे जाते हैं। चंकि उन्होने चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख किया है, उन पर एक फिल्म हम निश्चय ही इस वर्ष दिखाने का प्रबन्ध करेंगे।

श्री बासुदेव आचार्य : सरकार ने कलकत्ता से क्षेत्रीय फिल्म डिवीजन के कार्यालय को बन्द करने और कलकत्ता स्थित सभी फिल्म निर्माण उपस्करों को बम्बई स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है। सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध समस्त बंगाल में व्यापक विरोध प्रकट किया जा रहा है। उसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और क्षेत्रीय फिल्म डिविजन कार्यालय का कलकत्ता से बम्बई स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव को त्याग देगी ?

श्री वी० एन० गाडगिल : स्पष्टतया कहूं तो मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न नहीं बनता है। फिर भी मैं कहूंगा कि इस समस्या की ओर दो सदस्यों ने मेरा ध्यान दिलाया है—श्री सेन और प्रियरंजन दास मुन्शी ने। मैंने कलकत्ता में कुछ प्रतिनिधियों के साथ कुछ विचार-विमर्श भी किया था। मैंने इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या किया जाए, कल अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है।

श्री श्रीहरि राव : सरकार दूरदर्शन पर दिखाने के लिए चित्रमाला और क्षेत्रीय भाषाओं में बने चलचित्रों की किस आधार पर जांच-परख करती है ? क्या यह जनसंख्या या किसी अन्य बात पर आधारित होता है ? 1-1-84 से लेकर 31-12-84 तक दूरदर्शन पर कितने चलचित्र प्रदर्शित किए गये हैं ?

श्री वी० एन० गाडगिल : चूंकि भाषाओं की संख्या अधिक हैं और चित्रमाला को दिखाने के लिए हमारे पास समय सीमित है इसके लिए जो प्रणाली अपनाई गई है वह आवतिता पर आधारित है। दूसरी बात यह है कि चित्रमाला के लिए चुनाव उन सात भिन्न-भिन्न केन्द्रों पर किया जाता है जहां पर स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बंगलौर और जलन्धर। वे स्थानीय भाषा में किसी फिल्म का चुनाव करते हैं और उसकी हमको सिफारिश करते हैं। इनका चुनाव प्रिन्ट की उपलब्धता, गीत की निरन्तर लोकप्रियता, मनोरंजन और विषय के महत्व तथा परिवार के देखने की उपयुक्तता पर आधारित होता है। इस आधार पर स्थानीय स्टेशन फिल्म का चुनाव करते हैं। हम उन सिफारिशों को स्वीकार करते हैं और उन्हें बारी से दिखाया जाता है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण

*164. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-84 की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए वर्ष-वार कितनी राशि के ऋण मंजूर किए गए;

(ख) इन ऋणों पर उनसे किस दर पर ब्याज लिया जाता है;

(ग) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के नियमों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋणों पर किस दर पर ब्याज वसूल किया जा रहा है;

(घ) क्या अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वार्षिक सम्पत्ति विवरणों से यह पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है कि उनमें से कितने अधिकारियों और कर्मचारियों के अपने मकान हैं लेकिन वे सरकारी आवास में रहते हैं;

(ङ) सरकार का किस प्रकार यह सुनिश्चित करने का विचार है कि ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारी कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने, अपने निजी मकानों का ऊंची दर पर किराया लेने तथा मामूली लीज शुल्क का भुगतान करके सरकारी आवास में रहने के विविध लाभ न उठाये ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) :

(क)

वर्ष	राशि (करोड़ रुपयों में)
1980-81	30.56
1981-82	30.87
1982-83	32.33
1983-84	36.29

(ख) विद्यमान ब्याज की दरें प्रथम 25,000/-रुपये के लिए 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष, अगले 25000/-रुपए के लिए 8½ प्रतिशत प्रति वर्ष और उससे अगले 25,000/-रुपए के लिए 10½ प्रतिवर्ष और 75,000/-रुपए से लेकर 1,25,000/-रुपए (गृह निर्माण की अधिकतम सीमा) तक के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

(ग) आवास तथा नगर विकास निगम लिमिटेड जो केन्द्र सरकार को गृह निर्माण अग्रिम योजना का अनुपालन करता है, ने भी ब्याज की यही दरें अपनाई हैं।

(घ) जी, नहीं।

नियमों के अन्तर्गत निर्धारित सम्पत्ति विवरण प्रपत्र में कर्मचारियों को आबंटित सरकारी आवास के सम्बन्ध में सूचना के लिए कोई कालम विनिर्दिष्ट नहीं है। इसके अलावा ये विवरण केवल ग्रुप "क" तथा ग्रुप "ख" के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती हैं।

(ङ) जिन कर्मचारियों के पास अपनी तैनाती के स्थान पर या इसके पास के स्थान पर

अपना मकान है और जिन्हें सरकारी आवास आबंटित किया जाता है, उन्हें लाइसेंस का भुगतान ऊंची दरों पर करना पड़ता है। ब्यौरे सभा पटल पर रखे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

स्लेब या अपने मकान से किराया	लाइसेंस फीस की दर
(i) 3,000/-रुपए प्रतिमाह तक किराया	एफ० आर० 45-ए के अन्तर्गत मानक/पूलित लाइसेंस फीस या परिलब्धियों का 10 प्रतिशत, इसमें से जो भी कम हो।
(ii) 3000/-रुपए प्रतिमाह से आधिक परन्तु 5000/-रुपए प्रतिमाह तक किराया।	एफ० आर०-45-ए के अन्तर्गत मानक/पूलित लाइसेंस फीस का दुगना या परिलब्धियों का 20 प्रतिशत, इसमें से जो भी कम हो।
(iii) 5000/-रुपए प्रतिमाह से अधिक किराया।	एफ० आर०. 45-ए के अन्तर्गत मानक/पूलित लाइसेंस फीस का तीन गुना या परिलब्धियों का 30 प्रतिशत, इसमें जो भी कम हो।

श्री के० राममूर्ति : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न पूछने का आरोप यह है कि सरकारी कर्मचारियों को दोहरा लाभ न मिले। एक ओर तो उन्हें अपने मकान बनाने के लिए रियायती ब्याज की दरों पर सरकार से ऋण दिये जाते हैं तथा दूसरी ओर उन्हें अत्यन्त रियायती दरों पर सरकारी आवास की सुविधा प्राप्त है। इसी संदर्भ में मैंने सरकार से जानना चाहा है कि क्या उन्होंने इस बात का मूल्यांकन किया है, अथवा इसकी जांच करायी है कि क्या सरकारी कर्मचारी रियायती दरों पर मकान बनाने के लिए ऋण तथा अत्यन्त रियायती दरों पर सरकारी आवास प्राप्त कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मैंने प्रश्न का (घ) भाग पूछा था परन्तु मंत्री महोदय ने नाकारात्मक उत्तर दे दिया है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पता है, अथवा क्या वे इस बात का पता लगाने के लिए कोई समिति नियुक्त करेंगे कि सचिव स्तर के अधिकारियों से लेकर संयुक्त सचिव एवं उप-सचिव तक जिन अधिकारियों ने सरकार से भवन निर्माण के लिए ऋण लेकर अपने मकान बनाये हैं वे अपने भवन के बनने के बाद भी सरकारी आवास की सुविधाएं ले रहे हैं ?

श्री अब्दुल गफूर : उन सरकारी अधिकारियों के संबन्ध में जिन्होंने सरकार से ऋण लेकर मकान बनाये हैं और सरकारी आवासों में रह रहे हैं, उनके द्वारा देय किराया तीन वर्गों में विभाजित हैं। साधारणत: परिलब्धियों का 10% किराया लिया जाता है, जिन कर्मचारियों को अपने मकान का किराया 3000 से 5000 रुपए मिलता है उनसे उनके सरकारी आवासों का किराया 20% लिया जाता है। जिनके मकानों का किराया 5000 रुपए से अधिक है उन्हें अपने सरकारी आवासों का साधारण किराये का तीन गुना देना पड़ता है।

जहां तक आम सर्वेक्षण का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि ऐसे अधिकारियों की संख्या अधिक नहीं है ।··· (व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : उन अधिकारियों की क्या स्थिति है जिनके निजी मकान है तथा वे सरकारी मकानों में रह रहे हैं ।

श्री अब्दुल गफूर : इसीलिए मैंने आपको बताया कि तीन विभिन्न वर्ग हैं । जो सरकारी अधिकारी सरकारी आवासों में रहते हैं तथा जिन्होंने अपने मकान बनाये हैं तथा उनके अपने मकान का किराया 3000 से 5000 रुपए तक है उन्हें सरकारी आवास के लिए दुगुना किराया देना होता है । जिन्हें 5000 से अधिक किराया मिलता है उन्हें सरकारी आवासों का सामान्य किराये का तीन गुना किराया देना होता है । जो अधिकारी सामान्य लाइसेंस फीस दे रहे हैं अर्थात जिनके मकान किराये से आय 1000 रुपये प्रति मास अथवा कम है, उनकी संख्या इस प्रकार हैं : टाइप (ए) 170, टाइप (बी) 437, टाइप (सी) 1128, टाइप (डी) 453, टाइप (ई) 61—कुल 2249 । उन अधिकारियों की संख्या जो आधा बाजार किराया दे रहे हैं, अर्थात् जिनके मकान किराये से होने वाली आय 1000 से अधिक तथा 2000 से अनधिक है, इस प्रकार है: टाइप (ए) कोई नही, टाइप (बी) कोई नहीं, टाइप (सी) 8, टाइप (डी) 16, टाइप (ई) 29, टाइप (ई-1) 15 । अन्य वर्ग आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग में आते हैं । जो अधिकारी मार्केट दर पर लाइसेंस फीस दे रहे हैं अर्थात् जिनके मकान से आय 2000 रुपए से अधिक है, उनकी संख्या इस प्रकार है : टाइप (ए) कोई नही, टाइप (बी) कोई नहीं, टाइप (सी) कोई नहीं, टाइप (डी) तथा (ई) 52 ।

श्री के० राममूर्ति : मेरे प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने जो कुछ कहा है मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं । प्रश्नों का उत्तर देने में मन्त्री महोदय की इस लीनता से मैं परिचित हूं । मुझे यह टिप्पणी करते हुए खेद है । मैं तीसरी बार लोक सभा का सदस्य बना हूं तथा इस प्रश्न को दुहरा रहा हूं । पिछली दो बार जब मैंने यह प्रश्न रखा था तो दुर्भाग्य से प्रश्न तारांकित नहीं थे । पहली बार ही यह प्रश्न तारांकित में आया है । मैं मन्त्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि सरकारी ऋण से मकान बनाने वाले अधिकारियों को अपने मकान किराए पर देकर सरकारी आवासों में रहने नहीं दिया जायेगा । इस बारे में लाइसेंस फीस की बात कहना महत्वहीन है । मैं मन्त्री महोदय से विशिष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या सरकार उन अधिकारियों को सरकारी ऋण से उस स्थान पर घर बनाए गए अपने मकानों की किराए पर नहीं देने देगी जहां उनकी तैनाती है ?

श्री अब्दुल गफूर : सरकार कोई बात दोहरा नहीं रही है । 1977 से पूर्व नियम यह था कि अपने मकान रखने वाले अधिकारियों को उनमें रहना होता था । यह नियम 1977 में बदला, चाहे जनता सरकार थी अथवा कांग्रेस सरकार थी—नियम 1977 में बदला । इस समय यदि किसी सरकारी कर्मचारी का अपना मकान है तो उसे सरकारी आवास का किराया अधिक देना पड़ता है यदि उसके पास अपना मकान नहीं होता तो उसे कम किराया देना पड़ता । (व्यवधान)

श्री के० राममूर्ति : मेरे प्रश्न के भाग (ङ) में यह पूछा गया है :

"(ङ) सरकार का किस प्रकार यह सुनिश्चित करने का विचार है कि ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारी कम ब्याज पर ऋण प्राप्त करने, अपने निजी मकानों का ऊंची दर पर किराया लेने तथा मामूली शुल्क का भुगतान करके सरकारी आवास में रहने का तिहरा लाभ न उठाये।"

मंत्री महोदय ने बताया है कि लीज शुल्क 20 प्रतिशत अथवा 30 प्रतिशत होगा। यह राशि अत्यन्त कम है मैं जानता हूं कि कुछ सचिवों ने अपने मकान राजदूतावासों को दिये हैं जिसके वे बहुत ऊंचे किराये ले रहे हैं। क्या सरकार इस बारे में खुला वक्तव्य देगी कि वे इसे रोक रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने कहा है कि जिन सरकारी कर्मचारियों के अपने मकान है उनसे अधिक किराया लिया जायेगा।

श्री अब्दुल गफूर : मैं प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। 1977 से पहसे यह नियम था कि जिन सरकारी कर्मचारियों के अपने मकान हैं वे उन्हीं में रहेंगे हम उस नियम का पालन कर रहे हैं (**व्यवधान**) यदि माननीय सदस्य कोई प्रस्ताव देंगे तो सरकार उस पर ध्यान देगी।

[**हिन्दी**]

श्री अनादि चरण दास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कर्मचारियों को लोन देने के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है और क्या आदिवासी और हरिजन लोगों को इसमें कुछ कंसेशन देते हैं। जिन लोगों के पास एक भी घर नहीं है और जो परिवार यहां पर भी घर रखे हुए हैं और अलग-अलग जगहों पर और जो उनके मकान हैं, इस पर पाबंदी लगाने सरकार जा रही है या नहीं ?

श्री अब्दुल गफूर : मकान बनाने के लिए गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि जो भी जितना मकान बना ले, उससे हमारी हाउसिंग प्राब्लम साल्व होगी।

[**अनुवाद**]

सरकार बहुत से मकान नहीं बना सकती। यदि अन्य लोग आगे जाते हैं तो उन्हें मकानों का निर्माण करना चाहिए।

[**हिन्दी**]

कल मेंबर्स यह भी कह रहे हैं कि जितना ब्लैक मनी लोगों के पास है, वे अगर मकान बनाएं तो गवर्नमेंट उसको नहीं देखेगी। इसके फेवर या अगेन्स्ट में भी बोलिए।

[अनुवाद]

सरकार इन सब बातों पर ध्यान देगी

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपके डिपार्टमेंट से इस बात का असेस्मेंट कराया जाता है कि जिन अधिकारियों ने आपके यहां से लोन लिया है और उससे बहुत अधिक वैल्यूएशन का मकान बनाया है, जो उनकी आमदनी के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। यह पैसा उनके पास कहां से आता है और किस मद में उसको वे दिखाते हैं, क्या इसके संबंध में कोई असेसमेंट कराया जाता है ?

श्री अब्दुल गफूर : इस बात का प्रश्न नहीं उठता। इसके लिए आप दूसरा प्रश्न पूछिए, इसमें यह प्रश्न नहीं आता।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इस प्रश्न में है—

[अनुवाद]

सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्पत्ति विवरणियों से यह पता लगाने के लिए कि उनमें से कितने लोगों ने मकानों का निर्माण किया है, क्या कोई मूल्यांकन किया गया है ?

[हिन्दी]

इसलिए यह प्रश्न भी इससे संबंधित है।

श्री अब्दुल गफूर : असेसमेंट कराना हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं है। हां मकान बना है या नहीं, इस बात को हम देखते हैं।

[अनुवाद]

कीटनाशक औषधियों की रासायनिक जांच

*165. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न एजेंसियां द्वारा राज्यों को सप्लाई की गई कीटनाशक औषधियों की रासायनिक जांच उनके मंत्रालय द्वारा की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन ब्रान्डों के बारे में कोई रिपोर्ट तैयार की है जो देश में फलों की विभिन्न किस्मों के लिए उपयोगी अथवा कारगर है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं। अधिकतर राज्य सरकारों के पास कीटनाशी जांच के लिए अपनी प्रयोगशालाएं हैं और वे खरीदी गई सामग्री की जांच स्वयं कर सकते हैं। मन्त्रालय ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षत्रों, जिनके पास उतनी क्षमता नहीं है या अपर्याप्त क्षमता है के लिए परीक्षण क्षमता का निर्धारण करता है।

(ख) जी, नहीं। तथापि फलों सहित अन्य कृषि फसलों के कृमियों और रोगों के विरुद्ध, कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत पंजीकृत कीटनाशियों के इस्तेमाल के स्वीकृत तरीकों के सारांश (रासायनिक) सामान्य नामों पर आधारित प्रकाशित किए जा चुके हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मन्त्री महोदय के उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसके विपरीत मन्त्री महोदय ने तो एक व्यापक प्रश्न उठाया है। मेरे इस प्रश्न कि क्या विभिन्न ऐजेन्सियों द्वारा राज्यों को सप्लाई की गई कीटनाशक औषधियों की रासायनिक जांच उनके मंत्रालय द्वारा की जाती है, के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि उनके मंत्रालय द्वारा ऐसी जांच नहीं कराई जाती, उन्होंने बताया कि अधिकांश राज्यों की कीटनाशक दवाइयों की रासायनिक जांच के लिए अपनी प्रयोगशालाएं हैं। यह बात कितनी उपहासास्पद लगती है कि केन्द्रीय कृषि मंत्री कीटनाशक दवाइयों का किसी विश्वसनीय ऐजेंसियों द्वारा जांच कराना आवश्यक नहीं समझते।

इसी कारण विभिन्न बांडों की कीटनाशक दवाइयों में भारी अपमिश्रण हो रहा है जिसके कारण काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के फलोद्यानों के स्कैब को रोका नहीं जा सका। परन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण बात लोगों के स्वास्थ्य सम्बन्धी है। क्या सरकार भोपाल की गैस विभीषिका ध्यान देते हुए सभी कीटनाशक दवाइयों की केन्दीय स्तर पर जांच करवायेगी ? यह मेरा प्रश्न है।

श्री बूटा सिंह : प्रश्न के भाग (क) एवं (ख) का मेरा उत्तर स्पष्ट था। मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य इसे विवादास्पद कैसे बना रहे हैं क्योंकि मैंने बताया कि भारत सरकार के पास इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु जब भी कोई कीटनाशक दवाई निकाली जाती है इसे विद्यमान अधिनियम की अनुसूची के अंतर्गत लाया जाता है। अपने उत्तर के मुख्य भाग में जिस अधिनियम का मैंने उल्लेख किया है, उसका नाम कीटनाशी अधिनियम, 1968 है देश में किसी कीटनाशी के जारी किये जाने का पहला कदम है कि उसे कीटनाशी अनुसूची के अंतर्गत लाया जाये। यह कार्य केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के सभापतित्व में गठित केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है। फिर श्रीमान्, बोर्ड किसी विशेष कीटनाशी के अनुसूची में सम्मिलित किये जाने के समय उसके निर्माता उत्पादक अथवा पूर्ति कर्त्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रयोग में लायी गई प्रत्येक रसायन के गुणों पर विचार करता है। किसी कीटनाशी के अनुसूची में सम्मिलित करने का यह तरीका है। फिर मामला पंजीयन समिति के पास जाता है जो कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन है। फिर पंजीपन समिति नियमों में निहित विभिन्न शर्तों पर ध्यान देते हुए किसी कीटनाशी को पजीयन करती है जिसके बाद ही किसी कीटनाशी का किसानों को वितरण किया जा सकता है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, इन कीटनाशी दवाओं का उत्पादन कृषि उद्योग के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है भोपाल की दुर्घटना के बाद मंत्रालय को इस प्रश्न पर ध्यान चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। अतः मैं यह प्रश्न उठा रहा हूं। क्या मंत्रालय कीटनाशी अधिनियम 1968 में संशोधन करेगी ताकि कीटनाशी दवाइयों का कृषि मंत्रालय द्वारा रासायनिक परीक्षण किया जा सके तथा इनके वितरण को भी विनियमित किया जा सके। इसमें बहुत भ्रष्टाचार है। मिलावट से स्कैब रोग होता है। ऐजेंसियां तय करने में भी भारी भ्रष्टाचार है। यह आरोप लगाया गया है इन ऐजेंसियों के गठित करने में विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रालयों को बहुत सा धन मिला है।

मेरे अपने राज्य में भी मंत्रियों के बेटों को ऐजेंसियां आबंटित की गई हैं। क्या मंत्री महोदय के पास इस बारे में नवीनतम सूचना है ?

श्री बूटा सिंह : श्रीमन्, इस अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा होता है और उन्हें नमूना सर्वेक्षण करने का अधिकार है उनकी अपनी प्रयोगशालाएं हैं। केन्द्रीय सरकार ने कीटनाशी अधिनियम की धारा 16 के तहत फरीदाबाद में केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला खोली है और इसकी शाखाएं केन्द्रीय प्लांट सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद और केपैरेन्टाइन फ्यूमिगेशन स्टेशन (संगरोधन धूमन केन्द्र) बम्बई में हैं। केन्द्रीय प्रयोगशाला निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त कीटनाशी नमूनों के विश्लेषण की सुविधा प्रदान करती है।

इसी प्रकार किसानों को सप्लाई की जाने वाली कीटनाशी और कीटमार (पेस्टिसाइड) दवाइयों के नमूनों की जांच के लिए राज्यों की अपनी प्रयोगशालाएं हैं। जहां कहीं कदाचार के मामले पाये जाते हैं, तो कार्यवाही की जाती है ? दोषी लोगों को पकड़ा जाता है और उन्हें सजा दी जाती है।

जहां तक जम्मू और काश्मीर के इस विशेष मामले का संबंध है अगर माननीय सदस्य मुझे एक भी मामले से अवगत करायेंगे तो हम उसकी जांच करेंगे

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पेस्टिसाइडों में बड़ी मात्रा में मिलावट होती है और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि इन पेस्टिसाइड की ऐजंसियां मुख्यतः अतिविशिष्ट व्यक्तियों के घरानों के सदस्यों की ही होती हैं क्या सरकार अपनी मशीनरी का उपयोग करते हुए इन रसायनों की दोहरी जांच के लिए सहमत होगी ? क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि**जम्मू और काश्मीर में**भी कीटनाशक दवाइयों की एक ऐजंसी है ?

श्री बूटा सिंह : श्रीमन्, मुझे खेद है कि व्यक्तिगत मामले इस प्रकार हम पर लादे नहीं जा

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सकते। लेकिन जैसा कि मैंने कहा जहां कहीं भी कदाचार का मामला पकड़ा जाता है, तो अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है और व्यक्ति को दंड दिया जाता है।

मेरे पास आंकड़े हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार किसी व्यक्ति का हवाला देना, उस पर आरोप लगाने जैसा है। इसलिए यह कार्यवाही वृत्तांत का हिस्सा, कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने कोई आरोप नही लगाया है। मैंने केवल पूछा था।

उपाध्यक्ष महोदय : नाम लेना और इस प्रकार बातें कहना भी एक प्रकार का आरोप लगाने जैसा ही है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने पूछा है। उन्हें इन्कार करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ विशिष्ट बातें कह रहे हैं और यह एक प्रकार का आरोप ही है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह आरोप नहीं है। वह तथ्य जानना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : श्रीमन्, मैं आपको उदाहरण दे रहा था। 1983-84 में आन्ध्र प्रदेश में 40 मामलों में अभियोग चलाया गया, हरियाणा में 40 मामलों में, केरल में 3 मामलों में, महाराष्ट्र में 14 मामलों में, पंजाब में 11 मामलों में, उत्तर प्रदेश में 23 मामलों में अभियोग चलाये गये। 1983-84 में गलत ब्रान्ड के पेस्टिसाइडस या कीटनाशी सप्लाई करने के 199 मामले पकड़े गये।

श्री बी० सोभनाद्रीसवरा राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि काफी मात्रा में मिलावट हो रही है, और पेस्टिसाइड्स के मामलों में किसनों को अरबों रुपये का धोखा खाना पड़ रहा है, क्या माननीय मंत्री ने जो उपाय या कार्यवाही पहले ही घोषित की है उसके अलावा भी और उपाय करेंगे ताकि मिलावट को रोका जा सके ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप बाद में पूछ सकते हैं।

प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन

*166. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कृषि मजदूरों के न्यूनतम वेतन को आवधिक रूप से संशोधित करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों में इन मजदूरी दरों में संशोधन होना है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी के कार्यान्वयन पर भी निगरानी रखती है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां।

(ख) जम्मू व कश्मीर और सिक्किम राज्यों तथा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन कृषि श्रमिकों के लिए मजदूरी-दरों को अभी निर्धारित करना है। उन सभी 26 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने, जिन्होंने प्रारंभ में कृषि में रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी-दरें निर्धारित की थीं, इन दरों में 1980 के बाद कम से कम एक बार संशोधन किया है। इनमें से कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने उन दरों में एक से अधिक बार संशोधन किया है। वर्तमान दरों को दर्शाने वाला विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 640/85**]

(ग) जी, हां

पारेषण केन्द्रों की पारेषण क्षमता

*167. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्वरित (क्रैश) कार्यक्रम के अन्तर्गत जून से अक्तूबर, 1984 तक की अवधि के दौरान कितने नये पारेषण केन्द्र खोले गये तथा उन पर कितनी लागत आई;

(ख) क्या इस बात की ओर उनके मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया गया है कि घटिया किस्म की सामग्री प्रयोग किये जाने तथा टावरों के दोषपूर्ण ढंग से लगाये जाने के कारण अधि-

वांश के द्वों का पारेषण क्षेत्र बहुत कम है और उनसे पारेषित कार्यक्रम विनिष्टि क्षेत्रों में नहीं देखे जा सकते हैं; और

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पारेषण केन्द्र से पारेषित कार्यक्रम केवल एक किलोमीटर के दायरे में देखे जा सकते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) जून से अक्तूबर, 1984 तक चालू किये गये नये ट्रांसमीटरों की संख्या 117 थी। उस पर कुल लगभग 52 करोड़ रुपये की लगत आई।

(ख) सामान्यया ट्रांसमीटर अपेक्षा के अनुसार संतोषजनक सेवा उपलब्ध कर रहे हैं। दूरदर्शन सिगनलों का प्रेषण दृश्य रेखा परिस्थितियों के अंतर्गत होता है और यह बीच में पड़ने वाली पहाड़ियों आदि जैसी रुकावटों से प्रभावित होता है। इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के घटिया होने या टावरों के दोषपूर्ण ढंग से लगाए जाने के बारे में कोई शिकायतें नहीं हैं।

(ग) कुल्लू का अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर कस्बे को प्रभावी सेवा उपलब्ध करता है। तथापि, यह आसपास के क्षेत्रों को कवर नहीं करता, क्योंकि टांसमीटर घाटी में स्थित है। व्यापक कवरेज उपलब्ध करने के लिए ट्रांसमीटर को नए उपयुक्त स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।

सातवीं योजना अवधि में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार

*168. **श्री बी० बी० देसाई**
कुमारी पुष्पा देवी } : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना अवधि में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का बहुत विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1985-86 के लिए परिव्यय की राशि दुगुने से भी अधिक निश्चित की गयी है;

(ग) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 के दौरान कार्यान्वित किया जायेगा; और

(घ) सातवीं योजना अवधि में इस कार्यक्रम के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। 1985-86 के लिए केन्द्र सरकार के बजट में

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 214.50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। यह लगभग चालू वर्ष जितना है और यदि जरूरत हुई तो, बाद में इसे बढ़ा दिया जाएगा।

चुने गए परिवारों को आय सृजित करने वाली परिसम्पत्तियां सुलभ कराने तथा इन परिसम्पत्तियों के बेहतर उपयोग के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने हेतु 1985-86 में शुरू की जाने वाली योजनाएं जारी रहेंगी।

मछुआरों में गरीबी

*169. **श्री अजय विश्वास** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, मछुआरों में स्थायी गरीबी और मशीनीकरण के द्वारा मत्स्य उत्पादन बढ़ाने में उनके मार्ग में आने वाली रुकावटों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और मछुआरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार की भावी योजनाएं क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) देश में मछुआरों को परम्परागत समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग माना जाता है। अतः राज्य और केन्द्र/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें मछुआरा के समुदाय की आर्थिक स्थिति सुधारने के लक्ष्य से कई उत्पादन-उन्मुखी तथा कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से इस क्षेत्र के समर्थन की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं :—

(1) राजसहायता। ऋण आधार पर अनिवार्य मात्स्यकी वस्तुओं की आपूर्ति करना,

(2) 'आउट बोर्ड मोटर, इनबोर्ड इंजिन' और यांत्रिकृत नौकाओं पर राजसहायता देना,

(3) यांत्रिकृत नावों की खरीद के लिए ऋण की सुविधाएं देना,

(4) मछुआरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम,

(5) उत्पादन, विपणन, परिसंस्करण भण्डारण आदि के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से सहायता देना,

(6) परम्परागत तथा छोटे यांत्रिकृत नावों के लिए तटों के साथ लघु अवतरण तथा ठहराने की सुविधाओं का विकास करना,

(7) क्षेत्रीय विकास आधार पर समुद्री राज्यों में खारे पानी में मछली/झींगा पालन,

(8) परम्परागत नावों, छोटें यांत्रिकृत नावों तथा मछली पकड़ने वाले बड़े जलयानों के संचालन के क्षेत्र के निर्धारण के लिए कानून बनाना, और

(9) मछुआरों के लिए समुद्र बीमा, तकनीकी-सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण तथा राष्ट्रीय कल्याण निधि जैसी कल्याणकारी योजनाएं बनाना ।

सातवीं योजना अवधि के लिए भावी योजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

बंगलौर में जलपूर्ति के सुधार के लिए वित्तीय सहायता

*170. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर नगर में जलपूर्ति की स्थिति सुधारने हेतु कावेरी चरण-तीन योजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां ।

(ख) कर्नाटक सरकार का विचार विश्व बैंक की सहायता से कावेरी जलपूर्ति योजना चरण-III आरम्भ करने का है । इसकी अनुमानित लागत 24,000 लाख है । प्रस्ताव की मंत्रालय में जांच की गई है और इसे तकनीकी रूप से व्यावहारिक पाया गया है । कावेरी के जल का किसी नवीन उपयोग की सहमति की आवश्यकता के बारे में सिंचाई मंत्रालय ने कतिपय टिप्पणियां की हैं । इन मामलों पर कर्नाटक सरकार को लिखा गया है । उनसे अनुरोध किया है कि वे सिंचाई मंत्रालय के साथ इन मामलों को निपटायें ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा महेन्द्र राजमार्ग के एक खंड का निर्माण

*171. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का एम० आर० एम० सर्किल नेपाल में महेन्द्र राजमार्ग के एक खंड का निर्माण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितने मील मार्ग का निर्माण किया गया है कितने मार्ग का निर्माण किया जाना शेष है और परियोजना के कितनी अवधि के दौरान पूरे किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या निर्माण और आवास मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालयों ने 9 जून, 1683 को

श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ कोई समझौता किया है कि फालतू होने पर सभी श्रमिकों को भारत में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नियुक्ति दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी के अधीन पदों में कितने श्रमिक फालतू हो गये हैं और समझौते के पैरा 7(पांच) के अनुसार उनमें से कितने श्रमिकों को भारत में नियुक्ति पत्र दिया गया है और कितने श्रमिकों ने नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) (i) अब तक निर्मित कुल साइलेज = 288.293 कि०मी०

(ii) निर्मित होने के लिए शेष = 14.207 कि०मी०

(iii) मार्च, 1986 तक परियोजना पूर्ण हो जाने की आशा है।

(ग) कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ एक करार निष्पादित किया गया था जिसमें फालतू कर्मचारियों का समावेशन करते हुए भी कर्मचारियों, जो भारत में समावेशित नहीं हुए है, को छटनी मुआवजा देने की व्यवस्था है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निर्माण विहार के सामने सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*172. **श्री कमल नाथ** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटपड़ गंज रोड पर निर्माण विहार के सामने अनेक व्यक्तियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण/सरकार की भूमि के काफी बड़े क्षेत्र पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है और बहु-मंजिले भवन खड़े कर लिए हैं और उनको वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाया जा रहा है; और

(ख) सरकार द्वारा इस भूमि पर कब्जा करने से रोकने के लिए तथा इस समय काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) पटाड़ गंज रोड के पश्चिम में लगभग 3 एकड़ माप का क्षेत्र जो निर्माण और आवास मंत्रालय सहकारी ग्रुप आवास समिति को आवंटित भूमि में शामिल था, उनमें अनधिकृत निर्माण है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ये अधिकांश निर्माण 1977 से पूर्व के बने हुए थे और इसलिए अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की सरकारी नीति के अनुसार इन पर नियमितीकरण के लिए विचार किया जा रहा है। 1984 के दौरान पटाड़गंज रोड पर केवल चार नये अनधिकृत निर्माण हुए और दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 31(1) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए हैं।

कीट और रोग निगरानी केन्द्रों की स्थापना

*173. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना में देश में कीट और रोग निगरानी केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें कीट और रोग निगरानी केन्द्र खोलने का विचार है;

(ग) उक्त राज्यों में उन जिलों के नाम क्या हैं जिनको केन्द्र खोलने के लिए चुना गया है, और

(घ) कीट और रोग निगरानी केन्द्र खोलने के लिए निर्धारित मापदण्ड क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां। वर्तमान 19 केन्द्रीय निगरानी केन्द्रों और 13 केन्द्रीय वनस्पति रक्षण केन्द्रों को मजबूत बनाने के अतिरिक्त 20 केन्द्रीय वनस्पति रक्षण-व-निगरानी केन्द्र तथा पांच समन्वयक क्षेत्र केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) उन राज्यों और जिलों के नामों जहां ये केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, को अन्तिम रूप योजना आयोग और अन्य सम्बन्धितों द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए वित्तीय परिव्यय/योजना की स्वीकृति के पश्चात् दिया जाएगा।

(घ) केन्द्रीय कृषि और रोग निगरानी केन्द्र खोलने के मापदण्ड निम्न हैं :—

(1) कृमि/रोग से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को वरीयता दी जाती है।

(2) ऐसे बारानी खेती वाले, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र, जो राज्य सरकारों के निगरानी कार्यक्रम के तहत नहीं आते हैं; और

(3) राज्य सरकारों की सिफारिशें।

जनसंख्या वृद्धि की तुलना में खाद्य उत्पादन

*174. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनसंख्या वृद्धि की तुलना में खाद्य उत्पादन में हुई वृद्धि का प्रतिशत क्या है;

(ख) यदि खाद्य उत्पादन की दर अधिक है तो देश में प्रतिव्यक्ति खाद्य उपलब्धता में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ग) इन दोनों में सन्तुलन लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग), 1970-71 से 1983-84 की अवधि के दौरान, खाद्यान्नों के उत्पादन और उनकी निवल उपलब्धता की मिश्रित वृद्धि दर क्रमशः 2.64 और 2.46 प्रतिशत वार्षिक रही। इसकी तुलना में, इसी अवधि के दौरान, जनसंख्या की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर 2.27 रही है। इससे स्पष्ट है कि खाद्यान्न उत्पादन और उनकी निवल उपलब्धता में वृद्धि की दर जनसंख्या वृद्धि की दर से अधिक है।

तथापि, यह उल्लेखनीय है कि खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में आगे और वृद्धि करने में देश के उत्पादन और विभिन्न फसलों जैसे चावल, गेहूं, अन्य धान्यों और दलहन की उत्पादकता में वृद्धि करने की परिकल्पना की गयी है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, खाद्यान्नों के उत्पादन और उनकी उत्पादकता में वृद्धि करने की नीतियों में सिंचाई, उर्वरक, बीज की अधिक उपज देने वाली किस्मों, पांच संरक्षण इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण आदानों की समय पर आपूर्ति करना शामिल है। उचित क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों, किसानों को उनके उत्पाद का लाभप्रद मूल्य, ऋण की आसानी से उपलब्धि, अनुसंधान समर्थन और प्रौद्योगिकी का अन्तरण इत्यादि की भी व्यवस्था की जा रही है।

दक्षिण में संसद का सत्र

*175. **श्री अमर सिंह राठवा**
श्री मोहन लाल पटेल } : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण में संसद का एक सत्र बुलाने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) यदि दक्षिण में संसद का सत्र आयोजित करना सम्भव नहीं है, तो क्या सरकार यह सत्र पश्चिम क्षेत्र में, विशेषकर गुजरात में गांधीनगर में आयोजित करने पर विचार करेगी ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) इस समय सरकार का दिल्ली से बाहर संसद का कोई सत्र आयोजित करने का विचार नहीं है।

महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन

*176. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में पिछले दो वर्षों के दौरान गन्ने के उत्पादन में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गन्ने के उत्पादन में कमी आने की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने की संभावना है विशेषतया जबकि महाराष्ट्र का हमारे देश में चीनी का उत्पादन करने वाले राज्यों में प्रमुख स्थान है और इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) 1982-83 के दौरान महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन 313.6 लाख मीटरी टन था जबकि 1981-82 में 287.8 लाख मीटरी टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। 1983-84 के दौरान यह उत्पादन 265.5 लाख मीटरी न था।

(ग) 1983-84 के दौरान उत्पादन में कमी के लिए मुख्यतः जलवायु सम्बन्धी स्थितियां जिम्मेदार रही हैं। गन्ना विकास कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ किए जाते हैं। अन्य उपायों के अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार सहकारी चीनी फैक्ट्रियों को अपने-अपने क्षेत्रों में गन्ने का विकास करने के लिए सलाह देती रही है। इसी प्रकार, अन्य फैक्ट्री-क्षेत्रों में गन्ने का विकास करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

किए जा रहे गहन गन्ना विकास उपायों में ये शामिल हैं :—

(क) अच्छे किस्म के बीजों का उत्पादन और वितरण।

(ख) रोपणी और पेड़ी गन्ने दोनों के लिए गन्ने की खेती की सुधरी हुई पद्धतियों का निदर्शन।

(ग) पौध सुरक्षा उपाय।

(घ) गन्ना विकास श्रमिकों को प्रशिक्षण।

(ङ) सम्पर्क सड़कों का निर्माण।

[हिन्दी]

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की आय में वृद्धि

*177. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चलाये जा रहे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप छठी पंच-वर्षीय योजना के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह वृद्धि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो कम वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना में गरीबी की रेखा से नीचे बसर रहे 15 मिलियन परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य था, किन्तु जनवरी, 1985 तक 15.4 मिलियन परिवारों को सहायता दी जा चुकी है।

आय में बढ़ोत्तरी की दृष्टि से इस कार्यक्रम के प्रभाव का तब पता लगेगा, जब योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा तैयार की जा रही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित हो जाएगी।

[अनुवाद]

रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन और आयात

*178. **श्री एन० वी० रत्नम** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में रासायनिक उर्वरकों का कितना उत्पादन किया गया और अन्य देशों से कितना आयात किया गया; और

(ख) इस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों के वितरण का क्या तरीका है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) किसानों को उर्वरक प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिस बोर्ड को केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आबंटनों में से राज्यों की संस्थागत तथा सहकारी ऐजेंसियों के जरिए और विनिर्माताओं तथा वितरकों के नैट कार्य के गैर-सरकारी व्यापारियों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं।

विवरण

रासायनिक उर्वरकों का देशी उत्पादन तथा आयात

(पोषकतत्व लाख मीटरी टन में)

वर्ष	देशी उत्पादन			आयात		
	नत्रजन	फासफोरस	पोटाश	नत्रजन	फासफोरस	पोटाश
1981-82	31.44	9.49	...	10.54	3.43	6.44
1982-83	34.24	9.80	...	4.25	0.63	6.44
1983-84	34.85	10.48	...	6.56	1.43	5.56

उड़ीसा में चकबन्दी कार्यक्रम का कार्यान्वयन

*179. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों में बंट जाने की समस्या अत्यन्त गम्भीर है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उस राज्य में चकबन्दी कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को क्या सहायता दी गई; और

(ग) उड़ीसा में भूमि की चकबन्दी योजना के सफलतापूर्वक कार्यचालन के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में जोतों की चकबन्दी योजना के लिए अलग से कोई सहायता नहीं दी गई है। चूंकि चकबन्दी योजना राज्य की योजना-स्कीम है, इसलिए राज्य को दी जाने वाली समग्री योजना सहायता में से इसके लिए धन दिया जाता है।

2. राज्य योजना के अन्तर्गत चकबन्दी योजना पर वास्तविक व्यय निम्न प्रकार हुआ है :—

वर्ष	व्यय (रुपया लाखों में)
1981-82	519.61
1982-83	500.00
1983-84	477.37

1984-85 में 490 लाख रुपये का प्रावधान है।

3. नियमित चकबन्दी कार्यक्रम के अलावा, उड़ीसा सिंचाई परियोजना, चरण-1 (अन्तर-राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन द्वारा सहायता प्राप्त) के अन्तर्गत अगस्त, 1983 तक 2,03,642 हैक्टेयर भूमि की भी चकबन्दी की गई है। यह क्षेत्र महानदी डेल्टा चरण-1, चरण-2. हीराकुंड और सालंदी के मुख्य कमानों में था। चकबन्दी पर हुए व्यय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, सिंचाई परियोजना के लिए 58.00 मिलियन अमरीकी डालर का समस्त ऋण अक्टूबर, 1983 तक पूरा निकाल लिया गया था। इस परियोजना के चरण-1 पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए 16-9-83 को 105.00 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण-सहायता के करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। आशा है कि 31-12-1987 तक सारा ऋण निकाल लिया जायगा। 31-12-1984 की

स्थिति के अनुसार 18 896 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण का उपयोग कर लिया एता है। चरण-2 में हीराकुंड सालंदी और महानदी डेल्टा सिस्टम में स्थित लगभग 1,60,000 हैक्टेयर सिंचित भूमि की चकबन्दी की गई है। यह कार्यक्रम अक्तूबर, 1983 में शुरू किया गया था, जो चार वर्षों में अर्थात् 1986-87 तक पूरा होना है और जिसमें 40,000 हैक्टेयर प्रति वर्ष के हिसाब से चकबन्दी की जाएगी।

4. जहां तक राज्य द्वारा क्रियान्वित की जा रही बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना का संबंध है, भारत सरकार (व्यय विभाग) राज्यों को बंटी सहायता के 70 प्रतिशत के आधार पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। तथापि, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता समग्र परियोजना के लिए दी जाती है, चकबन्दी योजना जिसका एक घटक है। इसलिए चकबन्दी योजना के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं होंगे।

5. चूंकि यह मूल रूप से राज्य योजना-स्कीम है इसलिए इसका ब्यौरा केवल राज्य सरकार के पास ही उपलब्ध होगा।

"हुडको" द्वारा बड़ौदा नगर निगम को वित्तीय सहायता

*180. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हुडको" द्वारा गत दो वर्षों के दौरान बड़ौदा नगर निगम को कमजोर वर्गों के लोगों के लिए उनकी विभिन्न आवास योजनाओं हेतु योजनावार कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान बड़ौदा नगर निगम को कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने का विचार है; और

(ग) बड़ौदा नगर निगम द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता का योजना वार ब्यौरा क्या है तथा कमजोर वर्गों के लोगों के लिए कितने मकान बनाये गये हैं, अथवा बनाए जाने का विचार है;

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) गत दो वर्षों के दौरान बड़ौदा नगर निगम ने आवास तथा नगर विकास निगम लि० को कोई आवास योजना नहीं भेजी है।

(ख) वर्ष 1985-86 की योजनाएं जैसे ही बड़ौदा नगर निगम से प्राप्त हो जायेंगी, आवास तथा नगर विकास निगम लि० द्वारा वित्त व्यवस्था के लिए उस पर विचार किया जायेगा।

(ग) आवास तथा नगर विकास निगम लि० द्वारा वर्ष 1981 तक स्वीकृति बड़ौदा नगर निगम की आवास योजनाओं के ब्यौरे सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

15-3-1985 की स्थिति के अनुसार बड़ौदा नगर निगम को स्वीकृत योजनाओं के ब्यौरे

क्रम सं०	स्वीकृति की तारीख	योजना का नाम	परियोजना लागत (लाख रुपयों में)	ऋण राशि	विषय	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	31-7-72	तुलसी वाड़ी आवास योजना चरण–1, बड़ौदा	10.84	6.373	120 ई० डब्लू० एस० 20 अन्य	पूर्ण की गई योजना
2.	15-1-73	बुद्धदेव बड़ौदा में एम०आई०जी०आवास कालोनी	71.97	59.40	240 एम०आई० जी० 16 अन्य	—वही—
3.	27-9-73	तुलसी वाड़ी बड़ौदा चरण II में ई० डब्लू० एस० आवास	4.99	3.228	70ई०डब्लू०एस	—वही—
4.	22-11-73	ई० डब्लू० एस० तथा एल०आई०जी० आवास, तारसली बड़ौदा चरण-I	79 915	64.09	282 ई०डब्लू०एस० 352 एल०आई०जी	—वही—

1	2	3	4	5	6	7
5.	19-12-74	ई०डब्लू०एस० तथा एल०आई०जी० आवास योजना चरण-II तारासली बड़ौदा	113.38	91.53	298 ई० डब्लू० एस० 332 एल०आई०जी० 32 अन्य	पूर्ण की गई योजना
6.	25-1-75	हरनी आवास योजना, बड़ौदा	99.47	82.96	344 ई०डब्लू०एस० 300 ई०डब्लू०एस० 42 एम०आई०जी०	—वही—
7.	30-3-76	तारसली चरण-III, बड़ौदा में आवास योजना	47.43	37.26	257 एल०आई०जी० 12 अन्य	—वही—
8.	30-11-76	कम लागत आवास प्रतियोगिता योजना बड़ौदा	11.83	9.73	9 अन्य 200 ई०डब्लू०एस०	—वही—
9.	16-2-77	तारसली आवास योजना चरण-4, बड़ौदा में एल०आई०जी० आवास	120.25	92.85	663 एल०आई०जी०	—वही—
10.	16-2-77	जिला केन्द्र अकोटा बड़ौदा की नगर विकास योजना के तहत एल०आई०जी० आवास	54.00	41.70	300 एल०आई०जी०	निगम द्वारा योजना वापस ले ली गई।

11.	4-6-81	ताण्डेल्जा बड़ौदा में 50 एम०आई०जी० II आवास	14.69	10.50	50 एम०आई०जी-II	30 एकक प्रगति पर हैं।
12.	4-6-81	ताण्डेल्जा बड़ौदा में 60 एम०आई०जी-II आवास	16.35	11.84	60 एम०आई०जी० सभी एकक प्रगति पर हैं।	
13.	4-6-81	ताण्डेल्जा में एल०आई०जी० आवास	19.32	15.08	126 एल०आई०जी०	—वही—
14.	12-6-81	हरनी बड़ौदा में एम०आई०जी०आवास	33.31	24.32	108 एम०आई०जी-II 1-समाज सदन	—वही—

देश में बंद किए गए तथा तालाबन्दी वाले एककों के श्रमिकों को राहत

852. **श्री बाबूबन रियांग** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बन्द किये गये तथा तालाबन्दी वाले औद्योगिक एककों/मिलों/कारखानों के श्रमिकों को राहत देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब और उक्त योजना या प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (घ) तालाबन्दी और मिलों के बन्द रहने की अवधि के दौरान श्रमिकों को बीमे की सुविधा देने की योजना शुरू करने के लिए समय-समय पर सुझाव दिए गए हैं। चूंकि यह एक मुख्य नीति मामला है और इसमें श्रमिकों तथा नियोजकों दोनों को शामिल करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए सम्बन्धित पत्रकारों के साथ परामर्श करके इस प्रश्न की विस्तृत जांच-पड़ताल करनी होगी।

नए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना

853. **श्री सुधीर राय** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नए कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब और उन स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान। देश में और कोई राज्य कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, सरकार उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रही है।

(ख) उत्तरी-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के लिए स्थान का चयन अभी किया जाना है।

(ग) उत्तरी-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने से

सम्बन्धित एक प्रारूप प्रायोजन प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिस पर विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा विचार किया जाएगा।

दिल्ली में शीतल पेयों की गुणवत्ता में गिरावट

854. **श्री जुल्फिकार अली खां :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में केम्पाकोला तथा विभिन्न प्रकार के अन्य रंगीन शीतल पेयों की गुणवत्ता में पिछले कुछ समय से काफी गिरावट आयी है; और

(ख) यदि हां, तो खास तौर पर दिल्ली में स्थित एककों द्वारा अच्छी किस्म के वातित जल के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) खाद्य विभाग की खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला में 1984-85 के दौरान नमूनों के विश्लेषण से यह पता नहीं चला कि दिल्ली में बेचे जा रहे कैम्पा कोला और अन्य वातित पेयों की सामान्य क्वालिटी में गिरावट आयी है। विभिन्न साफ्ट ड्रिंक के नमूने लिए जाते हैं और समय समय पर उनका विश्लेषण किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए यथावश्यक उपयुक्त कार्रवाई की जाती है कि ये उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।

[हिन्दी]

नलकूप लगाने के राज सहायता

855. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिंचाई के लिए नलकूप लगाने हेतु राजसहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों के किसानों को कितने प्रतिशत राजसहायता दी जा रही है; और

(ग) बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत करने की तारीख और नलकूपों से सिंचाई कार्य शुरू होने की तारीख से राजसहायता मंजूर करने में कितना समय लगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (बूटा सिंह) : (क) जी हां। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत छोटे और सीमान्त किसानों को नलकूप लगाने जैसे लघु सिंचाई कार्यों के लिए राजसहायता दी जाती है।

(ख) किसानों के विभिन्न वर्गों को समेकित ग्रामीण विकास के प्रतिमान पर निम्न प्रकार से राजसहायता दी जा रही है :—

किसानों का वर्ग	ग्राह्य राजसहायता
(1) छोटे किसान	25 प्रतिशत 3000 रु० की अधिकतम सीमा तक (डी०पी०ए०पी० क्षेत्रों के मामले में 4000 रुपये)
(2) सीमांत किसान	33 1/3 प्रतिशत, 3000 रु० की अधिकतम सीमा तक (डी०पी०ए०पी० क्षेत्रों के मामले में 4000/-रु०)
(3) अनुसूचित जनजाति के किसान	50 प्रतिशत, 5000 रुपए की अधिकतम सीमा तक

(ग) भारत सरकार और राज्य सरकारें बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत होते ही राजसहायता की तत्काल निर्मुक्ति के लिए सभी संभव कदम उठा रही हैं। राज्य सरकारों को नलकूप चलाने के लिए बिजली के कनेक्शन देने में छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

मैसर्स भास्कर टैक्सटाइल मिल लिमिटेड झारसुगुडा (उड़ीसा) के कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा राशियों का भुगतान

856. श्री हन्नान मोल्लाह
श्री आनन्द पाठक } : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भास्कर टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, झारसुगुडा (उड़ीसा) के लगभग 3000 श्रमिक 2 अक्टूबर, 1982 से इस मिल की तालाबन्दी के कारण बेरोजगार हैं;

(ख) क्या श्रमिकों ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम, झारसुगुडा को कर्मचारी राज्य बीमा की अदायगी हेतु आवेदन किया है;

(ग) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अदायगी करने से इन्कार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो अदायगी न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार भास्कर टैक्सटाइल मिल्स के श्रमिकों की बेरोजगारी को ध्यान रखते हुए, उनके दावों का निपटान करने के लिए कदम उठा रही है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । कुछ बीमा शुदा श्रमिकों ने नकद प्रसुविधाओं के भुगतान के लिए आवेदन किया था ।

(ग) और (घ) तालाबन्दी से पहले प्रदत्त अंशदानों के आधार पर जो बीमा शुदा श्रमिक नकद, प्रसुविधाओं के हकदार थे, उन्हें ग्राह्य लाभों का भुगतान कर दिया गया है । अंशदायी शर्त को पूरा न करने के कारण जो श्रमिक नकद प्रसुविधा के हकदार नहीं थे, उनके द्वारा दावा किए गए लाभों का भुगतान नहीं किया गया है ।

(ङ) कुछ मामले जिनमें श्रमिकों ने अपने पहले दिए गए अंशदानों के आधार पर विशिस्ट लम्बी अवधि वाली बीमारियों के लिए विस्तारित बीमारी प्रसुविधा के लिए दावा किया हैं, वे विचाराधीन है और उनमें भुगतान, यदि ग्राह्य हो, तो किया जाएगा ।

ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी सम्बन्धी आंकड़े

858. श्री एन० डेनिस : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक नई नीति तैयार करने हेतु ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी सम्बन्धी आंकड़े संकलित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आदर्श कार्यक्रम बनाने की योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के अपरोच पेपर में यह कहा गया है कि रोजगार योजनाओं के साथ सैक्टरल उत्पादन योजनाओं के एकीकरण और विशेष लक्ष्य ग्रुपों को कवर करने हेतु राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत चालू रोजगार कार्यक्रमों में वृद्धि के माध्यम से लाभकारी रोजगार के सृजन पर सातवीं योजना में जोर दिया जाएगा । रोजगार स्कीमों का उद्देश्य टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन करना, कौशल निर्माण करना और उत्तरोत्तर बढ़ते हुए आय स्तरों के साथ स्थायी और अविछिन्न रोजगार का सृजन करना है । इसके अलावा, अपेक्षित प्रशिक्षण, ऋण-सुविधा, मार्कीटिंग और संगठनात्मक संयोजनों द्वारा समर्थित आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य कार्यकलापों में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्कीमों को जारी रखा जाएगा ।

वनस्पति का अभाव

859. **श्री सी० डी० गामित** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की अनुलब्धता के कारण वनस्पति का अभाव है :

(ख) क्या वनस्पति और पाम आयल के चार-चार कि० ग्राम के पैक बनाए जा रहे हैं और छोटे पैक उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने त्योहारों के मौसम में वनस्पति और पाम आयल के उपयुक्त छोटे पैक उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) विगत कुछ समय में वनस्पति की कमी नहीं रही है और उक्त उद्योग को तेल की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक रही है।

(ख) और (ग) यह कहना सही नहीं है कि वनस्पति और आयातित ताड़ का तेल (पामोलीन) केवल 4 किलो के टीनों में ही पैक किया जा रहा है। वनस्पति ½ कि० ग्रा०, 1 कि० ग्रा० की छोटी थैलियों में, 1 कि० ग्रा० के पोलीजार में 2 कि० ग्रा० के टीन और पोलीजार में 5 कि० ग्रा० के टीन और पोलीजार में पैक किया जा रहा है।

जहां तक ताड के तेल (पामोलीन) की पैकिंग का संबंध है, इसका विपणन 4 कि० ग्रा० और 2 कि० ग्रा० के पैक में किया जा रहा था। तथापि, 1-6-1984 से उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों की आवश्यकता के अनुकूल 5 कि० ग्रा० 2 कि० ग्रा०-1 कि० ग्रा० और ½ कि० ग्रा० के पैक भी आरम्भ किये गये हैं। यह योजना 18 राज्यों और 4 संघ शासित क्षेत्रों में लागू है, जहां ये पैक राज्य सरकार द्वारा नामित अभिकरणों को, उचित दर की दुकानों/सहकारी फुटकर बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बेचने के लिए दिये जाते हैं।

पैकेज में रखी वस्तुएं नियम के अनुसार 4 कि०. ग्रा० के पैकों को बंद कर दिया गया है।

भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार

860. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेषकर भूमिहीन श्रमिकों को नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने घोषणा की है कि उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाएं बनाई हैं; और

(ग) यदि हां, तो रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और चालू वित्तीय वर्ष में कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के दो मुख्य कार्यक्रम – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम हैं, जिन्हें इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 230.00 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय अंश के रूप में आवंटित की गई है तथा राज्य सरकारों को भी इतनी ही राशि अपने बराबर के अंशदान के रूप में देनी है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जिसका उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार लाना और विस्तार करना है, के लिए 1984-85 के बजट में 400 करोड़ रुपये की धनराशि सुलभ की गई है।

(ख) व (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए राज्यों द्वारा बराबर के अंशदान के आधार पर व्यय में हिस्सा लिया जाता है, जबकि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम हेतु पूरी धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है। इन योजनाओं के अलावा, केवल एक ही महत्वपूर्ण राज्य योजना है जिसका नाम महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करती है। यह योजना अकुशल मजदूरों के लिए रोजगार की गारंटी देती है। इस योजना के लिए 1984-85 के बजट में 142.81 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत 1984-85 के दौरान रोजगार सृजन का लक्ष्य क्रमशः 309.13 तथा 300.0 मिलियन श्रम-दिन है। राज्य योजनाओं के अंतर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्यों की केन्द्रीय सरकार के स्तर पर निगरानी नहीं रखी जाती है।

बीजों का उत्पादन और आवश्यकता

861. **श्री जी० वी० रामाराव** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा उन्नत बीजों में भारी वृद्धि की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा उत्पादित और विपणित हर वर्ष ऐसे कितने (प्रजनक, मूल और प्रमाणित) बीजों का निर्यात किया गया और इससे कितनी आय हुई; और

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान फसल पद्धति के आधार पर देश में पैदा होने वाली प्रत्येक

फसल/बागान के लिए देश में इन बीजों की अधिकतम वार्षिक आवश्यकता का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो बीजों के कुल मूल्य सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां। राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा 1980-81 के दौरान 5,15,601 क्विंटल प्रजनक, आधारी तथा प्रमाणीकृत बीजों के किये गये उत्पादन की तुलना में 1983-84 में 6,78,398 क्विंटल का उत्पादन किया। 1984-85 के दौरान इन बीजों का अनुमानित उत्पादन 11,53,975 क्विंटल है।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम ने प्रजनक बीज का कोई निर्यात नहीं किया है। तथापि, राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बीजों (आधारी तथा प्रमाणिकृत) की निर्यात की गयी मात्रा व मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा (क्विंटल)	मूल्य (लाखों रुपयो में)
1981-82	29,093.98	118.57
1982-83	603.46	2.86
1983-84	25,907.04	138.11
1984-85 (फरवरी, 1985 तक)	72,394.00	436.27

(ग) तथा (घ) भारत सरकार ने अनुशंशित बीज प्रति स्थापना की दरों के आधार पर विभिन्न फसलों के बीज की वार्षिक मांग तैयार की है। इस प्रकार 1985-86 के लिए तैयार की गयी बीज की मांग 85 लाख क्विंटल है। बीज की अनुमानित लागत 357.24 करोड़ रुपये होगी। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

	मात्रा (लाख क्विंटल)	मूल्य (करोड़ रुपये)
धान्य	42.82	193.25
दलहन	3.93	30.17
तिलहन	8.04	81.67

	मात्रा (लाख क्विंटल)	मूल्य (करोड़ रुपये)
रेशेदार फसलें	1.08	9.91
आलू	29.13	42.24
योग :	85.00	357.24

संतरों का उत्पादन तथा निर्यात

863. **श्री गदाधार साहा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संतरों का उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में उन राज्यों में संतरों का कुल कितना उत्पादन हुआ; तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में संतरे की मांग कितनी थी तथा उनका कितना निर्यात किया गया ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) संतरों का उत्पादन प्राय: सभी राज्यों में किया जाता है । संतरों का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों के नाम इस प्रकार हैं :—आन्ध्र प्रदेश, असम, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल ।

(ख) संतरों के उत्पादन संबंधी सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तथापि इन राज्यों में मोटे तौर पर संतरों सहित नीम्बू वर्गीय फलों का अनुमानित उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(अनुमानित उत्पादन हजार मीटरी टन में)

राज्य का नाम	1980-81	1981-82	1982-83
1. आन्ध्र प्रदेश	391	391	391
2. असम	66	70	73
3. केरल	30	30	30
4. कर्नाटक	372	383	393
5. महाराष्ट्र	245	145	145

राज्य का नाम	1980-81	1981-82	1982-83
6. मध्य प्रदेश	108	111	113
7. उड़ीसा	29	34	31
8. पश्चिमी बंगाल	26	28	28

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में संतरों सहित निम्बू-वर्गीय फलों की मात्रा 52 लाख मीटरी टन है। 1980-81 से 1982-83 के दौरान भारत से संतरों के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन में)	मूल्य (लाख रुपये में)
1980-81	7090	127
1981-82	7124	135
1982-83 (नवम्बर 1983 तक)	1015	17.09

दूसरे टी० वी० चैनल के लिए अतिरिक्त एंटीना

864. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे टी० वी० चैनल प्लान में अतिरिक्त एंटीना तथा "चेंज ओवर स्विच" लगाना पड़ता है;

(ख) क्या हांगकांग, मनीला, लन्दन और न्यूयार्क में केवल एक "चनल सलैक्टर" अथवा "रिमोट कंट्रोल" के दबाते ही चैनल बदल जाता है और उन सभी स्थानों में केवल एक एंटीना प्रयोग किया जाता है; और

(ग) क्या सरकार का पारेषण में कोई संशोधन करने का विचार है ताकि एक नये डिजाइन का एक ही एंटीना न केवल दो चैनलों बल्कि बाद में चालू किए जाने वाले किन्हीं अतिरिक्त चैनलों के लिए भी, सभी प्रयोजनों के लिए काफी हो ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दिल्ली के दो दूरदर्शन चैनल क्रमशः बी० एच० एफ० बैण्ड-1 और बैण्ड-3 में प्रचालित होते हैं। विभिन्न

बैण्डों पर प्रचालित होने वाले दो चैनलों के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अलग-अलग एंटीना प्रयुक्त करना उपयुक्त है। यह इसलिए भी आवश्यक हो गया है क्योंकि उपयोग में लाए जा रहे टी० वी० रिसीवरों को विशिष्ट चैनल तक एंटीना कट से सुसज्जित किया गया था।

(ख) बहुत से उन्नत देशों ने केबलों पर कक्ष ब्लाक में एक केन्द्रीय संग्रहण और वितरण प्रणाली चालू की है ताकि टी० वी० चित्रों में धुंधलापन न आए और सभी उपभोक्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में चैनलों के लिए वैयक्तिक एंटीना के समूहों की स्थापना न हो। वे इलैक्ट्रोनिक ट्यूनर, कार्यक्रम योग्य चैनल चयन स्विचरों तथा दूरस्थ नियन्त्रण यंत्रों सहित अधिक परिष्कृत और कीमती टी० वी० रिसीवरों का भी उपयोग करते हैं।

(ग) एकल एंटीना प्रणाली का प्रयोग करने के लिए प्रेषण में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को सलैक्शन ग्रेड देना

865. **श्री सोडे रमैया** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के महानिदेशक (निर्माण) के स्थायीकरण और सलैक्शन ग्रेड दिए जाने के प्रयोजन के लिए नियमित स्थानान्तरित श्रेणी के कर्मचारियों और नियुक्त (आइसोलेटेड) कर्मचारियों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूचियां तैयार कर ली हैं और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को परिचालित कर दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) लिफ्ट आपरेटरों और चौकीदारों की श्रेणी में स्थायी करने के लिए अखिल भारतीय वरिष्ठता/पात्रता सूचियां जारी कर दी गई हैं।

सलैक्शन ग्रेड देने के लिए पात्रता सूचियां आमतौर पर जारी नहीं की जाती हैं। सलैक्शन ग्रेड के पद क्षेत्रों के मध्य विभाजित किए जाते हैं तथा सलैक्शन ग्रेड में नियुक्तियां मार्ग-निर्देशनों के अनुसार पात्र कर्मचारियों में से की जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम द्वारा अम्लों (एसिड्स) का आयात

866. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा बड़े पैमाने पर वसा अम्लों का आयात किये जाने के कारण देश में तेल निकालने वाले एककों को भारी हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इन एककों को बन्द होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों में विलायक निष्कर्षण एककों की कुल उपयोग की गई क्षमता निम्न प्रकार है :—

वर्ष	उपयोग की गई क्षमता का प्रतिशत
1982	51.4
1983	46.0
1984	57.0

यह देखा जा सकता है कि 1984 में क्षमता के उपयोग में सुधार हुआ है, यद्यपि 1983 में इस सम्बन्ध में कुछ गिरावट आई थी ।

फिल्मों और प्रसारण सम्बन्धी भारत-अमरीकी संयुक्त समिति की बैठक

867. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मों और प्रसारण सम्बन्धी भारत-अमरीकी संयुक्त समिति की आठवीं बैठक हाल ही में नई दिल्ली में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) फिल्म और प्रसारण सम्बन्धी संयुक्त बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे :—

(1) इस वर्ष के अन्त में भारत में चुनींदा स्थानों पर अमरीकी वीडियों प्रोडक्शनों की प्रदर्शनी। वीडियों प्रदर्शनी में प्रयोग की उन किस्मों को प्रदर्शित किया जाएगा जिनमें वीडियो का उपयोग केवल टेलीविजन और बाल कार्यक्रम, आदि में ही नहीं अपितु चिकित्सा प्रबन्ध तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए भी काफी मात्रा में होता है।

(2) अमरीका में आयोजित होने वाले भारतीय समारोह में भारतीय फिल्मों की

प्रदर्शनी। फिल्मों को 12 महीने की अवधि में 12 विभिन्न शहरों में दिखाया जाएगा।

(3) भारतीय समारोह के उद्घाटन समारोह का उपग्रह के माध्यम से सीधे टेली-कास्ट करने की सम्भावना।

(4) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने भारतीय समारोह के लिए बनाए जाने वाली दो डाकुमेंट्री फिल्मों के लिए सह-निर्माण करार किया है। प्रथम फिल्म तीन खण्डों में "एशिया" स्टेज सेन्टर" नामक टी० वी० श्रृंखला है। दूसरी फिल्म मेट्रोपोलिटन म्यूजियम आफ आर्ट द्वारा अपनी प्रदर्शनी "भारत" पर बनाई जा रही डाकुमेंट्री फिल्म है।

(5) संयुक्त राज्य का नेशनल पब्लिक रेडियो भारतीय समारोह के दौरान "कर्नाटक म्यूजिक ट्रेडीशन" शीर्षक से पांच भागों की श्रृंखला का प्रसारण करेगा।

(6) दूरदर्शन अमरीका प्ले हाउस कार्यक्रमों में से नाटकों का चयन करेगा।

(7) रेडियो और दूरदर्शन प्रसारणों के लिए विज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रमों के निर्माण के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए भारतीय पक्ष द्वारा एक प्रोड्यूसर संयुक्त राज्य मे भेजा जायेगा।

(8) भारत और अमरीका के बीच रेडियो के क्षेत्र में सह-निर्माण कार्य जारी रहेगा।

मछली तथा झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मेरीकल्चर पद्धति

868. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झींगा मछली और मछली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए देश में समुद्र तटवर्ती राज्यों के अत्यधिक सम्भावित क्षमता वाले क्षेत्रों को मैरीकल्चर पद्धति के अन्तर्गत लाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उड़ीसा के किन-किन क्षेत्रों को "मैरीकल्चर" पद्धति के अन्तर्गत लाया जायेगा; और

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक कार्य आरम्भ होने की सम्भावना है?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) क्षेत्र विकास के आधार पर देश में खारे जल में मत्स्य/झींगा पालन के लिए 1500 हैक्टार क्षेत्र का विकास करने की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1982 से चल रही है । इस योजना के अन्तर्गत विकसित तालाबों का आधा से एक हैक्टार क्षेत्र मत्स्य और झींगा पालन के लिए प्रत्येक मछुआरे के परिवार को आबंटित किए जाने का विचार है ।

(ग) 488 हैक्टार क्षेत्र को, जिसके लिए सरकार द्वारा संस्वीकृति जारी कर दी गई है, खारे जल में मत्स्य और झींगा पालन के अन्तर्गत लाया जायेगा ।

(घ) एक मत्स्य फार्म, जिसके अन्तर्गत लगभग 16 हैक्टार जल क्षेत्र है, और जिसे नवम्बर, 1983 में मंजूरी दी गई थी, पूरा हो चुका है । मार्च, 1985 में स्वीकृत अन्य क्षेत्रों में कार्य अभी शुरू होना है ।

पश्चिम बंगाल में मैरीकल्चर पद्धति

869. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में बड़ी नदियों के मुहाना-क्षेत्रों में, मैरीकल्चर पद्धति के द्वारा मछली और झींगा मछली का वार्षिक उत्पादन बढ़ाने का विचार है; यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में सुन्दर वन के कुछ क्षेत्रों को भी उक्त पद्धति के अन्तर्गत लाये जाने की संभावना है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समुद्र के उपयोग को इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को क्या भूमिका सौंपने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) क्षेत्र विकास आधार पर देश में खारेपानी में मछली/झींगा पालन के लिए 1500 हैक्टार क्षेत्र का विकास करने की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1982 से चल रही है । इस योजना के तहत विकसित तालाबों के आधे से एक हैक्टार क्षेत्र तक मछली तथा झींगा पालन के लिए प्रत्येक मछुआरा परिवार की आबंटित करने का विचार है ।

(ख) पश्चिम बंगाल के सुन्दर वन में लगभग 28 हैक्टर क्षेत्र मछली तथा झींगा पालन के लिए खारा जल मत्स्य फार्म का मछली विकास करने के लिए सरकार द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार को व्यवहार्य परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिक स्थानों का पता लगाना है और सरकार द्वारा प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अपने बजट में अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत मुहैय्या करना।

फलों के रस "रसिका" की लोकप्रियता

870. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फलों के रस "रसिका" की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है;

(ख) इस समय इसका कुल उत्पादन कितना है;

(ग) क्या सरकार का इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ और संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 1984 से 13 मार्च, 1985 की अवधि के दौरान कुल उत्पादन प्रत्येक 200 मिली लिटर की 134.88 लाख यूनिटों का हुआ है।

(ग) और (घ) ऐसे और अधिक संयंत्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड के विचाराधीन है, जोकि मंत्रालय का एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है।

देश के विभिन्न भागों में दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रमों का प्रसारण

871. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में हाल में स्थापित किए गए सभी पारेषण केन्द्रों से प्रसारित किए जा रहे हैं;

(ख) क्या इन प्रसारण कार्यक्रमों में उक्त प्रदेशों की प्रादेशिक भाषाओं की कार्यक्रमों की संख्या शून्य होती है; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों की अपनी प्रादेशिक भाषाओं में कार्यक्रम शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री डी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा प्रसारित राष्ट्रीय कार्यक्रम देश के सभी दूरदर्शन ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किया जाता है। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा निर्मित कार्यक्रमों को 1984-85 के दौरान स्थापित किए गए रिले ट्रांसमीटरों सहित संजाल के सभी ट्रांसमीटरों द्वारा पूर्णतया या अंशतः रिले किया जाता है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ऐसी स्कीमों, जिनसे विभिन्न राज्यों के सभी ट्रांसमीटर अपने-अपने राज्य की भाषा (प्रादेशिक) में दूरदर्शन कार्यक्रम रिले कर सकें, का कार्यान्वयन भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अस्पताल

872. श्री आनन्द सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चल रहे अस्पतालों की संख्या कितनी है, उनमें कितने बिस्तर हैं तथा वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) उक्त अस्पतालों में (एक) छह महीनों से अधिक समय से (दो) एक वर्ष से अधिक समय से डाक्टरों, नर्सों, पैरा मैडिकल कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों के कितने स्थान रिक्त पड़े और उन्हें न भरने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन अस्पतालों में वास्तव में कितने डाक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्रमांक	अस्पताल का नाम		पलंगों की संख्या
	आन्ध्र प्रदेश :		
1.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	अडोनी	50
2.	"	श्री पुरकागजनगर	110

क्रमांक	अस्पताल का नाम		पलंगों की संख्या
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	हैदराबाद	310
4.	"	विजयवाड़ा	110
5.	"	विशाखापत्तनम	110
6.	"	वारंगल	50
	बिहार :		
7.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	डालमिया नगर	72
8.	"	मैथण	110
9.	"	मुंगेर	30
10.	"	फुलवारी शरीफ	50
11.	"	आदित्यपुर	50
	दिल्ली :		
12.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	बसईदारापुर	400
	गुजरात :		
13.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	बापूनगर (अहमदाबाद)	500
14.	"	नरौदा	225
15.	"	बड़ौदा	200
16.	"	कलोल	50
17.	"	राजकोट	50
18.	"	राजपुर हीरपुर (अहमदाबाद)	50
19.	"	सूरत	150
	हरियाणा :		
20.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	फरीदाबाद	188

क्रमांक	अस्पताल का नाम		पलंगों की संख्या
21.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	पानीपत	76
22.	"	यमुनानगर	80
	कर्नाटक :		
23.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	दन्देली	50
24.	"	मंगलौर	60
25.	"	राजाजी नगर (बंगलौर)	420
26.	"	मैसूर	100
	केरल :		
27.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	अल्लीपे	55
28.	"	आसरामम	115
29.	"	इर्नाकुलम	65
30.	"	इजुकोने	150
31.	"	मुलकनाथकमु	110 (तपेदिक)
32.	"	पारीपल्ली	100
33.	"	पेरूरकाड़ा	75
34.	"	त्रिचुर	90
35.	"	उद्योगमण्डल	150
36.	"	वदवाथुर	65

क्रमांक	अस्पताल का नाम		पलंगों की संख्या
	मध्य प्रदेश		
37.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	ग्वालियर	75
38.	"	इंदौर (सामान्य)	150
39.	"	इंदौर (तपेदिक)	75
40.	"	उज्जैन	100
	महाराष्ट्र :		
41.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	अंधेरी (बम्बई)	650
42.	"	औंध (पूना)	410
43.	"	कांदीवली (बम्बई)	650
44.	"	गुलंद (बम्बई)	650
45.	"	एम० जी० एम० (बम्बई)	700
46.	"	नागपुर	200
47.	"	उलहास नगर (बम्बई)	200
48.	"	वासी (बम्बई)	650
49.	"	वरली (बम्बई)	550
50.	"	थाने (बम्बई)	632
	उड़ीसा :		
51.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	ब्रजराजनगर	50
52.	"	चौद्वार	88
53.	"	जैन्केपुर	25
54.	"	कंसवहल	50

क्रमांक	अस्पताल का नाम		पलंगों की संख्या
	पांडिचेरी :		
55.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	पांडिचेरी	50
	पंजाब :		
56.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	अमृतसर	125
57.	"	जालंधर	80
58.	"	लुधियाना	100
	राजस्थान :		
59.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	जयपुर	139
60.	"	कोटा	60
	तमिलनाडु :		
61.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	कोयम्बतूर	500
62.	"	मद्रास	625
63.	"	मदुराई	202
64.	"	साउथ मद्रास	500
65.	"	वेलौर	50
	उत्तर प्रदेश :		
66.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	कानपुर (सामान्य)	212
67.	"	कानपुर (छाती)	180
68.	"	कानपुर (बच्चे)	144
69.	"	मोदीनगर	100
70.	"	नैनी (इलाहाबाद)	100

क्रमांक	अस्पताल का नाम		पलंगों की संख्या
71.	कर्मचारी राज्य बीमा आयोग	लखनऊ	100
72.	"	गाजियाबाद	100
73.	"	आगरा	100
	पश्चिम बंगाल :		
74.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	आसनसोल	150
75.	"	बाली	150
76.	"	बालतिकुडी बंकुरा	416
77.	"	गोरहाटी	216
78.	"	बज-बज	300
79.	"	कल्याणी	266
80.	"	कुमारहट्टी	175
81.	"	मनी चतौला	500
82.	"	सीलदाह	250
83.	"	सेरामपुर	216
84.	"	उलवेरिया	216
85.	"	बन्देल (तपेदिक)	250
		कुल :	17,102

काम के बदले अनाज कार्यक्रम का कार्यान्वयन

873. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक ने "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यक्रम उक्त राज्य में, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में कितना सफल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ग) काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 से सारे देश में कार्यान्वित किया जा रहा था। अक्तूबर, 1980 से इस कार्यक्रम का स्थान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ने ले लिया है।

(ख) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का किए गये मूल्यांकन अध्ययन से पता चलता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों के लिए सृजित रोजगार तथा आय से उनके जीवन तथा रहन-सहन की स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों को रोजगार सुलभ कराया गया है उनमें से 42 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के तथा 13 प्रतिशत अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्ति थे।

[हिन्दी]

राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों की सहायता

874. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में अकाल और अभाव की स्थिति के बारे में केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी और यदि हां, तो कब;

(ख) क्या उस रिपोर्ट की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएंगी;

(ग) क्या एक अध्ययन दल ने भी दो महीने पूर्व मौके पर जाकर अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी थी;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को अब तक सहायता प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राजस्थान सरकार ने प्रभावित जिलों में अब तक राहत कार्य शुरू नहीं किये हैं; और

(च) यदि हां, तो वहां राहत कार्य कब तक शुरू कर दिए जाएंगे ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) राजस्थान सरकार ने 28 दिसम्बर,

1984 को एक ज्ञापन भेजा था, जिसमें सूखा राहत के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) केन्द्रीय दल ने 16-1-1985 से 21-1-1985 तक के दौरान राज्य का दौरा किया और इसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(घ) केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर विचार किया गया और 26 फरवरी, 1985 को 1984-85 के दौरान सूखा राहत के लिए अधिकतम केन्द्रीय सहायता के रूप में 542.85 लाख रुपए की मंजूरी जारी की गई।

(ङ) से (च) राजस्थान सरकार ने दिसम्बर, 1984 के आरम्भ में राहत सम्बन्धी काम शुरू किया। रोजगार सृजन जो सूखा राहत का एक भाग है, पुरजोर चल रहा है और फरवरी के दौरान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य कार्यों के तहत 2,15,119 व्यक्तियों को रोजगार में लगाया गया। राज्य सरकार ने ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में पीने के पानी की आपूर्ति पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति, निःशुल्क राहत आदि की व्यवस्था करना भी शुरू कर दिया है।

[अनुवाद]

देश में कम शक्ति वाले टी० वी० ट्रांसमीटर लगाना

875. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान कोई कम शक्ति वाले टी० वी० ट्रांसमीटर लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्यवार किन-किन स्थानों में ये ट्रांसमीटर लगाये गये हैं;

(ग) क्या राज्यों में कुछ अन्य स्थानों में ऐसे ट्रांसमीटर लगाने के कोई और प्रस्ताव सरकार के पास अभी विचाराधीन पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार उक्त स्थानों के नाम क्या हैं तथा उनकी स्थापना की सम्भावित नीतियां क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) जिन स्थानों पर अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित किये जा रहे हैं उनके राज्य-वार नाम तथा उनके जिन महीनों में चालू होने की संभावना है, वे नीचे दिये गये हैं:—

राज्य	अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर केन्द्र का स्थान		मास जिसमें चालू होने की संभावना है
1.		2	3
1.	बिहार	1. दरभंगा	जून, 1985
		2. बेतिया	—वही—
2.	जम्मू व काश्मीर	3. पुन्छ (बाद में इसके स्थान पर उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाया जाना है)	—वही—
3.	मध्य प्रदेश	4. कोरवा	—वही—
		5. सिंगरोली	—वही—
4.	मणिपुर	6. उखरूल	जुलाई, 1985
5.	तमिलनाडु	7. नेवेली	जून, 1985
6.	असम	8. जोरहाट	दिसम्बर, 1986
		9. दीफू	
7.	नागालैंड	10. दीमापुर	—वही—
8.	अरूणाचल प्रदेश	11. तेजु	—वही—
		12. पासीघाट	—वही—

विवरण

25-3-85 के दिन की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए अल्पशक्ति वाले ट्रांसमीटर

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1982-83 के दौरान स्थापित किए गए अल्पशक्ति वाले ट्रांसमीटर	1983-84 के दौरान स्थापित किए गए अल्पशक्ति वाले ट्रांसमीटर	1984-85 के दौरान स्थापित किए गए अल्पशक्ति वाले ट्रांसमीटर
1	2	3	4
असम	गोहाटी (अब इसके स्थान पर उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगा दिया गया है।)	—	तेजपुर डिब्रूगढ़ सिल्चर
आन्ध्र प्रदेश	काकीनाडा	—	तिरूपति नेलोर टुडप्पा करीम नगर विशाखापट्टनम निजामाबाद वारंगल राजामुन्द्री कुर्नूल अन्नतपुर एडोनी महबूबनगर

1	2	3	4
बिहार	पटना (अब इसके स्थान पर उच्च शक्ति (1 किलोवाट) वाला ट्रांसमीटर लगा दिया गया है)	—	गया मुंगेर धनबाद जमशेदपुर पूर्णिया भागलपुर
गुजरात	—	—	बदोदरा सूरत भावनगर पाटन भरूच नवासरी द्वारका
हरियाणा	—	—	हिसार भिवानी
हिमाचल प्रदेश	शिमला	—	कुल्लू
जम्मू व काश्मीर	जम्मू	—	लेह कारगिल
कर्नाटक	—	—	मंगलौर देवनगेरे भद्रावती बीजापुर

1	2	3	4
			बेलारी
			गदगबेतागडी
			रायचूर
			धारवाड़
			मैसूर
			बेलगांव
			हासपेट
केरल	त्रिवेन्द्रम		
	(अब इसके स्थान पर उच्च शक्ति	—	कालीकट
	(1 किलोवाट) वाला ट्रांसमीटर		कोचीन
	लगा दिया गया।		कन्नानौर
			पालघाट
मध्य प्रदेश	भोपाल	ग्वालियर	जबलपुर
	इन्दौर		बिलासपुर
	(अब इसके स्थान पर उच्च शक्ति वाले		सागर
	ट्रांसमीटर लगा दिये गये हैं)		रीवा
			रैंतलाम
			मुरवाड़ा
			बुरहानपुर
मणिपुर	इम्फाल	—	—
मेघालय	शिलांग	—	तुरा
महाराष्ट्र	—	—	अकोला
			नासिक
			कोल्हापुर

1	2	3	4
			अहमदनगर
			जालना
			औरंगाबाद
			धूले
			लातूर
			असरावती
			शोलापुर
			परभनी
			चन्द्रपुर
			नानदेड़
			जलगांव
			गोंदिया
			सांगली
			मालेगांव
			भुसावल
नागालैंड	कोहिमा	—	—
उड़ीसा	भुवनेश्वर	—	बहरामपुर
	(अब बन्द कर दिया गया है क्योंकि		राउरकेला
	यह कस्बा हाई पावर ट्रांसमीटर,		कोरापुट
	कटक से कवर होता है ।)		
पंजाब	—	—	भटिंडा
			पठानकोट
राजस्थान	सूरतगढ़	—	गंगानगर
			जोधपुर

1	2	3	4
			उदयपुर
			कोटा
			अलवर
			खेतड़ी
			बीकानेर
			भीलवाड़ा
			अजमेर
			जेसलमेर
			बाड़मेर
सिक्किम	गंगटोक	—	—
तमिलनाडु	—	—	तिरूचिरापल्ली
			वेल्लोर
			सलेम
			कोयमबटूर
			कुम्भकोनम
त्रिपुरा	अगरतल्ला	—	—
उत्तर प्रदेश	देवरिया	—	शाहजहांपुर
			सुल्तानतुर
			रायबरेली
			बरेली
			झांसी
			नैनीताल
			रामपुर
			फरूखाबाद

1	2	3	4
			फैजाबाद
			इटावा
			अलीगढ़
			मुरादाबाद
			पौढ़ी
			बहराइच
			सम्बल
			पिथौरागढ़
			आगरा
			(अब इसके स्थान पर उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगा दिया गया है)
पश्चिम बंगाल	माल्दा	—	खड़गपुर
			बर्द्धमान
			बालुरघाट
			शान्ति निकेतन
अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्टब्लेयर	—	कारनिकोबार
अरूणाचल प्रदेश	ईटानगर	—	—
मिजोरम	ऐजवाल	—	—
पांडिचेरी	—	—	पांडिचेरी

टिप्पणी:—(1) उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर (10 किलोवाट या 1 किलोवाट)

(2) अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर (100 वाट)

राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर द्वारा दिया गया ज्ञापन

876. **श्री बोल्ला बस्ती रमैया** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर से इस संस्थान को स्थायित्व प्रदान करने और उसे सुदृढ़ बनाने के संबंध में प्राप्त ज्ञापन की जांच कर रही है; और यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या दिए गये सुझाव में संस्थान को समान दर्जा प्रदान करने का अनुरोध भी शामिल है और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) क्य सरकार का विचार राष्ट्रीय चीनी संस्थान को पुनर्गठित करने और उसे सीधे ही इसके शासकीय निकाय में उत्पादकों तथा उद्योग को प्रभावी प्रतिनिधित्व देकर तथा उसके प्रभावकारी कार्य-चालन के लिए पर्याप्त शक्तियां और अधिकार देकर इसे सीधे ही चीनी उद्योग से संबंधित करने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर को स्थायित्व प्रदान करने और उसे सुदृढ़ बनाने के बारे में सरकार को संस्था से कोई ज्ञापन नहीं मिला है। तथापि, राष्ट्रीय शर्करा संस्था के अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों की कल्याण एसोसियेशन से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें अनुभव की गई अनेक प्रशासनिक और कार्यविधि सम्बन्धी कठिनाइयां और उन्हें सुधारने के लिए सुझाव दिए गए हैं जिसमें संस्था को स्वायत्त स्टेटस प्रदान करने का सुझाव भी शामिल है। सरकार संस्था के कार्यचालन की निरन्तर समीक्षा कर रही है और इस प्रयोजन के लिए उसे एक परामर्शदात्री बोर्ड के मार्गदर्शन का सुलाभ भी प्राप्त है। इस बोर्ड में चीनी उद्योग के प्रतिनिधि, विख्यात व्यावसायिक और संस्था के निदेशक हैं। संस्था को सौंपे गए कार्यों को करने में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं की बराबर समीक्षा की जाती रहेगी ताकि संस्था प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में तकनीकी सहायकों को दैनिक मजदूरी की अदायगी

877. **श्री मोहन लाल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी कितने तकनीकी सहायक काम कर रहे हैं ?

(ख) तकनीकी सहायकों को कितनी दैनिक मजदूरी दी जा रही है; और

(ग) क्या दिहाड़ी पर कार्य कर रहे तकनीकी सहायकों को कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में नियमित सेवा में नियुक्त किया जाता है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि० में कोई तकनीकी सहायक नहीं है।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश से चावल की वसूली

878. **श्री बड्डे सोभाने द्रौसवारा राव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश से 1983-84 और 1984-85 में कुल कितनी मात्रा में चावल वसूली की गई; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये 1983-84 और 1984-85 के लिये कितना चावल दिया गया है और उसका बिक्री मूल्य क्या रखा गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने आन्ध्र प्रदेश में 1983-84 में 14.74 लाख मीटरी टन और विपणन मौसम 1984-85 (19-3-1985 तक) में 10.97 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) खरीदा था।

(ख) राज्य सरकार ने 1983-84 में केन्द्रीय भण्डार से 10.19 लाख मीटरी टन चावल और 1984-85 (फरवरी 85 तक) में 4.08 लाख मीटरी टन चावल उठाया था। उस अवधि में चावल की विभिन्न किस्मों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य नीचे दिए जाते हैं :—

(रुपये प्रति क्विंटल)

किस्म	1-10-1982 से	16-1-1984 से
साधारण	188.00	208.00
बढ़िया	200.00	220 00
उत्तम	215.00	235.00

भारत में दालों का उत्पादन

879. **श्री मालारेड्डीरघुमा रेड्डी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 से 1984 तक वर्षवार और राज्य-वार कितनी एकड़ भूमि में और किसी मात्रा में प्रत्येक मुख्य दाल का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या वर्ष 1970-71 में पांचवीं योजना के अन्त तक दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटती रही थी; और

(ग) छठी योजना के दौरान दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1981-82 से 1983-84 तक के वर्षों के लिए दलहन की प्रमुख फसलों, अर्थात चना और अरहर (तुर) का राज्य-वार क्षेत्र और उत्पादन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी "भारत में प्रमुख फसलों" का क्षेत्र और उत्पादन, 1981-84 नामक प्रकाशन और इसके परिशिष्ट में प्रकाशित किया गया है ।

(ख) दलहनों की प्रति व्यक्ति दैनिक निवल उपलब्धि 1971 के 51.2 ग्राम से घटकर 1979 में 44.7 ग्राम रह गई हैं ।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ छठी योजना के दौरान दलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए प्रयासों में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :—

(1) सिंचित फार्म पद्धतियों में दलहन की फसल का विस्तार करना;

(2) निम्न के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाना :—

(क) रबी मौसम में अवशेष नमी का उपयोग करके चावल की परती भूमि में दलहन की अल्पावधि किस्मों का उत्पादन, तथा

(ख) तिलहन, गन्ना, आलू और गेहूं के पश्चात सिंचाई से ग्रीष्म मौसम में मूंग की अल्पावधि किस्मों की खेती ।

(3) दलहनों के बढ़िया बीजों का संवर्द्धन और उपयोग और बीज के मिनिकिटों का वितरण;

(4) पौध संरक्षण उपाय अपनाना, फास्फेट युक्त उर्वरकों और रिजोबियम कल्चर का उपयोग, मूल्य समर्थन और बेहतर प्रौद्योगिकी का प्रसार ।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप दलहनों का उत्पादन 1980-81 के 106 3 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1983-84 में 126.5 लाख मीटरी टन हो गया है ।

रसायनिक उर्वरकों का आयात

882. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायनिक उर्वरकों की भारी मात्रा में आयात अभी भी जारी है;

(ख) क्या भारत अपने मूल्यवान वृक्ष पत्तियों और पशुओं के गोबर सहित प्राकृतिक जैव अपशिष्ट या जिन्हें राजधानी में भी नियमित रूप से जलाया जा रहा है, पूरी तरह उपयोग नहीं कर रहा है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिशें की थीं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इनका पालन किया जा रहा है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सरकार देशी उत्पादन तथा बढ़ती हुई मांग के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए विभिन्न मात्रा में रसायनिक उर्वरक आयात करती है ।

(ख) खाद के रूप में उपयोग करने के लिए संभव सीमा तक सभी प्रकार के जैव अपशिष्ट का उपयोग करने के लिए प्रयास किए गए हैं । शहरी अपशिष्ट को खाद में बदलने के लिए दिल्ली स्थित स्थानीय निकायों द्वारा दो यांत्रिक खाद संयंत्र स्थापित किए गए हैं ।

(ग) और (घ) जी हां ।

चीनी के उत्पादन में उतार-चढ़ाव

883. **श्री आर० अन्नादानम्बी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने की सप्लाई में अस्थिरता के कारण उत्पादन में आवर्ती उतार-चढ़ाव चीनी उद्योग के सामने एक प्रमुख समस्या है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने उपचारात्मक कदम क्या उठाए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) चीनी के उत्पादन में घट-बढ़ होने के कारणों में से एक कारण गन्ने की अपर्याप्त सप्लाई है ।

(ख) चीनी मिलों को गन्ने की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण कदमों में ये शामिल हैं ।

(1) चीनी मिलों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना;

(2) गन्ना उत्पादकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना;

(3) राज्य सरकारों और चीनी मिलों द्वारा शुरू की गई गन्ना विकास और विपणन गतिविधियां;

(4) विद्युत चालित क्रशरों द्वारा चीनी मिलों के लिए आरक्षित गन्ने को खण्डसारी और गुड़ बनाने में प्रयुक्त करने को रोकना ;

(5) उपलब्ध गन्ने के बेहतर और अधिक कुशल उपयोग के लिए चीनी फैक्ट्रियों के लिए और लाइसेंस देना तथा मौजूदा फैक्ट्रियों में विस्तार की अनुमति देना ;

(6) बेहतर किस्म के गन्ने के बीजों के उत्पादन और वितरण, गन्ने की खेती की पद्धतियों द्वारा पौध संरक्षण उपायों को हाथ में लेकर और किसानों तथा खेती में काम करने वाले मजदूरों को प्रशिक्षण देकर गन्ने की गहन खेती का विकास करना ;

(7) गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध करना ।

समुद्र तटीय क्षेत्रों में परासरण संयंत्रों की स्थापना

884. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र तटीय क्षेत्रों में भयंकर सूखे और पेयजल की कमी, जैसाकि वर्ष 1983 में तमिलनाडु में हुआ था, का मुकाबला करने के लिए संभाव्यता योजनाएं बनाई हैं;

(ख) क्या मंत्री महोदय प्रयोगात्मक आधार पर कुछ चुने हुए क्षेत्रों में विपरीत परासरण संयंत्रों (रिवर्स आसमोसिस प्लांट्स) की स्थापना पर विचार कर रहे हैं; और

(ग) ऐसे क्षेत्रों के नाम क्या हैं और इन संयंत्रों पर संभवतः कितनी धनराशि खर्च होगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) ऐसी योजनाएं राज्यों को बनानी होती हैं। सामान्य योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत जलपूर्ति सुविधायें मुहैया कराने में सुखाग्रस्त क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) लवणता समस्याओं से प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल मुहैया कराने की दृष्टि से लवणरहित जल अनुसंधान का बड़े पैमाने पर उपयोग की अनुसंधान परियोजना के लिए मंत्रालय धन दे रहा है।

(ग) उपर्युक्त परियोजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्यों के चुने गए ग्रामों में प्रयोगात्मक आधार पर रिजर्व ओसमोसिस तथा इलैक्ट्रो-डायलाइसिस पद्धतियों पर आधारित 8 प्रदर्शनात्मक संयंत्र लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक एकक की लागत लगभग 3·2 लाख रुपए होगी और इसे निर्माण और आवास मंत्रालय पूर्ण रूप से वहन करेगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विजय मंडल एनक्लेव में फ्लैटों (स्व-वित्त पोषण योजना (III) का कब्जा देना

885. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फरवरी, 1985 के अन्त तक कालू सराय, विजय मंडल एनक्लेव में दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्व-वित्त पोषण योजना-III के फ्लैटों का कब्जा दे दिया था ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण कब्जा देने में हुए असाधारण विलम्ब के लिए आबंटितों को ब्याज का भुगतान करेगा ;

(ग) आबंटियों को मकानों का कब्जा देने में विलम्ब के विशेष कारण क्या हैं ;

(घ) किस निर्दिष्ट तारीख तक आबंटियों को इन मकानों का कब्जा दे दिया जाएगा; और

(ङ) उक्त आवासीय काम्पलेक्स में सहायक सेवाओं का क्या ब्यौरा है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) निदेशक (जी०) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उठाई गई आपत्ति के कारण विन्यास नक्शे में संशोधन के कारण निर्माण में हुए विलम्ब।

(घ) फिलहाल निर्माणाधीन 196 मकानों को जुलाई, 1985 तक आबंटियों को सौंप दिए जाने की सम्भावना है।

(ङ) सड़क नाली, जलपूर्ति, सीवर तथा बिजली जैसी आधारभूत सेवाएं साथ-साथ मुहैया की जा रही है।

सहकारी समितियों के कार्यकरण की जांच

886. **श्री थम्पन थामस** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में सहकारी समितियों के कार्यकरण की राष्ट्रीय स्तर पर कोई जांच के आदेश दिये हैं अथवा जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोषी समितियों को कोई दिशा निर्देश दिये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन समितियों ने इन दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की किसी भी सहकारी समिति के कार्यकरण के सम्बन्ध में सम्बद्ध सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी कानूनी जांच के आदेश नही दिये गये हैं अथवा जांच नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों और सिफारिशों का अनुसमर्थन

887. **श्री अमल दत्त** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख अभिसमयों और सिफारिशो को सरकार द्वारा अनुसमर्थन न किये जाने पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मापदण्डों पर हुई किसी गोष्ठी में रोष प्रकट किया गया था;

(ख) उन अभिसमयों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन अभिसमयों और सिफारिशों को कब अनुसमर्थन किया जायेगा ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, नहीं। जहां तक विचार-गोष्ठी के लिए चुने गये अनुसमर्थित न किये गये अभिसमयों का संबंध है, नई दिल्ली में अक्तूबर, 1984 में हुई राष्ट्रीय त्रिपक्षीय विचार-गोष्ठी का उद्देश्य उनके अनुसमर्थन की संभावना की जांच करना था। सामान्य विचार-विमर्श के दौरान यह विचार व्यक्त किया गया कि अभिसमय के पारित करने की अवस्था और उसके अनुसमर्थन की अवस्था पर रवैये में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

बिहार में कमजोर वर्गों के लिए आवास कार्यक्रम

888. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सहित पूर्वी राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास कार्यक्रम की प्रगति लक्ष्य से बहुत पीछे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो छठी पंचवर्षीय योजना के राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धियां क्या हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ग) आवास राज्य का विषय होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये मकानों सहित सभी सामाजिक आवास योजनायें राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आवास योजना का प्रबोधन करती है जो कि नये 20 सूत्री कार्यक्रम का एक अंग है।

2. छठी योजना के दौरान (जनवरी 1985 तक) बिहार सहित पूर्वी राज्यों के लिए राज्य वार लक्ष्यों और उपलब्धियों का **विवरण** संलग्न है।

विवरण

राज्य का नाम	लक्ष्य	31-1-85 तक की उपलब्धि
1. असम	19,333	7,266
2. बिहार	68,133	31,833
3. मणिपुर	8,133	318
4. मेघालय	5,800	109
5. नागालैण्ड	कोई योजना चालू नहीं है	
6. उड़ीसा	25,1333	29,174
7. सिक्किम	5,833	58
8. त्रिपुरा	14,500	207
9. पश्चिम बंगाल	90,867	3,026

विकास मीनार से कार्यालय को बदलकर विकास सदन में ले जाया जाना

889. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ अनुभागों और कार्यालयों को विकास मीनार से स्थानान्तरित कर नए भवन (विकास सदन) में ले जाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुभागों, कार्यालयों को स्थानान्तरित करने के उपरान्त विकास मीनार में अन्य प्रयोजनों हेतु प्रयोग करने के लिए कुल कितना क्षेत्र उपलब्ध है;

(घ) उपलब्ध स्थान का किस तरह उपयोग किया जाएगा;

(ङ) क्या कुछ अन्य कार्यालयों को भी स्थानान्तरित किया जाएगा;

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या इस समय विकास मीनार की खाली पड़ी कुछ मंजिलों को किराये पर दिया जा रहा है।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) प्रथम चरण में, निम्नलिखित अनुभागों/विभागों को विकास सदन में स्थानान्तरित कर दिया गया :—

(i) भूमि विभाग

(ii) भू-संरक्षण शाखा

(iii) रोहिणी योजना आबंटन एवं अनुरक्षण

(iv) स्व-वित्त पोषित योजना

(v) निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं सामान्य आवास का आबंटन

(vi) भूमि किराया अनुभाग

(vii) वाणिज्यिक कक्ष शाखा

(viii) वाणिज्यिक भूखण्डों तथा निर्मित दुकानों का विक्रय

(ix) आवास विभाग

(x) भवन नक्शे संस्वीकृति कार्य

(ग) 56,700 वर्गफुट

(घ) (i) विकास मीनार में पहले ही स्थित योजना तथा वास्तुकला विभाग को उनके संकुलन से मुक्त करने के लिए और अधिक स्थान दे करके ।

(ii) योजना तथा वास्तुकला विभागों की अन्यत्र स्थित कुछ शाखाओं को विकास मीनार में स्थानान्तरित करके ।

(iii) इस समय अन्यत्र स्थित मुख्य इंजीनियरों को विकास मीनार में स्थानान्तरित करके ।

(ङ.) जी, हां ।

(च) (i) प्राधिकरण के सदस्यगण

(ii) सचिव और उनका कार्यालय

(iii) वित्त तथा लेखा शाखा

(iv) कार्मिक विभाग

(v) जन संम्पर्क विभाग

(छ) जी, नहीं ।

खाद्य तेलों तथा चीनी का आयात

890. **श्री एम० एम० गुरड्डी :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेल तथा चीनी का आयात करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या पाम आयल का भी आयात किया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) खाद्य तेलों तथा चीनी का आयात करने के कारण नीचे दिए गए है :—

खाद्य तेल : पिछले कुछ वर्षों से देश में खाद्य तेलों की मांग तथा उनके उत्पादन के बीच अन्तर रहा है । इस अन्तर को अंशतः आयात करके पूरा किया जा रहा है ।

चीनी : चीनी का आयात, उसकी उपलभ्यता बढ़ाने, सट्टाबाजारी तथा जमाखोरी की प्रवृत्तियों को रोकने और मूल्य सूचकांक पर नियंत्रण रखने के लिए किया जा रहा है।

(ग) जी हां।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों के मूल्यों का निर्धारण

891. **श्री सी० जंगा रेड्डी**
डा० ए० के० पटेल } : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान किसान संगठनों को इस मांग की ओर आकर्षित किया गया है कि कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारित करते समय उत्पादन की लागत, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारणों से हुई हानि और किसानों को उनके उत्पादों के लिए दिए जाने वाले पारिश्रमिक की मात्रा पर विचार किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां। सरकार समय समय पर किसान संगठनों द्वारा की गई मांगों को ध्यान में रखती है और लाभकारी मूल्यों क व्यवस्था करने के उद्देश्य से विभिन्न कृषि जिंसों के समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। ये मूल्य न केवल उत्पादन लागत को कवर करते हैं, बल्कि किसानों के लिए उपयुक्त सीमान्त लाभ भी प्रदान करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि को राहत संबंधी विभिन्न उपायों के माध्यम से कम किया जाता है।

[अनुवाद]

छोटे किसानों के उत्पादों के लिए प्रभावी विपणन प्रणाली

892. **श्री चित्त महाटा**
श्री मोहन लाल पटेल } : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमान्त और छोटे किसानों को उनकी उपज के लिए अच्छे मूल्य दिलवाने के लिए कोई प्रभावी विपणन प्रणाली है; और

(ख) यदि हां, यो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो देश में प्रभावी विपणन प्रणाली बनाने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) देश भर में कृषि उपज बाजारों का एक जाल बिछा हुआ है जो कि सम्बन्धित राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत नियमित किए जाते हैं। 31-3-1984 तक विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में 5579 कृषि बाजारों के नियमित किए जाने की अनन्तिम तौर पर सूचना प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, बाजार पद्धति को लघु तथा सीमान्त किसानों सहित सभी कृषकों के सन्निकट लाने के उद्देश्य से भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत कृषि बाजारों के विकास हेतु सहायता उपलब्ध करती है। 28-5-1985 तक विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में 2833 कृषि बाजारों के विकास हेतु 4820.66 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता बंटित की गयी है।

इसके अतिरिक्त, कृषि लागत तथा मूल्य आयोग अपने अधिकार क्षेत्र में कृषि वस्तुओं के लिए समर्थन मूल्यों की सिफारिश करता है। जहां आवश्यक होता है छोटे तथा सीमान्त किसानों सहित सभी किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि०, भारतीय कपास निगम, भारतीय जूट निगम आदि तथा विभिन्न राज्य स्तरीय निगमों एवं सहकारी सोसायटियों द्वारा मूल्य समर्थन कार्य किए जाते हैं।

विपणन सहकारी सोसायटियां भी छोटे तथा सीमान्त किसानों सहित अपने सदस्यों की उपज प्रभावी विपणन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि

893. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए बड़े राज्यों को राज्य-वार और वर्षवार कितनी धनराशि दी गई;

(ख) क्या ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम सहायता की राज्य योजनाओं के लिए केन्द्र की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो स्वीकृति देने की निर्धारित प्रक्रिया क्या है; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में 1983-84 और 1984-85 के लिए राज्यों से प्रस्तावों की प्राप्ति और केन्द्र सरकार उनकी स्वीकृति के बीच समय का अन्तराल कितना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983-84 तथा 1984-85 में राज्यों को बंटित धनराशि संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) व (ग) जी हां। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाएं तैयार करने के लिए जारी किए गए निर्देशों के अनुसार विशिष्ठ परियोजनाएं तैयार करनी होती हैं तथा उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम हेतु गठित केन्द्रीय समिति द्वारा अनुमोदन तथा मन्जूरी देने हेतु, ग्रामीण विकास विभाग को प्रस्तुत करना है।

(घ) राज्यों में प्रस्तावों के प्राप्त होने तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उनकी स्वीकृति दिए जाने के बीच का अन्तराल एक माह से कम समय से लेकर लगभग चार माह तक होता है। तथापि, अधिकतर प्रस्ताव उनके प्राप्त होने के एक माह के भीतर ही अनुमोदित कर दिए गए हैं क्योंकि निर्धारित तारीख तक प्राप्त सभी प्रस्तावों को विचार हेतु केन्द्रीय समिति के समक्ष उसकी अगली बैठक में ही प्रस्तुत कर दिया गया है तथा केन्द्रीय समिति की बैठक नवम्बर, 1983 से जनवरी, 1985 तक प्रायः हर महीने हुई है। अधिक विलम्ब केवल उन्हीं मामलों में होता है जहां परियोजना प्रस्ताव अधूरे होते हैं अथवा निर्देशों के अनुसार सही तरीके से तैयार न किए गए हों इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने अथवा परियोजना में संशोधन करने के लिए कहा जाता है। परियोजनाओं के अनुमोदन में हुई प्रगति इस तथ्य से स्पष्ट है कि हालांकि यह कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के 600 करोड़ रुपए के आबंटन से केवल 15-8-1983 को ही आरम्भ किया गया था फिर भी, 904.37 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली परियोजनाएं मंजूर कर दी गयी हैं तथा वे कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	मुक्त की गई निधियां		वर्ष 1984-85 के दौरान खाद्यान्नों हेतु मुक्त की गई अग्रिम वित्तीय सहायता
		1983-84	1984-85	
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	990.00	4040.10	47.025
2.	असम	216.00	862.00	12.825
3.	बिहार	1425.00	5692.00	77.533

1	2	3	4	5
4.	गुजरात	320.00	1305.50	16.447
5.	हरियाणा	84.00	335.00	2.997
6.	हिमाचल प्रदेश	60.00	240.00	3.367
7.	जम्मू व कश्मीर	75.00	150.00	3.572
8.	कर्नाटक	470 00	1877.00	34.352
9.	केरल	470.00	1877.00	22.325
10.	मध्य प्रदेश	323.25	3072.75	52.006
11.	महाराष्ट्र	790.00	3156.00	60.902
12.	मणिपुर	11.00	—	0.532
13.	मेघालय	15.00	30.00	0.893
14.	नागालैंड	10.00	—	0.475
15.	उड़ीसा	450.00	1667.74	35.625
16.	पंजाब	135.00	540.00	—
17.	राजस्थान	240.00	1200.00	12.339
18.	सिक्किम	8.00	15.50	0.410
19.	तमिलनाडु	890.00	4450.00	60.401
20.	त्रिपुरा	33.00	131.00	1.975
21.	उत्तर प्रदेश	1705.00	6957.56	90.114
22.	पश्चिम बंगाल	770.00	1530.30	59.340
	कुल योग	9990.253	9137.45	595.453

खाद्यान्नों का उत्पादन और वसूली

894. **श्री अनिल बसु** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्यानों के रिकार्ड उत्पादन और वसूली को ध्यान में रखते हुये देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिए जाने वाले गेहूं और चावल के मूल्यों में कमी करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह : (क) और (ख) चावल गेहूं के निर्गम मूल्य कम करने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

फलों की फसलों के लिए बीमा योजना

895. **श्री हरीश रावत** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फल की फसलों, विशेषकर शीतोष्ण जलवायु में पैदा होने वाले फलों, के लिए बीमा योजना शुरू करने का कोई विचार नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय द्वारा तुषार, ओलावृष्टि, और तेज हवाओं के फलों को हुई हानि के लिए किसानों को मुआवजा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) यह निर्णय किया गया है कि फसल ऋणों के एक अभिन्न अंग के रूप में फसल बीमा को एक वृहत्त योजना लागू की जाए। शुरूआत के तौर पर इस योजना के अन्तर्गत केवल गेहूं, धान, तिलहन तथा दालें कवर की जाएंगी। फिलहाल यह योजना फल वाली फसलों को कवर नहीं करती है।

[अनुवाद]

आदिवासियों के पढ़ने वाली पत्रिकाओं हेतु सुविधा

896. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केवल आदिवासियों द्वारा पढ़ी जाने वाली पत्रिकाओं को कोई विशेष सुविधा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उन्हें और अधिक सुविधायें दी जायेंगी क्योंकि आदिवासियों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) आदिवासी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले तथा मुख्यतः आदिवासी पाठकों के लिए अभिप्रेत उन समाचारपत्रों/पत्रिकाओं, जिनकी न्यूनतम बिक्रीत संख्या 500 प्रतियां प्रति अंक है सरकारी विज्ञापन पाने के लिए अर्हक हैं जबकि अन्य मामलों में न्यूनतम बिक्रीत संख्या 1000 प्रतियां प्रति अंक है। इसी प्रकार, आदिवासी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले या मुख्यतया आदिवासी पाठकों के लिए अभिप्रेत समाचारपत्रों के लिए, निर्धारित मुद्रण क्षेत्र में छूट उपलब्ध है। ये समाचारपत्र उन सभी अन्य रियायतों/लाभों के लिए भी हकदार हैं जो छोटे तथा मझोले समाचारपत्रों को उपलब्ध हैं।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

गोआ में ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण

897. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों और संघ क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं के लिए स्व-रोजगार प्रशिक्षण का कोई कार्यक्रम चला रही है;

(ख) यदि हां, तो गोआ में 1985 के दौरान ग्रामीण युवाओं के लिए स्व-रोजगार प्रशिक्षण देने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) इस कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी हां। इस योजना का नाम "ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण" है।

(ख) ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने के लिए लक्ष्य वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है न कि पंचाग वर्ष के लिए। गोआ, दमन तथा दीव प्रशासन द्वारा 1984-85 के लिए 2,400 युवाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) इस योजना के लिए कोई अलग से वित्तीय आबंटन नहीं किया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत किया जाने वाला व्यय समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए आबंटित निधियों में से किया जाता है।

[हिन्दी]

दिल्ली में लाल डोरा का विस्तार

898. **श्री भरत सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद लाल डोरा की समस्या ज्यों की त्यों है और इसकी सीमा में अभी तक विस्तार नहीं किया गया है; और

(ख) क्या लाल डोरा की सीमा को बढ़ाया जाएगा और यदि हां, तो कब ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत लाल डोरा बन्दोबस्त के दौरान निर्धारित "आबादी देह" की ओर संकेत करता है। जिन क्षेत्रों में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र नहीं आता है उनमें पिछला बन्दोबस्त वर्ष 1908-09 में हुआ था। दिल्ली की बदली हुई परिस्थितियों में दूसरा भू-बन्दोबस्त करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है। तथापि, जनसंख्या वृद्धि के कारण आवश्यक हुए अतिरिक्त रिहायशी एककों के निर्माणार्थ वैद्य मांग को पूरा करने के लिए "चकबन्दी" अभियानों के माध्यम से आबादी स्थल का विस्तार किया जा सकता है।

दिल्ली प्रशासन ने "चकबन्दी" करने के लिए एक विस्तृत योजना, सातवीं योजना में शामिल करने तथा 1985.86 की वार्षिक योजना में अपेक्षित पूंजी निवेश को उपलब्ध कराने के लिए योजना आयोग को भेजी है। तथापि, सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

गेहूं का निर्यात

899. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा चालू वर्ष में दस लाख टन गेहूं का निर्यात किये जाने की संभावना है;

(ख) चालू वर्ष में गेहूं का उत्पादन लक्ष्य कहां तक प्राप्त होने की संभावना है;

(ग) क्या गेहूं की निर्यात की जाने वाली प्रस्तावित मात्रा फालतू होगी; यदि नहीं, तो उपरोक्त निर्यात के क्या कारण हैं; और

(घ) इस समय भारत द्वारा कितने खाद्यान्न का आयात किया जा रहा है; और सीमित समय के अन्दर चरणबद्ध रूप में आयात की आवश्यकता समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है तथा इस संबंध में अनाजों के आयात और निर्यात की स्थिति क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) यह फैसला किया गया है

कि सूखे से प्रभावित कुछेक अफ्रीकी देशों को सहायता के रूप में एक लाख मीटरी टन गेहूं सप्लाई की जाए।

सरकार देश में अपनी जरूरतों को पूरी तरह ध्यान में रखकर, यदि आवश्यक और व्यवहार्य होता है तो देश से गेहूं का निर्यात भी कर सकती है।

1983-84 में गेहूं 451.5 लाख मीटरी टन हुआ था।

भारत फिलहाल किसी भी अनाज का आयात नहीं कर रहा है।

ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी

900. **श्री एस० एम० भट्टम्** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी के संबंध में पिछले पांच वर्षों के वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या इस समस्या को हल करने के लिए कोई विशिष्ट नए कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) उपलब्ध सूचना रोजगार कार्यालयों के पास पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या से संबंधित है। यह संलग्न विवरण में दिखाई गई है। तथापि, रोजगार कार्यालयों के पास पंजीकृत सभी व्यक्ति अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं होते और सभी बेरोजगार व्यक्ति अपने नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नहीं कराते।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के अपरोच पेपर में यह कहा गया है कि रोजगार योजनाओं के साथ सेक्टरल उत्पादन योजनाओं के एकीकरण और विशेष लक्ष्य ग्रुपों को कवर करने हेतु राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत चालू रोजगार कार्यक्रमों में वृद्धि के माध्यम से लाभकारी रोजगार के सृजन पर सातवीं योजना में जोर दिया जाएगा। रोजगार स्कीमों का उद्देश्य टिकाउ परिसम्पत्तियों का सृजन करना, कौशल निर्माण करना और उत्तरोत्तर बढ़ते हुए आय स्तरों के साथ स्थायी और अविच्छिन्न रोजगार का सृजन करना है। इसके अलावा, अपेक्षित प्रशिक्षण, ऋण-पुंजिया, मार्किटिंग और संगठनात्मक संरचनों द्वारा समर्थित आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य कार्यकलापों में स्व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्कीमों को जारी रखा जाएगा।

विवरण

रोजगार कार्यालयों के पास पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या

(लाखों में)

निम्नलिखित के अन्त में	जोड़	ग्रामीण क्षेत्रों से पंजीकृत व्यक्ति (उपर्युक्त में शामिल)
(1)	(2)	(3)
1980	162	उपलब्ध नहीं
1981	178	उपलब्ध नहीं
1982	197	107
1983	519	108
1984	235	117

तिलहनों की आवश्यकता

901. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तिलहनों की कुल मांग और वास्तविक उपलब्धता कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा तेल के बजाय तिलहन का आयात न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 1983-84 के दौरान खाद्य तिलहनों का उत्पादन 128.1 लाख मी० टन था। उस अवधि के दौरान तिलहनों की मांग के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1983-84 के दौरान खाद्य तेलों की मांग 47 लाख मी० टन थी।

(ख) तिलहनों के आयात न करने के कुछ कारण इस प्रकार हैं :—

(1) तिलहनों के आयात से तिलहनों का उत्पादन करने वाले किसानों के निरुत्साहित होने की संभावना है।

(2) किसी भी प्रकार के बीजों का देश में थोक मात्रा में आयात करने पर संगरोध

सम्बन्धी सुविधाओं की जरूरत होगी। उन बीजों को पत्तनों पर नियुक्त स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा मंजूरी दिये जाने पर ही देश में लाया जा सकता है। इसमें समय लग सकता है।

(3) तिलहनों के आयात के साथ उनके उठाने-रखने, भण्डारण, परिवहन तथा तेल निकालने के लिए संसाधन सम्बन्धी समस्यायें जुड़ी हुई हैं, जिससे उपभोक्ताओं को तेलों की आपूर्ति करने में समय लगेगा। इससे गंभीर संभार-तंत्र सम्बन्धी समस्याएं पैदा होंगी और इसके लिए अतिरिक्त भण्डारण स्थान तथा ऊंची खर्च की आवश्यकता होगी।

(4) तिलहनों की पिराई, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत उद्योग के विशेष विनियमन के अन्तर्गत आती है। इस प्रकार यदि तिलहनों की पिराई की जाती है तो इस कार्य के लिए लाइसेंस जारी करना होगा। इस प्रकार तिलहनों का आयात करने की अनुमति देने का अर्थ आयातित सामग्री पर आधारित लाइसेंस मंजूर करना होगा।

(5) तिलहनों की पिराई से तैयार खली को निर्यात करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उक्त चूर्ण में फिर भी तेल की उल्लेखनीय मात्रा मौजूद रहेगी। खली के निर्यात की अनुमति, विलायक निष्कर्षण प्रक्रिया के तहत तेल के निष्कर्षण के पश्चात ही दी जाती है। आयातित तिलहनों पर आधारित खली के ऐसे निर्यात से, देश में पैदा तिलहनों से बनी खली के लिए निर्यात बाजार में वृद्धि करने के हमारे अपने प्रयासों को गम्भीर खतरा हो सकता है।

महिलाओं के रोजगार के लिए अतिरिक्त अवसरों की व्यवस्था

902. **डा० फूल रेणु गुहा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों और सैक्टरों का पता लगाने के लिए कदम उठाए हैं, जहां कम महिलाओं को रोजगार दिया गया है या उनकी संख्या कम होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र और सैक्टर पता चले हैं; और

(ग) इस प्रकार पता चले क्षेत्रों और सैक्टरों में महिलाओं को रोजगार के अतिरिक्त अवसरों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) श्रम मंत्रालय में उपलब्ध आंकड़ों से विभिन्न सैक्टरों में महिलाओं के रोजगार के बारे में स्थिर प्रवृत्ति का पता नहीं लगता।

तथापि, कुल मिलाकर स्थिति से यह मालूम होता है कि कई वर्षों से संगठित क्षेत्र में नियोजित महिलाओं की कुल संख्या में वृद्धि हुई है।

रोजगार स्थिति की समय-समय पर पुनरीक्षा करते समय, उन क्षेत्रों और सैक्टरों का पता लगाने के लिए प्रयास किया जाता है जो महिलाओं के रोजगार के लिए उपयुक्त हों और विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने हेतु उस दिशा में प्रयास किए जाते हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अधीन सलाहकार समिति भी गठित की गई है जो महिलाओं के रोजगार की स्थिति की पुनरीक्षा करती है और अन्य बातों के साथ-साथ, उस सम्बन्ध में आवश्यक प्रोत्साहन उपायों पर विचार करती है।

ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के युवकों को प्रशिक्षण

903. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 से 1983-84 की अवधि के दौरान ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के कितने ग्रामीण युवकों को उन्हें स्वतः रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु आवश्यक कुशलता और प्रौद्योगिकी की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित किया गया ;

(ख) अपना प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् वास्तव में कितने ग्रामीण युवक स्व-रोजगार प्राप्त कर सके या उनको उनके विशिष्ट व्यवसायों में खपाया गया;

(ग) निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उपलब्धि क्या है;

(घ) उपर्युक्त केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद ग्रामीण युवकों के काफी बड़ी संख्या में स्व-रोजगार न पा सकने अथवा उनको व्यवसायों में खपाये न जा सकने के क्या कारण हैं; और

(ङ) 1983-84 तक पश्चिम-बंगाल में इस प्रकार की योजनाओं के लिए कितनी सहायता राशि मंजूर की गई और वास्तव में कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 से 1983-84 के बीच पश्चिम बंगाल में लगभग 12,000 ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण दिया गया था।

(ख) लगभग 2,640।

(ग) प्रशिक्षित युवकों के रूप में लगभग 22.40 प्रतिशत ।

(घ) "ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम" के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद काफी संख्या में प्रशिक्षित ग्रामीण युवकों के स्व-रोजगार न पा सकने अथवा उनको व्यवसाय में न खपाये जा सकने के कारणों के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

(ङ) ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए निधियों का अलग से कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया है । ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु व्यय को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बजट में से वहन किया जाता है ।

वास्तव में किया गया व्यय नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	प्रशिक्षण व्यय (लाख रुपए में)
1980-81	11.77
1981-82	18.03
1982-83	असूचित
1983-84	35.96
योग	65.76

महाराष्ट्र में दूरदर्शन सुविधाओं का विस्तार

904. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के कौन-कौन से जिलों में दूरदर्शन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ख) वर्ष 1985-86 के दूरदर्शन विस्तार कार्यक्रम में महाराष्ट्र के कौन-कौन से जिलों को शामिल करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) महाराष्ट्र के जिन जिलों में इस समय दूरदर्शन सेवा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उपलब्ध है उनके नाम

इस प्रकार हैं :—

1. बृहत्तर बम्बई	13. अकोला
2. थाने	14. शोलापुर
3. रत्नागिरि	15. सांगली
4. सिन्धु दुर्ग	16. कोल्हापुर
5. रायगढ़	17. लातुर
6. सतारा	18. नान्देड
7. पुणे	19. परभनी
8. नासिक	20. नागपुर
9. धुले	21. चन्द्रपुर
10. जलगांव	22. भण्डारा
11. औरगाबाद	23. अमरावती
12. जालना	24. अहमदनगर

(ख) पणजी के 1 किलोवाट के दूरदर्शन ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 10 किलोवाट कर दिए जाने पर रत्नागिरि तथा सिन्धुदुर्ग के जिलों में दूरदर्शन सेवा में सुधार होने की सम्भावना है। नागपुर के 1 किलोवाट के मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 10 किलोवाट कर दिए जाने पर यवतमाल जिले के कुछ भागों तथा वर्धा जिले में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने तथा नागपुर, भण्डारा, चन्द्रपुर तथा अमरावती जिलों की वर्तमान दूरदर्शन सेवा में सुधार होने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुएं

905. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कौन-कौन सी वस्तुएं बेची जाती हैं और उनके मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इस समय बेची जाने वाली वस्तुओं की सूची में और अधिक वस्तुएं शामिल करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकानें मास में कितने दिन खुली रहती हैं; और

(घ) क्या उचित दर की दुकानों के कार्य के कोई घंटे निर्धारित किए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए गेहूं, चावल चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, कन्ट्रोल का कपड़ा तथा साफ्ट कोक जैसी कुछ मुख्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी ले रखी है। ये वस्तुएं राज्य सरकारों को एक समान निर्गम मूल्यों पर सप्लाई की जाती हैं, जिन्हें समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किया जाता है। राज्य सरकारों को इन मूल्यों में स्थानीय साज-संभाल तथा ढुलाई प्रभारों आदि को जोड़ने की अनुमति दी जाती है, ताकि उस वस्तु का अन्तिम खुदरा मूल्य नियत किया जा सके। तथापि, लेवा चीनी के मामले में 4/- रु० प्रति कि० ग्रा० का एक समान खुदरा मूल्य नियत है, जिस पर उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्तओं को दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं के अलावा, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी विकल्प दिया गया है कि वे आम खपत की अन्य वस्तुओं, जिन्हें वे उचित समझती हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ला सकती हैं। तथापि, ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी होगी।

(ग) व (घ) ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों के कार्य करने के दिनों की संख्या तथा काम करने के घण्टे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नियत किए जाते हैं।

[अनुवाद]

केरल द्वारा "हुडको" ऋणों का इस्तेमाल ना किया जाना

906. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल जैसे राज्यों में, जहां भूमि का मूल्य बहुत अधिक है, हुडको द्वारा निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दिए गए ऋणों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार योजना के सामाजिक उद्देश्यों को संरक्षित रखते हुए,

विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर योजना स्वरूप में लचीलापन लाकर इसे युक्तिसंगत बनाने का है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) यह सही नहीं है कि केरल जैसे राज्य निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए हुडको ऋण का उपयोग करने की स्थिति में नहीं है । 1984-85 के दौरान 4.13 करोड़ रुपए के नियतन की तुलना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग निम्न आम वर्ग आवास के लिए हुडको ने अब तक केरल राज्य को 8.21 रुपए की ऋण राशि स्वीकृत की है ।

(ख) चूंकि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए नियतित राशि पूर्णतः स्वीकृत हो रही हैं, इसलिए वर्तमान योजना को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है ।

उड़ीसा के कालाहांडी जिले में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

907. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के लिए निर्धारित मानदण्डों के आधार पर उड़ीसा के कालाहांडी जिले में भवानीपटन में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उड़ीसा के कालाहांडी जिले में दूरदर्शन केन्द्र का स्थापना कब तक करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार राज्य के इस पिछड़े क्षेत्र के लोगों को यह सुविधा देने के लिए मानदण्ड में छूट देगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने की इस समय कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है ।

पूर्वोत्तर राज्यों से दूरदर्शन प्रसारणों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में वृद्धि करना

908. **श्री लाल डेहोमा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर मिजोरम के लोग दूरदर्शन का प्रसारण अपर्याप्त क्षेत्र में होने के कारण अधिकतर बंगला देश के कार्यक्रम को देखता है; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में बंगला देश टी० वी० के प्रभाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गोहाटी में एक उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाला ट्रांसमीटर तथा सिल्चर, डिब्रूगढ़, तुरा, तेजपुर, कोहिमा, इम्फाल, ऐजवाल, शिलांग, इटानगर तथा अगरतला में अल्प शक्ति (100 वाट) वाले ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं।

इस क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा में सुधार करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, अगरतला, सिल्चर, डिब्रूगढ़, तथा तुरा के ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ा कर 10 किलोवाट करने, कोहिमा, इम्फाल, शिलांग, ऐजवाल तथा इटानगर के ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाकर 1 किलोवाट करने तथा उखरूल, दीफू, दिमापुर, पासीघाट, तेजु और जोरहाट में नए अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने की स्कीमें अनुमोदित हो गई हैं और वे कार्यान्वयनाधीन हैं। उपरोक्त ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने पर, मिजोरम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में घरेलू दूरदर्शन सेवा में पर्याप्त सुधार होगा।

अमलापुरम में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

909. **श्री ए० जे० वी० वी० महेश्वर राव** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के अमलापुरम में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जिससे 10 लाख दर्शकों को विशेष रूप से कृषकों को लाभ पहुंचेगा; और

(ख) क्या प्रस्ताव के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए सरकार इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) हाथ में ली गई स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने पर पूर्वी गोदावरी जिले के आधे भाग में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है। जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है, उनमें दूरदर्शन सेवा की व्यवस्था करना भावी योजना अवधियों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

दूरदर्शन पर राज्य सरकारों के विज्ञापन

910. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें दूरदर्शन पर अपनी उपलब्धियों के बारे में विज्ञापन देती हैं;

(ख) क्या इस प्रकार के विज्ञापन स्वीकार करने के बारे में दूरदर्शन के लिए कोई निर्धारित सिद्धांत है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) दूरदर्शन पर सभी वाणिज्यिक विज्ञापन "दूरदर्शन वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता" के उपबंधों के अधीन हैं ।

बिहार में मुक्त किए गए और पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूर

911. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में 1983 और 1984 के वर्षों के दौरान कितने बंधुआ मजदूरों को मुक्त किया गया ।

(ख) कितने मजदूरों का पुनर्वास किया गया है और कितनों को उनके मूल निवास वाले राज्यों को वापस भेज दिया गया है; और

(ग) उनके पुनर्वास सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और(ख) बिहार सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 1983 तथा 1984 के दौरान राज्य में पता लगाये गए और मुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों की संख्या क्रमशः 62 तथा 469 थी । तदनुरूपी अवधि के दौरान पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या क्रमशः 800 तथा 2,177 थी । ऐसे बंधुआ श्रमिकों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है, जिन्हें उनके मूल निवास के राज्यों में वापस भेज दिया गया है ।

(ग) बिहार राज्य द्वारा मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों को भूमि पर आधारित, पशुपालन पर आधारित तथा कौशल/हस्तकला पर आधारित योजनाओं के अन्तर्गत पुनर्वासित किया जा रहा है ।

पान की खेती करने वालों की ओर से ज्ञापन

912. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पान की खेती करने वालों के प्रतिनिधियों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पान की खेती करने वालों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए क्या प्रस्ताव रखे गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर विचार किया है;

(घ) पान के उत्पादन में वृद्धि करने, पान के पत्तों की किस्म को बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान करने तथा इसके उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क)-से (ग) जी नहीं ।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अप्रैल, 1981 में पान की बेल के रोगों पर एक अखिल भारतीय समन्वित परियोजना मंजूर की है । मार्च, 1983 में परिषद ने इस परियोजना को सुदृढ़ किया और खेती की पद्धति में सुधार करने, अधिक उपज देने वाली किस्मों के चयन आदि जैसे पान अनुसंधान के अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया । यह परियोजना पान की बेल उगाने वाले राज्यों में क्रियान्वित की गई है । कुछ राज्य सरकारें पान के पत्ते के उत्पादन तथा विपणन में सहायता दे रही हैं ।

रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत बेरोजगार

913. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रोजगार केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उन रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत बेरोजगारों व्यक्तियों की संख्या कितनी तथा उनमें शिक्षित बेरोजगारों और अशिक्षित बेरोजगारों की अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ग) शिक्षित बेरोजगारों में कितने अवर मैट्रिक, मैट्रिक इंटरमीडिएट, स्नातक (विभिन्न विषयों के) स्नातकोत्तर तथा इससे भी उच्च अर्हताओं वाले हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है ।

(ग) उपलब्ध सूचना सभा-पटल पर रखे गए विवरण-III में दी गई है ।[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 641/85**]

विवरण-I

31-12-1984 के अन्त में रोजगार कार्यालयों की संख्या*

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संख्या
	राज्य	
1.	आन्ध्र प्रदेश	33
2.	असम	45
3.	बिहार	55
4.	गुजरात	39
5.	हरियाणा	34
6.	हिमाचल प्रदेश	15
7.	जम्मू व कश्मीर	14
8.	कर्नाटक	37
9.	केरल	37
10.	मध्य प्रदेश	63
11.	महाराष्ट्र	43
12.	मणिपुर	7
13.	मेघालय	5
14.	नागालैण्ड	4
15.	उड़ीसा	22
16.	पंजाब	40

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संख्या
17.	राजस्थान	31
18.	सिक्किम	—
19.	तमिलनाडु	28
20.	त्रिपुरा	4
21.	उत्तर प्रदेश	89
22.	पश्चिम बंगाल	68
	संघ शासित क्षेत्र	
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	—
3.	चण्डीगढ़	2
4.	दादर व नागर हवेली	1
5.	दिल्ली	20
6.	गोवा	1
7.	लक्षद्वीप	1
8.	मिजोरम	5
9.	पाण्डिचेरी	1
	अखिल भारतीय योग	745

नोट:—*यह संख्या ऐसे यूनिटों से संबंधित है, जो स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रहे हैं। इस संख्या में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्य कर रहे विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्र भी शामिल हैं।

विवरण-II

31-12-1984 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज रोजगार चाहने वाले शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या।

राज्य	31-12-1984 की संख्या (000)		
	मैट्रिक से कम (अशिक्षितों सहित) (अ)	शिक्षित (मैट्रिक और इससे ऊपर) (अ)	नौकरी चाहने वालों की कुल संख्या (कालम 1+2)
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	1076.5	1096.3	2172.8
2. असम	255.4	231.7	487.1
3. बिहार	1161.4	1507.1	2668.5
4. गुजरात	241.7	390.1	631.8
5. हरियाणा	232.1	235.5	467.6
6. हिमाचल प्रदेश	102.9	154.7	257.6
7. जम्मू व कश्मीर	39.0	27.7	66.7
8. कर्नाटक	330.5	439.5	770.0
9. केरल	1244.7	1284.4	2529.1
10. मध्य प्रदेश	550.4	565.1	1115.4
11. महाराष्ट्र	1122.9	977.5	2100.4
12. मणिपुर	91.3	94.7	186.0
13. मेघालय	7.0	4.9	11.9
14. नागालैण्ड	12.3	1.5	13.8
15. उड़ीसा	300.8	258,6	559 4
16. पंजाब	241.7	284.5	526.2
17. राजस्थान	215.6	289.1	504.7

राज्य	31-12-1984 की संख्या (000)		
	मैट्रिक से कम (अशिक्षितों सहित) (अ)	शिक्षित (मैट्रिक और इससे ऊपर) (अ)	नौकरी चाहने वालों की कुल संख्या (कालम 1+2)
1	2	3	4
18. सिक्किम*			
19. तमिलनाडु	868.1	838.4	1706.5
20. त्रिपुरा	50.5	42.2	92.7
21. उत्तर प्रदेश	713.3	1159.9	1873.2
22. पश्चिमी बंगाल	2145.9	1978.3	4124.2
संघ शासित क्षेत्र			
1. अण्डमान व निकोबार समूह	9.0	2.6	11.7
2. अरुणाचल प्रदेश@			
3. चण्डीगढ़	40.4	47.8	88.3
4. दादर व नागर हवेली**			
5. दिल्ली	96.6	354.6	451.2
6. गोवा	19.6	23.4	43.0

संघ शासित क्षेत्र	31-12-1984 को संख्या (000) मैट्रिक से कम (अशिक्षितों सहित) (अ)	शिक्षित (मैट्रिक और इससे ऊपर) (ब)	नौकरी चाहने वालों की कुल संख्या (कालम 1+2)
1	2	3	4
7. लक्षद्वीप	4.5	1.7	6-4
8. मिजोरम	10.0	6.7	16.7
9. पाण्डिचेरी	31.7	32.3	64:0
अखिल भारत योग	11215.9	12330.9	23546.8

टिप्पणी :—1. * इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. ** इस संघ शासित क्षेत्र में एक रोजगार कार्यालय कार्य कर रहा है, परन्तु आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं।

3. @ कोई पूर्ण रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है। कुछ रोजगार तेल कार्य कर रहे हैं, जिनके बारे में आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं।

4. पूर्णांकों के कारण आंकड़ों के जोड़ मेल नहीं भी खा सकते।

5. अ=अनन्तिम

6. चालू रजिस्टर पर दर्ज रोजगार चाहने वाले सभी व्यक्ति अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं हैं।

यमुना नगर में चीनी मिल का बन्द होना

914. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना उत्पादकों द्वारा पिराई के लिए गन्ना लाने से मना करने के बाद यमुना नगर में 17 जनवरी, को एक गैर सरकारी मिल बन्द कर दी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो चीनी मिल को बन्द करने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या मिल को गन्ने के मूल्यों में वृद्धि की किसानों की मांग के कारण बन्द किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने गन्ने के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं ;

(ङ) सरकार द्वारा अन्य किन मांगों पर विचार किया जा रहा है ; और

(च) क्या किसानों के आंदोलन से देश में चीनी उत्पादन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां। तथापि, पेराई कार्य 26 जनवरी, 1985 को पुनः आरम्भ कर दिया गया था।

(ख) और (ग) गन्ना उत्पादकों ने, जो गन्ने के अधिक मूल्य की मांग कर रहे थे, चीनी मिल को गन्ने की सप्लाई रोक दी।

(घ) केन्द्रीय सरकार केवल चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने का दिया जाने वाला सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है और कोई फैक्ट्री इससे कम मूल्य नहीं दे सकती। यह मूल्य सभी राज्यों में एक समान है। भुगतान किये जाने वाले वास्तविक मूल्य गन्ना उत्पादकों और चीनी उत्पादकों द्वारा तय किए जाते हैं जिसमें राज्य सरकार सम्मत मूल्य पर पहुंचने में मदद कर सकती है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कोई मांग नहीं है।

(च) राज्य सरकार सुनिश्चित करती है कि मौसम के लिए मिल के अन्तिम रूप से बन्द होने के पूर्व मिल क्षेत्र में उपलब्ध सारे गन्ने की पेराई हो जाए।

गेहूं का निर्यात

915. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान गेहूं का निर्यात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा में गेहूं का निर्यात किए जाने का विचार है ;

(ग) क्या किसी अन्य खाद्यान्न का भी निर्यात किए जाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) वर्ष 1985-86 के लिए निर्यात नीति की अभी घोषणा की जानी है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा घटिया किस्म के गेहूं की सप्लाई

916. **श्री सी० डी० यामित** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा घटिया किस्म का गेहूं सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) रोलर फ्लोर मिलों को दिए गए गेहूं की गुणवत्ता के बारे में कुछेक शिकायतें मिली हैं। सभी आवंटी मिलों को भारतीय खाद्य निगम से स्टाक की सुपुर्दगी लेने से पूर्व गेहूं की गुणवत्ता के बारे मे जांच करने और अपने आपको सन्तुष्ट करने की इजाजत है और इस सम्बन्ध में आवंटी मिलों से एक प्रमाण-पत्र भी लिया जाता है। सुपुर्दगी देने से पूर्व, भारतीय खाद्य निगम भी यह सुनिश्चित करने के लिए स्टाक का निरीक्षण करता है कि वे स्टाक विहित मानकों के अनुरूप हैं।

सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की स्थापना

917. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोयाबीन उत्पादक राज्यों में सोयाबीन अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार का सोयाबीन अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश में खोला गया है ;

(ग) यदि हां, तो किस स्थान पर ; और

(घ) यदि नहीं, तो उस राज्य में ऐसा सोयाबीन अनुसंधान संस्थान खोलने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) जी हां, महोदया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। विशेषज्ञों के एक दल ने

इस केन्द्र को स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से इन्दौर में एक कृषि फार्म का चयन किया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति

918. **श्री लक्ष्मण मलिक** :क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त हो जाने की कोई संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री(श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 लाख लाभार्थियों को सहायता पहुंचाये जाने के लक्ष्य के मुकाबले में, फरवरी, 1985 तक सहायित लाभार्थियों की कुल संख्या 29.88 लाख (अनन्तिम) है अर्थात् 99.6 प्रतिशत। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1984–85 के लिए 309.13 मिलियन श्रम-दिवसों के लक्ष्य के मुकाबले में, फरवरी, 1985 तक 285.04 मिलियन श्रम-दिवसों (92.2 प्रतिशत) के रोजगार का सृजन हुआ है।

खाद्यान्नों, दालों और तिलहनों की "प्रोसेसिंग" के सम्बन्ध में खड़गपुर में हुआ सम्मेलन

919. **श्री बी० वी० रामाराव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों, दालों और तिलहनों की "प्रोसेसिंग" के सम्बन्ध में दिसम्बर, 1984 में खड़गपुर (आई० आई० टी०) में एक सम्मेलन हुआ था और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है ;

(ख) इसमें की गई सिफारिशों पर सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ; और

(ग) इस सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उनके लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि सहित इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सम्मेलन में की गई सिफारिशें सरकार को अभी तक नहीं मिली हैं।

(ग) यह बताया गया है कि कुल 105 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया है। सम्मेलन के आयोजन पर हुआ कुल अनुमानित व्यय लगभग 40,000/-रुपये होना बताया गया है।

दिल्ली दूरदर्शन द्वारा गुजराती भाषा कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए दिया गया समय

920. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन द्वारा वर्ष 1984 में कितनी गुजराती फीचर फिल्में दिखाई गई हैं;

(ख) दिल्ली, दूरदर्शन द्वारा वर्ष 1984 में गुजराती भाषा के कार्यक्रमों, फीचर फिल्मों, लोक संगीत, चित्रमाला और अन्य प्रसारण के लिए कितना समय (प्रतिशत) दिया गया ;

(ग) वर्ष 1984 के दौरान अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए कितना समय (प्रतिशत) दिया गया ;

(घ) क्या वर्ष 1983 की तुलना में वर्ष 1984 के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं, विशेषकर गुजराती भाषा, के लिए समय में कोई वृद्धि की गई है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (च) वर्ष 1984 के दौरान दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली ने गुजराती की दो फीचर फिल्में टेलीकास्ट की थी। यह केन्द्र 156 मिनट की कुल अवधि के गुजराती कार्यक्रम भी विभिन्न रूपों में टेलीकास्ट करता है। कार्यक्रम निर्माण के लिए उपलब्ध संसाधनों तथा टेलीकास्ट अवधि की सीमा के अन्दर दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं (गुजराती सहित) में यथासंभव अधिक से अधिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। 1983 की तुलना में, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली ने 1984 के दौरान प्रादेशिक भाषाओं में अधिक कार्यक्रम टेलीकास्ट किए। इनमें प्रतिमास प्रादेशिक भाषाओं की तीन फीचर फिल्में (जिसमें से एक राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट की जाती है) तथा एक प्रादेशिक भाषा का नाटक शामिल है। टेलीकास्ट के लिए उपलब्ध समय के अन्दर समान प्रतिनिधित्व देने के लिए, प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रमों को बारी-बारी से प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, देश के विभिन्न

भागों में अतिरिक्त कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं उपलब्ध करने और राज्य के सभी ट्रांसमीटरों द्वारा उस राज्य की प्रादेशिक भाषा में दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसार करने सम्बन्धी स्कीमों का कार्यान्वयन भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रमों के प्रतिशतता-वार आंकड़े नहीं रखे जाते।

आसन सोल स्थित टी० वी० रिले ट्रांसमीटर का कार्य

921. **श्री सुधीर रस्य** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आसन सोल स्थित टी० वी० रिले ट्रांसमीटर ठीक तरह काम नहीं कर रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) उक्त टी० वी० रिले ट्रांसमीटर के कार्य में सुधार लाने के लिए अब क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन ट्रांसमीटर, आसनसोल को बिजली की सप्लाई में बार-बार खराबी होने तथा टेलीकास्टों में परिणामी विघ्न होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

(ग) से (ङ) दूरदर्शन केन्द्र को एक आपाती डीजल जनरेटर उपलब्ध कर दिया गया है। वैकल्पिक स्रोत से बिजली की मुख्य आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए भी अनुरोध किया गया है।

"एशियाड विलेज" में निर्मित फ्लैटों की बिक्री

922. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली "एशियाड विलेज" में कितने फ्लैट हैं ;

(ख) "एशियाड विलेज" के रख-रखाव पर प्रतिमाह कितना खर्च होता है ;

(ग) क्या "एशियाड विलेज" में निर्मित फ्लैटों को बेचने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो इन फ्लैटों को किस प्रकार बेचे जाने की संभावना है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में कार्यवाही कब तक की जायेगी और उनकी बिक्री में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) 853

(ख) 2.10 लाख रुपये ।

(ग) से (ङ) कुछ (190) फ्लैट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा थोड़े से (28) विदेश में रह रहे भारतीयों को पहले ही बेच दिए गए हैं। शेष फ्लैट विक्रय के प्रक्रियाधीन हैं ।

फ्लैट्स धीरे-धीरे बेचे जा रहे हैं जो कि सम्बन्धित पार्टियों तथा अभिकरणों के मोल तोल/पेशकश की प्रगति पर निर्भर करता है ।

गुजरात को खाद्यान्न, सीमेंट आदि का आवंटन

923. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य को खाद्यान्न, सीमेंट, खाद्य तेल आदि और अधिक मात्रा में आबंटित किए जाएं, ताकि वर्ष 1984-85 के दौरान सूखा, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तुत मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात राज्य को इन मदों की कितनी मात्रा में अतिरिक्त सप्लाई की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1985-85 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं, जैसे सूखा, बाढ़ आदि के कारण बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए गुजरात सरकार से खाद्यान्नों, सीमेंट, खाद्य तेलों आदि का अतिरिक्त आबंटन करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के लिए गेहूं के मासिक आबंटन में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार के अनुरोध पर जनवरी 1985 में गुजरात का गेहूं का मासिक आवंटन 17,500 मी० टन से बढ़ाकर 30,000 मी० टन कर दिया गया था और इस बढ़े हुए आवंटन को अभी तक कायम रखा गया है ।

जून, 1984 में राज्य सरकार ने चावल के मासिक आवंटन में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया था । इस अनुरोध को केन्द्रीय पूल में चावल के भण्डार की कमी होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सका था । फरवरी, 1985 में राज्य सरकार ने, होली जैसे त्यौहारों के दौरान बढ़ी हुई

मांग को पूरा करने के लिए 4500 मी० टन आयातित खाद्य तेलों के अतिरिक्त आवटन हेतु अनुरोध किया था। इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका, क्योंकि गुजरात एक तेल उत्पादक राज्य है और राज्यों को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन केवल अनुपूरक स्वरूप का होता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत वर्कशाप

925. **श्री सोडे रमैया** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की वर्कशाप कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है; और

(ख) यदि हां, उन स्थानों का ब्यौरा क्या है, जहां पर ये वर्कशाप स्थित हैं और वे किन मण्डलों के अन्तर्गत हैं;

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की तीन वर्कशाप फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

(ख) (i) पंखा मरम्मत वर्कशाप, विद्युत भवन, नई दिल्ली।
वातानुकूलन मण्डल-111 के अधीन

(ii) मैकेनिकल वर्कशाप, अमेरिक वेयरहाउस नेताजी नगर, नई दिल्ली।
मैकेनिकल तथा वर्कशाप मण्डल के अधीन।

(iii) उद्यान वर्कशाप सुन्दर नर्सरी, नई दिल्ली।
पूर्वी उद्यान मण्डल के अधीन।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों में विसंगति को दूर करना

926. **श्री सोडे रमैया** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों में विसंगति को दूर करने के बारे में 2 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5926 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नई दिल्ली क्षेत्र के अन्तर्गत "एफ" डिवीजन के फैक्टरी रोड सिविल पूछताछ कार्यालय के स्थानान्तरण का निर्णय लागू कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं।

निर्माणऔर आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उक्त पूछताछ कार्यालय केवल रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिग्रहीत मकानों के रखरखाव

के लिए है। उस मंत्रालय ने जून 1984 तक इन क्वार्टरों के रखरखाव कार्य को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अपने हाथ में लेने की बचनबद्धता की थी। भरसक प्रयासों के बावजूद अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए इन क्वार्टरों के रखरखाव का कार्य वापिस रक्षा मंत्रालय को स्थानान्तरित करने के बारे में जब तक अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता, तब तक सिविल पूछताछ कार्यालय को नई दिल्ली अंचल से खाद्य अंचल को स्थानान्तरित करना उपयुक्त नहीं समझा गया है।

पश्चिम बंगाल में संतरों का उत्पादन तथा निर्यात

927. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में संतरों का उत्पादन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार, पश्चिम बंगाल से संतरों का निर्यात कर रही है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन देशों को तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितना निर्यात किया गया; और

(ङ) इस निर्यात से राज्य तथा केन्द्रीय सरकार को कितनी आय हुई ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी जिले प्रमुख संतरा उत्पादक जिले हैं। पश्चिम बंगाल में निम्बू वर्गीय फसल के लिए मोटे अनुमान नीचे दिए गए हैं :—

(क्षेत्र हजार हैक्टार में)
(उत्पादन हजार मीटरी टन में)

	1980-81	1981-82
क्षेत्र	3.42	3.70
उत्पादन	26.25	28.25

(ग) से (ङ.) संतरों के निर्यात के सम्बन्ध में राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, वर्ष 1980-81 से 1982-83 (नवम्बर, 1982 तक) के दौरान भारत में ताजे या सूखे संतरों के निर्यात का ब्यौरा आगे दिया गया है :

संतरों का निर्यात, ताजे या सूखे

(मात्रा : मीट्री टन में)
(मूल्य : लाख रुपए में)

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1980-81	9090	127.50
1981-82	7124	135.51
1982-83 (नवम्बर, 82 तक)	1015	17.09

संतरों का निर्यात मुख्यत: बंगलादेश को किया गया ।

वनस्पति बनाने के लिए आयातित तेलों का प्रयोग

928. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति उत्पादकों को उच्च मूल्य वाले आयातित तेलों का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने का निदेश दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) इस समय वनस्पति निर्माता शत-प्रतिशत देशी तेलों का अथवा बदले में अधिकतम 60 प्रतिशत तक आयातित खाद्य तेल का उपयोग कर सकते हैं । आयातित तेल राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 9500/-रु० प्रति मी० टन के उल्लेखनीय कम मूल्य पर सप्लाई किया जाता है ।

खुले बाजार में गेहूं की खरीद

929. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नार्थ जोन फ्लोर मिल्स चैम्बर्स" ने सरकार से आटा मिलों को खुले बाजार से गेहूं खरीदने की अनुमति देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) :(क) जी, हां ।

(ख) इस अनुरोध पर विचार करना सम्भव नहीं हुआ है, क्योंकि वर्तमान नीति रोलर फ्लोर मिलों को खुले बाजार से गेहूं खरीदने की अनुमति नहीं देती है ।

पश्चिमी बंगाल में आलू उत्पादकों से प्राप्त अभ्यावेदन

930. **श्री आनन्द पाठक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के आलू उत्पादकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने मूल्यों के कम होने की अपनी कठिनाइयों को व्यक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके हितों की रक्षा के लिए कोई कार्यवाही की है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) आलू के मूल्यों में गिरावट आने के संबंध में पश्चिम बंगाल के आलू उत्पादकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है । पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित मानदण्डों के भीतर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) के सहयोग से पश्चिम बंगाल सहकारी विपणन संघ (नेफेड) द्वारा बाजार में हस्तक्षेप करने की योजना लागू की जा रही है :

(1) 78 रुपये 85 रुपये तक प्रति क्विंटल के मूल्य पर खरीद की जाएगी ।

(2) अन्य राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में 50 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य के आधार पर हानि का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार वहन करेगी और 50 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक मूल्य के भुगतान से होने वाली हानि को पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ; और

(3) खरीद केवल सीमान्त किसानों से, प्रति किसान अधिक से अधिक 10 क्विंटल तक की जाएगी ।

तदनुसार, पश्चिम बंगाल में बाजार में हस्तक्षेप करने का कार्य प्रगति पर है ।

परिवहन व्यवस्था हेतु दिल्ली/नई दिल्ली के लिए बृहत योजना

931. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन व्यवस्था के लिए दिल्ली/नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के कुछ भागों के लिए अनन्तिम रूप से संशोधित वृहत् योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) इस प्रत्योजन के लिए कितना धन आवंटित किया गया है; और

(घ) इसे कब से लागू किया जायेगा?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) 1962 में लागू की गई दिल्ली की वृहद योजना को संशोधित करने का प्रस्ताव है। दिल्ली की वृहद योजना में (संशोधन के लिए यथा प्रस्तावित) सम्पूर्ण दिल्ली में व्यापक परिवरिश प्रणाली की सिफारिश की गई है।

(ग) और (घ) जैसा कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अपेक्षित है जन साधारण से आपत्तियां/सुझाव मांगने के बाद ये प्रस्ताव शीघ्र ही प्रकाशित किए जाएंगे। निधियों के नियतन तथा योजना को आरम्भ करने का प्रश्न इन प्रस्तावों को अन्तित रूप दिए जाने के बाद ही उगेगा।

केन्द्रीय सरकार की उपलब्धियों के विज्ञापन पर किया गया व्यय

932. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की उपलब्धियों और कार्यक्रमों के समाचार पत्रों में और अन्य जन संचार माध्यमों के द्वारा विज्ञापन करने तथा इस प्रयोजन के लिये प्रकाशन तथा अन्य सामग्री प्रकाशित करने पर वर्ष 1984 में कुल कितना धन व्यय किया गया;

(ख) इस अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए विभिन्न समाचार-पत्रों को कितनी धन-राशि का भुगतान किया गया; और

(ग) क्या सरकार इसके लिए नियंतन में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) सरकार की नीतियों का समाचार पत्रों में विज्ञापनों प्रदर्शनियों, मुद्रित प्रचार सामग्री आदि के माध्यम से प्रचार करने के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा 1984 में 695.68 लाख रुपए का व्यय किया गया। इसमें समाचार पत्रों को सजावटी तथा वर्गीकृत दोनों प्रकार के विज्ञापन देने पर खर्च हुई 387.21 लाख रुपये की राशि शामिल है।

(ग) जबकि प्रचार के स्तर को सामान्यतया बनाए रखने का प्रस्ताव है, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के संबंध में वर्ष 1985-86 के बजट प्राक्कलनों में, मूल्य वृद्धि को देखते हुए, इस प्रयोजन के लिए निधियों के आवंटन में मामूली वृद्धि की व्यवस्था है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

933. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) यद्यपि केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्य रूप से आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों के कारणों की जांच करने के लिए विशेष रूप से कोई अध्ययन नहीं किया गया है, तथापि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा इनके मूल्यों की निरन्तर परिवीक्षा की जा रही है, ताकि जहां जरूरी हो उचित उपचारात्मक कार्यवाही की जा सके।

(ग) सरकार की नीति में प्रमुख बल आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से जिनकी आपूर्ति कम है, के उत्पादन बढ़ाने पर दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है और उसमें सुधार लाया जा रहा है। कुछ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति आयात करके बढ़ाई जा रही है। आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को विनियमित किया गया है। राज्य सरकारें, जमाखोरों तथा काला बाजारियों और अन्य असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसी प्रकार के कानूनों के उपबंधों को लागू कर रही है।

बीड़ी उद्योग में अन्तर्राज्य मजूरी समानता

934. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दक्षिण भारत के बीड़ी उद्योग में अन्तर्राज्य मजूरी समानता लाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण श्रमिकों के लिए मकान निर्माण सहायता में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन

935. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण श्रमिकों के लिए मकान निर्माण सहायता में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिवेदनों की जांच की गई है। सातवीं योजना को अन्तिम रूप देने पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

अपर्याप्त वर्षा के कारण फसलों को नुकसान

936. **श्री धर्म पाल सिंह मलिक**
श्री हरीश रावत } : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले चार पांच महीनों के दौरान देश के विभिन्न भागों में अपर्याप्त वर्षा हुई है ;

(ख) इससे फसलों पर कितना प्रभाव पड़ा है और प्रत्येक राज्य का इसके परिणामस्वरूप फसलों को हुए नुकसान का अनुमान क्या है ; और

(ग) किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां। उत्तर-पूर्वी मानसून अवधि अक्तूबर-दिसम्बर, 1984 और शीतकालीन मौसम जनवरी-फरवरी, 1985, के दौरान देश के एक बड़े भाग में सामान्यतः कम या छुटपुट वर्षा हुई।

(ख) शीतकाल की अपर्याप्त वर्षा से कई राज्यों में फसल प्रभावित हुई हैं। तथापि, रबी की फसल अभी काटी जानी है, अतः इस स्तर पर फसलों की अनुमानित हानि को बता पाना संभव नहीं है।

(ग) सस्य मौसम की स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है और राज्य सरकारों के परामर्श से विद्युत और कृषि आदानों की उपलब्धता का प्रबोधन किया जा रहा है।

समुद्री विनियमन कानूनों का अधिनियम

937. **श्री धर्म पाल सिंह मलिक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फिशरमैन फोरम आफ इंडिया ने समुद्री विनियमन कानूनों के अधिनियम के लिए हाल ही में सरकार को ज्ञापन दिया है ;

(क) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य बातें ये हैं :—

(1) तटीय राज्यों द्वारा समुद्री मत्स्यन विनियम अधिनियम बनाना,

(2) वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा देश में मछली संसाधनों का मूल्यांकन करना,

(3) क्षेत्रीय जल में पर्स-सीनर्स पर प्रतिबन्ध लगाना।

(4) सार्वजनिक क्षेत्र में आंतरिक और बाहरी इंजनों तथा उनके फालतू पुर्जों का उत्पादन करना और इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

(5) आंतरिक और बाहरी इंजनों तथा उनके फालतू पुर्जों को करों तथा उत्पाद शुल्क के बिना उपलब्ध कराना। मछुआरों को मिट्टी के तेल का पर्याप्त कोटा उपलब्ध कराना।

(6) गहरे समुद्र में मछली संसाधनों का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम।

(7) रात्रि में तथा अंडजनन मौसम के दौरान ट्रालिंग तथा पर्ससीनिंग की।

(8) सभी तटीय राज्यों में मछुआरों के लिए निगम की स्थापना करना।

(9) ताजे पानी तथा तटीय जल दोनों में जल कृषि का विकास करना ।

(ग) हाल ही में प्राप्त ज्ञापन की जांच की जा रही है ।

सूखे प्रवण क्षेत्रों में अंगूर की खेती

938. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विशेष रूप से सूखा प्रवण क्षेत्रों में अंगूर की खेती की काफी संभावनाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अंगूर की खेती का विचार किया जा रहा है ;

(ग) क्या अंगूर की खेती का और अधिक विस्तार करने के मार्ग में कोई रुकावटें हैं ; और

(घ) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कृषि-उद्योग के रूप में शराब उद्योग का विकास करने के बारे में भी विचार करेगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) देश में अंगूर की खेती के लिए काफी सम्भावना है । तथापि, सूखा प्रवण क्षेत्रों में, इस फसल की खेती सुनिश्चित सिंचाई के बिना नहीं की जा सकती है । इस फसल के तहत क्षेत्र बढ़ रहा है ।

(ग) जी हां । अंगूर की खेती करने के लिए सिंचाई हेतु जल की सुनिश्चित आपूर्ति प्रारम्भ में भारी निवेश और उचित खेती की तकनीक को अपनाना जरूरी है ।

(घ) अभी शराब के लिए उचित किस्मों का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता । इसके अतिरिक्त शत-प्रतिशत निर्यात उन्मुखी मामलों को छोड़कर, शराब सहित आसवन (डिस्टिलेशन) अथवा अल्कोहल युक्त पेय तैयार करने की वर्तमान क्षमताओं में विस्तार करने अथवा अतिरिक्त वृद्धि सृजन करने पर प्रतिबन्ध हैं ।

उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से (पाम आयल) की सप्लाई

939. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पाम आयल की सप्लाई की व्यवस्था का विस्तार करके सभी राज्यों में यह व्यवस्था लागू की जा रही है ;

(ख) क्या पाम आयल के प्रति उपभोक्ताओं की कोई अरुचि है ; और

(ग) यदि नहीं, तो पाम आयल की उपलब्धता बढ़ाने और देश में इसका उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) कुछ राज्यों को, उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए ताड़ के आयातित खाद्य तेल का आवंटन किया जा रहा है। इसे और अधिक राज्यों को आवंटित करने का प्रस्ताव है।

(ख) किसी भी राज्य सरकार से, जिन्हें ताड़ का तेल आवंटित किया जाता है, ताड़ के तेल के प्रति उपभोक्ताओं की अरुचि के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा ताड़ के तेल की उपलब्धता बढ़ाने और ताड़ के तेल का स्थानीय रूप से उत्पादन करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

> लाल तेल वाले ताड़-बागानं के लिए केरल और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में, जहां इनकी खेती के लिए कृषि-जलवायु सम्बन्धी स्थिति अनुकूल है, दो परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। अब तक केरल में 3705 हेक्टेयर और अण्डमान तथा निकोबार-द्वीप समूह में 1300 हेक्टेयर भूमि में ये बागान लगाये गये हैं।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र

940. श्री मूल चन्द डागा : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां भारतीय अनुसंधान परिषद् ने "कृषि विज्ञान केन्द्र" खोले हैं; इनके उद्देश्य क्या हैं और ये किन तारीखों को खोले गये और प्रत्येक केन्द्र पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) क्या उनके कार्य का कभी कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के पास उन केन्द्रों की सूचना है जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे केन्द्र किन क्षेत्रों में स्थित हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार राजस्थान के पाली जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का है; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कृषि विज्ञान केन्द्रों की सूची, उनके स्थान, स्वीकृति की तिथि और छठी योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवंटन से सम्बन्धित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। सामान्य रूप में कृषि विज्ञान केन्द्र के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:—

1. कृषक समुदाय के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए विशेष संदर्भ के साथ एक संसाधन तालिका तैयार करने के लिए परिचालन क्षेत्र का नियोजन और सर्वेक्षण करना;

2. कमजोर और गरीब तबके के लोगों को प्राथमिकता देने के साथ विभिन्न लक्ष्य वाले वर्गों के लिए परिसर तथा गांव दोनों स्थानों में उत्पादन-परक, आवश्यकता पर आधारित अल्प और दीर्घ अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियोजन और संचालन;

3. क्षेत्र दिवसों, फार्म के दौरों, कृषक मेला, रेडियो वार्ता, फार्म साइंस क्लब आदि के द्वारा अनौपचारिक शैक्षणिक कार्यक्रमों का विकास और आयोजन। यह कार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अनुवर्ती सूचना सहायता के रूप में किया जायेगा;

4 निरीक्षित प्रायोजनाओं के माध्यम से वैज्ञानिक खेती के लिए कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों में युवा पीढ़ी में सम्पर्क तथा रुचि की प्रेरणा के उद्देश्य से ग्रामीण विद्यालयों तथा गांवों दोनों में फार्म विज्ञान क्लब का आयोजन करना;

5. प्रशिक्षार्थियों के लिए कार्य अनुभव तथा अद्यतन तकनीकी जानकारी भी प्रदान करने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं की तरह वैज्ञानिक स्तर पर परिसर के फार्मों और प्रदर्शनों एककों का विकास तथा उनका रखरखाव;

6. अध्यापकों तथा व्यावसायिक कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को केन्द्र की प्रयोगात्मक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना;

7. ग्रामीण अशिक्षितों तथा स्कूल छोड़ने वालों के लिए कुछ सामान्य शिक्षा देना ताकि न केवल वह अच्छे किसान बने बल्कि बेहतर नागरिक भी हों;

8. ग्रामीण समुदाय के लिए "होम मेकिंग" तथा पोषण शिक्षा के क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना;

9. सम्बन्धित संगठनों के सहयोग से समकलित ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं के अनुकूल गृह शिल्प, गृह उद्योग आदि जैसे अन्य क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए धीरे-धीरे प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाना;

10. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद तथा इस केन्द्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत बनाने का विचार रखने वाले सम्बन्धित संगठनों की ऐसी सभी योजनाओं को कार्यान्वित करना।

(ख) जी हां, श्रीमान। कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यों का मूल्यांकन 1980 के दौरान पहले ही एक उच्च स्तरीय मूल्यांकन समिति के द्वारा किया गया है।

(ग) मूल्यांकन समिति ने केन्द्रों के गुण व दोषों को स्पष्ट किया है तथा प्रायोजना कार्य में सुधार लाने की सिफारिशें की हैं। परिषद द्वारा इन सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई भी की गयी है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) छठी पंचवर्षीय योजना में कृषि विज्ञान केन्द्रों को स्थापित करने का लक्ष्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। इसलिए इस योजना में राजस्थान के पालि जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलना संभव नहीं हो सकता;

(च) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यदि सरकार से और अधिक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की स्वीकृति मिलेगी तो ऐसी स्थिति में पालि में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार हो सकता है।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों का बजट निर्धारण तथा शुरू होने/स्वीकृति की तिथि

कृ० वि० के० का नाम	बजट निर्धारण (रुपये लाख में)	शुरू होने स्वीकृति की तिथि
1	2	3
1. हयात नगर, हैदराबाद (आ० प्र०)	19.28	अप्रैल, 1977
2. गड्डिपल्लि, (आ० प्र०)	10.12	16-7-84

1	2	3
3. राजमुन्द्री (उ० प्र०)	12.66	1-4-83
4. अनन्तपुर (आ० प्र०)	13.86	22-4-83
5. अम्दालवाल्स (आ० प्र०)	11.81	16-7-84
6. रस्तकुन्तवै (आ० प्र०)	12.34	3-3-84
7. बसर (अरूणाचल प्रदेश)	23.74	मई, 1979
8. मूंगेर (बिहार)	23.06	अप्रैल, 1980
9. वांका (बिहार)	15.91	2-4-83
10. सोखौदेवरा (बिहार)	20.82	जून, 1979
11. पुटिदा (बिहार)	15.91	1983
12. अग्वनपुर (बिहार)	11.26	14-3-84
13. रांची (बिहार)	24.61	1-2-77
14. फतेहपुर, देवघर (बिहार)	8.98	25-2-85*
15. हाजारी बाग (बिहार)	8.98	25-2-85
16. नापाम (असम)	21.54	फर०, 1980
17. गसईगांव (असम)	9.18	जन०, 1985*
18. एला फार्म (गोआ)	14.01	1-4-83
19. दीसा (गुजरात)	19.06	4-15-76*
20. देवगढ वारिया (गुजरात)	14.72	1-1-83
21. वघई (गुजरात)	12.72	22-10-84*
22. रंधेजा ग्राम (गुज०)	17.49	15-10-79
23. सिकोहपुर रामपुरा (हरियाणा)	20.68	अप्रैल, 1984

1	2	3
24. करनाल (हरियाणा)	20 80	जुलाई, 1976
25. रामपुरा, रिवाड़ी (हरियाणा)	15.99	1-3-84
26. धौलाकुंआ (हिमाचल प्रदेश)	14.30	16-1-83*
27. बजौरा (हिमाचल प्रदेश)	11.94	फर०, 85*
28. मालनपुरा (जम्मू एण्ड कश्मीर)	15 65	नव०, 1983
29. चेतली (कर्नाटक)	20.50	1-12-76
30. हनुमन्मथि (कर्नाटक)	20 86	जून, 1977
31. मुदिगेरी (कर्नाटक)	10.36	फर०, 1985*
32. विडार (कर्नाटक)	10.36	फर०, 1985*
33. हुल्कोटी (कर्ना०)	10.86	फर०, 1985*
34 नरक्कल (केरल)	25.81	दिस०, 1976
35. मित्रनिकेतन (केरल)	21.24	फर०, 1980
36. पट्टम्बी (केरल)	18.46	नव०, 1982
37. अम्बलवयल (केरल)	11.81	1-6-84
38. बिलासपुर (म०प्र०)	11.27	19-6-84*
39. छिंदवाड़ा (म०प्र०)	13.01	अप्रैल, 1984
40. झबुआ, (म०प्र०)	11.27	1-9-84
41. इन्दौर (म०प्र०)	12.26	20 नव०, 1976
42. भोपाल (म०प्र०)	27.97	सित०, 1978
43. कोसबाद हिल (महाराष्ट्र)	15.61	अप्रैल, 1977
44. सेलसुरा, महाराष्ट्र	21.68	27-12-1979
45. औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	13.34	1-9-83

1	2	3
46. शिरगांव (महा०)	14.34	जून, 1983
47. धूले (महा०)	13.49	9-5-83
48. पाल (महा०)	10.37	1-8-84
49. नम्फेल्पेट (मणिपुर)	23.01	मार्च, 1980
50. तुरा (मेघालय)	23.77	27-5-1980
51. कोलासिब (मिजोरम)	22.99	जुलाई, 1977
52. झनीपानि (नागालैंड)	23.51	5-3-79
53. धौली (उड़ीसा)	23.50	3-1-77
54. क्योंझर (उड़ीसा)	15.26	28.5.82
55. सिंबिगुडा (उड़ीसा)	15.26	11.1.82
56. बलियापल (उड़ीसा)	15.26	11-2-83
57. भंजनगर (उड़ीसा)	12.33	25.2.85*
58. पांडिचेरी (पांडिचेरी)	29.63	25-3-74
59. गुरदासपुर (पंजाब)	16.45	1-4-82
60. फ० सेखावती (राजस्थान)	25.31	[illegible], 1977
61. बीचवाल (राजस्थान)	14.18	10-12-83
62. बांसवाडा (राजस्थान)	14.28	जून, 1983
63. जोधपुर (राजस्थान)	14.02	1-4-83
64. बडयांव (राज०)	13.10	27-2-84
65. सर्मासा (सिक्किम)	16.22	31-3-82*
66. नत्तलूर कुट्टापट्टू (त० ना०)	14.61	28.2.77
67. कूनूर (त० ना०)	15.51	1-11-82

1	2	3
68. कोयम्बटूर (त० ना०)	20.13	2-5-79
69. कट्टुपक्कम (त० ना०)	10.17	24-8-84*
70. छेब्रिखोदई (त्रिपुरा)	23.25	दिस०, 1979
71. बीरचन्द्र नगर (त्रिपुरा)	14.82	मई, 84*
72. सुल्तानपुर (उ० प्र०)	22.50	नव०, 1976
73. आवागढ (उ० प्र०)	15.81	1-11-82
74. रानीचौरी (उ० प्र०)	16.36	14-9-82*
75. भरारी (उ० प्र०)	14 82	19-3-83*
76. दरियापुर फार्म, रायबरेली	11.93	1984*
77. बरेली (उ० प्र०)	8.95	जन०, 1985*
78. बहराइच (उ० प्र०)	16.50	22-3-84
79. बस्ती (उ० प्र०)	9.30	अव०, 85*
80. मिर्जापुर (उ० प्र०)	15.22	मार्च, 84*
81. राया, मथुरा (उ० प्र०)	15.97	मार्च, 84*
82. कपगरी (प० बं०)	22.22	1-12-76
83. निम्पीठ (प० बं०)	23.94	2-5-79
84. काकद्वीप (प० बं०)	21.60	दिस०, 1979
85. रामराई (प० बं०)	14.99	मार्च, 1983*
86. सोनामुखी (प० बं०)	15.59	मार्च, 1983*
87. सुजित्र (गुजरात)	8.72	मार्च, 1985

* स्वीकृति की तिथि

[अनुवाद]

देश में वनस्पति तेल की मांग

941. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान वनस्पति तेल की वर्ष-वार मांग का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में वनस्पति तेल का वर्षवार कितना उत्पादन हुआ और कितना आयात किया गया;

(ग) देश में वनस्पति तेल की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) सरकार ने वनस्पति तेल में मिलावट रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान वनस्पति तेलों (खाद्य) की मांग, उनका उत्पादन और आयात की गई मात्रा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	मांग	उत्पादन	आयात
1981—82	43.81	33.83	9.98
1982—83	41.71*	30.21	11.50
1983—84	49.34	33.00	16 34

*चूंकि 1982-83 में खाद्य तेलों की कुल उपलभ्यता (देशी उत्पादन जमा आयातित मात्रा को मांग के रूप में दिखाया गया है) कम थी, इसलिए यह मात्रा कम है।

(ग) देश में वनस्पति तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा संगठित प्रयास किये जा रहे हैं। इस दिशा में, निम्नांकित उपाय किये गये हैं: —

1. तिलहन उत्पादक राज्यों में तिलहनों के विकास के लिए गहन कार्यक्रम चलाना। इस योजना का उद्देश्य कृषकों के खेतों में प्रदर्शन करना, बीजों के उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था को मजबूत बनाना, पौध संरक्षण उपायों का विस्तार करना सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना आदि।

2. गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली तथा मध्यप्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन के लिए विशेष परियोजनाएं आरंभ करना ।

3. न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना ।

4. तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना ।

5. गैर-पारम्परिक तिलहनों जैसे सोयाबीन और सूरजमुखी की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना तथा वृक्ष और वनमूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का उपयोग करना ।

6. तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप आवश्यक संसाधन और आधार-ढांचे संबंधी सुविधाओं की स्थापना करना ।

(घ) विलायक निष्कर्षित तेल, वितैलित आहार और खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967 तथा वनस्पति तेल उत्पाद (नियंत्रण) आदेश, 1947 के उपबंधों के अनुसार इन कारखानों द्वारा उत्पादित वनस्पति तेलों के नमूने इस निदेशालय के निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर एकत्र किए जाते हैं । इन नमूनों का विश्लेषण निदेशालय की प्रयोगशाला में इस बात की जांच करने के लिए कराया जाता है कि क्या ये नमूने संबंधित नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत निर्धारित गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप हैं । सही न पाये जाने वाले नमूनों के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई की जाती है । इसके अतिरिक्त, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय के खाद्य निरीक्षक भी बाजार से वनस्पति तेलों के नमूने लेते हैं और जो नमूने सही नहीं पाये जाते हैं उनके संबंध में अधिनियम में निर्धारित कार्यवाही करते हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी के माध्यम से भूखण्डों/दुकानों की बिक्री

912. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी के माध्यमों से भूखण्डों/दुकानों की बिक्री की नीति अपनाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या नीलामी द्वारा बेचने की नीति अन्य महानगरों में सम्बद्ध प्राधिकरणों द्वारा अपनायी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस नीति से भूमि के मूल्यों में वृद्धि हो रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अर्जन, विकास तथा बिक्री की योजना में यह निर्धारित है कि सामान्य नीति के अनुसार विकासित भूमि की बिक्री नीलामी द्वारा की जानी चाहिए और निम्नलिखित मामलों, जहां पूर्व निर्धारित दरें वसूल

की जाती हैं, को छोड़कर उच्चतम बोली द्वारा प्रीमियम का निर्धारण किया जाना चाहिए :—

(i) दिल्ली के सुनियोजित विकास की योजना के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों की भूमि अर्जित की जाती है, उन्हें दिए गए वैकल्पिक रिहायशी प्लाट ।

(ii) जिन उद्योगपतियों को उनके विद्यमान अनुरूप स्थलों से अपने कारखानों को स्थानान्तरित करने के लिए कहा जाए ।

(iii) निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के व्यक्ति ।

(iv) सहकारी गृह निर्माण समितियां तथा रिहायशी मकानों को बनाने के लिए उद्योगपतियों तथा निर्माताओं की सहकारी समितियां ।

(v) केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और अन्य सरकारी संगठनों को कार्यालय वास तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए आवंटित भूमि ।

यह नीति दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि की बिक्री । नियमावली, 1981 के नियम 8 में भी दोहराई गई है । दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामियों के माध्यम से बेची गई कुल भूमि दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए अर्जित की गई भूमि की तुलना में नगण्य है । वाणिज्यिक प्लाटों की नीलामियों से प्राप्त हुए संसाधनों को इस योजना के अन्तर्गत भूमि के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है ।

निर्मित दुकानें, वाणिज्यिक सम्पत्तियां होने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी तथा प्रतिबन्धित निविदाओं आदि के माध्यम द्वारा बेची जाती है । ये दुकानें वैकल्पिक/पुनर्वास आवंटन के रूप में उन व्यक्तियों को भी आवंटित की जाती है, जिनकी भूमि अर्जित की जाती है । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को यह आवंटन प्रतिबन्धित निविदाओं के माध्यम से किया जाता है और इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों को भी आवंटन किया जाता है । विकलांग व्यक्तियों को लाटरी विकास कर आवंटन किया जाता है ।

(ख) और (ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा पटल पर रख दी जाएगी ।

खाद्यान्न भण्डार

943. **श्री जी० जी० देसाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1985 के आरम्भ में सरकार के पास खाद्यान्न का भण्डार 250 लाख टन था;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1984 के दौरान खाद्यान्न भण्डार की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही;

(ग) यदि हां, तो खाद्यान्न भण्डारों की नवीनतम स्थिति क्या है;

(घ) क्या गेहूं और चावल की मात्रा भी निर्धारित लक्ष्यों से अधिक हो गई है;

(ङ) क्या उत्पादन के सम्बन्ध में मूल्य प्रोत्साहन नीति का चावल उत्पादक तथा उपयोग करने वाले राज्यों पर वांछित प्रभाव पड़ा है;

(च) सरकार द्वारा खाद्यान्न भण्डारों में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(छ) क्या सरकार खाद्यान्नों का पर्याप्त भण्डार बनाये रखने के लिए खाद्यान्नों का आयात करने पर विचार कर रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं । पहली जनवरी, 1985 को सरकारी एजेंसियों के पास 226.1 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक था।

(ख) जी, हां । वर्ष के दौरान समूची स्थिति में सुधार हुआ था ।

(ग) पहली मार्च, 1985 को खाद्यान्नों के स्टाक की अद्यतन स्थिति 219.1 लाख मीटरी टन थी ।

(घ) पहली जनवरी, 1985 को गेहूं और चावल के स्टाक की स्थिति क्रमशः 148.0 लाख मीटरी टन और 77.1 लाख मीटरी टन थी । यद्यपि गेहूं का स्टाक अपेक्षित स्तर से बढ़ गया है लेकिन चावल के स्टाक में गिरावट आयी है ।

(ङ) जी, हां । मूल्य समर्थन की नीति से सामान्य रूप से देश में चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई है ।

(च) सरकारी एजेंसियों के पास खाद्यान्नों का स्टाक देश में वसूली कर और आवश्यकता पड़ने पर खाद्यान्नों का आयात कर तैयार किया जाता है ।

(छ) जी, नहीं । फिलहाल आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मकान बनाने के लिए ऋण देने पर प्रतिबन्ध

944. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय सम्मेलन ने भारतीय रिजर्व बैंक से अनु-

रोध किया है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मकान बनाने के लिए ऋण दिए जाने पर से प्रतिबन्ध हटा लिया जाए;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने मकान बनाने के लिए रियायती शर्तों पर ऋण देने के बारे में बैंकिंग विभाग से भी बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई अन्य कदम भी उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक, मकान बनाने के ऋणों पर लगे प्रतिबन्धों को किस सीमा तक हटाने को तैयार हो गया है;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) इन्टरएक्शन पार्टिसिपेंटों का यह मत था कि भारत सरकार को आश्रमों के लिए वाणिज्यिक बैंक ऋणों पर प्रतिबन्धों को उदार बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को कहना चाहिए।

(ख) से (घ) इन्टरएक्शन में उत्पन्न हुए सर्वसम्मति के मतों पर आगे की कार्यवाही के लिए विचार किया जा रहा है।

भारतीय नियोजक परिषद द्वारा बंगलौर में आयोजित सम्मेलन की सिफारिश

945. **श्री बा० वी० देसाई** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों की मजदूरी सम्बन्धी सिफारिशें करने के लिए विशेषज्ञों के स्थायी निकाय स्थापित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या समय-समय पर सूचना एकत्र करने और मानदण्ड निर्धारित करने के लिए एक निकाय है ;

(ग) क्या भारतीय नियोजक परिषद ने बंगलौर में फरवरी, 1985 के पहले सप्ताह में दो दिन का सम्मेलन आयोजित किया था ;

(घ) यदि हां, तो सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाने का प्रश्न पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में प्राप्त विभिन्न सुझावों की जांच की जा रही है। इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि मजदूरी नीति को कैसे लागू किया जाए, जब कभी उसे अन्तिम रूप दे दिया जाता है।

(ग) से (ङ.) यह सच है कि भारतीय नियोजक परिषद ने बंगलौर में फरवरी, 1985 के पहले सप्ताह में दो दिन का सम्मेलन आयोजित किया था। तथापि, सरकार को भारतीय नियोजक परिषद से इस सम्मेलन की कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है इसको ध्यान में रखते हुए, इस अवस्था में सिफारिशों के अनुसार किसी प्रकार के कानून पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय मछुआरा निगम का गठन

946. **श्री अजय विश्वास**: क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश के मछुआरों को समस्याओं का अध्ययन करने के लिये अखिल भारतीय मछुआरा निगम स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग का गठन कब तक किया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मछुआरों के कल्याण के लिए लागू की गई विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की योजनाओं के तहत् मछुआरों की समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

श्रम न्यायालयों मे लम्बित मामले

947. **श्री अजय विश्वास** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के अन्त में देश के विभिन्न श्रम न्यायालयों में कितने मामले लम्बित थे ; और

(ख) लम्बित मामलों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) दस केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालयों में 1183 मामले और 2796 आवेदन-पत्र लंबित पड़े हैं। केन्द्रीय सरकार ने चंडीगढ़ और कानपुर में दो औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय गठित किए हैं और विवादों के निपटान के लिए मानदण्ड निर्धारित किए है तथा प्रगति पर नजर रखी जाती है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन किया गया हैं ताकि विवादों के समय-बद्ध निपटान की व्यवस्था की जा सके। औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1937 में संशोधन किया

गया है ताकि विवादों के निपटान के लिए विभिन्न अवस्थाओं पर समय ढांचे (टाइम फ्रेम) की व्यवस्था की जा सके। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य क्षेत्र में मामलों और आवेदन-पत्रों के लिए श्रम न्यायालय और औद्योगिक अधिकरण गठित किए हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31-3-1984 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक अधिकरणों/श्रम-न्यायालयों के समक्ष 1,90,086 मामले लम्बित पड़े थे।

आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत पंजाब में दूध का उत्पादन

948. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कौन-कौन सी गैर-सरकारी तथा सरकारी एजेंसियां दूध की खरीद, संग्रह, बिक्री आदि का कार्य करती हैं तथा उनके द्वारा 29 फरवरी, 1984, 30 अक्तूबर, 1984, 1 जनवरी, 1985 तथा 28 फरवरी, 1985 को कितनी मात्रा में दूध की खरीद की गई और कितना वितरण किया गया ;

(ख) पंजाब में वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान दूध का उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा गया था तथा वास्तविक उत्पादन कितना हुआ ;

(ग) पंजाब में दूध का प्रति गाय तथा प्रति भैंस दैनिक उत्पादन कितना है और उसकी तुलना में दूध का प्रति परिवार औसत दैनिक उत्पादन कितना है ;

(घ) आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत पंजाब के लिए वर्ष-वार कितना लक्ष्य रखा गया और वास्तविक उपलब्धि कितनी हुई ; और

(ङ) क्या सरकार पंजाब में दूध की खरीद से संतुष्ट है और यदि नहीं, तो क्या सुधारात्मक उपाय किये जाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के संगठनों के माध्यम से 29 फरवरी, 1984; 30 अक्तूबर, 1984; 1 जनवरी, 1985 तथा 28 फरवरी, 1985 को खरीदी गई तथा वितरित की गई दूध की मात्रा नीचे दी गई है :—

	29-2-84	30-10-84	1-1-85	28-2-85
गैर-सरकारी कम्पनियां				
(क) खरीद (लाख किलोग्राम)	4.37	4.21	6.04	6.40
(ख) वितरण (लाख किलोग्राम)	—	—	—	—

	29-2-84	30-10-84	1-1-85	28-2-85
पंजाब राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि०				
(क) खरीद (लाख लिटर)	3.64	3.26	5.47	6.05
(ख) वितरण (लाख लिटर)	1.71	1.47	2.55	2.97

(ख) पंजाब में 1981-82, 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान दूध उत्पादन के निर्धारित तथा अनुमानित लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :—

('100 मीटरी टन)

वर्ष	लक्ष्य	अनुमानित दुग्ध उत्पादन
1981-82	3514	3494
1982-83	3750	3599
1983-84	3997	3620
1984-85	4254	3810 (प्रत्याशित)

(ग) दूध का प्रति पशु औसत दैनिक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(किलो ग्राम में)

वर्ष	गाय		भैंस
	संकर-नस्ल	देशी गाय	
1981-82	5.856	2.658	3.813
1982-83	5.325	2.632	3.951
1983-84	5.585	2.963	3.867

प्रति परिवार औसत दैनिक उत्पादन से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) विभिन्न केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित और राज्य प्लान योजनाओं, जिनमें आपरेशन फ्लड कार्यक्रम भी शामिल हैं, के प्रभाव की वजह से पंजाब में 1970 से अनुमानित दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है। आपरेशन फ्लड-2 के तहत दूध की वसूली के वर्षवार लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि नीचे दी गई है :—

(आंकड़े लाख लिटरों में)
प्रति दिन

	1980-81	81-82	82-83	83-84	84-85	85-86	86-87
लक्ष्य	0.70	1.78	4.42	6.64	9.07	12.02	14.89
उपलब्धि	0.92	1.47	3.85	2.74	3.23	—	—
					(जनवरी, 1985 तक)		

(ङ) 1983-84 के दौरान दूध की खरीद पिछले वर्ष की तुलना में कम थी, क्योंकि उस अवधि के दौरान घी का मूल्य अधिक था और दुग्ध उत्पादकों ने घी बनाने के लिए दूध को अधिकतम मात्रा अपने पास रखी थी। तथापि, 1984-85 के दौरान दूध की खरीद बढ़ी है।

पूर्वी दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

949. **श्री कमल नाथ** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वी दिल्ली में शकरपुर और लक्ष्मी नगर में विकास मार्ग के दोनों ओर नगरपालिका विनियमों की परवाह किए बिना भूमिगत तलों सहित बहु-मंजिली इमारतें बना ली गयी हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में अभी तक कोई भवन-निर्माण विनियम लागू नहीं किए गए हैं ;

(ख) इस प्रकार के अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार का इन क्षेत्रों में विकास मार्ग के फुटपाथों/पटरियों को खाली कराने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुलगफूर) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि विकास मार्ग पर बने अनधिकृत निर्माण के मामलों में से 11 भूमिगत तलों से सम्बन्धित हैं जिनमें से दो निर्माणाधीन हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 31 (1) के अन्तर्गत नोटिस जारी किए हैं तथा उपर्युक्त (क) में उल्लिखित 11 मामलों सहित अनधिकृत निर्माण के 60 मामलों में निर्माण गिराने के आदेश पारित कर दिये हैं. इसके अलावा 25 मामलों में फौजदारी अदालतों में मुकदमें भी दायर किए गए हैं।

(ग) लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इन क्षेत्रों में विकास मार्ग के पैदल पंथी तथा किनारों के रास्तों पर कोई स्थाई संरचनाएं नहीं है। तथापि, वहां पर अनधिवासी हैं और कुछ मात्रा में निर्माण सामग्रियों के ढेर हैं जो कि नितान्तरूप से अस्थाई आधार पर हैं जिन्हें कि जब तब हटाया जा रहा है।

देश में नगरों के विकास की योजना

950. श्री अमर सिंह राठवा
श्री चिंतामणि जैना } : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नगरों के विकास की कोई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और परियोजना के लिए प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि निश्चित की गई है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कितने नगरों का विकास किए जाने की संभावना है और उड़ीसा तथा गुजरात में ऐसे किन-किन नगरों का विकास किए जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी हां।

(ख) एक टिप्पणी विवरण-एक के रूप में संलग्न है जिसमें योजना के ब्यौरे दिए गए हैं। वर्ष 1984-85 में प्रत्येक राज्य के लिए उद्दिष्ट अस्थायी राशि का ब्यौरा विवरण-दो के रूप में संलग्न है।

(ग) सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात ही इस निर्णय लिया जाएगा।

विवरण-एक

1. दूरदराज के गांवों के विकास में सहायता देने के उद्देश्य से छोटे-छोटे नगरों का विकास करने के लिए और महानगरों में जनसंख्या के उत्प्रवास को कम करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों का एकीकृत विकास के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजना

दिसम्बर, 1979 में आरंभ की गई थी। प्रारम्भ में एक लाख से कम की आबादी वाले 31 नगरों को लाभान्वित किया गया।

2. छठी पंचवर्षीय योजना में, 1971 की जनगणना के अनुसार एक लाख से कम की आबादी वाले 200 अतिरिक्त नगरों का अनुमोदन किया गया।

3. 1971 में देश की नगरीय जनसंख्या के हिसाब से राज्य की नगरीय जनसंख्या के अनुपात में अलग-अलग राज्यों को कुल 231 नगरों का आबंटन किया गया था। मणिपुर, त्रिपुरा, केरल, उड़ीसा, मेघालय, और जम्मू व कश्मीर प्रत्येक के एक नगर को कुछेक अतिरिक्त नगरों को योजना में शामिल किया गया था। जो कुल 237 नगर बनते हैं।

4. इस योजना के तहत लिए गए नगर केन्द्रीय सहायता के पात्र थे बशर्ते कि यह सहायता परियोजना की लागत का 50% तक या 40.00 लाख रुपये। इनमें जो भी कम हो, जो कि ऋण के रूप में हो, दिया गया सामान्यतया केन्द्रीय ऋण 7½ प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उपयुक्त किश्तों में दिया जाता है और समय पर भुगतान के लिए ¼ प्रतिशत की छूट दी जाती है। 5 वर्ष का विलम्बकाल सहित भुगतान की अवधि 25 वर्ष है।

5. योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र घटक इस प्रकार है :—

I. भू-अर्जन तथा उसका विकास।

II. बस स्टैंड तथा सड़कों के निर्माण सहित यातायात तथा परिवहन परन्तु इसमें वाहनों की खरीद शामिल नहीं है।

III. मंडियों और मार्किट, औद्योगिक सम्पदा तथा अन्य सुविधाओं का विकास।

6. राज्य प्लान के घटकों में मलिन बस्ती सुधार, शहरी नवीकरण, छोटे पैमाने के उद्योग, अलपूर्ति, मल-व्ययन, जल-निकास और स्वतन्त्रता, चिकित्सा सुविधाएं और खेल के मैदान शामिल हैं।

7. योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए कम लागत की स्वच्छता को अतिरिक्त मद के रूप में शामिल किया जा चुका है। इस घटक के अन्तर्गत 40.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त राज्य सरकारों को 15.00 लाख रुपये की राशि दी जाएगी बशर्ते कि राज्य सरकार कम लागत की स्वतन्त्रता पर अपने स्वयं की धनराशि में से कम से कम 12.00 लाख रुपये खर्च करे।

विवरण-दो

छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों का एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत 1984-85 के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का अस्थायी नियतन

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नियतन किए गए नगर	1984-85 के लिए निधियों का नियतन		कुल नियतन
			छोटे तथा मध्य दर्जे के नगरों का एकीकृत विकास के लिए	कम लागत की स्वतन्त्रता के लिए	
1.	आन्ध्र प्रदेश	18	81.00	36.00	117.00
2.	असम	5	18.96	10.00	28.96
3.	बिहार	15	67.50	30.00	97.50
4.	गुजरात	17	76.50	34.00	110.50
5.	हरियाणा	6	36.00	12.00	48.00
6.	हिमाचल प्रदेश	1	4.50	2.00	6.50
7.	जम्मू तथा कश्मीर	2	13.50	4.00	17.50
8.	कर्नाटक	16	72.00	32.00	104.00
9.	केरल	9	40.50	18.00	58.50
10.	मध्य प्रदेश	16	72.00	32.00	104.00
11.	महाराष्ट्र	22	99.00	44.00	143.00
12.	मणिपुर	2	4.50	2.00	6.50
13.	मेघालय	2	9.00	4.00	13.00

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नियतन किए गए नगर	1984-85 के लिए निधियों का नियतन		कुल नियतन
			छोटे तथा मध्य दर्जे के नगरों का एकीकृत विकास के लिए	कम लागत की स्वच्छता के लिए	
14.	नागालैण्ड	1	4.50	2.00	6 50
15.	उड़ीसा	6	27.00	12.00	39.00
16.	पंजाब	8	36.00	16.00	52.00
17.	राजस्थान	11	49.50	22.00	71.50
18.	सिक्किम	1	4.50	2.00	6.50
19.	तमिलनाडु	28	126.00	56.00	182.00
20.	त्रिपुरा	2	13.50	4.00	17.50
21.	उत्तर प्रदेश	23	103.50	46.00	149.50
22.	पश्चिम बंगाल	20	90.00	40.00	130.00
संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अण्डमान तथा निकोबार	1	9.00	4.00	13 00
2.	अरुणांचल प्रदेश	1	18.00	4.00	22.00
3.	दादर तथा नागर हवेली	1	18.00	4.00	22 00
4.	गोआ, दमण तथा द्वीव	1	9.00	4.00	13.00
5.	मिजोरम	1	9.00	4.00	13 00
6.	पांडिचेरी	1	9.00	4.00	13.00

राज्य सरकारों को गन्ना सम्बन्धी राज सहायता

951. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लगभग सभी राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी मिल मजदूरों के वेतनों और गन्ने के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इसके लिए राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ; और

(घ) 1984-85 के दौरान कितनी सहायता दिये जाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों में, गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में, जिसे भारत सरकार निर्धारित करती है, तथा उद्योग में कार्यरत मजदूरों की मजदूरी में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए, प्रश्न ही उठते ।

चीनी से भरे ट्रक को फरीदाबाद ले जाने के बारे में जांच

952. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 फरवरी, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि कुछ वर्ष पूर्व स्टोर (सुपर बाजार, कनाट प्लेस, नई दिल्ली) का चीनी से भरा पूरा ट्रक फरीदाबाद ले जाकर बेच दिया गया था ;

(ख) क्या इस घटना की कोई जांच की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) सुपर बाजार के प्रबन्ध-मण्डल ने

सूचित किया है कि चीनी से भरे एक ट्रक को फरीदाबाद ले जाकर बेचने और इसके परिणाम-स्वरूप सुपर बाजार को घाटा होने के किसी मामले की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सुपर बाजार के अनुसार, हिन्दुस्तान टाइम्स में 25-2-1985 को छपा उक्त समाचार सही नहीं है।

(ख) से (घ) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चीनी का आरक्षित भण्डार रखने के लिए राजसहायता का भुगतान

953. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत चीनी के आरक्षित भण्डार के लिए राजसहायता के भुगतान में अत्याधिक विलम्ब होता है ;

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर, 1982 से राजसहायता के कितने दावे निपटाये जाने के लिए लम्बित हैं ; तथा सम्बन्धित कारखानों के नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में कुल कितनी धनराशि बकाया है ;

(ग) क्या सरकार का ऐसे मामलों में, जिसमें भुगतान नहीं किया गया है, उनके घाटे को पूरा करने के लिए कारखानों को ब्याज देने का विचार है ; और

(घ) राजसहायता के भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) आरम्भ में इन दावों के निपटारे में कुछ विलम्ब प्रशासनिक/कानूनी कठिनाइयों के कारण हुआ था। तथापि, यह देरी, कुल मिलाकर, फैक्ट्रियों द्वारा अपूर्ण, दोषपूर्ण और गलत दावे भेजने के कारण हुई है जबकि सही कार्यविधि अपनाने के बारे में बार-बार अनुदेश जारी किए गए थे।

(ख) सभा पटल पर रखे गए उपाबंध में, स्थिति विस्तारपूर्वक दी गई। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 642/85]**

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इन कार्यविधियों की समीक्षा की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए पग उठाए जा सकें कि राजसहायता का भुगतान यथा व्यवहार्य शीघ्र किया जाता है।

मिठास पैदा करने वाले पदार्थों के कारण मूल्य सूचकांक में वृद्धि

954. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले छः महीनों के दौरान मिठास पैदा करने वाले पदार्थों के कारण देश में मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि का पता लगाने के लिए कोई रिकार्ड रखा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) केवल चीनी के कारण इसमें कितनी वृद्धि हुई ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) जी, हां ।

सरकार उन दो मिठास पैदा करने वाले पदार्थों अर्थात् चीनी और गुड़ के प्रभाव का रिकार्ड रखती है, जिन्हें सामान्यतः केन्द्र में इन्डेक्स बास्केट तथा अखिल भारतीय सूचकांक में शामिल किया जाता है । अखिल भारतीय सूचकांक बास्केट में चीनी और गुड़ का वेट क्रमशः 1.95 और 0.70 है । एक विवरण संलग्न है जिसमें अगस्त, 1984 से जनवरी, 1985 तक के छः महीनों की अवधि के लिए औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960=100) पर इन मिठास पैदा करने वाले पदार्थों के प्रभाव को दर्शाया गया है ।

विवरण

वर्ष/माह	अखिल भारतीय सूचकांक	अन्तर (+/—)	अखिल भारतीय सूचकांक पर प्रभाव		
			चीनी	गुड़	कुल (मिठास पैदा करने वाले पदार्थ)
1	2	3	4	5	6
1984 अगस्त	586	(+) 1	(—) 0.13	(+) 0.14	(+) 0.01
सितम्बर	589	(+) 3	(+) 0.02	(—) 0.02	0.00
अक्तूबर	592	(+) 3	(—) 0.09	(+) 0.06	(—) 0.03
नवम्बर	595	(+) 3	(+) 0.15	(—) 0.19	(—) 0.04
दिसम्बर	588	(—) 7	(+) 0.09	(—) 0.15	(—) 0.06
1985 जनवरी	588	— —	0.00	(+) 0 03	(+) 0.03

[हिन्दी]

आदिवासी जिलों में निर्मित सस्ते मकान

955. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिवासी जिलों में निर्मित सस्ते मकानों में आदिवासी नहीं रहते क्योंकि वे उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मकानों का फर्श क्षेत्र बढ़ाने अथवा उनमें ढांचागत परिवर्तन करने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ग) आवास राज्य का विषय है और समाज के किसी विशेष वर्ग के लिए या किसी विशेष क्षेत्र में किस किस्म के मकान बनाये जाएं उसका निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है ।

[अनुवाद]

विशेष पूलों के लिए टाईप 'सी' और 'डी' के क्वार्टरों का निर्माण

956. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए किन-किन विभिन्न पूलों का गठन किया गया है ;

(ख) विशेष पूलों के अन्तर्गत 31 जनवरी, 1985 को प्रतीक्षा सूचियों में टाईप "सी" और टाईप "डी" के क्वार्टरों के लिए हकदार कितने कर्मचारियों के नाम थे ;

(ग) विशेष पूलों के लिए टाईप "सी" और "डी" के कितने क्वार्टर इस समय निर्माणाधीन हैं ;

(घ) वित्तीय वर्ष 1985-86 के अन्त तक इनमें से कितने क्वार्टर विशेष पूलों को दिये जाने की सम्भावना है ;

(ङ) क्या उन क्वार्टरों के निर्माण में धीमी प्रगति हुए है ; और

(च) यदि हां, तो निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (च) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात में मूंगफली के तेल का उत्पादन और उसका निर्यात

957. श्री आर० पी० गायकवाड : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में खाद्य तेलों की कुल आवश्यकता कितनी है तथा गत वर्ष मूंगफली का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) गुजरात राज्य में मूंगफली के तेल के कुल उत्पादन में से पिछले वर्ष मूंगफली के तेल की कितनी मात्रा राज्य से बाहर भेजी गई ;

(ग) क्या बाहर भेजी गई यह मात्रा राज्य में उपलब्ध फालतू मात्रा थी ;

(घ) क्या इस तथ्य के बावजूद कि गुजरात मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वहां पर मूंगफली के तेल में असाधारण वृद्धि हुई है ; और

(ङ) क्या मूंगफली का तेल राज्य से बाहर भेजने से पूर्व उसे मूंगफली तेल की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति दी जायेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) पिछले वर्ष के दौरान गुजरात में खाद्य तेलों की कुल मांग तथा मूंगफली का उत्पादन क्रमश: 2.96 लाख व 19.41 लाख मी० टन था ।

(ख) आयात व निर्यात नीति के तहत देश से मूंगफली के तेल के निर्यात की अनुमति नहीं है ।

(ग) : ऊपर (ख) पर दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) 1 मार्च, 1984 में मूंगफली के तेल के मूल्य बढ़े थे, परन्तु अगस्त, 1984 से इसमें कमी का रुख दिखाई दिया है ।

(ङ) देश में खाद्य तेलों के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार का राज्यों में देशीय खाद्य तेलों के वितरण पर कोई नियन्त्रण नहीं है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों के बारे में सर्वेक्षण

958. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मकान बनाने के लिए अथवा विद्यमान मकान सुविधाओं में सुधार करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में मदद के जरूरतमंद भूमिहीन परिवारों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) क्या सरकार ने उन भूमिहीन परिवारों के बारे में भी कोई सर्वेक्षण किया है जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मकान बनाने के लिए सहायता प्रदान की गई ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) 1981 के जनगणना अभियानों के दौरान बे-घर लोगों की गणना की गई थी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) छठी योजना अवधि (जनवरी, 1985 तक) के दौरान 17.65 लाख परिवारों को निर्माण सहायता दी गई है ।

बिहार के छोटे और मध्यम नगरों में नागरिक सुविधाएं

959. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे और मध्यम नगरों में नागरिक सुविधा सुधारने के कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार में कितने नगरों को शामिल किया गया है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस कार्यक्रम के लिए कोई विदेशी सहायता उपलब्ध करायी गयी है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) छोटे तथा मझोले कस्बों के एकीकृत विकास के लिये केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत बिहार में 18 कस्बों को शामिल किया गया है इस योजना में परियोजना लागत के 50 प्र०श० तक या समान अंशदान के आधार पर 40.00 लाख रुपये, जो भी कम हो, की केन्द्रीय ऋण सहायता देने की व्यवस्था है । भूमि अधिग्रहण तथा विकास, सड़कों तथा बस स्टैण्डों के निर्माण सहित यातायात एवम् परिवहन, मार्केटों

एवम् मण्डियों का विकास, औद्योगिक सम्पदाएं तथा अन्य सुविधायें केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र घटक हैं। मलिन बस्ती सुधार, नगर नवीकरण, लघु उद्योग, जलपूर्ति, मल निवास, नालियां तथा स्वच्छता, चिकित्सा सुविधायें, पार्क तथा खेल के मैदान राज्य योजना में शामिल घटक हैं। इस योजना के अन्तर्गत कम लागत की स्वच्छता को हाल ही में केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए अतिरिक्त मद के रूप में शामिल किया गया है। इस घटक के अन्तर्गत 40.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त 15.00 लाख रुपये की और राशि राज्य सरकारों को रिलीज की जायेगी बशर्ते कि राज्य सरकार कम लागत की स्वच्छता पर कम से कम 12.00 लाख रुपये अपनी निधि से खर्च करें।

बिहार को अब तक रिलीज की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

बिहार में छोटे तथा मझौले दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अंतर्गत अनुमोदित शहरों के लिए रिलीज की गई राशि

क्र० सं०	कस्बों का नाम	छोटे तथा मझौले कस्बों के एकीकृत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज की गई राशि (लाख रुपयों में)	कम लागत की स्वच्छता योजना के अन्तर्गत रिलीज की गई राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
1.	हाजीपुर	35.00	2.18
2.	गोपालगंज	20.00	1.15
3.	सहरसा	4.00	—
4.	डाल्टेनगंज	10.00	—
5.	छपरा	10.00	—
6.	दुमका	18.50	—
7.	चायीबासा	10.50	—
8.	बेगुसराय	33.50	—

1	2	3	4
9.	देवघर	26.00	—
10.	आराह	26.00	—
11.	हजारीबाग	7.50	6.70
12.	बैतिया	29.00	7.87
13.	गिरडीह	15.00	6.70
14.	धनबाद	12 00	2.91
15.	कटिहार	21.00	6.70
16.	सीवां		
17.	सीतामढ़ी		
18.	किशनगंज		
	योग	278.00	34.21

3 कस्बों नामतः सीवां, सीतामढ़ी तथा किशनगंज को हाल ही में इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है। इन कस्बों के लिए वित्तीय नियतन केवल आगामी वित्तीय वर्ष अर्थात् 1985-86 में किया जायेगा।

टी० वी० रिले केन्द्रों का दोषपूर्ण कार्यकरण

960. **श्री एस० एस० गुरडी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर और दिसम्बर 1984 में देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए अनेक टी० वी० रिले टावर पिछले दो महीनों से खराब पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इतने बड़े पैमाने पर इन टी० वी० रिले केन्द्रों के खराब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में किसी जांच के आदेश दिए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) जी, नहीं। ये ट्रांसमीटर सामान्यतया सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। तथापि, तकनीकी खराबियों या बिजली चले जाने के कारण कभी कभी रुकावटें आ जाती हैं। ऐसी खराबियों को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है तथा प्रेषण में इस प्रकार की रुकावटें न हों, इसके लिए सभी प्रेषण केन्द्रों पर अपाती डीजल जेनरेटरों की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

सिनेमा घरों के चलचित्रों के प्रदर्शन के सम्बन्ध में मानदण्ड

961. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चलचित्र प्रमाणीकरण ने सार्वजनिक सिनेमाघरों में चलचित्रों और समाचार चित्रों के प्रदर्शन के संबंध में कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक चलचित्र दिखाने से पहले समाचार चित्रों का दिखाया जाना अनिवार्य है;

(घ) क्या चुनाव के दिनों में ऐसे समाचार चित्रों के दिखाने पर रोक लगाई है, जिनमें चुनाव प्रचार शामिल हो; और

(ङ) क्या सरकार चुनाव के दौरान इस माध्यम का निर्धारित मानदण्ड के अनुसार प्रयोग कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5 ख (2) के अन्तर्गत जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों की रोशनी में फिल्मों की जांच करने के बाद उनको सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त फिल्मों के रूप में प्रमाणित करता है। मार्गदर्शी सिद्धातों की प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 63/85]**

(ग) सिनेमा लाइसेंस धारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे चलचित्रिकी फिल्मों के प्रदर्शन को इस ढंग से विनियमित करें कि जनता के लिये खुले प्रत्येक कार्यक्रम के साथ एक "स्वीकृत" फिल्म दिखाई जाये। स्वीकृत फिल्म वह फिल्म है जो वैज्ञानिक फिल्म, शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अभिप्रेत फिल्म, समाचार तथा सामाजिक घटनाओं से सम्बन्धित फिल्म, डाकुमेंट्री फिल्म हो तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत स्थापित फिल्म सलाहकार बोर्ड द्वारा इस रूप में श्रेणीकृत हो।

(घ) और (ङ) जहां तक फिल्म प्रभाग का सम्बन्ध है, इसकी किसी भी डाकुमेंट्री फिल्म न्यूजरील पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, क्योंकि इस प्रकार की फिल्मों में कोई चुनाव प्रचार की फिल्मों में कोई चुनाव प्रचार शामिल नहीं है।

कुलियों द्वारा 50 कि० ग्रा० से अधिक वजन उठाने के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशें

962. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनुष्यों द्वारा 50 किलोग्राम से अधिक भार की बोरियां अपने सिर पर उठाकर ले जाने पर रोक लगाने की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिश स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम के अनेक गोदामों तथा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न अन्य गोदामों में उक्त प्रथा का चलन रहा है;

(ग) क्या सरकार का वर्तमान सत्र में एक विधान लाकर इस प्रथा को निषिद्ध करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार के ध्यान में कोई ऐसी घटनायें हुई हैं जिनमें इस प्रकार भार उठाते हुए पुरुष अथवा महिलाओं की मृत्यु हो गई ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सिफारिश संख्या/128, जो किसी एक कर्मकार द्वारा उठाए जाने के लिए अधिकतम ग्राह्य भार से सम्बन्धित है, सदस्य देशों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त के स्वरूप की है। भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भांडागार निगम के गोदामों में 50 किलोग्राम से अधिक के विभिन्न भारों के पैकेज का संचालन किया जाता है। इसमें निर्यात के उद्देश्य हेतु गेहूं और चावल के पैकेज शामिल नहीं है जो केन्द्रीय भांडागार निगम द्वारा 50 किलोग्राम के बोरों में पैक किए जाते हैं और उर्वरक के पैकेज शामिल नहीं हैं जिनका संचालन भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भांडागार निगम द्वारा 50 किलोग्राम के बोरों में किया जाता है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भांडागार निगम के गोदामों में 50 किलोग्राम से अधिक वजन के बोरों को उठाकर ले जाते समय श्रमिकों की मृत्यु की कोई घटना नहीं हुई है।

काम करते हुए चोट लगने से कामगारों की मृत्यु

963. **श्री चित्त महाटा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्य करते हुए चोट लगने के कारण प्रत्येक तीन मिनट में एक मजदूर की मृत्यु होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही न करने का विचार है, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस बारे में कारखाना अधिनियम और नियमों के सुरक्षा तथा स्वास्थ्य उपबन्धों का अनुपालन किया जाए ।

उड़ीसा में प्राकृतिक विपदाओं के लिए सहायता

964. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राकृतिक विपदाओं के कारण हुई हानि के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, क्योंकि उनसे कृषि विकास में बाधा पहुंचती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस संबंध में वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा पशु धन तथा फसल वाले क्षेत्रों को प्राकृतिक विपदाओं के प्रकोप से बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 1984-85 के दौरान बाढ़ से प्रभावित लोगों के राहत तथा पुनर्वास, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सम्पत्ति की मरम्मत और पुनर्निर्माण, किसानों को आदान संबंधी राज सहायता आदि के लिये राहत और पुनर्वास के लिये 2342.90 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा मंजूर की गई है । इसके अतिरिक्त उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर राज्य में सूखे

से प्रभावित क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता देने के संबंध में विचार किया जा रहा है। इस बीच केन्द्रीय सरकार ने तत्काल व्यय को पूरा करने के लिये राज्य सरकार को "खाते पर अदायगी" के रूप में 5.00 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये हैं। राज्य सरकार के पास 871.10 लाख रुपये की मार्जिन धनराशि भी उपलब्ध है। सूखे के लिए केन्द्रीय सहायता में निःशुल्क राहत, कृषि आदानों पर राजसहायता, पेयजल की सप्लाई, पशु आहार/चारा रोजगार सर्जन के लिये राजसहायता आदि शामिल है।

कला फिल्मों का निर्माण

965. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिनेमा के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करने और कला फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता की जानकारी है; और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में किन कदमों पर विचार किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित कदमों का लक्ष्य इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है :—

(1) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम है, अच्छी कलात्मक फिल्मों के निर्माण के लिये रियायती ब्याज पर ऋण प्रदान करता है तथा इस प्रकार की फिल्मों का निर्माण कार्य स्वयं भी हाथ में लेता है। अच्छी कलात्मक फिल्मों के लिये पर्याप्त प्रदर्शन सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु निगम देश के विभिन्न भागों में कम लागत वाले सिनेमाघरों के निर्माण के लिए भी ऋण प्रदान करता है तथा यह उन अच्छी गुणवत्ता वाली कलात्मक फिल्मों, जिन्हें यह हासिल करता है, को आकाशवाणी थियेटर, बम्बई में तथा उन थियेटरों, जिनके निर्माण के लिए यह ऋण देता है, में भी प्रदर्शित करता है।

(2) सरकार हर वर्ष एक राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन करती है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ, सौन्दर्यपरक उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता वाली फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देना है।

(3) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम भारतीय फिल्म निर्माताओं तथा आम जनता के लिए विश्व के सिनेमा की कला में उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए हर वर्ष

एक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन करता है। (एक प्रतियोगी भारत का अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह नई दिल्ली में तथा हर एकान्तर वर्ष में एक गैर प्रतियोगी फिल्मोत्सव अन्य महत्वपूर्ण भारतीय शहरों में)।

(4) सरकार हर वर्ष भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/फिल्मोत्सव के भारतीय पैनोरमा वर्ग के लिए लगभग 21 फीचर फिल्मों तथा कुछ लघु फिल्मों का चयन करती है। इन फिल्मों, जो भारतीय सिनेमा में सर्वोत्तम होती हैं, को अन्य तरीकों से अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों तथा अन्य देशों में आयोजित भारतीय फिल्म सप्ताहों में उनके प्रविष्ट करके और राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को यह सिफारिश करके कि उन्हें मनोरंजन कर से छूट दी जाये, मान्यता दी जाती है।

(5) राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, पुणे अच्छे सिनेमा के अध्ययन तथा मूल्यांकन हेतु भारत भर की 300 से अधिक फिल्म समितियों/फिल्म क्लबों को भारतीय तथा विदेशी क्लासिक फिल्में नियमित आधार पर उपलब्ध करता रहा है। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय पुणे तथा अन्य नगरों में जनता के लाभ के लिए फिल्म मूल्यांकन कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहा है।

गोआ के लिए आवास योजनाएं

966. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र गोवा में रिहायशी आवास की अत्यधिक कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) दक्षिण गोआ क्षेत्र के लिए प्रस्तावित विशिष्ट आवास योजनायें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन (एन० बी० ओ०) द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमण और दीव में आवास की वर्तमान कमी 6,000 रियायती एकक हैं।

(ख) और (ग) आवास राज्य का विषय है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं और योजना प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं को बनाने तथा कार्यान्वित करने में स्वतन्त्र हैं।

[हिन्दी]

स्कूल और कालेजों से शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले छात्रों के लिए रोजगार

967. **श्री भरत सिंह** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्कूलों और कालेजों से शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले छात्रों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; जिससे कि दिन-प्रतिदिन विकट हो रही बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सके ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के अपरोच पेपर में यह कहा गया है कि रोजगार योजनाओं के साथ सैक्टरल उत्पादन योजनाओं के एकीकरण और विशेष लक्ष्य ग्रुपों को कवर करने हेतु राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू रोजगार कार्यक्रमों में वृद्धि के माध्यम से लाभकारी रोजगार के सृजन पर सातवीं योजना में जोर दिया जाएगा। रोजगार स्कीमों का उद्देश्य टिकाऊ परिस्थितियों का सृजन करना, कौशल निर्माण करना और उत्तरोत्तर बढ़ते हुए आय स्तरों के साथ स्थायी और अविच्छिन्न रोजगार का सृजन करना है। इसके अलावा, अपेक्षित प्रशिक्षण, ऋण-सुविधा, मार्किटिंग और संगठनात्मक संयोजनों द्वारा समर्थित आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य कार्यकलापों में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्कीमों को जारी रखा जाएगा।

दिल्ली में कालोनियों को नियमित किया जाना

968. **श्री भरत सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 612 अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं ; और

(ख) इन कालोनियों को कब तक नियमित किया जाएगा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) तथा (ख) सरकार ने हाल ही में इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया है, तथापि, 16-2-1977 को सरकार ने यह निर्णय लिया था कि विन्यास नक्शे में समायोजित करने, सड़कों तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त स्थान रखने के बाद अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया जाएगा जिसमें उन पर बनी रिहायशी तथा वाणिज्यिक संरचनायें शामिल हैं। बाद में रिहायशी संरचनाओं को नियमित करने की तारीख 30-6-1977 तक बढ़ा दी गई थी।

प्रारम्भ में दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम ने नियमितकरण के लिए 612 अनधिकृत कालोनियों की सूची बनाई थी, परन्तु उसके बाद अधिसूचित मलिन क्षेत्रों में कतिपय अनधिकृत कालोनियों तथा गांवों के अनधिकृत विस्तार को छोड़कर उसे संशोधित कर 607 कालोनियां किया गया था।

इन कालोनियों के नियमितिकरण के बारे में नवीनतम स्थिति इस प्रकार है :—

प्राधिकरण	नियमित की गई कालोनियों की संख्या	नियमित न की गई/ रद्द की गई कालोनियों की संख्या	प्रक्रियाधीन मामले
दिल्ली विकास प्राधकरण	138	7	10
दिल्ली नगर निगम	400	49	3
योग	538	56	13—607

इस प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

तिलहनों का आयात कम करने के लिए उनके उत्पादन में वृद्धि

969. **श्री मुहम्मद महफूज अली खां** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्ट्रल आर्गेनाइजेशन आफ आयल इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड, बम्बई ने तिलहनों का आयात कम करने तथा अन्तोगत्वा इसे बिल्कुल समाप्त करने के लिए तिलहनों का देश में उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) जी हां। सेन्ट्रल आर्गेनाइजेशन आफ आयल इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड ने सुझाव दिया है कि सातवीं योजना के अन्त तक 75-80 लाख मीट्रिक टन वनस्पति तेलों का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए सुझाए गए उपायों में, अच्छी किस्म के बीज उत्पादन के लिए सहकारी/संयुक्त क्षेत्र फार्मिंग, तिलहनों

वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित करना, तिलहन की खेती करने के लिए परती तथा मरू क्षेत्रों का उपयोग कम से कम एक प्रतिशत तिलहन के तहत सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना, भूमि राजस्व से विशेष रूप से सीमान्त तथा दलदली भूमि के तिलहन के तहत की भूमि को छूट देना, फार्म स्तर पर उन्नत प्रौद्योगिकी पद्धतियां शुरू करना और चावल की भूसी के तेल का उत्पादन बढ़ाना शामिल है। दूसरे उपायों के साथ-साथ इस प्रकार के उपाय देश में तिलहनों का विकास करने सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करते समय सरकार द्वारा ध्यान में रखे जाते हैं।

दिल्ली में मदर डेरी के दूध के मूल्य में वृद्धि

970. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेरी ने राजधानी में उपभोक्ताओं के लिए अपने दूध के मूल्य में वृद्धि की है ;

(ख) इस मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या दूध के मूल्य में वृद्धि करने से पूर्व उत्पादन और खरीद मूल्यों का कोई विश्लेषण किया गया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकारी संघों द्वारा सप्लाई किए गए दूध के खरीद मूल्य में वृद्धि होने के कारण, मदर डेरी, दिल्ली ने 21 फरवरी 1985 से पोलीपेक में क्रीम युक्त दूध का विक्रय मूल्य 4.50 रु० से बढ़ाकर 5.10 रुपये प्रति लिटर कर दिया है।

(ग) जी हां, लागत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	(रुपये प्रति लिटर)
दूध का मूल्य	4.42 रुपये
पैक करने की लागत सहित ऊपरी खर्च	0.65 रुपये
कुल लागत	5.07 रुपये

नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति संबंधी नीति

971. **श्री थम्पन थामस** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति संबंधी कोई नीति विद्यमान है :

(ख) क्या सरकार ने रेलवे, डाक और तार तथा टेलीफोन और केन्द्रीय लोक निर्माण जैसे सरकारी विभागों को इस बारे में कोई निदेश दिए हैं : और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) : श्रम मंत्रालय ने नवम्बर, 1971 में नैमित्तिक श्रमिकों के लिए मॉडल स्थायी आदेश जारी किए ताकि केन्द्रीय सरकार के विभागीय उपक्रमों द्वारा उन्हें अपनाया तथा लागू किया जा सके । ये आदेश केवल परामर्शी स्वरूप के हैं । इन आदेशों का उद्देश्य, कुछ शर्तों के अधीन, नैमित्तिक श्रमिकों की रोजगार दशाओं को विनियमित करना हैं जिनमें उन्हें नियमित करना भी शामिल है । सभी नियोक्ता मंत्रालयों (रेल, संचार और आवास तथा निर्माण मंत्रालयों सहित) से अनुरोध किया गया था कि वे इन स्थायी आदेशों को मॉडल आदेश समझें और अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभिन्न विभागीय उपक्रमों में उन्हें अपनाएं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सहकारी गृह निर्माण समितियों को भूमि का आबंटन

972. **श्री मुहम्मद महफूज अली खां** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सहकारी गृह निर्माण समितियों को भूमि के आबंटन के सम्बन्ध में 2 अप्रैल, 1984 को ध्यानाकर्षण सूचना के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी गृह समितियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित की गयी है और उनमें से कितनी समितियों को दिसम्बर, 1984 के अन्त तक भूमि का वास्तविक कब्जा दे दिया गया है;

(ख) शेष सहकारी गृह निर्माण समितियों को भूमि के आबंटन में विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार ने भूमि के आबंटन और वास्तविक कब्जा देने में विलम्ब के कारण; सहकारी समितियों द्वारा जमा की गयी धनराशि पर उचित ब्याज देने के प्रश्न पर विचार किया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) 127 सहकारी गृह निर्माण समितियां विकसित प्लाटों के लिए पंजीकृत हुई तथा 503 सहकारी सामूहिक आवास समितियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि आबंटित कर दी है। दिसम्बर, 1984 के अन्त तक अनाबंटित 40 सामूहिक आवास समितियों को छोड़कर 127 सभी सहकारी गृह निर्माण समितियों तथा 463 सामूहिक आवास समितियों को कब्जा दे दिया गया है।

(ख) शेष 40 सहकारी सामूहिक आवास समितियों को निम्नलिखित कारणों से भूमि का कब्जा नहीं दिया जा सका :—

(i) इन समितियों को उद्दिष्ट भूमि पर से अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका;

(ii) इन में से कतिपय भूमियों के सम्बन्ध में वाद।

(iii) स्थल परिवर्तन के लिए समितियों के अनुरोध।

तथापि, हाल ही में 14 समितियों को रोहिणी परियोजना में स्थलों की पेशकश की गई है।

गैर-अदायगी (समापन) समितियों के अनुरोध पर अनुमेय, प्रत्यर्पण के कारणों से 15 समितियों के मामले बन्द कर दिए हैं।

(ग) भूमि के विलम्बित आबंटन सुपुर्दगी के लिए सहकारी समितियों को ब्याज के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लाभ

973. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय स्तर की तुलना में कर्नाटक में नीचे स्तर के लोगों अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को ग्रामीण जल प्रदाय योजना का कहां तक लाभ पहुंचा है; और

(ख) कर्नाटक में उक्त योजना के अन्तर्गत उपलब्धियों अर्थात् खोदे गये कुओं, लगाये गये नलकूपों और हैंड पम्पों आदि की संख्या का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) 1980 से 1984 तक की अवधि के लिए अनुसूचित जाति के लगभग 166.78 लाख और अनुसूचित जन जनजाति के 95.13 लाख जनसंख्या के अखिल भारतीय कवरेज की तुलना में कर्नाटक के लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों में अनुसूचित जाति के लगभग 9.24 लाख और अनुसूचित जनजाति के 1.03 लाख लोगों को ग्रामीण पेय जल पूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। कर्नाटक में अन्य पिछड़े वर्गों एवम् समाज के कमजोर वर्गों की जनसंख्या के ब्यौरे केन्द्र सरकार के ब्यौरे केन्द्र सरकार के पास तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक में पता लगाए गए 15456 समस्याग्रस्त ग्रामों में से, 15443 ग्रामों में 31 दिसम्बर, 1984 तक स्वच्छ पेय जल के कम से कम एक स्रोत की व्यवस्था कर दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान खोदे गए कुओं और लगाये गये हैंडपम्पों की राज्य सरकार द्वारा यथा प्रेषित संख्या संलग्न विवरण से दी गई है।

विवरण

कर्नाटक में पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के तहत खोदे गये कुओं और लगाए गए हैण्डपम्पों की संख्या का विवरण :—

क्र० सं०	वर्ष	सभी क्षेत्र (सामान्य)			अनु० जाति के लोगों को उपलब्ध कराई गई पेयजल सुविधाएं			अनु० जनजाति के लोगों को उपलब्ध कराई गई पेयजल सुविधाएं		
		खोदे गये कुओं की संख्या (सफल)	लगाए गए हैंडपम्पों की संख्या	लाभान्वित ग्रामों की संख्या	खोदे गए कुओं की संख्या (सफल)	लगाए गए हैंड पम्पों की संख्या	लाभान्वित ग्रामों की संख्या	खोदे गए कुओं की संख्या (सफल)	लगाए गए हैंड पम्पों की संख्या	लाभान्वित ग्रामों की सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	मल द्वारा जलपूर्ति योजना									
1.	1981-82	151	—	173	151	—	151			
2.	1982-83	337	—	343	337	—	343			
3.	1983-84	427	—	427	427	—	427			
4.	1984-85	235	—	235	235	—	235			
	2/85 के अन्त तक									

बोर वेल कार्यक्रम									
1. 1981-82	9235	9235	6415	1722	1722	1722	71	71	71
2. 1982-83	13963	13963	5610	808	808	808	77	77	77
3. 1983-84	15578	15578	15578	1263	1263	1263	153	98	153
4. 1984-85	12919	12819	12182	1199	1199	1199	188	188	188
—(2/85 के अन्त तक)									

"प्रेस कांउसिल टू बी मूव्ड इन अटैक आन ऐडीटर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

974. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 1 मार्च, 1985 के 'डक्कन हेराल्ड" में 'प्रेस कांउसिल टू बी मूव्ड इन अटैक आंन आटीटर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो "लोक वाणी" एक कन्नड़ दैनिक के सम्पादक पर कथित हमले के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने घटना के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) संगत सूचना एकत्र की जा रही हैं।

चावल और अन्य खाद्यान्नों की वसूली

975. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1984-85 के अन्त तक चावल और अन्य खाद्यान्नों की वसूली के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे;

(ख) उपरोक्त वर्ष में चावल और अन्य खाद्यान्नों की कितनी वसूली हुई है; और

(ग) वर्ष 1985-86 में चावल और अन्य खाद्यान्नों की वसूली के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ग) 1984-85 और 1985-86 के विपणन मौसमों के लिए चावल और अन्य खाद्यान्नों की वसूली के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) यह सूचित किया गया है कि 1984-85 के खरीफ और रबी विपणन मौसमों के

दौरान 20 मार्च, 1985 तक उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार कुल 86.19 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) और 11.61 लाख मीटरी टन खरीफ के मोटे अनाजों और 92.96 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई है।

अन्य देशों के साथ रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों का आदान-प्रदान

976. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीन के साथ रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों के आदान-प्रदान का है,

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का प्रस्ताव कब लागू किया जायेगा; और

(ग) उन अन्य देशों के नाम क्या हैं, जिनके साथ रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों के आदान-प्रदान करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) इसका कार्यान्वयन वर्ष 1985 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है।

(ग) दूसरे देशों के साथ रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों का आदान-प्रदान सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों, प्रोटोकोलों/करारों तथा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत किया जाता है। प्रकार के देशों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. आबू धाबी
2. अफगानिस्तान
3. अल्जीरिया
4. अर्जेन्टीना
5. आस्ट्रेलिया
6. बहरीन
7. बंगलादेश
8. बेल्जियम
9. भूटान
10. बोलिविया
11. बुलगारिया
12. ब्राजील

13. चिल्ली
14. चीन
15. कोलम्बिया
16. कांगो
17. क्यूबा
18. साइप्रस
19. चैकोस्लोवाकिया
20. डेनमार्क
21. इथोपिया
22. मिस्र
23. फिनलैण्ड
24. फिजी
25. फ्रांस
26. संघीय जर्मन गणराज्य
27. जर्मन जनवादी गणराज्य
28. घाना
29. ग्रीस
30. गुइनी
31. गुयाना
32. हांग कांग
33. हंगरी
34. इंडोनेशिया
35. ईरान
36. ईराक
37. इटली
38. जमैका
39. जोरडन
40. कम्पूचिया
41. कीनिया
42. कोरिया (डी० पी० आर०)
43. कोरिया (रिपब्लिक)
44. कुवैत
45. लाओस
46. लीबिया
47. लेसोथो
48. मलावी
49. मलयेशिया
50. मालदीव
51. मालटा
52. मोरिशस
53. मैक्सिको
54. मंगोलिया

55. मोरक्को
56. मोजाम्बिक
57. नेपाल
58. नीदरलैण्ड
59. नाइजीरिया
60. नार्वे
61. ओमन
62. पाकिस्तान
63. पनामा
64. पेरू
65. फिलिपीन्स
66. पोलैण्ड
67. पुर्तगाल
68. कतार
69. रोमानिया
70. सऊदी अरब
74. सेनेबल
72. स्पेन
73. सुडान
74. सिंगापुर
75. सोमालिया
76. सीरिया
77. श्रीलंका
78. सुरीनाम
79. स्वीडन
80. स्विटजरलैण्ड
81. स्वाजीलैण्ड
82. तंजानिया
83. थाईलैण्ड
84. ट्यूनिशिया
85. टर्की
86. त्रिनीडाड
87. युगाण्डा
88. संयुक्त अरब अमीरात
89. यूनाइटेड किंग्डम
90. सोवियत संघ
91. वेन्जुयेला
92. वियतनाम
93. यमेन (पी० डी० आर०)
94. युगोस्लाविया
95. जैरे
96. जिम्बाब्वे
97. जाम्बिया

पशुधन उत्पादन को बढ़ावा

977. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश के कुछ चुने हुए जिलों में पशुधन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां पर पशुधन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस प्रकार के जिलों को चुना गया है ;

(ग) उन जिलों के नाम क्या हैं जहां पर इस प्रकार के विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं ; और

(घ) इस कार्यक्रम के आरम्भ किए जाने के समय से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां। विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम देश के चुने हुए जिलों में चल रहा है। इस कार्यक्रम के दो घटक हैं—(क) दोगली किस्म की ओसरें पालने की योजना तथा (ख) मुर्गी-पालन, सुअर-पालन तथा भेड़-पालन एककों की स्थापना।

(ख) जिन राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम चल रहा है, उनके नामों की सूची सभा-पटल पर रख दी गई है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 644/85]

(ग) जिन जिलों में विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम चल रहा है, उनके नामों की सूची अनुबंध-2 पर दी गयी है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 644/85]

(घ) विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर अब तक राज्य तथा केन्द्र शासित क्षेत्र-वार प्रगति अनुबंध-3 में दी गयी है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 644/85]

पश्चिम बंगाल में और अधिक भाण्डागारों की स्थापना किया जाना

978. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय भाण्डागार निगम के अन्तर्गत भाण्डागारों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में और अधिक भाडागार बनाने का विचार हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिवहन सुविधाओं और बैगनों द्वारा ढुलाई को ध्यान में रखकर सरकार का विचार हावड़ा, पश्चिम बंगाल में और अधिक भाण्डागार बनाने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) सेण्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के पास 31-1-1985 को अपने और किराये के मिलाकर कुल 403 भाण्डागार थे।

(ख) जी, हां।

(ग) इस समय सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन हावड़ा में दो भाण्डागार बनवाने के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

सोनगढ़ में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

979. श्री सी० डी० गामित : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या गुजरात के सूरत जिले में सोनगढ़ आदिवासी क्षेत्र में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किए जाने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सोनगढ़ में कब तक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किए जाने की संभावना है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) सूरत जिले में दूरदर्शन सेवा को उपलब्ध करने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) सूरत में अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर 29-7-1984 को चालू किया गया था। सोनगढ़ में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

[अनुवाद]

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए रोजगार नीति तैयार करना

980. श्री भोला नाथ सेन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1985-90 के लिए अपनी रोजगार नीति तैयार कर ली है ; और

(ख) उक्त नीति का ब्यौरा क्या है और 1985-90 तक विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार संभावनाएं क्या हैं तथा इस नीति को किस प्रकार कार्यान्वित करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के अपरोच पेपर में यह कहा गया है कि रोजगार योजनाओं के साथ सेक्टरल उत्पादन योजनाओं के एकीकरण और विशेष लक्ष्य ग्रुपों को कवर करने हेतु राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू रोजगार कार्यक्रमों में वृद्धि के माध्यम से लाभकारी रोजगार के सृजन पर सातवीं योजना में जोर दिया जाएगा। रोजगार स्कीमों का उद्देश्य टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन करना, कौशल निर्माण करना और उत्तरोत्तर बढ़ते हुए आय स्तरों के साथ स्थायी और अविच्छिन्न रोजगार का सृजन करना है। इसके अलावा, अपेक्षित प्रशिक्षण, ऋण-सुविधा, मार्किटिंग और संगठनात्मक संयोजनों द्वारा समर्थित आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य कार्यकलापों में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्कीमों को जारी रखा जाएगा। 1985-90 के लिए विभिन्न सैक्टरों में रोजगार सम्बन्धी प्रक्षेपण उपलब्ध नहीं है।

उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन

981. **श्री भोला नाथ सैन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि को बढ़ावा देने और किसानों को उनकी फसल के अधिक और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए उन्हें क्या प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : सरकार प्रमुख कृषि जिंसों के लिए लाभप्रद समर्थन मूल्य निर्धारित करने के अतिरिक्त, बहुत से कृषि आदानों पर राजसहायता देती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके। यह राजसहायता विशिष्ट आदानों के साथ कृषि कार्यों के लिए भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रदर्शनों और प्रशिक्षण के लिए भी राजसहायता दी जाती है। उदाहरणार्थ, सरकार किसानों को देश भर में स्थित बिक्री केन्द्रों के जरिए राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर रासायनिक उर्वरकों की अपेक्षित मात्रा की सप्लाई का प्रबन्ध करती है। सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के तहत, बीज, कीटनाशी इत्यादि आदानों के प्रचलन को प्रोत्साहित करने के लिए भी राजसहायता देती है। इसके अतिरिक्त, कृषि कार्यों के लिए, बिजली की शुल्कदर, सिंचाई शुल्क और ब्याज की दरें कम रखी गई हैं। किसानों को उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कृषि-आदानों की सुपुर्दगी-प्रणाली में सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न राजसहायता कार्यक्रमों में छोटे और सीमान्त किसानों का विशेष ध्यान रखा जायेगा। धान, गेहूं तिलहन और दलहन के लिए फसल बीमें की एक व्यापक योजना शुरू की जा रही है, जिसके लिए बीमा-शुल्क कम रखा जाएगा और छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए शुल्क पर राजसहायता दी

जाएगी। किसानों के लाभ के लिए समर्थन मूल्य प्रचालनों को सशक्त बनाने का भी प्रस्ताव किया जाता है।

लक्ष्य ग्रुप के परिवारों की आय में वृद्धि करने का लक्ष्य

982. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि 1980-85 के दौरान एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में लक्ष्य ग्रुप से सम्बन्धित परिवारों, जिनमें लघु और सीमान्त किसान, बटाईदार, कृषि मजदूर, भूमिहीन लोग और ग्रामीण कारीगर शामिल हैं, की आय को बढ़ाने का लक्ष्य क्या है ;

(ख) पश्चिम बंगाल में यह लक्ष्य अभी तक किस सीमा तक प्राप्त किया गया है ;

(ग) उपयुक्त प्रयोजन के लिए केन्द्र द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई और 1983-84 तक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वास्तव में इस सहायता में से कितनी राशि उपयोग में लाई गई है ; और

(घ) लक्ष्य प्राप्त करने अथवा केन्द्र द्वारा मंजूर की गई राशि के उपयोग में यदि कोई कमी है, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) की अवधि के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के लिए 10.05 लाख परिवारों को सहायता पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य के मुकाबले, दिसम्बर, 1984 तक छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत 5.52 लाख परिवारों को सहायता पहुंचाई गई थी।

(ग) 4522.50 लाख रुपये के केन्द्रीय आवंटन के मुकाबले में पश्चिम बंगाल को 1980-84 के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा 1319.92 लाख रुपये की धनराशि मुक्त की गयी थी। इसके अलावा, 1978-80 में केन्द्र द्वारा मुक्त की गयी 661 लाख रुपये की धनराशि भी राज्य के पास उपलब्ध थी। 1980-84 के दौरान राज्य के अंश सहित कुल 3001.12 लाख रुपये उपयोग में लाये गये थे।

(घ) पश्चिम बंगाल में लक्ष्य को प्राप्त करने तथा दी गई सहायता के उपयोग में कमी का मुख्य कारण कार्यक्रम का देर से आरम्भ होना था, जिसके परिणामस्वरूप छठी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति हुई है। 1983-84 के बाद कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गति आई है।

महाराष्ट्र के पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए धनराशि

983. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का महाराष्ट्र के पर्वतीय और अगम्य क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए धनराशि मंजूर करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव में महाराष्ट्र के कौन-कौन से क्षेत्रों को शामिल किया जायेगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) ग्रामीण सड़कों का विकास कार्य मुख्यतः राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक अंग के रूप में किया जाता है जिसके लिए धनराशि राज्य योजनाओं में दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप तथा महाराष्ट्र की वार्षिक योजना 1985-86 के प्रलेख में दी गई सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने छठी योजना के दौरान विदर्भ के पिछड़े क्षेत्रों तथा पश्चिमी महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के विकास का कार्य शुरू कर दिया है। छठी योजनावधि के दौरान विदर्भ की सड़कों पर 1 .29 करोड़ रुपये तथा पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष सड़क कार्यक्रम पर 7.39 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में 7.37 करोड़ रुपये की लागत 585 फुट लम्बे पुलों के पूरा किए जाने की आशा है।

राज्यों द्वारा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत भी ग्रामीण सड़क योजनायें शुरू की जा सकती हैं। यह केन्द्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है जिसे अगस्त, 1983 में आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र के लिए 29 करोड़ रुपये की लागत वाली ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है।

आवश्यक वस्तुओं पर से मूल्य नियन्त्रण हटाने का प्रस्ताव

984. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं पर से मूल्य नियन्त्रण हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां तो, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के लिए कोई प्रभावशाली विकल्प है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार की नीति में मुख्य बल आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से जो कम मात्रा में उपलब्ध हैं, का उत्पादन बढ़ाने पर दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है और उसमें सुधार लाया जा रहा है। कुछ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति आयात करके बढ़ाई जा रही है। आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को विनियमित किया गया है। राज्य सरकारें जमाखोरों तथा चोर-बाजारियों और अन्य असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसी प्रकार के कानूनों के उपबंधों को लागू कर रही हैं।

समुद्री अनुसंधान और बचाव कार्य हेतु केन्द्रीय सहायता

985. श्री एस० कृष्ण कुमार : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की समुद्र में मछुओं की जान माल की सुरक्षा के लिए समुद्री अनुसंधान और बचाव कार्यों हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी नीति क्या है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी तथा उसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ग) इस सम्बन्ध में केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना पर किस स्तर पर विचार हो रहा है?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) इस समय समुद्री अनुसंधान और बचाव कार्यों हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने सम्बन्धी कोई योजना नहीं है।

केरल में मछली उतारने के केन्द्र

987. श्री एस० कृष्ण कुमार : क्या कृषि और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मछली उतारने के केन्द्रों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार को केरल सरकार से प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या अन्य राज्यों में इस प्रकार के केन्द्रों को, स्थापना के लिए मंजूरी दिये जाने के पश्चात् ही केरल सरकार के अनुरोध पर विचार किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केरल में काफी अधिक मछली पकड़े जाने की क्षमता है और जिसका उपयोग किए जाने की आवश्यकता है, इस भेद-भाव के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) केरल सरकार से मछली उतारने के केन्द्रों की स्थापना के लिए बीस प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 17 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं।

कन्याकुमारी जिले में नागरकावल में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करना

988. **श्री एन० डेनिस** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी जिले में नागरकायल में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) त्रिवेन्द्रम तथा कोडैकनाल के ट्रांसमीटरों के मई, 1985 तक 10 किलोवाट की पूरी शक्ति पर चालू हो जाने पर कन्याकुमारी जिले में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है। कन्याकुमारी जिले में ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आकाशवाणी को स्वायत्त संगठन में बदलना

989. **श्री वी० सोभानेद्रीसवारा राव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी को उनके मंत्रालय के नियंत्रण से लेने और बी० बी० सी० की भांति इसे एक स्वायत्त: संगठन में बदलने सम्बन्धी और कोई प्रस्ताव सरकार के विचराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए बारानी खेती

990. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सुदृढ़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था कायम करने और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सन्तुलित आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से देश भर में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई दीर्घावधिक सघन बारानी खेती योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो मोटे रूप से उसकी रूप रेखा क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों और उनकी विभिन्न एजेन्सियों को क्या कार्य सौंपा गया है या सौंपे जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने बारानी खेती विकास कार्यक्रम जिसे नये 20 सूत्री कार्यक्रम की मद संख्या 1 के रूप में शामिल किया गया है, को उच्च प्राथमिकता दी है। खाद्यानों के उत्पादन को स्थिर बनाने और उसमें वृद्धि करने तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य बारानी फसलों अर्थात दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करना है। मोटे तौर पर इन कार्यक्रमों का उद्देश्य उपयुक्त सस्य विज्ञान सम्बन्धी पद्धतियों के साथ उपयुक्त भूमि उपचार उपायों के माध्यम से भूमि की उत्पादकता में सुधार लाना है। इन कार्यक्रमों की राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के साथ समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

ग्रामीण तथा असंगठित श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति

991. **श्री जयन्ता पटनायक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण श्रमिकों, विशेषकर असंगठित श्रमिकों की वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कोई नया अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) चार त्रिपक्षीय अध्ययन दल गठित किए गए हैं, जिसमें केन्द्रीय/राज्य सरकारों, श्रमिकों तथा नियोजकों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो असंगठित श्रम के निम्नलिखित वर्गों में नियोजित श्रमिकों के बारे में उनकी कामकाज तथा रहन सहन की दशाओं की जांच करेगा और उन प्रशासनिक तथा कानूनी उपायों का सुझाव देगा जो आवश्यक समझे जाएं :—

(i) हथकरघा और बिजली करघा;

(ii) चमड़ा उद्योग;

(iii) मछुवारे; और

(iv) भवन और निर्माण उद्योग।

चीनी का उत्पादन और मांग

992. श्री के० प्रधानी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने चीनी उत्पादन तथा मांग के नवीनतम प्राक्कलनों के आधार पर वर्तमान सीजन में संभावित कमी का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के अनुसार क्या स्थिति है;

(ग) क्या सरकार का आने वाले महीनों में चीनी की संभावित कमी को पूरा करने के लिए इस वर्ष भी चीनी का आयात करने का विचार है ?

(घ) यदि हां, तो किन देशों से आयात किया जायेगा और क्या यह सरकारी खाते में होगा और उड़ीसा जैसे राज्यों को जो पूरी तरह से केन्द्रीय सप्लाई पर निर्भर करते हैं इसका किस प्रकार आवंटन किया जायेगा; और

(ङ) पिछले वर्ष उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए चीनी की कितनी मात्रा का आयात किया गया और आयातित चीनी के लागत बीमा भाड़ा सहित प्रति टन मूल्य और देश में तैयार चीनी में मूल्य में कितना अन्तर था ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) : चालू मौसम 1984-85 में, 7 मार्च तक चीनी का उत्पादन 45.17 लाख मीटरी टन पहुंच गया है जबकि 1983-84 मौसम में इसी तारीख तक 43.13 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था। चूंकि पेराई कार्य अभी प्रगति पर है, अतः इस अवस्था में कमी आदि, यदि कोई हो, की सीमा का ठीक-ठीक अनुमान लगाना समय पूर्व ही नहीं बल्कि कठिन है।

स्टाक को पर्याप्त स्तर पर बनाए रखने की दृष्टि से, 1984 में किए लगभग पांच लाख मीटरी टन चीनी के आयात के ठेके के अतिरिक्त, राज्य व्यापार निगम द्वारा इस वर्ष के दौरान सप्लाई करने के लिए कुछ चीनी आयात करने के ठेके किए गये हैं। तथापि, इस समय उस चीनी की सही मात्रा बता पाना संभव नहीं है, जो आयात करनी पड़ सकती है।

(घ) खरीदारी के लिए ठेके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारियों के माध्यम से किए गए हैं। अतः देश-वार ब्यौरे ज्ञात नहीं हैं। चीनी के आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किए जा रहे हैं और सरकारी खाते में किए जा रहे हैं। जहां तक उड़ीसा को लेवी चीनी की सप्लाई करने का संबंध है, इसकी व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से की जाती है और इसलिए राज्य सरकार को दोनों, स्वदेशी और आयातित चीनी की आवंटित की गई मात्रा को सप्लाई करना निगम की जिम्मेदारी है।

(ङ) 1984 में किए गए ठेकों के प्रति 4.94 लाख मीटरी टन चीनी आयात की गई है। इस आयातित चीनी की बीमा भाड़ा (सी० आई० एफ०) लागत लगभग 2288 रुपये प्रति मीटरी टन है। लेवी चीनी निर्यात की जा रही है और मौजूदा अधिसूचित मूल्यों के आधार पर इसका अखिल भारतीय औसत एक्स-फैक्ट्री मूल्य 3110.70 रुपये प्रति मीटरी टन है।

आयातित खाद्य तेलों के मूल्य की बकाया राशि के भुगतान के लिए मुक्त ऋण सुविधा की समाप्ति

993. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आयातित खाद्य तेलों के मूल्य के भुगतान के लिए दी गई ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा को इस महीने के अन्त से समाप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसका पश्चिम बंगाल पर विशेष रूप से अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उक्त राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित तेलों के अपना सम्पूर्ण मासिक आबंटन छोड़ना पड़ सकता है; और

(घ) क्या पश्चिम बंगाल के कोटे में 2,000 मीट्रिक टन की कमी किये जाने की संभावना है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) खाद्य तेल संबंधी कार्यों पर केन्द्रीय सरकार को हुई हानि इसका मुख्य कारण था। बिना ब्याज ऋण सुविधाएं जारी रखने से यह घाटा बढ़ रहा था।

(ग) जी नहीं। इसके किसी भी राज्य, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, के आयातित खाद्य तेलों के मासिक आबंटन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए आयातित खाद्य तेलों का मासिक आबंटन करते समय कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे मांग का यथार्थपरक अनुमान, खपत का स्वरूप, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध स्टाक और तेलों को उठाने की गति तथा अन्य सम्बन्धित बातें।

(घ) प्रचुरता के मौसम के दौरान देशी खाद्य तेलों के आसानी से उपलब्ध होने कारण, राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलों का आबंटन घटा दिया जाता है। यह बात केवल पश्चिम बंगाल के मामले में विशेष रूप से नहीं है। मार्च, 1985 के लिए पश्चिम बंगाल के आबंटन को 2000 मी० टन कम कर दिया गया है।

तिलहनों का उत्पादन

994. श्री सनत कुमार मंडल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनस्पति तेलों की मांग और पूर्ति के बीच भारी अंतर को समाप्त करने के लिए कोई दीर्घावधि योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक तिलहनों के उत्पादन में कितनी वृद्धि दर प्राप्त की जायेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(1) 1983-84 तक जारी तिलहन विकास योजनाओं को नया रूप देकर तथा उन्हें समेकित करके 1984-85 के दौरान एक केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना मंजूर की गई है।

(2) चुने राज्यों में चार मुख्य फसलों, अर्थात् मूंगफली, तोरिया-सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी, मामले में विशेष परियोजनाओं के माध्यम से फसल तथा स्थान विशेष संबंधी नीति अपनाई गई है।

(3) 14 राज्यों में मूंगफली, तोरिया-सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी के अलावा तिलहनों की अन्य फसलों, अर्थात तिल, कुसुम तथा तिल्ली (नाइजर) के मामले में गहन कार्यक्रम चलाया गया है। कार्यक्रम का लक्ष्य, अन्य बातों के साथ-साथ गैर-पारम्परिक तिलहनों का विकास करना, सिंचित फसलों, विशेषकर रबी/गर्मी के मौसम में मूंगफली के तहत अधिक क्षेत्र लाना, सुधरी पैकेज पद्धतियां अपनाना, मूल निवेशों की आपूर्ति करना तथा बड़े पैमाने पर बीज तथा उर्वरक मिनिकिटों का वितरण करना।

(4) खाद्य तेलों तथा तिलहनों के उत्पादन को नया रूप देने तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से विपणन की परियोजना के तहत 7 राज्यों में राज्य स्तरीय सहकारी तिलहन उत्पादक संघ गठित किये गये हैं।

(5) तिलहनों के उत्पादन, संसाधन तथा विपणन के एकीकृत विकास तथा वनस्पति तेलों और उद्योग के विकास के लिए राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड की स्थापना की गयी है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 130 लाख मी० टन उत्पादन की तुलना में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 170 लाख मी० टन के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

केरल में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के तत्वावधान में मत्स्य परियोजना

995. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की सहायता से मत्स्य पालन की एक बड़ी परियोजना शुरू की जा रही है : और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) केरल राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार परियोजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) मात्स्यकी विकास के लिए केरल राज्य सहकारी संघ द्वारा क्रियान्वित किया जाना;

(2) छह वर्ष की अवधि में क्रमबद्ध ढंग से क्रियान्वित की जाएगी;

(3) परियोजना में राज्य में मछली पकड़ने वाले सभी ग्रामों में मछली उतारने, संभालने तथा विपणन की बेहतर अवसंरचना सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है।

(4) समुद्री मछुआरों को 3000 बाहरी इंजनों, 12000 अतिरिक्त गैयरों तथा बाहरी इंजनों और गैयरों से युक्त 1600 कानोस का वितरण करना;

(5) मछली तथा झींगा मछली फार्मों के खारे पानी के 3000 हैक्टार क्षेत्र का विकास करना;

(6) 750 लाख बीज उत्पादन क्षमता की छह नई झींगा हैचरियों की स्थापना करना;

(7) ग्राम समितियों द्वारा परम्परागत क्षेत्र की समूची मछली उतारने की नीलामी के माध्यम से विपणन की कारगर प्रणाली; और

(8) मछुआरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कल्याण कार्यक्रम।

केरल के मछुआरों के कल्याण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

996. **श्री के कुन्हम्बु** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के परम्परागत मछुआरों के कल्याण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना केरल सरकार द्वारा अनुग्रह-पूर्वक अदायगी के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। मछुआ तकनीकी-सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक अन्य योजना भी केरल राज्य में क्रियान्वित की जा रही है।

दिल्ली में शुष्क बन्दरगाह के लिए "कंटेनर फ्रेट स्टेशन" की स्थापना

997. **श्री आनन्द सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने शुष्क बन्दरगाह की सुविधाओं के लिए पटपड़गंज (दिल्ली) में एक कंटेनर फ्रेट स्टेशन की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो वहां पर क्या-क्या और किस सीमा तक विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या यह स्टेशन दिल्ली में एक शुष्क बंदरगाह बनाने की योजना के भाग के रूप में स्थापित किया गया है;

(घ) इससे शुष्क बंदरगाह की योजना की आवश्यकता कहां तक पूरी हो जायेगी; और

(ङ) इसे निर्यात आयात के प्रयोजनों के लिए बंदरगाहों से किस प्रकार जोड़ा जायेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ने कन्टेनर लोड से कम कारगो (लैस देन कन्टेनर लोड) के लिए पटपड़गंज में एक कन्टेनर भाड़ा (फ्रेट) स्टेशन स्थापित किया ताकि प्रगति मैदान में चल रहे अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो की सुविधाओं और क्षमता में वृद्धि की जा सके। यह स्टेशन इन के लिए सुविधाएं सुलभ

करेगा (1) निर्यात तथा आयात कारगो को सम्भालना तथा उसकी निकासी (2) बिना निकासी के कारगो का भंडारण (3) माल का प्रलेखन, सीमा शुल्क सम्बन्धी जांच और दिये गये शुल्क की अदायगी (4) अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो, प्रगति मैदान से और को कन्टेनरों की ढुलाई। यह डिपो आयात निर्यात के प्रयोजन के लिए बम्बई बन्दरगाह से जुड़ा हुआ है; और (5) दस्तावेजों के लेन-देन और अन्य सामान्य बैंक सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था।

कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, पटपड़गंज की स्थापना शुल्क बन्दरगाह योजना के अंग के रूप में नहीं कीगई है।

भविष्य निधि से धन निकालने की प्रक्रिया का सरलीकरण

998. **श्री आनन्द सिंह** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों द्वारा विशेषकर ऐसे समय जब कि उन्हें हड़तालों और तालाबन्दियों के दौरान वेतन नहीं मिलता है, भविष्य निधि से पैसा निकालने अथवा ऋण लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों को इस बारे में किन-किन विशिष्ट कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि से धन निकालने के बारे में प्रक्रिया को सरल बनाना एक सतत प्रक्रिया है। नियमों में यह पहले से ही व्यवस्था है कि यदि प्रतिष्ठान में 15 दिनों से अधिक अवधि के लिए तालाबन्दी रहती है, तो कर्मचारी भविष्य निधि से धन निकाल सकते हैं। इस तरह की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है, जब कर्मचारी हड़ताल के कारण काम पर नहीं आते हैं और परिणामस्वरूप उन्हें मजदूरी नहीं मिलती। धन निकालने से सम्बन्धित उपबन्धों को और उदार बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यदि प्रक्रियात्मक मामलों के कारण कर्मचारियों द्वारा महसूस की गई किसी विशिष्ट कठिनाई को सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो उसकी जांच की जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तालाबन्दी और कारखाने बन्द रहने की अवधि के लिए कामगारों की बीमा सुरक्षा

999. **श्री आनन्द सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालाबन्दी और कारखाने बन्द रहने की अवधि के लिए कामगारों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने से सम्बन्धित कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) तालाबन्दी और मिलों के बन्द रहने की अवधि के दौरान श्रमिकों को बीमे की सुविधा देने की योजना शुरू करने के लिए समय-समय पर सुझाव दिए गए हैं। चूंकि यह एक मुख्य नीति का मामला है और इसमें श्रमिकों तथा नियोजकों दोनों को शामिल करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए सम्बन्धित पक्षकारों के साथ परामर्श करके इस प्रश्न की विस्तृत चांच-पड़ताल करनी होगी।

राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1000. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान को केन्द्र से अब तक वर्षवार कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ; राज्य ने स्वयं कितनी धनराशि की व्यवस्था की है, राज्य में निर्मित की गई सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है तथा श्रमिकों को कितने दिन मजदूरी मिली ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : वर्ष 1980-81 से लेकर 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान को बंटित केन्द्रीय सहायता तथा इन्हीं वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में सृजित रोजगार सहित इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दिए गए अंशदान को दर्शाने वाला विवरण-एक संलग्न है। इन वर्षों के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में सृजित परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला विवरण-दो संलग्न है।

चूंकि, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे राज्य में निर्माण-कार्य किए जा रहे हैं, अत: विभिन्न निर्माण-कार्यों पर मजदूरी का भुगतान करने के दिनों की सूचना नहीं रखी जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिकाओं के अंतर्गत यह उल्लेख है कि कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा मजदूरी का भुगतान तुरन्त किया जाना है तथा इस बात पर बल दिया गया है कि किसी भी हालत में मजदूरी के भुगतान में एक सप्ताह से अधिक का विलम्ब होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

विवरण-एक

1980-81 से 1984-85 के दौरान राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत बंटित की गई नकद निधियों को दर्शाने वाला विवरण ।

वर्ष	बंटित की गई नकद निधियां (लाख रुपये में)			सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)
	केन्द्र	राज्य	योग	
1986-81	2602.50	—	2602.50	259.52
1981-82	468.00	468.00	936.00	95.48
1982-83	457.55	436.00	893.55	48.16
1983-84	488.65	510.00	998.65	67.38
1984-85	775.00†	775.00	1550.00	71.49 (फरवरी 85 तक)

† इसमें 225.00 लाख रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता शामिल है ।

विवरण-दो

वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में सृजित विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला विवरण ।

क्रम सं०	परिसम्पत्तियों का आकार	यूनिट	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85 (सितम्बर, 84 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वनरोपण तथा सरकारी भूमि पर सामाजिक वानिकी कार्य के अन्तर्गत लिया गया क्षेत्र	(हेक्टेयर)	—	565	500	500	—
2.	लगाए गए पेड़	संख्या लाख	—	—	—	2.07	—
3.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पेय जल कुएं, सामुदायिक सिंचाई कुओं का निर्माण, सामूहिक आवास तथा भूमि का विकास	(संख्या)	...	388	326	686	577
4.	गांव के तालाबों का निर्माण	(संख्या)	...	486	115	220	67

5.	लघु सिंचाई कार्य से लाभान्वित क्षेत्र . जिसमें बाढ़ बचाव कार्य, नालियां तथा जल लग्नता निवारक कार्य मध्यम तथा मुख्य नालियों का निर्माण, खेत की नालियों का निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में भूमि समतलीकरण	(हेक्टेयर)	356	—	19	35	—
6.	भूमि तथा जल संरक्षण और भूमि सुधार कार्य से लाभान्वित क्षेत्र	(हेक्टेयर)	...	179	2	118	—
7.	निर्मित/सुधारी गई ग्रामीण सड़कें	(कि० मी०)	1469	289	202	247	97
8.	पेय जल कुएं/तालाबों का निर्माण	(संख्या)	—	—	—	—	—
9.	स्कूल तथा बालवाड़ी भवन, पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र, पेय जल कुएं, वन्य-प्राणियों के लिए पेय जल के साधन, मवेशी, तालाब, पिंजरापोल, गऊशालाएं, सामुदायिक मुर्गी तथा सूअर गृह, नहाने तथा कपड़े धोने के प्लेटफार्म आदि ।	(संख्या)	963	4978	2635	1948	884
10.	अन्य निर्माण कार्य	(संख्या)	2109	—	—	903	203

पश्चिम बंगाल सरकार का वनस्पति संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव

1001. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम और केन्द्रीय सरकार को 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक वनस्पति संयंत्र स्थापित करने और एक तिलहन उत्पादन सहकारी समिति बनाने की अपनी योजना भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम और केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार को क्या सहायता देने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने 50 मी० टन प्रतिदिन क्षमता का एक वनस्पति संयंत्र लगाने के लिए वेस्ट बंगाल स्टेट फेडरेशन आफ होलसेल कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसायटीस लि० के आवेदन की सिफारिश की थी। यह आवेदन नीति के दायरे के भीतर नहीं था, अत; उसे अस्वीकृत कर दिया गया।

मुद्रणालयों के मुद्रण कार्य में सुधार

1002. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मुद्रण उद्योग विकास परिषद् के प्रौद्योगिकी और सम्भावित मांग निर्धारण पैनल के अनुसार भारत में सरकारी मुद्रण कार्य डिजाइन, क्वालिटी और सुस्पष्टता की दृष्टि से औसत स्तर से कम है ;

(ख) क्या उक्त पैनल की रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक प्रयोग के लिए जारी किये जाने वाले फार्मों का मुद्रण प्रायः बहुत खराब और अस्पष्ट पाया गया तथा पैनल मुद्रण की क्वालिटी में सुधार करने और लागत कम करने के लिए आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार, का केन्द्रीय सरकार के मुद्रणालयों में, विशेषकर कलकत्ता स्थित अपने मुद्रणालय में, मुद्रण कार्य में सुधार करने तथा मुद्रण तकनीक और मशीनों का आधुनिकीकरण करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) इसे मुद्दे पर मुद्रण उद्योग के लिए विकास परिषद् के तकनीकी एवम् मांग प्रक्षेपण पैनल की रिपोर्ट निम्न प्रकार है :—

भारत सरकार मुद्रणालयों में किया गया अधिकांश कार्य डिजाइन कोटि तथा सुस्पष्टता की

दृष्टि से औसतन निम्न है। जनता के उपयोगार्थ थे जारी किए गए फार्म भद्दी छपाई के तथा अस्पष्ट हैं। कोटि के सुधार तथा कोटि सुधारार्थ टेक्नालाजी की आधुनिक पद्धतियों के प्रचलन एवम् लागत कम करने के लिए प्रभावी प्रयासों की आवश्यकता है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि देश में उपलब्ध कागज की कोटि तथा स्याही भी मुद्रण की ऐसी कोटि के कारणों में से एक कारण है। रिपोर्ट यह भी संकेत करती है कि निज मुद्रालयों (कतिपय प्रमुख मुद्रकों द्वारा मुद्रित पुस्तकों के विशिष्ट वर्गों के अपवाद स्वरूप) में भी पुस्तकों की कोटि आमतौर पर अच्छी से औसत दर्जे के बीच है। कभी-कभी भारत सरकार मुद्रणालयों ने अच्छी कोटि का कार्य किया है तथा मुद्रण श्रेष्ठता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

कतिपय मुद्रणालयों में आधुनिक पद्धतियां तथा तकनीकी सुधार अपनाए गए हैं तथा ये मुद्रण की कोटि सुधारने के लिए शेष मुद्रणालयों में भी कार्यान्वित किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

(ग) भारत सरकार ने मुद्रण में सुधार करने तथा मुद्रण तकनीकी एवम् भारत सरकार मुद्रणालयों में मशीनों को आधुनिक बनाने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं। कलकत्ता के भारत सरकार मुद्रणालयों पर भी यह लागू है। विशेषतः भारत सरकार मुद्रणालय, टैम्पल स्ट्रीट, कलकत्ता में चार पुरानी लैटर प्रैस मशीनों को दो तेज चलने वाली वैब आफ सैट प्रिन्टिंग मशीनों से बदल दिया गया है। भारत सरकार फोटोलियों मुद्रणालय, फरीदाबाद में स्टाफ के लिए प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित कर दिया गया है। यह आशा है कि इन उपायों से मुद्रण की कोटि में सुधार होगा।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी

1003. **श्री मोहन लाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय दिल्ली रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में रोजगार पाने के इच्छुक सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी डिप्लोमाधारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष पंजीकृत हुए ऐसे डिप्लोमाधारियों की कुल संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) 31-12-1984 की स्थिति के अनुसार दिल्ली के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर सिविल इंजीनियरी में 1764 प्रथम श्रेणी डिप्लोमाधारी दर्ज थे।

(ख) 1980—1984 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष सिविल इंजीनियरी में सभी

डिप्लोमाधारियों के बारे में किए गए पंजीकरणों की संख्या से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना नीचे दर्शाई गई है :—

वर्ष		संख्या
1980	—	629
1981	—	627
1982	—	716
1983	—	882
1984	—	995

बारहमासी/साफ मौसम वाली सड़कों से जुड़े गांव

1004. **श्री वड्डे सोभानेद्रीसवारा राव** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी मौसमों में (बारह मासी) सड़कों से जोड़े जाने वाले गांवों की, राज्य-वार, संख्या कितनी है;

(ख) साफ मौसम की सड़कों से अभी तक नहीं जोड़े गये गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार का विचार बारह मासी (सभी मौसम) साफ मौसम की सड़कों से सभी गांवों को कौनसी तारीख तक जोड़ देने का है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) इस तरह की सूचना मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

(ग) छठी योजना के प्रारंभ के अनुसार, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 से ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गांवों तथा 1000 से 1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को 1990 तक सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कों से जोड़ा जाएगा।

विवरण

31-3-84 की स्थिति के अनुसार, उन गांवों जिन्हें अभी सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कों से जोड़ा जाना है, की संख्या को दर्शाने वाला विवरण (अनन्तिम)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	31-3-84 की स्थिति के अनुसार, उन गांवों की संख्या, जिन्हें अभी सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कों से जोड़ा जाना है (अनन्तिम)
1	2
1. आन्ध्रप्रदेश	16464
2. असम	9762
3. बिहार	46155
4. गुजरात	7148
5. हरियाणा	128
6. हिमाचल प्रदेश	9973
7. जम्मू तथा काश्मीर	2662
8 कर्नाटक	18832
9. केरल	—
10. मध्य प्रदेश	55335
11 महाराष्ट्र	24289
12. मणिपुर	5121
13. मेघालय	2267
14. नागालैंड	332

1	2
15. उड़ीसा	53154
16. पंजाब	162
17. राजस्थान	27348
18. सिक्किम	175
19. तमिलनाडु	10390
20. त्रिपुरा	2698
21. उत्तर प्रदेश	102044
22. पश्चिम बंगाल	20631
23. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	145
24. अरुणाचल प्रदेश	3463
25. चण्डीगढ़	—
26. दादरा तथा नगर हवेली	20
27. दिल्ली	—
28. गोवा, दमन तथा दीव	33
29. लक्षद्वीप	*
30. मिजोरम	654
31. पांडिचेरी	22
योग:	415807

*=पृथक् द्वीप—कोई गांव नहीं। स्रोत:—योजना आयोग।

सातवीं योजना अवधि के दौरान वनस्पति तेलों की सप्लाई में पूर्वकल्पित कमी

1005. **श्री के० प्रधानी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तेल उद्योग और व्यापार संगठन ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में वनस्पति तेलों की सप्लाई में 18.5 लाख टन की भारी कमी की पूर्वकल्पना की है और इस अन्तर को पूरा करने के लिए तिलहनों के उत्पादन में 10 प्रतिशत की संयोजित विकास दर का सुझाव दिया है;

(ख) क्या केन्द्रीय तेल उद्योग और व्यापार संगठन ने सरकार को एक समेकित योजना प्रस्तुत की है जिसमें कुल 42 लाख टन वनस्पति तेलों की उपलब्धता और सातवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 60.5 लाख टन की अनुमानित मांग का संकेत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 तक तेल का उत्पादन कम से कम 75 से 80 लाख टन तक बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय तेल उद्योग और व्यापार संगठन से मिली 7वीं योजनावधि में वनस्पति तेलों की मांग तथा उनकी आपूर्ति के अन्तर को पूरा करने की एकीकृत योजना की प्रति से देश में वनस्पति तेलों की मांग उनकी उपलब्धता तथा कमी के बारे में निम्नलिखित स्थिति का पता चलता है :—

वनस्पति तेल		मात्रा लाख मी० टनों में
कुल आवश्यकता	—	56.70
उपलब्धता	—	44.00
कमी	—	12.70

केन्द्रीय संगठन ने इस कमी को पूरा करने के लिए 10 प्रतिशत की संयोजित विकास दर का सुझाव दिया है।

(ग) भारत सरकार द्वारा देश में वनस्पति तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए संगठित प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) तिलहन उत्पादक राज्यों में तिलहनों के विकास के लिए गहन कार्यक्रम चलाना। इस योजना का उद्देश्य कृषकों के खेतों में प्रदर्शन आयोजित करना, बीजों के उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था को मजबूत बनाना, पौध संरक्षण उपायों का विस्तार करना, सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना आदि।

(2) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली तथा मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन के लिए विशेष परियोजनाएं आरम्भ करना ।

(3) न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना ।

(4) तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना ।

(5) गैर-पारम्परिक तिलहनों, जैसे सोयाबीन और सूरजमुखी की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना तथा वृक्ष और वनमूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का उपयोग करना ।

(6) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप संसाधन तथा आधार-ढांचे संबंधी आवश्यक सुविधाओं को स्थापित करना ।

उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप, 1983-84 के दौरान कुष्ट तिलहनों का उत्पादन 128.1 लाख मी० टन हुआ है । 7वीं पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त, अर्थात् 1989-90 तक कुष्ट तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य 170 लाख मी० टन नियत किया गया है ।

पूर्वी राज्यों को वनस्पति तेल की सप्लाई

1006. **श्री के० प्रधानी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर उन पूर्वी राज्यों को जिनके यहां वनस्पति तेल का उत्पादन कम होता है, वनस्पति तेल की सप्लाई के लिए कोई मानदण्ड रखे गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो 1985-86 के दौरान उड़ीसा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा बितरण के लिए देशी और आयातित वनस्पति तेल की कितनी मात्रा में सप्लाई किए जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों के आवंटन का निर्णय माह-दर-माह आधार पर किया जाता है और ऐसा करते समय विभिन्न बातों जैसे मांग का यथार्थपरक अनुमान, राज्य सरकार द्वारा सूचित की गई तेल की पसंद, खपत का स्वरूप राज्य/क्षेत्र में देशी खाद्य तेलों की उपलब्धता, भारतीय राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध स्टाक तथा पहले आवंटित किए गए खाद्य तेलों को उठाने की गति, को ध्यान में रखा जाता है । 1985-86 के दौरान उड़ीसा को किया जाने वाला आवंटन भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर किया जाएगा । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई देशी खाद्य तेल सप्लाई नहीं किया जाता है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने देश में

देशी खाद्य तेलों के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं लगा रखा है। तेल वर्ष 1984-85 (नवम्बर, 84 से अक्तूबर 85) के दौरान, मार्च, 85 तक उड़ीसा सरकार को आयातित खाद्य तेलों की 11,000 मी० टन मात्र आवंटित की गई है।

कलकत्ता और बम्बई नगर निगमों को वित्तीय सहायता

1007. **श्री रेणुपद दास** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता और बम्बई नगर निगमों के बजट में कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस प्रकार की कोई वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) निर्माण और आवास मन्त्रालय किसी भी नगर निगम के बजट में वित्तीय सहायता नहीं देता है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पहले ही नियोजित मात्रा के अतिरिक्त अधिक चीनी का आयात

1008. **श्री आर० अन्नानाम्बी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 के चीनी के मौसम के दौरान पिछले बकाया भंडार की मात्रा और कम उत्पादन की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए चीनी के मूल्यों पर नियंत्रण रखने तथा बफर स्टाक का न्यूनतम स्तर बनाये रखने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार पहले से नियोजित 5 लाख टन के आयात के अतिरिक्त और अधिक चीनी का आयात करेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) 1-10-1984 को फैक्ट्रियों के पास पिछली बकाया चीनी लगभग 23.75 लाख मीटरी टन थी। जहां तक चालू मौसम 1984 85 में चीनी उत्पादन का सम्बन्ध है, 7 मार्च तक उत्पादन 45.17 लाख मीटरी

टन तक पहुंच गया है जबकि 1983-84 मौसम में इस तारीख तक 43.13 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था। चूंकि अभी प्रचालनाधीन कई फैक्ट्रियों में पेराई कार्य प्रगति पर है, अतः इस अवस्था में कमी आदि, यदि कोई हो, की सीमा का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है।

चीनी वर्ष 1983-84 में किए गए पांच मीटरी टन चीनी के आयात के ठेके के अतिरिक्त, राज्य व्यापार निगम द्वारा चालू वर्ष के दौरान सप्लाई करने के लिए कुछ चीनी आयात करने के ठेके किए गए हैं।

उर्वरकों की खपत

1009. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उर्वरकों की खपत में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो उपयोग-दर में वृद्धि न होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसका एक कारण उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि होना है; और

(ङ.) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री(श्री बूटा सिंह) : (क) देश में उर्वरकों की खपत 1982-83 के लगभग 64 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1984-85 में पोषक तत्त्वों के रूप में लगभग 84 लाख मीटरी टन के अनुमानित स्तर तक हुई है। इस प्रकार वृद्धि दर लगभग 31 प्रतिशत रही।

(ख) तथा (ग) जम्मू व कश्मीर तथा मणिपुर को छोड़कर सभी राज्यों में उर्वरक की खपत में वृद्धि हुई है। चूंकि उर्वरकों की खपत मौसम की परिस्थितियों, उर्वरक की उपलब्धता तथा मूल्य आदि जैसे अनेक सम्मिलित घटकों पर निर्भर करती है, अतः कमी के लिए उत्तरदायी इनमें से किसी एक घटक को ही स्पष्ट रूप से अंकित करना कठिन होगा। तथापि, इन दो राज्यों में कम खपत का कारण मौसम की अनियमितताएं ही कही जा सकती हैं।

(घ) तथा (ङ.) उर्वरकों की खपत पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। उर्वरकों का उपयोग करने के लिए किसानों को प्रेरित करने की दृष्टि से भारत सरकार ने जून, 1983 में सभी किस्मों के उर्वरकों के मूल्य में 7 1/2 प्रतिशत तक की और भारतीय खाद्य निगम के पास 2 वर्ष से अधिक समय से पड़े स्टाक पर 10 प्रतिशत की और छूट दी।

तालाबन्द उद्योगों को पुनः खोलने के उपाय

1010. श्री अजय विश्वास
श्री अजीत कुमार साहा } : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में (राज्य-वार) इस समय ऐसे कितने छोटे, मंझले और बड़े उद्योग हैं, जहां तालाबन्दी है और जो बन्द पड़े हैं;

(ख) उन्हें पुनः खोलने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है;

(ग) जनवरी और फरवरी, 1985 के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने एककों को पुनः खोला गया; और

(घ) ऐसे उद्योगों के बन्द रहने और तालाबन्दी के कारण इस समय कितने श्रमिक बेरोजगार हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (घ) तालाबन्दियों और कामबन्दियों से सम्बन्धित सूचना कलैण्डर वर्ष के अनुसार रखी जाती है। 1984 के दौरान हुई तालाबन्दियों तथा कामबन्दियों और उनसे प्रभावित हुए श्रमिकों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन, कामबंदियों से सम्बन्धित विवादों को निपटाने तथा बन्द यूनिटों को पुनः खुलवाने के लिए राज्य सरकारें समुचित प्राधिकरण हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, के संबंध में इसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है।

(ग) बन्द यूनिटों को पुनः खुलवाने से सम्बन्धित सूचना नहीं रखी जाती है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तालाबंदियों की संख्या	प्रभावित श्रमिकों की संख्या	कामबंदियों की संख्या*	प्रभावित श्रमिकों की संख्या
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	49	34,346	3	168
असम	1	1,489	...	...

1	2	3	4	5
बिहार	16	12,938	7	11.461
गुजरात	18	6,621	35	31,230
हरियाणा	6	6,668	9	3,745
हिमाचल प्रदेश	...	...	1	74
जम्मू व काश्मीर	...	...	...	...
कर्नाटक	1	150	1	52
केरल	7	1,252	19	14,584
मध्य प्रदेश	2	2,050	1	23
महाराष्ट्र	39	18,163	37	1,334
मणिपुर	—	—	—	—
मेघालय	...	...	...	...
नागालैण्ड	...	...	...	...
उड़ीसा	10	5,564	11	6,060
पंजाब	...	...	4	145
राजस्थान	28	4,203	16	1,170
सिक्किम	...	...	...	...
तमिलनाडु	23	11,848	24	1,258
त्रिपुरा	...	—	1	65
उत्तर प्रदेश	12	2,211	17	482
पश्चिम बंगाल	123	79,286	...	...

1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	—	—	...	...
चण्डीगढ़	...	...	...	...
दादर व नागर हवेली	—	—	—	—
दिल्ली	2	4,242	1	9
गोवा, दमन व दीव	5	570	—	—
लक्षदीप	...	...	...	...
मिजोरम	...	...	...	...
पांडिचेरी	...	...	—	—
कुल	342	191,601	187	71,870

(अ) =अन्तिम

(—) =शून्य

(...) =उपलब्ध नहीं

(*) =कामबंदियों औद्योगिक विवादों को छोड़कर अन्य कारणों से हैं और इनमें स्थायी तथा अस्थायी दोनों किस्म की कामबंदियां शामिल हैं, लेकिन इनमें "आफ सीजन" की कामबंदियां शामिल नहीं हैं।

पर्यावरण और औद्योगिक सुरक्षा के लिए विचार-गोष्ठी

1011. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली में हाल ही में 2 फरवरी से 5 फरवरी, 1985 तक "इनवाइरनमेंन्ट एण्ड इंडस्ट्री सेफ्टी" पर हुई विचार गोष्ठी की कार्यवाही की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार हाल ही में भोपाल में हुई गैस दुर्घटना और देश में हाल ही में हुई अन्य औद्योगिक दुर्घटनाओं को ध्यान में रखकर औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण

की समस्याओं पर नियंत्रण पाने के लिए इस विचार-गोष्ठी में दिए विभिन्न महत्त्वपूर्ण सुझावों का अध्ययन कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी औद्योगिक दुर्घटनाओं और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए उक्त विचारगोष्ठी द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विचार-गोष्ठी ने पर्यावरण सुरक्षा, परमाणु सुरक्षा और विकिरण चिकित्सात्मक संरक्षण और औद्योगिक पर्यावरण तथा दुर्घटना समस्याओं का सामना करने में ट्रेड यूनियन आन्दोलनों के योगदान से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया । इस विचार-गोष्ठी की सिफारिशों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

महानगर परिवहन व्यवस्था संबंधी राष्ट्रीय गोष्ठी

1012. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्रीमती माधुरी सिंह } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1 मार्च, 1985 को दिल्ली में महानगर परिवहन व्यवस्था सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) द्वारा किए गए भाषण की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को, विशेष रूप से बहुसंख्यक दैनिक यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक कुशल बस सेवा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी के निष्कर्ष क्या थे तथा गोष्ठी में दिये गये सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां ।

(ख) तथापि, गोष्ठी की कार्यवाही और उसमें की गई सिफारिशों का सार आयोजकों से प्राप्त नहीं हुआ है ।

"क्लूसा" तिलहन परियोजना

1013. **श्री श्रीहरि राव** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तिलहन उत्पादन को उस निराशाजनक स्थिति की जानकारी है, जिसकी वजह से वर्ष 1983-84 में 1200/-करोड़ रुपये की धनराशि तक का आयात करना पड़ा था और विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार वर्ष 1990 तक 3000-4000 करोड़ रुपये को धन-राशि तक का आवास किए जाने की संभावना है ;

(ख) क्या 116 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 1979 में शुरू की गई "क्लूसा" तिलहन परियोजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस परियोजना का कोई स्वतन्त्र मूल्यांकन किया गया है और संसद को इसकी रिपोर्ट भेजी गई है तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् तथा अन्य संस्थानों ने नई किस्मों के ऐसे दावे किए हैं, जो सच नहीं हैं और यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) छठी योजना में तिलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। उत्पादन 1979-80 के 87.4 लाख मीटरी टन के स्तर से बढ़कर 1983-84 में 128.1 लाख मीटरी टन तक पहुंच गया है। छठी योजना में तिलहन उत्पादन का 130 लाख मीटरी टन का लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है। तथापि, गत में खाद्य तेल का आयात मुख्य रूप से जनसंख्या में वृद्धि के कारण बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त, 1990 में खाद्य तेलों के आयात की लागत बताना अभी संभव नहीं है। प्रत्येक वर्ष आयात को जाने वाली खाद्य तेलों की मात्रा सरकार द्वारा तय की जाती है। इसमें देश में तेलों की मांग के तहत् उत्पादन, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों आदि को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) 1979 में शुरू की गई 150 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को तिलहन परियोजना ने तिलहनों तथा वनस्पति तेलों के उत्पादन अधिप्राप्ति संसाधन तथा विपणन में सहायता के लिए तिलहन की उत्पादन करने वाले सात राज्यों में पंजीकृत किए गए अधिक से अधिक तिलहन उत्पादकों के 7 सहकारी संघों में अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है।

(ग) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को तिलहन परियोजना का आखरी मूल्यांकन 1983 में एक संयुक्त दल द्वारा किया गया था। दल द्वारा की गई विस्तृत सिफारिशों 12-3-1984 को अतारांकित प्रश्न सं० 2369 के उत्तर में लोक सभा को भेजी गई थी। वे नीचे दी गई है :—

(1) संसाधन सुविधाओं के लिए लाइसेंस देने सम्बन्धी पद्धति को सुव्यवस्थित किया जाए।

(2) केन्द्रीकृत मंडी विश्लेषण और पूर्वानुमान के कार्यों का विकास किया जाए।

(3) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में परियोजना की नीति वार्षिक उत्पादन में भारी वृद्धि लाने की कोशिश करने की बजाए आदर्श स्तर पर वर्षानुवर्ष उत्पादन को स्थिर करने की हो ।

(4) समिति सचिवों को अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए ।

(5) जहां पर कृषि सम्बन्धी पदों को गैर-कृषि अभ्यार्थियों से भरा जाना आवश्यक हो, ऐसे अभ्यार्थियों के लिए कृषि सम्बन्धी विषयों में सघन और औपचारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए ।

(6) राज्यों और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का एक पक्का निश्चय हो कि संघों के ऊपरी स्तर के प्रबन्धकीय पदों पर सूयोज्य व्यक्तियों को रखा जाए तथा इन्हें कम-से-कम 3 से 4 वर्ष तक इन पदों पर रहने दिया जाए ।

(7) राज्य संघों को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाए और संसाधन संयंत्र प्रबन्धक को उनके क्षेत्र के अन्तर्गत अर्द्ध-स्वायत्तशासी क्षेत्राधिकार दिया जाए।

(8) कच्चे माल की ढुलाई अथवा तैयार माल को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भेजने का निर्णय मुख्यालय में लिया जाए ।

(9) जहां उत्पादन, अधिप्राप्ति और इष्टतम क्षमता उपयोग अधिक सुनिश्चित हो, ऐसे सिंचित क्षेत्रों में अधिक बड़े प्लांट लगाए जा सकते हैं ।

(10) राज्य संघों को धीरे-धीरे राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की अधिप्राप्ति सहायता के उपयोग पर निर्भरता कम कर देनी चाहिए तथा जहां तक सम्भव हो, अधिप्राप्ति के लिए वाणिज्यिक वाहनों का उपयोग करना शुरू करना चाहिए ।

(11) अधिप्राप्ति कार्य पूरे वर्ष किया जाए ।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा अन्य संस्थानों ने विभिन्न तिमहन फसलों की निम्नलिखित उन्नत किस्मों का विकास किया है :—

फसलें	उन्नत किस्में
मूंगफली	जे० एल०-24, कादरी-3, एम० ए०-10, सी०-355, आर० एस०-138, जी०-201, जी०-2

फसलें	उन्नत किस्में
तोरिया-सरसों	आर० एच०-30, सीता, क्रांति, आर० डब्ल्यू०-351, आर० आई० एम०-198, आर० आई० एम०-514
कुसुम	तारा भीमा।
अलसी	नीलम, एस० पी० एस०-77/23-10, हिमालिनी, एल० एच० सी० के०-39, एल० एच० सी० के०-131, एल० एच० सी० के०-21।
सूरजमुखी	सूर्या, मोरडेन, बी० एस० एच०-1, सी० ओ०-1।
रामतिल	फूले-1, आई० जी० पी०-39, आर० सी० आर०-18।
सोयाबीन	गौरव, दुर्गा, मोनेत्सा।

इन सभी किस्मों में समुचित उत्पादन तकनीकी से इन तिलहन फसलों के उत्पादन स्तर को बढ़ाने की क्षमता है।

श्रीराम एण्ड डी० सी० एम० केमिकल मिल्स् काम्पलेक्स मोतीनगर दिल्ली में पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अभाव

1014. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि श्रीराम एण्ड डी० सी० एम० केमिकल मिल्स काम्पलेक्स, निकट मोतीनगर दिल्ली में पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी है और सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में इसकी उपस्थिति अवश्य ही खतरनाक है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का इस विषय में जांच कराने का प्रस्ताव है ;

(घ) क्या सरकार का कथित कारखानें के प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ;

(ङ) यदि हां, तो कब और किस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री डी० अंबैया) : (क) और (ख) जी हां। दिल्ली

प्रशासन के अनुसार, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली स्थित मैसर्स श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से, जिसके आस-पास घनी आबादी वाला क्षेत्र है, खतरा हो सकता है।

यह सूचित किया गया है कि हाल ही में किए गए निरीक्षण (निरीक्षणों) के दौरान वहां सुरक्षा अपेक्षाओं की अपर्याप्तता का पता लगा है जो कि खासकर निम्न प्रकार की घटना होने पर खतरनाक सिद्ध हो सकती है ; अर्थात् :

—तरल क्लोरीन भंडारण बैंकों में से किसी से तरल क्लोरीन का रिसना ;

—तरल क्लोरीन को एक टैंक में से दूसरे टैंक में डालते समय रिसना ;

—विषैली गैसों को वायुमंडल में छोड़ने से पहले उन्हें निष्प्रभावित करने की व्यवस्था का न होना ;

—पर्याप्त चेतावनी देने हेतु संकेत देने वाले स्वचालित गैस डिटेक्शन पद्धति की व्यवस्था का न होना ; और

—बचाव उपस्कर के उपयोग करने के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षण देने की कमी।

(ग) से (च) श्रमिकों तथा समाज पर आ सकने वाली घोर विपत्ति को रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षा पद्धति निर्धारित न करने पर दिल्ली प्रशासन कम्पनी के प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के बारे में विचार कर रहा है।

लक्ष्मीनगर यमुनापार क्षेत्र में मूल सुविधाओं की व्यवस्था

1015. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण लक्ष्मी नगर यमुना पार क्षेत्र में पक्की सड़क और नालियों जैसी मूल सुविधाओं की व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उन सड़कों पर जहां-जहां दो वर्ष पहले बजरी डाली गई थी, अभी तक कौलतार न डालने के क्या कारण हैं ;

(ग) उन सड़कों पर कब तक कौलतार डालकर उन्हें पक्का बनाया जायेगा और नालियों की व्यवस्था की जायेगी ; और

(घ) गत दो महीनों के दौरान इस कालौनी में इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) यह सच नहीं है।

(ख) रोड़ी तथा तारकोल सहित सड़कें एवम् नाली डालने का दिल्ली विकास प्राधिकरण का काम पूरी निष्ठा से चल रहा है।

(ग) दिसम्बर, 1985 तक इसके पूर्ण हो जाने की सम्भावना है, यद्यपि, लाभभोगियों ने अभी तक यथा अपेक्षित विकास प्रभार जमा नहीं किए हैं।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विगत दो माह में लगभग 20 प्र० श० कार्य पूर्ण कर दिया है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान फसलों के लक्ष्यों की उपलब्धता के सम्बन्ध में भिन्न विचार

1016 **श्री के० राममूर्ति** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 2 फरवरी, 1985 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में चौबीसवें दीक्षान्त समारोह में अन्य बातों के साथ यह टिप्पणी भी की थी कि छठी पंचवर्षीय योजना के लिए दालों, मन्ना, सूती, पटसन और 'मैस्टा' जैसी कुछ कृषि फसलों का लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त नहीं किया जा सकता ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्यों के पूरा न होने के क्या कारण है ;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वर्ष 1983-84 की रिपोर्ट में बताया था कि आर्थिक विकास, मुख्यतया कृषि क्षेत्रों की उपलब्धियों, संतोषजनक होगा ; और

(घ) यदि हां, तो कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में व्यक्त किए गए विचारों में पाई गई भिन्नता के मुख्य क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ फसलों के सम्बन्ध में छठी योजना के लक्ष्यों को पूरा न करने का मुख्य कारण 1984 के मानसून मौसम (जून से सितम्बर तक) के दौरान देश के कुछ भागों में अपर्याप्त वर्षा और सूखे की लम्बी अवधि रहना और बाद में मानसून के बाद और शीतकालीन वर्षा का कम होना है।

(ग) जी, हां।

(घ) 2 फरवरी, 1985 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 24वीं दीक्षान्त समारोह के अभिभाषण में मेरे द्वारा दिए गए वक्तव्य और भारतीय रिजर्व बैंक की 1983-84 की वार्षिक

रिपोर्ट में व्यक्त किए गए विचारों के बीच कोई अन्तर नहीं है। छठी योजना के लक्ष्यों की उपलब्धि में कुछ कृषि फसलों के उत्पादन में प्रत्याशित थोड़ी बहुत कमी होने के बावजूद तथ्य यह है कि देश में 1983-84 में खाद्यानों और तिलहन उत्पादन का रिकार्ड उत्पादन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन के अखिल भारतीय सूचकांक में वर्ष 1982-83 की अपेक्षा 13 6 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की गई है।

कृषि मूल्य आयोग

1017. **श्री एन० वी० वेंकटरत्नम** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मूल्य आयोग को किस आधार पर स्थापित किया गया था तथा उससे गठन का क्या ब्यौरा है ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने धान आदि का आयोग द्वारा निर्धारित वर्तमान मूल्य की अपेक्षा अधिक समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए केन्द्र को 26 जून, 1984 को कोई पत्र लिखा था ;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ;

(घ) आन्ध्र प्रदेश के एक कृषि प्रधान राज्य होने पर भी आन्ध्र प्रदेश को आयोग का सदस्य न बनाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कृषि मूल्य नीति पर सतत् आधार पर सलाह देने के लिए खाद्यान्न मूल्य सम्बन्धी झा समिति की सिफारिशों पर 1965 में स्थापित किए गए कृषि मूल्य आयोग को अब "कृषि लागत और मूल्य आयोग" नया नाम दिया गया है। वर्तमान गठन में एक अध्यक्ष, दो सदस्य तथा एक सचिव-सदस्य की व्यवस्था है। एक सदस्य गैर-सरकारी है, जिसे कृषि उत्पादन तथा उपभोक्ता की समस्याओं की जानकारी होती है।

(ख) आयोग सिर्फ सिफारिश करने वाला निकाय है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है कि 1984-85 की खरीफ फसलों के लिए आयोग द्वारा की गई सिफारिश की तुलना में अधिक स्तर पर समर्थन मूल्य निर्धारित किए जायें।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के विचार सहित सम्बद्ध घटकों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद भारत सरकार ने 1984-85 खरीफ फसलों के लिए निम्नलिखित समर्थन मूल्य निर्धारित किया :—

जिंस	1984-85 मौसम के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य (रु० प्रति क्विंटल)
धान (सामान्य)	137
ज्वार, बाजरा, मक्का	130
उड़द	275
मूंग	275
तुड़ (अरहर)	275
मूंगफली	340
कपास (एच०-4)	535

(घ) वर्तमान आयोग, जिसमें विशेषज्ञ शामिल हैं, का गठन वैज्ञानिक आधार पर किया गया है ताकि मूल्य नीति के सभी पहलुओं की जांच की जा सके। फिर भी, आयोग मूल्य नीति पर अपना विचार बनाने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श करता है।

[हिन्दी]

श्री माधविभाग खण्ड उद्योग सहकारी मण्डली लिमिटेड, गुजरात द्वारा चीनी फैक्टरी की क्षमता में वृद्धि करना

1018. **श्री सी० डी० गामित** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सूरत जिले में माओही स्थित श्री माधविभाग खण्ड उद्योग सहकारी मण्डली लिमिटेड ने भारत सरकार के खाद्य और नागरिक पूर्ति तथा उद्योग मंत्रालयों की अनुमति प्राप्त किये बिना अपनी चीनी फैक्ट्रियों की क्षमता 2500 टी० सी० डी० से बढ़ाकर 3500 टी० सी० डी० कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने लाइसेंस कानून का उल्लंघन करने के कारण सम्बन्धित कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई या किये जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) श्री माधिविभाग खण्ड उद्योग सहकारी मण्डली लि०, मांधि जिला सूरत द्वारा अपनी फैक्टरी की क्षमता 2500 टी० सी० डी० से बढ़ाकर 3500 टी० सी० डी० किये जाने के बारे में सरकार को पता है। सरकार इस पूरे मामले की कानूनी पेचदगियों की सक्रिय रूप से जांच कर रही है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आरम्भ में ही सभा को बता दिया था कि अगर आप सारे खड़े होकर एक ही समय पर बोलेंगे तो, मैं सुन नहीं पाऊंगा। आप सब कृपया बैठ जाइये। तभी मैं आपको बोलने के लिए कहूंगा।···(**व्यवधान**)···*

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कृपया वे बैठ जाएं। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। इस मामले में मैं काफी सख्त हूं। जब मैं खड़ा हूं, तो आप कृपया बैठ जाइए।···(**व्यवधान**)* कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैं इस बारे में काफी सचेष्ट हूं। मैं प्रत्येक सदस्य से कह रहा हूं कि बैठ जाइए। तभी मैं अनुमति दूंगा। अन्यथा आप सभी सभा का समय नष्ट कर रहे हैं।*···(**व्यवधान**)···

सभी बातें महत्त्वपूर्ण हैं। लेकिन मैं इस तरीके से अनुमति नहीं दूंगा। मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं कि आप अपना हाथ खड़ा करें, खड़े होकर जोर-जोर से नहीं बोलें, मैं आपको बोलने के लिए तभी कहूंगा। अन्यथा कैसे मैं आपकी बात सुन सकता हूं? यह कोई व्यवस्थित ढंग नहीं है। मैं आपसे बार-बार प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इस प्रकार न बोलें, न शोर मचायें। पहले आप सब कृपया बैठ जाइये। मैं आपको बोलने के लिए कहूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजपुर) : क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं? 23 मार्च को लोकसभा का अधिवेशन चल रहा था। जब लोकसभा का अधिवेशन चल रहा था तो प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर पंजाब के बारे में नीति सम्बन्धी घोषणा की···(**व्यवधान**) ऐसे पूर्वोदाहरण हैं। मैं तीन ऐसे पूर्वोदाहरण देना चाहता हूं, जिसमें अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिए हैं। पांचवी लोक सभा में जब केन्द्रीय श्रम मन्त्री ने, सभा से बाहर बोनस नीति की घोषणा की थी तब उनसे कहा गया था कि आप सभा के बाहर ऐसा नहीं कर सकते थे·· (**व्यवधान**) जब सभा का अधिवेशन 23 मार्च को चल रहा था तो प्रधानमंत्री द्वारा सभा के बाहर दिए गए पंजाब सम्बन्धी नीति घोषणा के वक्तव्य

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के विरुद्ध मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मैंने इस प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति मांगी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस मामले से सम्बन्धित आपके प्रस्ताव की सूचना मिली है। इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न ही नहीं बनता।

प्रो० मधु दण्डवते : जो पूर्वोदाहरण मेरे पास हैं, क्या उनकी जानकारी आपको भी है। केन्द्रीय श्रम मन्त्री श्री खाडिलकर और रेल मंत्री, जिन्होंने सभा के बाहर नीति सम्बन्धी घोषणा की थी, से सम्बन्धित पूर्वोदाहरण हैं। अध्यक्ष ने कहा कि आप इस तरह नीति सम्बन्धी घोषणा सभा के बाहर नहीं कर सकते। आप ऐसा केवल सभा में ही कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप इसे अपने विचाराधीन रख रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें विशेषाधिकार सम्बन्धी कोई प्रश्न नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह आपका विनिर्णय है कि इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न निहित नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न निहित नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं बैठ रहा हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं अपने नोटिस को सबल बनाने के लिए पांचवी छठी और सातवीं लोक-सभा के पूर्वोदाहरण भी उद्धृत करूंगा।

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : यह बिल्कुल असंगत है। इस में कोई सार नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने मात्र इतना कहा है कि हमें सूचना प्राप्त हुई है। इसमें विशेषाधिकार वाली कोई बात नहीं है।

श्री अब्दुल रसीद काबुली (श्रीनगर) : लद्दाख में जून माह में चुनाव कराये जाने का कार्यक्रम था। लेकिन चुनाव आयोग ने इसे बदल कर इस वर्ष अप्रैल में कर दिया है। इस परिवर्तन के

कारण लद्दाख के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए लद्दाख में चुनावों की तिथि में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : चुनाव आयोग एक स्वतन्त्र निकाय है। लद्दाख में चुनावों की तिथि में परिवर्तन के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपने चैम्बर (कक्ष) में भी आपसे यह बात कही थी इस मामले में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

...(**व्यवधान**)...

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल न किया जाए।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : सोवियत संघ के दूतावास के कर्मचारी की दिल्ली में हत्या कर दी गई। हमने इस पर चर्चा करने की सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप मेरे कक्ष में आये थे तो हमने पहले ही इस पर चर्चा कर ली थी। मैंने पहले ही आपको इस मामले के बारे में बताया था। माननीय मंत्री इस बारे में दोपहर बाद एक वक्तव्य देने जा रहे हैं। मैंने पहले ही उनसे इस बारे में विचार-विमर्श किया है।

श्री इन्द्रजीत सिंह गुप्त (बरिहाट) : मैंने आपको एक आवश्यक नोटिस दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अचानक यह आदेश जारी किए हैं कि फिल्म प्रभाग के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रीय निर्माण केन्द्रों को बन्द कर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री से जब अनुपूरक प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने उसी समय इसका उत्तर दे दिया था।

श्री० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : गृह मंत्री को हमें सन्तुष्ठ करना चाहिए कि लद्दाख में चुनाव क्यों स्थगित किए जा रहे हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि चुनाव आयोग एक स्वतन्त्र निकाय है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कृपया मुझे भी बोलने की अनुमति.....

...(**व्यवधान**)...

उपाध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्य कृपया बैठ जाइए। हम सभी सूचनाओं पर विचार कर रहे हैं। मैंने पहले ही यह बात कह दी है। हम इन पर कार्यमंत्रणा समिति में विचार करेंगे।

12.07 म० प०

[अनुवाद]

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

दिल्ली विकास अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1985 से सम्बंधित विवरण

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण—उपनिदेशक (आयोजन) (भर्ती) विनियम 1985, जो 1 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेक्रेटरी/वी० एंड सी०/682/79-भाग I में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण—निदेशक (वानिकी) और उपनिदेशक (वानिकी) भर्ती (संशोधन) विनियम, 1985, जो 13 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 7 (11)/83/पी० बी०-I/43 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 563/85]

(2) स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1985 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 564/85]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम सीमित, कलकत्ता का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की समीक्षा, आदि

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत, अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 93 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 18 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा

जिसमें 1 अक्तूबर, 1984 से 31 मार्च, 1985 तक की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/जिस बोर्डों को उर्वरक के घरेलू निर्माताओं द्वारा की जाने वाली उर्वरकों की पूर्ति सम्बन्धी आदेश प्रकाशित हुआ है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 565/85**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम सीमित, कलकत्ता, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पश्चिम बंगाल कृषि-उद्योग निगम सीमित, कलकत्ता, का वर्ष 1980-81 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी 566/85**]

(ख) (एक) पंजाब कृषि-उद्योग निगम सीमित चंडीगढ़, के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब कृषि-उद्योग निगम सीमित, चंडीगढ़, का वर्ष 1979-80 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 567/85**]

(ग) (एक) केरल कृषि-उद्योग निगम सीमित, त्रिवेन्द्रम, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल कृषि-उद्योग निगम सीमित, त्रिवेन्द्रम का वर्ष 1980-81 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 568/85**]

(घ) (एक) कर्नाटक कृषि-उद्योग निगम सीमित, बंगलौर, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक कृषि-उद्योग निगम सीमित, बंगलौर, का वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त मद (4) में (क) से (घ) तक में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 569/85**]

(4) (एक) राष्ट्रीय सहकारी भूमि विकास बैंकों का महासंघ, बम्बई के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) राष्ट्रीय सहकारी भूमि विकास बैंकों का महासंघ, बम्बई, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी भूमि विकास बैंकों का महासंघ, बम्बई, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 570/85]

खाद्य निगम अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अंतर्गत, खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 1985, जो 12 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 146 (अ) में प्रकाशित हुए थे कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल-पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 571/85]

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् बम्बई का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा और उन पत्रों को रखते हुए विलम्ब से सम्बन्धित विवरण

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्, बम्बई, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, बम्बई, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 572/85]

12.08 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है;

"मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 22 मार्च 1985 की अपनी बैठक में इसके साथ संलग्न प्रस्ताव पारित किया है जिसमें मानसिक स्वास्थ्य विधेयक 1981 को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा गया है और यह अनुरोध किया गया है कि इस प्रस्ताव पर लोक सभा की सहमति तथा उक्त संयुक्त समिति के लिए नियुक्त किए जाने वाले लोक सभा के सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित किये जायें।

प्रस्ताव

"अतः इस सभा ने 27 जुलाई, 1982 को हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव स्वीकार किया था कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार और उनकी देखरेख से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए उनकी संपत्ति और कार्य-कलाप की बाबत बेहतर उपबंध करने और उनसे सम्बद्ध या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को सभाओं को संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 30 सदस्य होंगे, 10 सदस्य इस सभा से और 20 सदस्य लोक सभा से;

और अतः इस सभा ने उक्त संयुक्त समिति के लिए इस सभा से 10 सदस्यों को नियुक्त किया था ;

और अतः इस सभा ने सिफारिश की थी कि लोक सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और उस संयुक्त समिति के लिए लोक सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ;

और अतः तत्पश्चात् 28 जुलाई, 1982 को लोक सभा को एक संदेश भेजा गया था जिसमें लोक सभा को इस सभा द्वारा उक्त प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बारे में सूचित किया गया था ;

और अतः लोक सभा ने 13 अगस्त, 1982 को हुई अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया था जिसमें उसने इस सभा को उक्त सिफारिश पर सहमति दे दी थी और उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक सभा से 20 सदस्यों को नाम-निर्देशित कर दिया था;

और अतः संयुक्त समिति द्वारा विचार विमर्श समाप्त किए जाने से पूर्व 31 दिसम्बर, 1984 को लोक सभा का विघटन कर दिया गया और तत्पश्चात् उसी दिन नई लोक सभा का गठन कर दिया गया ;

अतः अब यह सभा संकल्प करती है कि उपरोक्त विधेयक, सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 30 सदस्य होंगे, 10 सदस्य इस सभा से अर्थात् :—

1. श्री भुवनेश चतुर्वेदी,
2. श्री सुखदेव प्रसाद,
3. श्री किशोर मेहता,
4. श्री नत्था सिंह,
5. श्रीमती अमरजीत कौर,
6. श्रीमती इला भट्टाचार्य,
7. श्री एरा साम्बशिवम्,
8. डा० बाबू कालदाते,
9. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव,
10. श्री लेनार्ड सोलोमन सरिंग,

और 20 सदस्य लोक सभा से ।

संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या को एक तिहाई होगी ;

अन्य विषयों के बारे में इस सभा के प्रवर समितियों सम्बन्धी प्रक्रिया विषयक नियम ऐसे परिवर्तनों तथा भेदों के साथ लागू होंगे जिन्हें कि सभापति करें ;

समिति 31 अक्तूबर, 1985 तक इस सभा को प्रतिवेदन दे देगी ;

यह सभा लोक सभा से सिफारिश करती है कि लोक सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और उस संयुक्त समिति के लिए लोक सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।

———

12.9½ म० प०

संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

12.10 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) चिल्का झील के क्रमबद्ध विकास के लिए पर्याप्त धन का आवंटन करने की मांग

****श्रीमती जयन्ती पटनायक** (कटक) : महोदय, चिल्का झील, जो कि भारत की सुन्दरतम झीलों में से एक है, और जिसका पर्यटन की दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व है, अपनी सुन्दरता खोती जा रही है, क्योंकि इसके विकास के लिए पर्याप्त रुचि नहीं ली गई है। देश की इस सबसे बड़ी झील में बड़ी तेजी से गाद भरता जा रहा है।

बड़े-बड़े समूहों में अनेक प्रकार के पक्षी, इनमें राजहंस भी शामिल हैं, हर साल इस झील में आते हैं। ये पक्षी पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण के केन्द्र है। यह कहा जाता है कि चिल्का

---

* दि० 25-3-85 को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

** उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

झील राजहंसों का बसेरा है। लेकिन चिंता की बात है कि उनकी संख्या हर साल कम होती जा रही है।

झील के आस-पास की भूमि पर किसानों द्वारा कीटनाशक दवाइयां छिड़कने से कई बार झील का पानी दूषित हो जाता है जिससे बड़ी संख्या में पक्षी मर जाते हैं। पक्षियों को आकर्षित करने के लिए अगर झील के विकास के लिए जरूरी उपाय नहीं किए गए तो बाहर से पक्षियों का आना बन्द हो जाएगा।

बहुत साल पहले चिल्का में पक्षी वेधशाला खोलने का प्रस्ताव रखा गया था किन्तु मुख्यतः संसाधनों के अभाव के कारण इस पर अमल नहीं किया जा सका। चिल्का झील के क्रमबद्ध विकास के लिए एक योजना तैयार करने की जरूरत है। उक्त योजना में झील से गाद हटाना, उसे प्रदूषण से मुक्त रखना, पक्षियों को आकर्षित करने के लिए झील के चारों ओर घना जंगल लगाना तथा पक्षी वेधशाला की स्थापना शामिल की जानी चाहिए।

प्रधान मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह चिल्का झील के सर्वांगीण विकास से सम्बन्धित उक्त योजना को लागू करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करें।

[हिन्दी]

(दो) अकबरपुर (फैजाबाद, उत्तर प्रदेश की किसान सहकारी चीनी मिल के लाइसेंस को बहाल करने की मांग

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को उठाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित अत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्र अकबरपुर (जनपद फैजाबाद) में वर्ष 1975-76 के अन्तर्गत सहकारिता के आधार पर एक चीनी मिल खोलने की स्वीकृति भारत सरकार ने प्रदान की थी जिसका नाम "दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, अकबरपुर" था। उक्त हेतु अकबरपुर में कार्यालय खुला और उसने एक वर्ष से भी ज्यादा काम किया जिसके द्वारा अकबरपुर एवं टाण्डा तहसील में गन्ना किसानों को काफी प्रोत्साहित किया गया, जिससे गन्ने का उत्पादन काफी बढ़ा। किसानों से अंशपूंजी के रूप में करीब 20 लाख रुपये सरकारी कोष में उसी समय से जमा हैं और भूमि का चयन भी किया जा चुका है। श्रीमान्, जनता पार्टी के शासन-काल में उक्त मिल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया जिससे किसानों में व्यापक क्षोभ है तथा अंशपूंजी की धनराशि पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः तत्कालीन स्थानीय विधायक एवं मेरे व्यक्तिगत निवेदन पर भारत सरकार को चीनी मिल को लाइसेंस प्रदान करने के लिए लिखा है। अकबरपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अकबरपुर क्षेत्र में हजारों एकड़ भूमि ऊसर के रूप में बेकार पड़ी हुई है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि अकबरपुर क्षेत्र में उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए "दी किसान सहकारी चीनी मिल" को लाइसेंस प्रदान

[श्री राम प्यारे सुमन]

किया जाए और सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही इसके लिए धन की व्यवस्था करके मिल की स्थापना कराने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(तीन) अम्मू और काश्मीर के विभिन्न भागों के लिए "वायुदूत विमान सेवा" आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री जनक राज गुप्ता (जम्मू) : महोदय, मैं नागर विमानन मंत्री का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जम्मू-काश्मीर के अनेक भागों जैसे पुंछ, राजौरी, किश्तवार, मदरवाह, बनी तथा कारगिल में रहने वाले लोगों को परिवहन के पर्याप्त साधनों के अभाव में जिला तहसील या खंड मुख्यालयों में जाने परेशानी होती है। इसके अलावा माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इन क्षेत्रों के लोगों को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यहां 'वायुदूत' सेवा शुरू करने पर विचार किया जाएगा।

माननीय पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इन क्षेत्रों के निवासियों के समक्ष आने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए यहां वायुदूत सेवा यथा संभव शीघ्र शुरू की जाए।

[हिन्दी]

(चार) राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिलों में नर्मदा नदी से सिंचाई के लिए सातवीं योजना में उपबंध करने की मांग

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : राजस्थान प्रदेश के रेगिस्तानी बाड़मेर एवं जालोर जिलों में सिंचाई के लिए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपने एवार्ड के द्वारा नर्मदा जल की 0.50 मिलियन एकड़ फुट आवंटित किया है।

राजस्थान सरकार ने उन जिलों में जल से भूमि के 99035 हैक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र को सिंचाई करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है परन्तु परियोजना रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है। अतः केन्द्र सरकार राज्य सरकार पर प्रभाव डाले कि परियोजना रिपोर्ट तुरन्त तैयार कर प्रस्तुत करें।

वर्तमान निर्माण कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान सीमा तक गुजरात में मुख्य नहर के सन् 1995-96 तक पूरे हो जाने की संभावना है। राजस्थान सरकार ने इसे जून 1991 तक पूरा किये जाने के वास्ते जोर डाला है।

मेरा उक्त क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते आग्रहपूर्वक निवेदन है कि रेगिस्तानी एवं सीमा-

वर्ती बाड़मेर एवं जालोर जिले जो पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं वहां सन् 1991 तक नर्मदा का पानी पहुंचाया जाये ताकि हजारों वर्षों से प्यासी जमीन में सिंचाई की जा सके।

उक्त बड़ी योजना के लिए उक्त पिछड़े सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्रों को देखते हुए केन्द्र सरकार भी राज्य सरकार को सातवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष सहायता दे ताकि युद्धस्तर पर कार्य किया जाकर सन् 1991 तक बाड़मेर एवं 'जालोर' जिलों में सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी पहुंच सके और उक्त रेगिस्तानी क्षेत्र को हरा-भरा किया जा सके।

[अनुवाद]

(पांच) आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में पेयजल की भारी कमी को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त धन राशि दिए जाने की आवश्यकता

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : आन्ध्र प्रदेश का अनन्तपुर जिला बहुत समय से पीड़ित है। देश में सबसे कम वर्षा वाले जिलों में इसका नम्बर दूसरे स्थान पर है। लगातार सूखा पड़ने से कड़ीरी, सत्य साई, पेनुकोंडा, धर्मवरम, जी० के० पिल्ले, हिन्दुपुर तथा मदकासिरा तल्लुकों में पानी का भारी अभाव है। इन तालुकों के निवासियों को पेयजल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल के सभी स्रोत सूख गए हैं। पानी का स्तर बहुत नीचे चले जाने के कारण बरमों में पानी नहीं है। एक बाल्टी पानी के लिए लोगों को मीलों चलना पड़ता है। केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र के लोगों को पानी के अकाल से बचाने के लिए पर्याप्त धन-राशि आवंटित की जाए तथा बरमें लगाने के लिए 300 फुट गहरी जमीन खोदने के लिए 'डीप-ड्रोलिंग रिग्स्' की व्यवस्था की जाए तथा सभी गांवों को एक ही स्थान से जल वितरित करने वाली प्रणाली के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाए।

(छः) खदान कर्मचारियों के विवाद को हल करने के लिए त्रिपक्षीय बैठक से पहले स्वामी अग्निवेश और उनके सहयोगियों को बिना शर्त रिहा करने की मांग

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : फरीदाबाद में पत्थर खान मजदूरों के प्रदर्शन के बारे में 20 मार्च, 1985 को मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते समय, एक हरिजन मजदूर की हत्या तथा मजदूरों के बारे में उच्चतम-न्यायालय के फैसले के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय श्रम मंत्री ने सदन में यह घोषणा की थी कि खदान मजदूरों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा और विवाद को निपटाने के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक की जाएगी। इस आश्वासन की भावना का उल्लंघन करते हुए आनदुआओं मुक्ति मोर्चा के नेता स्वामी अग्निवेश को उनके साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। मैं श्रम मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि खदान मजदूरों के झगड़े को निपटाने के लिए बुलायी जाने वाली त्रिपक्षीय बैठक से पहले स्वामी अग्निवेश और इनके साथियों को बिना शर्त छोड़ दिया जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : हम इसका समर्थन करते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : जब भी हम नियम 377 के अन्तर्गत मामले उठाते है तो अध्यक्ष महोदय सम्बन्धित मन्त्री को वक्तव्य देने के लिए निदेश देते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।.....

उपाध्यक्ष महोदय : अगर मन्त्री जी चाहें तो वह जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : क्यों नहीं, महोदय ? मैं चाहूंगा कि आप अपने प्रभाव का प्रयोग करें।

प्रो० एन० जी० रंगा (गूंटूर) : वह सम्बन्धित मंत्री जी को इसे भेज सकते हैं।

(सात) भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस, कलकत्ता के लिए वर्तमान अंशकालिक कार्यकारी अधिकारी के स्थान पर पूर्णकालिक कार्यकारी की नियुक्ति करने की मांग

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : एक राष्ट्रीयकृत कम्पनी अर्थात भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस् कलकत्ता को क्षति पहुंचाने के लिए कुछ स्वार्थी तत्वों ने चेष्टा की। वर्ष 1980-81 में कर की कटौती करने से पहले इस सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिट ने लाभ कमाया और उत्पादन 17 लाख से 80 लाख तक बढ़ गया। इस यूनिट का उत्पादन और विकास एक रिकार्ड स्तर तक बढ़ गया तथा संयुक्त उत्पादन समिति ने मार्च, 1984 तक अच्छा कार्य किया। इस यूनिट के कुछ अधिकारी और बर्न स्टैंडर्ड से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी अब आपस में लड़ने लगे। अब यह स्थिति है कि युवा इंजीनियरों के बड़े वर्ग सहित सारे वर्ग के कर्मचारी निराश हो गए हैं। फैक्ट्री के उत्पादन में कमी आ गई है। नए उत्पादों का उत्पादन शुरू करने की कोई योजना नहीं बनाई गई और पहल नहीं की गई है। अस्थायी तौर पर कार्य किए जाते हैं। पुराने समझौतों के कार्यान्वयन सहित श्रमिकों की उन्नति और कल्याण के लिए प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने की मांग अस्वीकार की गई है। सरकारी निदेशों की भी उपेक्षा की जा रही है।

विविध प्रकार के उत्पादन करने वाले मदों में एक नया मद अर्थात एल० पी० जी० सिलेण्डर का उत्पादन वस्तुतः बन्द कर दिया गया है, क्योंकि इसे ब्राजील से आयतित किया जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह वर्तमान अंशकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्थान पर पूरे समय के लिए ऐसा अधिकारी नियुक्त करे और अधिक वेतन पाने वाले प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों को कम्पनी से हटाया जाए। कम्पनी को इन मामलों के बारे में उचित जांच शुरू करनी चाहिए और सरकारी क्षेत्र के इस यूनिट के सुचारू रूप से चलाना चाहिए, क्योंकि श्रमिक अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

(आठ) बिहार के पूर्णिया जिले में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किसी प्रकार का औद्योगिक एकक स्थापित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री डूमर लाल बैठा (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित जनहित के महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :

1. पूर्णिया जिला (बिहार) औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा जिला है। यद्यपि यहां अनेकों प्रकार के कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जैसे पटसन डंठल, चावल, धान का पुआल, धान का भूसा तथा अन्य कृषि उत्पादित वस्तुएं। परन्तु इस क्षेत्र, खास कर अररिया निर्वाचन क्षेत्र में अभी तक किसी प्रकार की ऐसी औद्योगिक इकाई की स्थापना नहीं हो पायी है जिससे वहां के श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र के श्रमिकों को पूरी जीविकोपार्जन का कोई जरिया मिल सके। एक जूट मिल भी जो दी गई है वह गत 10-11 वर्षों से यूं ही पड़ी है। फलस्वरूप अत्यधिक संख्या में स्थानीय मजदूर गांव का गांव खाली कर अन्य जगहों में मजदूरी एवं अन्य जीविका की खोज में जा रहे हैं। इस प्रकार गांव उजड़ता जा रहा है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि इस पिछड़े क्षेत्र में किसी औद्योगिक इकाई की स्थापना की शीघ्र व्यवस्था करे ताकि लोगों को काम मिल सके।

12.20 म० प०

बजट (सामान्य) 1985-86—सामान्य चर्चा

और

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1984-85—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सदन मद संख्या 7 और 8 को साथ-साथ लेगा। हमने पहले ही आवंटित समय से अधिक समय ले लिया है लेकिन अभी भी कई सदस्य बोलना चाहते हैं।

संसदीय-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि समय दो घंटे और बढ़ा दिया जाए और वित्त मंत्री 2.15 म० प० वादविवाद का उत्तर दे सकते हैं।

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत से सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं इसलिए मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे संक्षेप में बोलें ! प्रत्येक सदस्य को चार मिनट का समय दिया जाएगा ! तीन मिनट समाप्त होने पर मैं घण्टी बजाऊंगा और अगर सदस्य चार मिनट से अधिक समय लेगा तो वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री ललितेश्वर शाही (मुजफ्फरपुर) : महोदय, मैं बजट प्रस्तावों के समर्थन में बोलना चाहूंगा लेकिन साथ ही मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं। यह सच है कि वर्तमान बजट प्रस्तावों के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण का संकेत देता है। यह बजट जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। निश्चय ही एक गैर पारंपरिक बजट है। इसमें 10 लाख कर्मचारियों को, जो 15,000 रु० से 18,000 रु० के वेतन खण्ड में आते हैं, राहत दी गई है। यह भी स्वागत योग्य कदम है कि अनिवार्य बचत योजना को समाप्त कर दिया गया है लेकिन इसमें एक कठिनाई है। वह कठिनाई यह है कि न केवल इस वर्ष धन वापस लेने की मंजूरी दी गई बल्कि उन्हें इस वर्ष भी अनिवार्य बचत योजना की राशि जमा करानी होगी ! पहले जमा पूंजी थी। 1/5 की वापसी की सुविधा इस वर्ष उपलब्ध नहीं है। इसमें वेतन पाने वाले वर्ग को बहुत कठिनाई हुई है।

इसके साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां इसमें सीमित वर्ग के लोगों को राहत दी गई है, वहां इससे डीजल, मिट्टी के तेल, वनस्पति तेल तथा साबुन की कीमतों में वृद्धि करके कई वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं। साबुन पर कर लगाने का तात्पर्य शरीर स्वच्छता पर कर लगाना है। मैं महसूस करता हूं कि वित्त मंत्री जी के सामने हेरफेर करने की अधिक गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उन्हें रक्षा व्यय के लिए एक बड़ी राशि देनी पड़ती है जो कि लगभग 7686 करोड़ रुपए है, 7075 करोड़ रुपए के समाज का भुगतान, 1800 करोड़ रुपए की उर्वरक पर छूट की राशि और भारतीय खाद्य निगम को 1100 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करना भी इसमें शामिल है। लगभग 32,000 करोड़ रुपए के गैर-योजना काम सहित यह अकेले ही 50,000 रुपए की कुल राशि बन जाएगी ! डाक-तार को भी कुछ राशि आर्थिक सहायता के रूप में जाएगी। इस सभी व्यय से विकास संबंधी व्यय को धक्का पहुंच सकता है। हेरफेर की गुंजाइश भी कम है। डीजल, कोयला तथा परिवहन प्रभारों में वृद्धि से कीमतें बढ़ रही हैं। जब परिवहन प्रभार बढ़ते हैं तो इसके परिणामस्वरूप हम खाद्यानों, सब्जियों, फल आदि जैसी सभी अन्य मूल वस्तुओं की कीमत में वृद्धि करने की आशा कर सकते हैं। इसके बाद बिजली की दरों में भारी वृद्धि होगी ! इसलिए मूल मदों में, जो साधारण लोगों के लिए आवश्यक है, कीमत को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता ! लेकिन प्रश्न यह है : स्थिति से निपटने के लिए क्या विकल्प है ? स्थिति से निपटने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि हम कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना चाहिए। लाइसेंस देने की नीति को कुछ उदार बनाया गया है ! लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हम इस तरह उदारी करण की नीति से क्या अपेक्षित परिणाम एक वर्ष के भीतर प्राप्त किए जा सकते हैं जिसके लिए यह बजट पेश किया गया है ! सरकारी मशीनरी लम्बी प्रक्रिया की आदी हो गई है जिससे विलंब होता है। मैं नहीं

जानता कि क्या लाइसेंस की नीति को उदार बनाने से प्रगति और आर्थिक विकास में अपेक्षित तेजी आ सकेगी। यदि वह नहीं किया गया तो देश में कृषि उत्पादन के लिए 'मध्यम मार्ग ढूंढने की निश्चय ही आवश्यकता होगी। अगर भूमिगत पानी की क्षमता का उपयोग किया जाएगा तो कृषि उत्पादन बढ़ाने की गुंजाइश होगी। पिछले कुछ वर्षों में भूमिगत पानी की साधन क्षमता का मूल्यांकन किया गया था और उनके अनुसार यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ लोगों में और बंगाल जहां कृषि साधन क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच बहुत भिन्नता है, में भूमिगत पानी की क्षमता अधिक पाई जाती है। यदि ऐसा किया जाएगा तो उससे कीमतों को बढ़ने से रोकने में बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागारा) : उपध्यक्ष महोदय, मैं आपकी कृपा के लिए आभारी हूं। महोदय, मुझे विश्वास है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि इस सरकार के प्रत्येक बजट के एक विशेष वातावरण, बाह्य वातावरण जो विश्व की अर्थ-व्यवस्था पर प्रभुत्व जमाने वाले कारकों और अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक और आर्थिक शक्तियों के साथ अपने पारस्परिक कार्यों से मिलकर बना है, तैयार किया जाता है। यह सरकार की और सत्ता पार्टी के हितों को भी प्रतिबिंबित करता है और उन 70 करोड़ों लोगों के हितों को मैं जानता हूं जो अधिकतर अभी भी निरी गरीबी, गंदगी, विपत्ति के वातावरण में जकड़े हुए हैं। इसलिए इसे 40 लाख कर दाताओं और उनकी आवश्यकताओं को ही नहीं देखना है बल्कि इसका एक सामाजिक दार्शनिक सिद्धांत भी होना चाहिए। मैं इस बजट को इस दृष्टि से देख रहा हूं जिसका विश्व के विद्वानों ने स्वागत किया है और विशेषकर मेरे माननीय दोस्त श्री नानी पालकी वाला ने जिनके लिए मेरे हृदय में बहुत इज्जत है लेकिन उन लोगों के लिए जैसा कि अमेरिका में कहा जाता है जनरल मोटर्स के लिए जो अच्छा है। वह अमेरिका के लिए अच्छा है। और इसी प्रकार जो टाटा और बिड़ला के लिए अच्छा है वह भारत के लिए अच्छा है।

इसलिए मैं नए प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी और उनकी पार्टी को जो भारी जनादेश प्राप्त हुआ है, उसके संदर्भ में अपने मार्ग पर चलने के उसके अधिकार स्वीकार करता हूं। ईमानदारी गंभीरता और विनम्रता से दूसरी तरफ बैठे कांग्रेसी सदस्यों से पूछ रहा हूं कि क्या वह उनकी नीति और संदेश हैं और क्या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा इन्दिरा गांधी से प्राप्त यह दिशा निर्देश है।

वित्त मंत्री वास्तविक स्थिति के प्रति नई प्रतिक्रिया की बात करते हैं। वास्तव में यह एक अच्छा वाक्यांश है। लेकिन वास्तविक दशायें क्या है? समाज की वास्तविक दशाओं को हम व्यापकरूप से बदलना चाहते हैं और समतावादी सामाजिक व्यवस्था की नई दिशा प्रदान करना चाहते हैं या व्यापार और व्यापारिक परिवेश की वास्तविक दशाओं को नयी दिशा प्रदान करना चाहते हैं। भारत में स्वतन्त्र पार्टी के नाम से एक दल होता था जो मुझे विश्वास है और आपको भी याद होगा कि यह इतिहास के गर्त में विलीन हो गई है तथा जिसे जवाहरलाल नेहरू सामन्तवादियों की देन कहते थे। स्वतन्त्र पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि मेरे माननीय और प्रिय दोस्त श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के बजट में इसकी छाया नजर आती है। श्री राजीव गांधी

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्]

जी की सरकार और उनके वित्त मंत्री दुर्भाग्यवश स्वतंत्र पार्टी की वामिनकता को फिर से ले आये हैं।

उनके कहने के अनुसार बजट बनाना वास्तव में तो बही-खाता रखने का प्रयास मात्रा है लेकिन आप किसका बही-खाता रखते हैं।

यदि आप टाटा तथा बिड़ला के बही-खाते देखें तो आपको बिल्कुल इसी तरह का बजट मिलेगा।

सन् 1988 की राष्ट्रीय योजना समिति से लेकर सन् 1948 की कांग्रेस आर्थिक समिति तक तथा संविधान को लागू करना, जिसमें नीति सम्बन्धी निदेशक सिद्धान्तों के माध्यम से राज्यों को समतावादी सामाजिक व्यवस्था लाने का दायित्व सौंपा गया है, से लेकर सन् 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प तक, योजना की प्रक्रिया सन् 1950 में शुरू हुई, अवादी में समाज की समाजवादी पद्धति का संकल्प पारित किया गया। सन् 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प, सन् 1964 के भुवनेश्वर कांग्रेस अधिवेशन में समाजवाद लाने के लक्ष्य को स्वीकार करने तथा यहां तक कि सन् 1979 में संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवाद' शब्द को शामिल करना इस बात के द्योतक हैं कि परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण में निरंतरता थी। कुछ लोगों की नजरों में तथा सत्ताधारी दल के बहुत से लोगों की नजरों में विशेषकर उन लोगों की नजरों में जिनके हाथ में इसकी बागडोर है, समाजवाद भले ही एक अशिष्ट शब्द बन गया है। लेकिन मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि इस परिप्रेक्ष्य तथा दृष्टिकोण को आज इस बजट के माध्यम से नष्ट किया जा रहा है। इसलिए, चाहे वह भूमि की अधिकतम सीमा है या कुछ आवश्यक उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात है या सरकारी क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के उत्कृष्ट पहलुओं के दायित्व की बात है या वित्तीय नीति के मामले जैसे धन कर-जो वसूल ही नहीं किया जा सका या सम्पदा शुल्क की बात है, इन सभी में इसकी झलक मिलती है। इसमें अर्थव्यवस्था के कुछ विभाजक पहलुओं पर अधिक जोर दिया जाना था तथा उसी प्रकार से उचित नीति बनाई जानी चाहिए थी। इस प्रकार से योजनाबद्ध जनतंत्रीय समाजवाद लाने के लिए हममे अर्थव्यवस्था की योजना प्रक्रिया बनाई थी तथा इसका विनियमत तथा कानूनी ढांचा तैयार किया था लेकिन इस बजट में इस लक्ष्य को नजरअंदाज कर दिया गया है।

जिस तरह का समाज लाने के बारे में कुछ आधार तत्व तथा प्रेरणा देने वाली बातें हमारे दिमाग में थी वे अब उलझन में पड़ गई हैं। डा० ब्रह्मनन्द जो समाजिक-अर्थशास्त्री नहीं हैं, परन्तु, जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया था, के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्यों को भुलाकर कम से कम 1000 करोड़ रुपए अपेक्षाकृत समृद्ध वर्गों को दे दिए गए हैं। यह समतावादी समाज तथा आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त के बिल्कुल विरुद्ध है क्योंकि यह कहना गलत है कि केवल निगमित क्षेत्र ही गरीबी, बेरोजगारी बीमारी तथा अज्ञानता की समस्याओं को हल कर सकता है। मैं फिर दोबारा यह कहता हूं कि गरीब लोगों के हितों की उपेक्षा करके अर्थव्यवस्था को गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर ले जाने की शुरूआत की जा रही है। यहां तक की सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो नीति पत्र तैयार किया गया है उसके भी यह विरुद्ध है। केवल यह ही देखना होता है कि कुछ

महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कितनी धनराशि खर्च की जानी है। इस बजट ने क्या किया है ? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) के अन्तर्गत 1984-85 में 236 करोड़ रुपए की बजाए अब आवंटन 230 करोड़ रुपए रह गया है। आवंटन सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कार्यक्रम के लिए भी आवंटन 10 करोड़ से घटाकर 8 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कृषि वित्तीय संस्थाओं, जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, का आवंटन लगभग 142 करोड़ रुपए घटा दिया है अर्थात् 297 करोड़ रुपए से घटाकर 155 करोड़ रुपया कर दिया है। कुटीर तथा ग्रामोद्योग जिसका इस्तेमाल प्रौद्योगिकीय उपकरणों के लिए एक सुनिश्चित ढंग से किया जाता है, का आवंटन 19 करोड़ रुपए कम कर दिया गया है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व-नियोजन योजनाओं के लिए आवंटन 149 करोड़ रुपए से घटा कर 69 करोड़ रुपएं कर दिया गया है अर्थात 80 करोड़ रुपए कम कर दिए गये।

महोदय आवास, जो एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, पर आवंटन 84 करोड़ रु० से घटाकर 39 करोड़ रुपए कर दिया गया है अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों, जिसे मेरे विचार से प्रमुखता दी जानी चाहिए थी, के लिए आवंटन 71 करोड़ रुपए से घटाकर 42 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र सम्बन्धी कार्यक्रम में कोई प्रगति नहीं हुई है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसका उद्देश्य और स्वरूप क्या है।

महोदय अब तर्क यह हो सकता है कि राज्य सरकारों को इनमें से कुछ लक्ष्यों तथा कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए राजस्व आधार में तेजी लानी चाहिए तथा इनका सृजन करना चाहिए, जो इस समय नहीं है। अब क्या वित्त मन्त्री ईमानदारी से इस सदन को यह बता सकते हैं राज्य सरकारें राज्य सरकारों के प्रति उनके रवैये को देखते हुए, चाहें उनकी पार्टी की सरकार हो या किसी अन्य पार्टी की) वर्तमान में बजट में भारी घाटे पर्याप्त ओवरड्राफ्ट तथा कम राजस्व आधार कुछ कर पायेंगी ?

इसीलिए, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बड़े निगमों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा हित के लिए शहरी तथा ग्रामीण लोगों, छोटे किसानों यहां तक कि अच्छे जमींदारों, अनुसूचित जाति प्रथा अनुसूचित जनजाति के लोगों तथा समाज के अन्य सुविधाओं से वंचित वर्गों तथा उन सभी व्यक्तियों जो अपने उचित अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, को भुला दिया गया। यहएक व्यवस्थित दृष्टिकोण है तथा इसके पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य है।

मैं नये प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री को इससे सहमत करवा दूंगा। कुछ लोगों ने उन्हें यही रास्ता अपनाने के लिए कहा है तथा यह ही उचित बताया है। इसलिए इस बजट के गरीब-अमीर का अन्तर और बढ़ेगा तथा इससे असमानता को प्रोत्साहन मिलेगा। आय तथा धन के वितरण के मामले में राष्ट्र ने जो बहुत पहले निर्णय किया था, यह उसके विरुद्ध है। शेयर बाजार के लिए धनराशि जुटाई जा सकती थी। जैसा कि नानी पालकीवाला सरीखे विद्वान तथा अन्य बहुत से कर विशेषज्ञों तथा शेयर बाजार का संचालन करने वाले लोगों ने वित्त मंत्री तथा बजट की सराहना की है। जिन संसाधनों को वित्त मन्त्री ने छोड़ दिया है तथा जिन्हें नहीं जुटाया है गैर-सरकारी

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्]

क्षेत्र निःसन्देह उन संसाधनों को जुटायेगा। उन्होंने इस प्रकार के संसाधनों को नहीं जुटाया है कि बड़ी योजना के ढांचे के लिए तथा सरकारी क्षेत्र पर खर्च के लिए अर्थात् सातवीं योजना के सम्पूर्ण ढांचे के लिए आवश्यक था ?

महोदय, इसके अतिरिक्त, इस बजट में कुछ अन्तर्निहित कारण हैं। मैं पूरे ब्यौरे नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास कम समय है। इससे मुद्रास्फीति दर में और अधिक वृद्धि होगी। हमारे समाज में वर्तमान आय के वितरण को देखते हुए, मुझे विश्वास है कि आप जानते है कि इससे कौन व्यक्ति प्रभावित होंगे। यह निचले 30 प्रतिशत लोगों को प्रभावित करेगा। यदि आप राष्ट्रीय नमूना तुलना में आज 1985 में अधिक निरसहाय लोग हैं। दुर्भाग्यवश हमारे समाज की यह दशा है जिसे वित्तमन्त्री ने इच्छा से चुना है, मुझे यह न पता कि उन्होंने इसे अपनी इच्छा के बिना स्वीकारा है—शहरी तथा ग्रामीण गरीबों के हाथ काटने का मार्ग यहां तक कि उनका अस्तित्व मिटाने का मार्ग। महोदय हमारे यहां एक कहानी है मुझे पता नहीं कि यह तमिलनाडु में भी है या नहीं। ग्रह इस प्रकार से है कि पड़ोसी के बच्चे को किसी बिना प्रयोग में लाए हुए कुएं की गहराई मापने के लिए भेजना। यदि वह जिन्दा आ जाता है तो आपको कुएं की गहराई पता लग गई यदि वह मर जाता है, तो चलो, वह आपका बच्चा नहीं है। लगता है मन्त्री महोदय ने यह हो रास्ता अपनायी है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, यह कहानी मराठी से ली गई है।

श्रीमती वैजयन्ती माला बाली (मद्रास दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपकी आभारी हूं·····।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल पांच मिनट।

श्रीमती वैजयन्ती माला बाली : आप तो मुझे बोलने से पहले ही मेरा समय सीमित कर रहे हैं। बजट पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

मैं बजट का दिल से स्वागत करती हूं तथा इसका पूरी तरह से समर्थन करती हूं। हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गये इस बजट ने, हमारे युवा तथा गतिशील प्रधानमन्त्री, श्री राजीव गांधी द्वारा देश के साथ किए गए वायदों का औचित्य पूर्णरूप से सिद्ध कर दिया है। जो हमारे विरोधी दल के सदस्य कह रहे हैं, वह दयनीय है चूंकि वे विरोधी दल में बैठे हैं इसलिए वे मानते हैं कि वे आलोचना कर सकते हैं; क्योंकि उन्हें आलोचना करनी ही है। इस बजट की अच्छी

[श्रीमती वैजयन्ती माला बाली]

धारणा युवा विचार धारा के कारण यह बजट एक ऐतिहासिक बजट है। यह वह बजट है जिसने एक अर्थव्यवस्था देश की प्रगति को बहुत लाभ होगा।

मैं विरोधी दल के बारे में यह कहना चाहूगी : **हैं आदत से मजबूर इसलिए बोलेंगे जरूर।** मैं यह कहना चाहूंगी कि पालकीवाला जैसे प्रमुख अर्थशास्त्री जो कि सरकार के कटु आलोचक हैं, ने भी इसी समय इस बजट की प्रशंसा की है। उन्हें निश्चित रूप से पता है कि वे किस बारे मे बात कर रहे हैं। उन्होंने यह कहा है कि पिछले चालीस वर्षों मे यह सबसे अच्छा बजट है। वे आज आय-कर तथा कम्पनी कानूनों में विशेषज्ञ माने जाते हैं। विरोधी दल को कम पता है..... (व्यवधान) वे हसने के लिए बाद में समय ले सकते हैं।

विरोधी दल के सदस्यों ने सरकार पर प्रहार इसलिए किया है कि वे इसे अमीर लोगों का बजट कहते हैं। मैं वह कहूंगी कि यह सबसे सबसे श्रेष्ठ **'गरीबी हटाओ'** बजट है। हमारी प्रिय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने **गरीबी हटाओ** का नारा दिया था तथा यह सच भी होगा क्योंकि इस बजट का लक्ष्य है **अमीरी बढ़ा कर गरीबी हटाओ।** अंधेरा कैसे दूर किया जा सकता है ? केवल प्रकाश लाकर। गरीबी दूर कैसे की जा सकती है ? केवल देश की उन्नति को बढ़ाकर। मुझे यकीन है कि ऐसा करने से हमारे देश अर्थव्यवस्था अच्छी प्रगति करेगी।

यह बजट बहुत लोगों को अपना आयकर अधिक ईमानदारी तथा अपनी इच्छा से देने में प्रोत्साहन करेरा। आयकर में इस राहत से तथा कम्पनियों को निगमित करों में इतनी राह से यह बजट लोगों का बिना किसी शिकायत अथवा असंतोष के कर देने के लिए प्रेरित करेगा। केन्द्र केवल विभिन्न राज्यों को ही नहीं बल्कि ग्रामीण विकास के लिए अधिक धन इकट्ठा करने तथा सरकारी कल्याण योजनाओं तथा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का वितरण करने में सफल होगा।

मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आयकर दाता के रूप में मेरा विचार है कि सम्पदा शुल्क तथा अनिवार्य जमा योजना को समाप्त करके हमारे गतिशील प्रधानमन्त्री की नीतियों ने निःसंदेह यह सिद्ध कर दिया है कि अधिक कराधान अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा जिसमें मध्यम तथा गरीब वर्गों की सुरक्षा का हर उपाय किया गया है। सभी क्षेत्रों में चाहे वह सरकारी या गैर-सरकारी हमारी प्रगति दर में तेजी में सुधार के कारण उन्हें केवल क्षतिपूर्ति ही नहीं बल्कि और अधिक मिलेगा।

इस साहसपूर्ण तथा प्रगतिशील बजट पर भाषण देते हुए मैं अपने गतिशील युवा प्रधानमंत्री तथा उनकी सरकार से इस महत्त्वपूर्ण मामले अर्थात् देश में पानी की कमी के बारे में अपील करना चाहूंगी।

जहां तक पानी की कमी की समस्या का सम्बन्ध है, केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि उत्तर भारत की नदियों को शेष भारत से जोड़कर हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल देश के हर भाग में पहुंचाया जाए ऐसा तभी हो सकता है जब नदियों को परस्पर जोड़ा जाए और उनका पानी नहरों के माध्यम से देश के सभी राज्यों को पहुंचाया जाए। इससे पांच प्रयोजन सिद्ध हो सकेंगे। (1) हर साल बाढ़ और सूखे के कारण होने वाली जान-माल, फसल और पशुधन की क्षति से छुटकारा मिलेगा (2) राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी—और एक बार नदियों का राष्ट्रीयकरण कर दिए जाने पर राज्यों के बीच नदी जल को लेकर होने वाले झगड़े और मतभेद सदैव के लिए खत्म हो जाएगें। हिमालय से आने वाले जल से गांवों में रहने वाली 95 प्रतिशत जनता साधन सम्पन्न होगी क्योंकि उनके खेतों को पानी मिलेगा। (3) आधुनिक प्रौद्योगिकी से अनेक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के अवसर प्राप्त होंगे, (4) पानी और उर्वरक की बहुतायत से देश में कृषि के क्षेत्र में क्रांति आएगी और भारत जल्दी ही संसार का अधिक अन्न उगाने वाला देश बन जाएगा (5) इससे गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लाखों बेरोजगारों को रोजगार देने के भारी तथा जटिल कार्य में योगदान मिलेगा।

संसार की महाशक्तियां खतरनाक तथा विनाशक अणु अस्त्रों का जमाव करने में व्यस्त हैं। उन्हें दूसरे देशों से खाद्यान्न का आयात करना पड़ेगा क्योंकि वातावरण प्रदूषित होने के कारण वहां खाद्य फसलों की पैदावार होनी बंद हो जाएगी। गांधी जी की यह भविष्यवाणी सच सिद्ध होगी कि गरीबी दूर करने के लिए भारत को अन्न ही उपजाना है और कुछ नहीं। मैं जानती हूं कि यह कोई आसान काम नहीं है—यह तो भगीरथ प्रयास है—लेकिन युवावर्ग हमेशा चुनौती पसंद करता है। 1985 का यह वर्ष युवा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अपने युवा प्रधानमन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वे देश के युवाओं का आह्वान करें कि वे इस काम को अपने हाथ में लें और भारत को सपनों का भारत अर्थात हरा भरा, धनी, सम्पन्न, शक्तिशाली तथा संगठित बना दे। देश का राष्ट्रीय एकीकरण और एकता आप हर राष्ट्रवादी भारतीय के लिए अति महत्वपूर्ण है। शिक्षा प्रणाली एक ऐसा सुस्पष्ट और त्रुटिहीन ऐसा माध्यम है देश का एकीकरण किया जा सकता है। माननीय वित्त मन्त्री शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करने के कारण बधाई के पात्र हैं। शिक्षा मेरा अनुरोध है कि देश भर में शिक्षा की समान प्रणाली होनी चाहिए ताकि बच्चों को, चाहे वे किसी राज्य के निवासी हों, देश के किसी भी भाग में स्थित स्कूल में प्रवेश मिल सके। ऐसा तभी हो सकता है जब देश भर मे शिक्षा का स्तर तथा शैक्षिक पुस्तकें समान हों। अगर इसके लिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण भी करना पड़े तो यह सही दिशा की ओर उठाया गया कदम ही होगा। कुकुरमुत्ते की तरह उगने वाले उन सभी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए जो घटिया शिक्षा देते हैं और कभी इस कभी उस कारण से चंदा वसूल करते हैं। कहीं कहीं तो अयोग्य तथा अप्रशिक्षित अध्यापक देश के भारी नागरिकों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं।

वास्तव में गरीब हो या अमीर सबके लिए यह बहुत चिन्ता की बात है। मुझे विश्वास है और जैसा कि हमारे गतिशील प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने आश्वासन दिया है, कि इस बजट के

माध्यम से शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए अधिकतम ध्यान दिया जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं इस साहसी और प्रगतिशील बजट का समर्थन करती हूं। धन्यवाद !

श्री पी० चिदाम्बरम (शिवगंगा) : मैं विनम्र भाव से 1985-86 के लिए केन्द्रीय बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं तीन दिनों से विपक्षी सदस्यों के भाषण सुन रहा हूं। वे तो सम्पूर्ण बजट का ही विरोध कर रहे हैं। मुझे यह जानकर तो हैरानी नहीं हुई कि वे इस सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध कर रहे बल्कि हैरानी की बात तो यह है कि वे स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनकी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं।

उत्सुकतावश मैं लाइब्रेरी गया और वहां मैंने पिछले साल का वाद-विवाद देखा। मुझे यह जानकर हैरानी नहीं हुई कि पिछले साल और उससे भी एक साल पहले उन्होंने इसी तरह जोर-शोर से बजट का विरोध किया था। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि विपक्षी दल इस बजट का सामान्य रूप से विरोध कर रहे हैं लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वे उठकर कह सकें कि फलां रियायत तथा राहत अनुपयुक्त है। अभी-अभी मैंने अपने माननीय मित्र श्री उन्नीकृष्णन को सुना। मुझे उनसे पूछने दीजिए या मैं कहूं कि जब मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त वित्त मंत्री के पास गए और उन्होंने उनसे अनिवार्य जमा को खत्म करने के लिए कहा तो उस समय क्या वह नहीं जानते थे कि अनिवार्य जमा से केवल 7 करोड़ 50 लाख करदाताओं को लाभ होगा ताकि 71 करोड़ 50 लाख करदाताओं को ? जब मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त वित्त मंत्री के पास गए और उन्होंने कहा कि "कर मुक्त आय की सीमा 15,000 रु० से बढ़ाकर 18,000 रु० कर दी जाए" तो क्या वह नहीं जानते थे कि करों में किसी तरह की रिआयत से केवल करदाताओं को ही लाभ होगा ? जैसा कि शर्लोक होम्स ने कहा था यह तो मूल बात है।

श्री इंद्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : मैंने केवल वही सुझाव नहीं दिया था। और भी सुझाव दिये थे।

श्री पी० चिदाम्बरम : यह मेरा प्रथम भाषण है। कृपया विघ्न न डालें। शर्लोक होम्स कहा करता था "कि यह तो मूल बात है, प्रिय वाटसन।" मैं सोचता हूं कि मुझे भी श्री गुप्त को बताना चाहिए कि "प्रिय श्री गुप्त यह तो मूल बात है।" यदि करों में रियायत दी जाती है तो उस रियायत से, चाहे यह सरकार दे या जनता सरकार अथवा प० बंगाल सरकार अथवा कोई और सरकार; स्पष्टतः करदाताओं को ही लाभ होगा लेकिन क्या यह बजट केवल करों में रियायतों के बारे में है ? मैं अपने मित्रों, खासकर श्री उन्नीकृष्णन् जिन्होंने इससे पहले अपना भाषण दिया है, से पूछना चाहता हूं कि वे किसका विरोध कर रहे है ? क्या वे बोनस 1600 रु० पर दिये जाने का सैद्धान्तिक आधार पर विरोध कर रहे है ? क्या वे छंटनी किए जाने पर मुआवजे की राशि पर छूट की सीमा 20,000 रु० से बढ़ाकर 50,000 रु० किये जाने का विरोध कर रहे हैं ? क्या वे

[श्री पी० चिदाम्बरम]

चालू ऋण को सुरक्षित ऋण के समकक्ष समझे जाने का विरोध कर रहे हैं क्या ब्याज रहित ऋण पर होने वाली परिलब्धियों पर वेतन के साथ कर न लगाने का विरोध कर रहे हैं ? क्या वे वैज्ञानिकों को तीन सालों में मिलने वाले लाभों का विरोध कर रहे हैं ? क्या वे पाठ्य पुस्तक लेखकों की आयकर में 25% की कमी का विरोध कर रहे हैं ? वे किसका विरोध कर रहे हैं ? क्या वे फसल बीमा का विरोध कर रहे हैं, क्या वे सामाजिक सुरक्षा का विरोध कर रहे हैं ? प्रत्येक प्रस्ताव का खड़े होकर विरोध करने का साहस नहीं होने पर पूरे बजट का विरोध करने की क्या तुक है जबकि इस बजट का व्यापक तौर पर स्वागत हुआ है। बजट का स्वागत इसलिए नहीं हुआ है कि इससे अमीर करदाताओं को रियायत मिली है बल्कि यह मूल रूप से अच्छा है, इससे विकास होगा उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा और करों की अदायगी के लिए प्रेरणा मिलेगी ?

इतना कहने के बाद मैं बताना चाहूंगा कि बजट के बारे में मुझे कुछ आशंकाएं भी हैं। ये आशंकाएं एक युवक तथा संसद के नए सदस्य की आशंकाएं हैं। मेरा विचार है कि इस सम्बन्ध में चर्चा से हमें सहायता मिलेगी। मुझे पूरी आशा है कि माननीय वित्त मन्त्री अपने उत्तर में इन आशंकाओं को दूर करेंगे। मैं जल्द ही उनके बारे में बोलूंगा। सबसे पहले धन कर को लें। छूट की सीमा 2½ लाख तक बढ़ाने की बात समझ में आती है। कुल सम्पत्ति का जोड़ लगाने के लिए कुछ विशिष्ट परिसम्पत्तियों और विशिष्ट सीमा तक छूट देने की बात भी मुझे समझ में आती है। लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर है—लोगों को भी यह समझना बड़ा मुश्किल है—कि 20 लाख की सम्पत्ति एकत्र करने वाले पर केवल 2 प्रतिशत कर ही क्यों लगेगा 5 प्रतिशत क्यों नहीं। मेरे ख्याल से यह बात हमारे विचार दर्शन के विरुद्ध है और मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस पर दोबारा विचार करेंगे क्योंकि 63.8 प्रतिशत से 74.42 प्रतिशत तक राहत दी गई है लेकिन इससे अधिकतम आय वाले व्यक्ति को 1,30,000 रुपये तक की राहत मिलेगी।

मेरी दूसरी आशंका योजना निवेश से सम्बन्धित है। चालू वर्ष अर्थात, जो साल शुरू होगा, के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय की राशि 17,495 करोड़ रु० से बढ़ाकर 18,500 करोड़ रु० कर दी गई है अर्थात, 5.7 प्रतिशत की साधारण सी वृद्धि की गई। वित्त मन्त्री से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे हमें आश्वासन दें कि सातवीं योजना में कुल योजना लागत राशि 1,80,000 करोड़ रु० में कमी नहीं होगी। इस बारे में पहले से चर्चा है कि 1,80,000 करोड़ रुपये में कमी की जाएगी। वित्त मन्त्री से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे सदन को आश्वासन दें कि वार्षिक योजना परिव्यय में वृद्धि करने से कुल योजना परिव्यय में कमी नहीं की जाएगी।

मेरी तीसरी आशंका गरीबी-हटाओ कार्यक्रमों को लेकर है। कुछ हद तक मैं सहमत हूं लेकिन विपक्षी दलों द्वारा की गई आलोचना से नहीं। एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी०, आई० आर० डी० पी०, रेगिस्तान विकास योजना, सूखा ग्रस्त क्षेत्र विकास, शिक्षित

युवाओं के लिए स्व: रोजगार के अन्तर्गत उपबन्धों को समान स्तर पर रखा गया है । कुछ मामलों में सीमांत कटौती की गई है । वित्त मन्त्री के भाषण की इस पंक्ति से मुझे तसल्ली हुई है जहां उन्होंने कहा है कि सरकार इन कार्यक्रमों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है तथा जहां जरूरी होगा वहां आबंटित राशि बढ़ायी जायेगी । गरीबी हटाओ कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी हैं । लेकिन इस तथ्य से, कि नए साल के लिए इसके लिए लागत कमी वेशी वही राशि रखी गई है जो चालू साल के लिए निर्धारित की गई थी, ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि यह परिव्यय राशि नहीं बढ़ायी जायेगी अथवा गरीबी हटाओ कार्यक्रम के प्रति हमारी प्रति बद्धता में कमी आई है । मेरा उनसे अनुरोध है कि वे इन कार्यक्रमों के लिए आबंटित धनराशि को बढ़ाए क्योंकि सामाजिक न्याय दिलाने में इन कार्यक्रमों का बहुत महत्व है ।

मेरी एक अन्य आशंका कीमतों को लेकर है । सभी ने कहा है कि इस बजट के बाद कीमतें बढ़ जाएंगी । माननीय मन्त्री ने शाक-उत्पादों, सीमेंट, शीतल पेय लेखन तथा छपाई के कागजों, बीडी और साबुन पर लेवी बढ़ा दी है तथा उत्पाद शुल्क में चार मदें शामिल कर ली हैं । 1983-84 में कीमतों में 13.7 प्रतिशत तथा 1984-85 में, उनके अपने भाषण के अनुसार, 4.4 प्रतिशत वृद्धि हुई क्या यह जरूरी है कि हम उन वस्तुओं पर शुल्क लगायें जिनका घरेलू उपभोग होता है । 1985-86 में कीमतों में होने वाली वृद्धि 4 4 प्रतिशत से अधिक ये होगी जोकि पहली कीमतों के आधार पर 13.7 प्रतिशत से अधिक होगी । माननीय मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वे इन शुल्कों, खासकर शीतल पेय, लेखन तथा छपाई कागजों, बीडी, साबुन और यात्रा की वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क पर पुनर्विचार करें । इन पर कुल राशि 60 करोड़ रुपये बैठती है मैं नहीं सोचता कि कुल घाटा इतना बढ़ गया है कि ये शुल्क लगाकर उसकी पूर्ति की जाए ।

एक आशंका टैरिफ मद 68 को लेकर है । इसके लिए मैं वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं । वे पहले वित्त मन्त्री हैं जिन्होंने मकैनाइज्ड मैच इंडस्ट्री की लाबी का डट कर मुकाबला किया है । उन्होंने अब इसे तर्कसंगत कर दिया है । लेकिन मेरा विचार है कि टैरिफ मद 68 के सम्बन्ध में उनके विभाग ने इनका साथ नहीं दिया । टैरिफ मद 68 नई कामधेनु है । जब श्री सी० सुबह्मण्यम ने इसे शुरू किया था तो हम जानते थे कि यह बर्र के छत्ते में हाथ डालने जैसा होगा । इसे एक प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया और अब इसे बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि टैरिफ की मद अवशिष्ट मदों के समूह के बारे में है ।

यह शुल्क इस बात पर विचार किए बिना लगाया गया है कि मद 68 के अन्तर्गत क्या-क्या आता है । ज्यादातर उद्योग लघु उद्योग है । इससे कीमतों में चहुमुखी वृद्धि होगी । सहायक उद्योग आदि भी इससे प्रभावित होंगे । वित्त मन्त्री से अनुरोध है कि—टैरिफ मद 68 समाप्त कर दी जाए और अनुसूची में विशिष्ट वस्तुओं, जैसाकि उन्होंने चार वस्तुओं के मामले में किया, का उल्लेख करें । हमें यह 'रेसिडुअल बास्केट' नहीं चाहिए बल्कि 10 या 12 प्रतिशत शुल्क लगाया जाए ।

[श्री पी० चिदाम्बरम]

टैरिफ मद 68 को लेकर एक बात और है। इस साल तक 30 लाख रु० तक पूरी छूट थी। 1977 में इसमें कमी करके 15 लाख रुपया कर दिया गया था। लेकिन इस साल वित्त मन्त्री ने 30 लाख रुपए तक की सीमा तक पूरी छूट समाप्त कर दी गई है। 20 लाख रु० तथा 30 लाख रु० पर लेवी लगाई जाती है। यह लघु उद्योगों तथा सहायक उद्योगों के लिए यह ठीक नहीं है। वित्त मन्त्री टैरिफ मद 68 के सम्बन्ध में पूरी छूट की सीमा 30 लाख रुपए ही रखें।

अन्त में सम्पदा शुल्क के बारे में। सम्पदा शुल्क समाप्त करने का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि इसे 16 मार्च, 1985 से लागू क्यों किया गया है। आगे क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता अधिनियम में खाते पेश करने के लिए 6 महीने का समय है। खाते पेश करने वाला व्यक्ति मृत्यु के पश्चात विवरणी दायर करेगा। तर्क संगत रूप से इसे 16-9-84 से लागू होना चाहिए था ताकि निर्णयाधीन उन सभी लेखों के मामलों में जिसमें खाता पेश करने वाले व्यक्ति जिन्होंने विवरण प्रस्तुत नहीं किया है और यदि 16-9-84 के बाद उनकी मृत्यु हो गई हो तो उनके बारे में विवरणी भरने से बचा जा सके।

मेरा विश्वास है कि मेरी इन आशंकाओं को लेकर, चर्चा होगी और माननीय वित्त मंत्री जी अपने उत्तर में इसे स्पष्ट करेंगे, मेरे विचार से यह बजट विकास एवं सामाजिक न्याय के वायदों को पूरा करता है और खाद्य, कार्य एवं उत्पादकता सम्बन्धी जो वायदे हम कर रहे हैं, उन वायदों को भी यह पूरा करेगा। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी मेरे द्वारा इस सदन में अभिव्यक्त की गई भावनाओं पर ध्यान देंगे और मेरे द्वारा अभिव्यक्त की गई आशंकाओं के सम्बन्ध में अपने जवाब में स्पष्टीकरण करेंगे।

1.00 म० प०

श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र में जब नई सरकार बनी तो मुझे वास्तव में बहुत ही खुशी हुई थी। और हमारे युवा प्रधान मन्त्री ने कहा था कि इस वर्ष का बजट पिछले साल के बजट से हटकर होगा। मैंने माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण पढ़ा है। निःसन्देह यह इस अर्थ में और सालों से हटकर है कि इसमें 3,394 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है। यह अभूतपूर्व है। केन्द्रीय बजट के इतिहास में आज तक कभी इतनी बड़ी रकम का घाटा नहीं दिखाया गया है। अभी अभी मद्रास की एक माननीय महिला सदस्या ने कहा कि यह 'गरीबी हटाओ' बजट है। इस दृष्टि से बजट को देखते हुए मैं पूछना चाहूंगा कि निर्धनतम व्यक्ति को और गरीबी को रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों को किस प्रकार बजट से फायदा होगा। माननीय सदस्य श्री चिदम्बरम का रोचक भाषण मैंने अभी सुना।

वास्तव में उन्होंने बहुत ही अच्छा भाषण दिया। मैं जानना चाहूंगा क्या इससे वास्तव में गरीब व्यक्ति को मदद मिलेगी। बजट में सिर्फ एक आशा की किरण है यानि कि फसल बीमा और सामाजिक सुरक्षा इसी मामले में बजट में निर्धनतम व्यक्ति की मदद हुई है। अन्य बातें जैसे कि एन० आर० ई० जी०, आई० आर० डी० पी० आदि आम बातें हैं जो कि पिछले कई वर्षों से चल रही हैं। इन कार्यक्रमों के बावजूद भी अगर आप गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे व्यक्तियों की संख्या देखें तो आप पायेंगे कि उनकी संख्या अभी भी उतनी ही है।

1.01 म० प०

(श्री वक्कम पुरुषोत्तम पीठासीन हुए)

कतिपय दी गई राहतों का मैं स्वागत करता हूं किन्तु उनसे निर्धनतम व्यक्ति को सहायता नहीं मिलेगी। वित्त मंत्री जी ने आयकर की सीमा 15,0000 से बढ़ाकर 18,00 रुपये कर दी है और उन्होंने स्लैब भी कम किये हैं। और उन्होंने आयकर पर से अधिभार को भी समाप्त कर दिया है। निः सन्देह इससे जो चिढ़ पैदा होती थी वह समाप्त होगी परन्तु जो कुछ राहत उन्होंने एक तरफ दी है दूसरी तरफ उन्होंने उसकी कसर निकाल ली है। पिछले दो तीन दिनों के दौरान मैंने थोड़ी सी इस बारे में जानकारी ली है। मध्यम वर्ग के व्यक्तियों तथा आयकर करदाताओं से भी यह जानकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई कि वित्त मन्त्री तथा रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए दो बजटों से बंगलौर शहर में लोगों के मासिक खर्चे में 100 रुपये महीने की वृद्धि हुई है। स्वाभाविक है मैं उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं क्योंकि उनकी कोई आमदनी ही नहीं है। उनका जीवन और भी दयनीय होता जा रहा है। मध्यम वर्ग के लोगों ने मुझे बताया कि उन्हें 225 से 500 रुपए तक कर देना होता था परन्तु अब नये शुल्क लगाने के कारण उन्हें लगभग 1200 रुपये देने पड़ेंगे। पैट्रोल पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि के कारण, जिसे 100 रुपये से 300 प्रति मीट्रीक टन बढ़ा दिया गया है, बंगलौर शहर में पैट्रोल विक्रेताओं ने पैट्रोल की कीमत 1.05 पैसे बढ़ा दी है। पैट्रोल विक्रेताओं का अपना एक प्रभाव क्षेत्र है अगर आप अस्सी पैसा कीमत बढ़ाते हैं तो वे अपनी तरफ से 20 पैसे और बढ़ा देंगे। मैंने मिट्टी के तेल, और रोजमर्रा की अन्य चीजों जैसे कि प्रसाधन सामग्री, साबुन आदि के बारे में भी हिसाब लगाया है। 500 रुपये से 1500 रुपये के बीच की आमदनी वाले तीन-चार परिवारों से मैं मिला हूं। ये सभी लोग महसूस करते हैं कि उनका जीवन निर्वाह मुश्किल हो जायेगा और उनके लिए यह भार उठाना नामुमकिन होगा। अतः मैं वित्त मंत्री जी से इन शुल्कों को वापस लेने का आग्रह करता हूं अगर इन शुल्कों का अर्थ आयकर में राहत देना है तो मैं इनका विरोध नहीं करूंगा, परन्तु आपने किसी भी व्यक्ति को राहत नहीं दी है। निःसंदेह आप उस चिढ़ को दूर करने में समर्थ हुए हैं जो कई करों के कारण थी परन्तु कोई राहत नहीं दी गई है।

केरल में दो या तीन परियोजनाओं को उपेक्षित किया गया है हम दोनों ही सदनों में आग्रह करते आये हैं कि विजयनगर इस्पात संयंत्र का कार्य शुरू करके उसे पूरा किया जाये।

[श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर]

हम यह जानकर बहुत ही स्तब्ध और हैरान हैं कि चालू वर्ष के दौरान सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए दिये गये हैं जबकि पिछले वर्ष 2 करोड़ रुपये थे। सरकार को आगे आकर कहना चाहिए क्या वे इस कार्य को अपने हाथ में लेना चाहती है अथवा नहीं मैं भारत सरकार से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या वह विजयनगर इस्पात संयंत्र को हाथ में लेना चाहती हैं अथवा आप इसे ताक पर रखना चाहते हैं। जहां तक कर्नाटक का संबंध है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे सुस्पष्ट रूप में स्थिति से अवगत करायें।

कर्नाटक के लोगों के लिए एक और निराशा (विशाद) की बात है कि भारत सरकार ने बंगलौर में एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का वायदा किया था परन्तु इस प्रयोजन के लिए एक भी पैसा निर्धारित नहीं किया गया है।

तीसरा कर्नाटक में कुद्रेमुख परियोजना के लिए पिछले वर्ष 17.93 करोड़ रुपये दिये गये थे, इस वर्ष यह आवंटन घटा कर 11.5 करोड़ रुपये कर दिया गया है, कर्नाटक की एक और परियोजना को समुचित धन नहीं देने का यह एक और उदाहरण है।

अंत में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र बंगलौर शहर के बारे में बताता हूं, जहां पर पानी की समस्या अत्यंत गम्भीर है। आज सुबह ही इस विषय पर मेरा एक प्रश्न था। दुर्भाग्यवश उसकी बारी नहीं आई। काबेरी के तीसरे चरण के लिए हमने एक योजना प्रस्तुत की है। इस प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि इस कार्य को शुरू करने के पहले हमें उस राज्य की सहमति लेनी होगी। जिसमें इस नदी की घाटी (बेसिन) है। पीनेो पानी की समस्या के बारे में कर्नाटक सरकार को नदी की घाटी वाले (बेसिन) राज्य की सहमति लेने की क्या आवश्यकता है? यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। यह बंगलौर शहर के 35 लाख लोगों का जीवन और मृत्यु का सवाल है। इसलिए मैं भारत सरकार से सातवीं योजना में कावेरी के तृतीय चरण की योजना को शुरू करने के लिए तुरन्त मंजूरी देने का अनुरोध करूंगा। उन्हें न सिर्फ मंजूरी ही अपितु वित्तीय सहायता भी देनी चाहिए, विशेषरूप में ऐसी स्थिति में जबकि बंगलौर में बहुत से केन्द्र सरकार के उद्योग तथा रक्षा संस्थापनाएं हैं।

वित्त मंत्री जी द्वारा सुझाये गये शुल्कों का मैं विरोध करता हूं। परन्तु मैं दो या तीन सुरक्षा उपायों तथा फसल बीमा लागू करना और अनिवार्य जमा योजना समाप्त करने के कार्य का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं

कि आपने मुझे माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया। बजट में जिन चीजों का ख्याल रखा गया है, वह हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस देश में सबसे पहली फसल बीमा योजना शुरू की गई है। इसी तरह से उद्योग चलाने वालों को जो छूट दी गई है, उससे यह लगता है कि हमारा देश फिर गति की ओर जायेगा और बेरोजगारी भी खत्म हो जायेगी। उद्योगों को बढ़ावा देने से हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसी के साथ-साथ जो हमारे करदाता हैं, उनमें सही ढंग से आमदनी दिखाने का साहस पैदा हुआ है। मैं वित्त मन्त्री जी को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने एक अच्छा बजट पेश किया है। इससे हर वर्ग के लोगों को फायदा होगा। मुरादाबाद में बर्तनों के काफी उद्योग हैं। वहा जो बर्तन बनते हैं, उनका एक्सपोर्ट होता है। सन् 1980 के मुकाबले एक्सपोर्ट घट रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह दरख्वास्त करूंगा कि एक्सपोर्ट पालिसी ऐसी बनाएं ताकि हमारे बर्तन उद्योग को बढ़ावा मिले और कारीगरों में जो बेरोजगारी की लहर बढ़ रही है, वह रोकी जा सके। कोई भी उद्योग तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि यातायात के साधन सुलभ न हों। इलाहाबाद, बम्बई और आगरा जाने के लिए हमारे यहां से कोई भी ट्रेन नहीं है। हम जो वर्तन एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए हमें बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि ऐसी कोई भी ट्रेन हमारे यहां से नहीं है।

जहां तक हमारे इस बजट का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बजट ने हमको एक नयी दिशा दिखाई है इससे ऐसा लगता है कि हम बेरोजगारी दूर कर सकेंगे। एन० आर० ई० पी० में जो रुपया रखा गया है, वह बहुत कम है। इसी तरह से निर्बल वर्गों के लिए जो धनराशि रखी गई है, वह भी बहुत कम है। मैं यह चाहूंगा कि उसमें इजाफा हो ताकि बेरोजगार जो गरीब लोग हैं, उनको रोजगार का मौका मिल सके। प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने अहमदाबाद जाकर जो गरीब और पिछड़े हुए लोगों को हिम्मत दी है, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। वहां की व्यवस्था बिगड़ गई थी जो हमारे सब मेम्बरान को मालूम है। मैं यह चाहूंगा कि ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि साम्प्रदायिक झगड़े न हो इन अल्फाज के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देते हुए, अपनी बात खत्म करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती शीला दीक्षित (कन्नौज) : माननीय सभापति महोदय मैं वर्ष 1985-86 के लिये सरकार के बजट का समर्थन करती हूं इस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया यह पहला बजट बधाई का पात्र है और हमें इसकी सराहना करनी चाहिए क्योंकि 21 वीं शताब्दी की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अग्रसर आधुनिक भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु देश के वित्तीय संसाधनों को नई दिशा प्रदान करने का इसमें वचन दिया गया है। विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने यह गलत कहा है कि इससे अतीत से नाता तोड़ लिया गया है, और सभी को सामाजिक न्याय देने के साथ-साथ विकास करने की देश की बचनबद्धता से पीछे हटा गया है। ऐसी कोई बात नहीं है।

[श्रीमती क्षीला दीक्षित]

फसल बीमा की व्यापक योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से और किसानों को ज्यादा निवेश करने के लिये प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कदम है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में भी वृद्धि होगी। यह प्रशंसनात्मक एक स्वागत योग्य योजना है। जब कभी भी सरकार फसल बीमा योजना के ब्यौरा की घोषणा करे, मेरा निवेदन है कि इस योजना को आलू और प्याज के उत्पादकों पर भी लागू किया जाये और मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि आलू तथा प्याज के उत्पादकों के लिए समर्थनकारी मूल्य होना चाहिए।

कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को चंदा देने की अनुमति का निर्णय एक उचित कदम है। इससे न केवल उद्योग का राजनैतिक प्रक्रिया के प्रति उत्तरदायित्व का पता चलता है बल्कि प्रधानमन्त्री द्वारा सामाजिक छवि को स्वच्छ बनाने संबंधी दिये गये वचन की भी पुष्ठि होती है।

आयकर की दरों में छूट, निगमित कर में छूट देना, आयकारी अनिवार्य जमा योजना को समाप्त करना, उपदान की दर में वृद्धि करना, तथा पेंशन बढ़ाना ऐसे कदम हैं जिनसे उन लोगों को राहत मिलेगी जो अब तक यह समझते थे कि कर लगाने के लिए उन्हें ही चुना जाता है। यह उपाय श्रमिकों को कर अदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और प्रेरणा देगा और वे राष्ट्रीय प्रगति में स्वेच्छा से भरपूर आर्थिक योगदान कर सकेंगे।

हमें एक ऐसी प्रगतिशील प्रणाली का विकास करना जिसमें अप्रत्यक्ष करों को धीरे-धीरे कम किया जाये जिससे आवश्यक वस्तुओं तथा ऐसी वस्तुएं बनाने वालों को, जो अधिकांशतः समाज के आर्थिक रूप से गरीब वर्ग द्वारा उपयोग में लाई जाती है, रियायतें दी जाएं। सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरूआत स्वागत योग्य और प्रशंसनीय है जिसमें भूमिहीन किसानों, कारीगरों तथा असंगति श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजे देने का प्रस्ताव भी शामिल है।

कम्पनी के बंद हो जाने की स्थिति में कार्मिको को देय राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित कानून लाने के लिए भी वित्त मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं।

शिक्षित बेरोजगारों के लिये वर्तमान ऋण राशि 25000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये करने सम्बन्धी प्रस्ताव वास्तविकता पर आधारित कदम है और इससे स्वीकृत राशि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

ऊर्जा और बिजली बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। बिजली उत्पादन पर ही हमारा औद्योगिक और कृषि उत्पादन निर्भर करता है। यह निर्विवाद बात है। छठी योजनावधि में बिजली का उत्पादन लगभग 50 प्रतिशत बढ़ा है। 1984 में अप्रैल-दिसम्बर के दौरान, 1983 की इसी अवधि की तुलना में बिजली का उत्पादन 13 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। किन्तु इतना ध्यान रहे

कि इतना उत्पादन बढ़ जाने पर भी बिजली की अत्यधिक कमी समाप्त नहीं हो सकती । वर्तमान क्षमता का कुशलतापूर्वक और पूर्णतः उपयोग किये जाने की आवश्यकता है । इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश करने के लिए गैर सरकारी उद्यमियों को और अधिक प्रोत्साहन और आर्थिक लाभ दिया जा सकता है ।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि छठी योजना के दौरान त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 लाख समस्या प्रधान गांवों को लिया गया था । इस उपलब्धि के लिए मैं सरकार को बधाई देती हूं । इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं वित्त मंत्री से इस बात की वकालत करती हूं कि हम लोग इस बात की प्रतीक्षा और वचन लें कि सभी गांवों में शीघ्रातिशीघ्र और सर्वाधिक प्राथमिकता के आधार पर स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराया जायेगा ।

श्री लाल डहोमा (मिजोरम) : सभापति महोदय, मैं इस प्रशंसनीय और रचनात्मक बजट प्रक्रिया का समर्थन करता हूं जिससे निश्चय ही उत्पादन में वृद्धि होगी, कार्यकुशलता में सुधार होगा और उन्हें राहत मिलेगी जिन्हें इसकी जरूरत है और अर्थव्यवस्था पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ होगी । यह एक सुदृढ़ वित्तीय नीति है जिससे करो में तो कमी होती है, तथापि कर सम्बन्धी नियमों का बेहतर पालन होगा और इसके परिणामस्वरूप सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी ।

कुछ आलोचकों का कहना है कि बजट में अधिक घाटे की व्यवस्था किये जाने के कारण मुद्रा-स्फीति बढ़ेगी । मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं । यदि कोई व्यक्ति वास्तव में हाल के औद्योगिक और कृषि उत्पादन के रुझान का सही अध्ययन करे तो वह पायेगा कि मांग की कमी के कारण उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। दूसरे शब्दों में उत्पादन के अनुरूप मांग में वृद्धि नहीं हुई थी । ऐसी स्थिति में, अर्थ-व्यवस्था में अधिक धन के प्रसार से मूल्य वृद्धि की अपेक्षा उत्पादन को अधिक बढ़ावा मिलेगा । फिर भी मेरे विचार से कभी-कभी जीवन की कठोरता के सच को स्वीकार करना पड़ता है । हो सकता है कि यह बजट लिये गये ऐसे कठोर निर्णयों से सर्वथा मुक्त न हो । यदि उसमें ऐसे उपाय अपनाये गये हैं तो उन्हें हमें आजारिहार्य दोष समझकर स्वीकार कर लेना चाहिये । वे आवश्यक है और उस बुराई से कम है जिन पर अदालत के अनुसार दूसरी ओर बैठे मेरे माननीय मित्र आम तौर पर विश्वास कर लेते हैं ।

सभापति महोदय, मैं अपना सीमित समय पहले कही गई बातों को दोहरा कर बर्बाद नहीं करना चाहता जहां तक अपने देश में निर्धनतम, शोषित और अर्ध-पोषित व्यक्तियों की दशा का संबंध है, मैं इस बजट के बारे में कुछ ठोस सुझाव देना चाहूंगा मेरे विचार से हमारे राष्ट्र की प्रगति पथ है रिले-रेस के समान जिसमें हर एक को, चाहे वह कमजोर हो अथवा मजबूत अपनी भूमिका निभानी पड़ती है । जैसे जंजीर अपने सबसे अधिक कमजोर भाग की उतनी ही मजबूत होती है वैसे ही राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के स्वास्थ्य विकास के लिए क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करना आवश्यक है । इस प्रयोजन के लिये, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र मिजोरम का उदाहरण पेश कर रहा हूं वह इसलिए नहीं

[श्री लाल डहोमा]

कि केवल मेरा ही सम्बन्ध उस क्षेत्र से है अपितु इसलिए कि मिजोरम की भी देश के अन्य पिछड़े इलाकों के समान अनेक कठिनाईयां हैं।

मिजोरम के मामले में, 1972 में, पहली बार पांचवीं पंचवर्षीय योजना, रचनात्मक ढंग से आरम्भ की गई थी। किये जाने से, स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से पंचवर्षीय योजना के कारण देश के सभी राज्य तरक्की कर रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि देश में पांचवीं पंच वर्षीय योजना लागू की गई थी, मिजोरम के लिए वह पंचवर्षीय योजना थी।

हम लोग सातवीं पंच वर्षीय योजना आरम्भ करने जा रहे हैं जो मिजोरम के मामले में केवल तीसरी योजना ही है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अपने देश में कुछ ऐसे इलाके और क्षेत्र हैं जहां यह योजनाएं देर से आरम्भ की गई हैं और प्रगति के क्षेत्र में देश अधिकांश भागों की अपेक्षा पिछड़े गए हैं, क्योंकि वहां पर कोई ठोस परिसम्पत्ति अथवा वित्तीय संस्थान नहीं बन पाये हैं।

मिजोरम एक अजीब समस्या का सामना कर रहा है। भाग्यवश कहिए अथवा दुर्भाग्यवश, वहां पढ़े-लिखे लोगों की प्रतिशतता बहुत अधिक है। शिक्षा की दृष्टि से देश में इसका दूसरा स्थान है। किन्तु, इसके साथ ही, हम अपने शिक्षित युवकों को जीविका का साधन सुलभ नहीं कर सकते हैं। इसलिए, उनमें इतना रोष और निराशा भर गई है कि वे यहां तक कह देते हैं कि "हम भारतीय नहीं हैं।" इसीलिए उन्होंने पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग की है। ऐसी स्थिति में, जहां इस प्रकार का राज्य, प्रतिरोध है, वहां सरकार को कठोर कार्यवाही करनी पड़ती है और जिसके परिणामस्वरूप अनेक प्रकार की परेशानियां बढ़ना स्वभाविक है।

मैं अपना अनुभव आपको बताना चाहता हूं कि एक दिन सुबह के समय, मुझे मेरे गांव से अन्य ग्रामवासियों सहित, सुरक्षा कारणों से सेना के द्वारा इस तरह ले जाया गया जैसे भेड़ बकरियों को बाड़े में ले जाया जाता है। 1966 से 1970 के दौरान लगभग 411 गांवों के साथ ऐसा किया गया था। हमें अपना सारा सामान गांव में ही छोड़ देना पड़ा था जिसे सेना ने जला कर राख कर दिया था। किसी को इसका पता नहीं चला था। इस सभा के सम्माननीय सदस्यों को नहीं पता कि निर्दोष व्यक्तियों के हृदय की कितनी गहरी चोट लगी थी। इस प्रकार जनजाति की परम्परागत अर्थ व्यवस्था उलट-पलट गई थी।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट से दो प्रयोजन सिद्ध होंगे। एक तो इससे लोगों के हृदय में घाव भरेंगे जिससे वे लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे और दूसरी उनकी यथा सम्भव तरक्की हो सकेगी। वहां जनता को अनेक अकथनीय कष्ट सहने पड़ते हैं जिनका वर्णन करने का मेरे पास समय नहीं है। अब इस समय इस बात पर विचार करना होगा कि

हम उन लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं, जो पीटे गये और यहां तक कि मारे भी गये, मैं कानूनी शब्द 'हत्या' का प्रयोग नहीं कर रहा हूं उनकी हत्या ऐसी नहीं थी जिसे कानून के अन्तर्गत हत्या माना जाए। उन काले दिनों में उन व्यक्तियों को यह दुर्दिन देखना पड़ा था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बजट में ऐसे अनेक उपाय किये गये हैं। जिनसे लोगों का हृदय जीत लिया जाएगा ?

पहली आवश्यकता इस बात की है कि अन्तरित की जाने वाली खेती को समाप्त किया जाये। यह खेती का परम्परागत तरीका है जो बहुत ही घातक और अनुत्पादक है। यह पारिस्थितिक संतुलन, पर्यावरण और वन्य जन्तु आदि के लिये बहुत ही हानिकारक है। अन्तरित खेती को समाप्त करने के लिए हमें नकदी फसलों तथा वन उत्पादनों का वाणिज्यिकरण करना होगा।

मेरा सुझाव है कि फसल बीमा योजना का लाभ अदरक, आलू आदि जैसी नकदी फसलों को भी दिया जाय। इन समस्याओं का समाधान समाज सेवा योजना सरकारी खरीद और समर्थन मूल्य से ही हो सकता है जिनका इस बजट में प्रावधान किया गया है। कलकत्ता के बाजार में इन मदों की बिक्री के लिए, बंगलादेश होकर कलकत्ता तक की बंद रेल सेवा को पुनः चालू करने के मामले को बंगला देश की सरकार के साथ उठाया जाए।

पशु पालन, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए कुछ मामलों में नकद सहायता दी जाए क्योंकि उदाहरण के तौर पर इससे लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को जो गायें दी जाती है वे पहाड़ी क्षेत्र के स्थानीय वातावरण में लाभदायक सिद्ध नहीं होती है। वे शीघ्र ही मर जाती हैं। यदि यह सहायता उन्हें नकद दे दी जाये तो वे इच्छानुसार गायें खरीद सकते हैं। जब यह सहायता उन्हें सामान के रूप में दी जाती है जो ठेकेदार जालसाजी करता है और अपना हिस्सा लेने की चेष्टा करता है, जिससे लाभभोगी व्यक्ति को वास्तव में दी जाने वाली सहायता का मूल्य कम हो जाता है।

जल पूर्ति और सफाई के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि मिजोरम के ऐजवाल में एक बाल्टी पानी 3/-रुपये में बेचा जाता है। पानी की अत्यधिक कमी चिरकाल से बनी हुई है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनीसेफ के सहायता कार्यक्रम वहां भी आरम्भ किये जाये जिसके लिए बजट में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

नगर विमानन के बारे में, हम लोग कलकत्ता से मिजोरम तक वायुदूत की सीधी सेवा का लाभ उठाते थे जो सिल्चर के रास्ते से कम दूरी का और सस्ता था। ग्राउंड की मरम्मत के कारण गत कई महीनों से यह सेवा समाप्त कर दी गई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि धनाभाव के कारण इस सेवा को आरम्भ करने में देरी न की जाये क्योंकि इस प्रयोजन के लिए 59.56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस सेवा को यथा शीघ्र फिर से चालू किया जाये। इसके अलावा मिजोरम में एक पूर्ण सुविधा प्राप्त हवाई अड्डा यथा शीघ्र निर्मित किया जाए।

[हिन्दी]

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, मुझे समय कम दिया है, मगर आपका सारा बजट देखने के बाद पिछले 30 साल में नेहरू जी और इन्दिरा जी के समय में भी जहां तक इसने कनसैशन इस देश के इंडस्ट्रियलिस्ट और पंजीपतियों को नहीं दिये गये थे, उससे भी एक नई इकानमी कांग्रेस की नई गवर्नमेंट चलानी चाहती है।

इनकम टैक्स में बहुत कनसैशन दिया गया है। एम० आर टी० पी० के मुताबिक इम्पलायर्ज की पूंजी 20 करोड़ से 100 करोड़ तक जाने के बाद मालिक लोगों को और कनसैशन मिलेंगे, बड़े उद्योगपतियों को और कनसैशन मिलेंगे। मालिक लोगों के ऊपर एस्टेट ड्यूटी कम की है, यह सब कनसैशन मालिकों को जो देना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल हमारे देश के उद्योगपति, नहीं तो मालिक, इस देश के बेकार और गरीब दोनों उपयोग करें तो इसकी सरकार को गारंटी देनी चाहिए। यह सवाल आज के बजट में मैं पूछना चाहता हूं।

इनके साथ ही सिक यूनिट्स और सिक टैक्सटाइल मिलों की यहां चर्चा की है। सिक यूनिट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार का पैसा लगाकर यूनिट को कैसे चलाना है इसके ऊपर सरकार का क्या कोई प्रबन्ध है? क्या सिक यूनिट कम करने के बारे में आपने इसमें कोई उपाय किया है? टैक्सटाइल मिलें बम्बई, गुजरात, कानपुर, दिल्ली की बन्द हो गई है और लगभग 3 लाख मजदूर बाहर हैं जिनके बारे में चुनाव के वक्त श्री राजीव गांधी ने आश्वासन दिए थे, पिछले प्रेसीडेंट्स रूल के टाइम भी आश्वासन दिये थे और यही आश्वासन इस बजट में आ रहा है कि जल्दी सरकार टैक्सटाइल पालिसी जाहिर करेगी। अभी पावर लूम और हेंडलूम को आप कंसेशन दे रहे हैं। उसके बारे में हमारा कोई विरोध नहीं है। मगर शहर में टैक्सटाइल का जो धन्धा है उसको आप खत्म कर रहे हैं तो उसके वर्कर्स के बारे में आप कुछ सोचना चाहते हैं या नहीं? विलेज एम्पलायमेंट की बात करके आप उसका पोलिटिकल ऐडवांटेज लेना चाहते हैं लेकिन इन वर्कर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? अगर सरकार टैक्सटाइल पालिसी के बारे में जल्दी कोई डेसीशन नहीं लेती है और 3 लाख मजदूरों पर जो अन्याय हो रहा है उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करती है तो इसका बहुत बड़ा असंतोष बढ़ रहा है।

वर्कर्स के बारे में आपने क्या कंसैशन दिया है? ठीक है, बोनस साढ़े सात सो से बढ़कर 1600 पर हो गया। जो संगठित वर्कर हैं जिनके बारे में बोनस ऐक्ट भी ऐसा है कि कोई एलोकेबल सरप्लस नहीं है, सब पैसा-डैप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट एलावेंस और मालिक के हिसाब का जो एमाउंट होता है वह सब छोड़कर उसके ऊपर उसे टरका दिया जाता है। कुछ शहर के मजदूरों को जरूर फायदा हो जाएगा मगर और स्कीम्स वर्कर्स के बारे में जो दी हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का वेज बोर्ड नहीं इम्पलीमेंट करना चाहते हैं, खाली पेंशन स्कीम के बारे में बोलते हैं, रेलवे वर्कर्स के बारे में बोलते हैं। कोई ऐक्सीडेंट हो जाए तो उसमें 3 हजार रुपया देना है, इसके बारे में

बोलते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कंसेशन जो आप मजदूरों को देना चाहते हैं उसके बारे में खाली प्रोपेगेंडा ज्यादा है, रेडियो, टी० वी० पर बोलते ज्यादा हैं मगर हमारे देश में अनआर्गेनाइज्ड लेबर ज्यादा है, आधे मजदूर टैम्पोरेरी कैजुअल कांट्रेक्स में हैं, 8 या 9 परसैंट जो ऐग्रीकल्चर लेबर है और जो पावर्टी लाइन के नीचे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। आज चाय, काफी और शुगर केन के धन्धे, जिसमें काफी फायदा है, उसके बारे में सरकार क्या करना चाहती है? यह सवाल में सरकार से पूछना चाहता हूं। संगठित कामगारों के लिए कोई दो चार चीजें की हैं। लेकिन उनसे ई० एस० आई० की मर्यादा 1600 रुपये करके 50 हजार रुपया लेते रहे हैं।

आज ऐग्रीकल्चर आप इस देश में बढ़ा रहे हैं। ऐग्रीकल्चर के बारे में आप कंसेशन देते है, सीड्स देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, सब तरफ से कैनेलाइजेशन करते हैं, देश का ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐग्रीकल्चर पर खर्चा कर रहे हैं, मगर 40 साल होने को आए, ऐग्रीकल्चरल प्राडक्ट्स में जिसमें ज्यादा से ज्यादा धन्धा है, जैसे महाराष्ट्र में 12 सौ करोड़ का ऊख बिकता है, तो उनके ऊपर ऐग्रीकल्चरल इंकम टैक्स लगाना है या नहीं? इस मामले में मैं समझता हूं कि जो छोटे किसान हैं उनको छोड़ दीजिए लेकिन जिनको लाखों रुपये का फायदा है, चाहे वह कॉफी से है, चाय में है या शुगर केन में है उनके बारे में वित्त मन्त्री को कम से कम कुछ शुरू करना चाहिए या नहीं? प्राइवेट एकोनामी आपने बहुत बढ़ायी है, नेशनलाइजेशन की एकोनामी कम की है। आप चाहते हैं देश का उत्पादन बढ़े। मगर 44 प्रतिशत तक देश में जो पावर्टी लाइन के लोग है उनको इस बजट में क्या इम्मीडिएट रिलीफ मिलने वाला है, इसका जवाब दीजिए। महंगाई तो बढ़ेगी जब स्केल बढ़ेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर आपने 15 परसेंट तक बढ़ाया, और चीजों पर बढ़ाया। एवरेज इनकम के ऊपर लोगों को यही पैसा देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार का इम्मीडिएट साल्यूशन क्या है?

हमारे देश में आप बड़े उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे है। ये बड़े उद्योगपति और पूंजीपति चमड़ी दे देंगे मगर दमड़ी नहीं देने वाले हैं। न वह सरकार को देंगे न मजदूर को देंगे, न और किसी को देंगे। ठीक है, फ्री एकोनामी आप चाहते हैं। आप फरीदाबाद के इन्डस्ट्रियल एस्टेट में जाइए, 75 परसेंट लेबर कांट्रेक्ट पर है। वह कन्सेशन आप पंजीपतियों को ही देने वाले हैं। छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही है, आपके प्लानिंग कमीशन की एकोनामिक रिपोर्ट कहती है कि छठी पंचवर्षीय योजना में एम्पलायमेन्ट देने के बारे में जो टार्गेट रखा गया था उसमें 3 करोड़ दस लाख का एम्पलायमेन्ट कम हो जायेगा। इस तरह से अनएम्पलायमेन्ट बढ़ता जा रहा है। यह बात पालकी वाला की रिपोर्ट में भी कही गई है और आपकी अपनी जो रिपोर्ट है उसमें भी बताई गई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना चालू हो रही है और 5 करोड़ अनएम्पलायड यूथ की समस्या आपके सामने है। आप इनके अनएम्पलायमेन्ट की समस्या हल करने के लिए कौन से कदम उठाने जा रहे हैं। आप इंडस्ट्रियलिस्ट्स को आटोमेशन के लिए पैसा दे रहे हैं लेकिन इस तरह से देश में बेकारी बढ़ती जा रही है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं?

[डा० दत्ता सामन्त]

वर्कर्स के बारे में एक बात कहकर समाप्त करूंगा। आपने इंकम टैक्स की लिमिट 1500 से बढ़ाकर 1800 कर दी है। आपने आश्वासन तो बहुत दिए थे लेकिन किया नहीं। 15 हजार तक की जो पहले लिमिट थी वह 15 हजार वास्तव में महंगाई बढ़ जाने की वजह से 20,700 के बराबर हो जाते हैं इसलिए यह कोई कंसेशन नहीं है जो आपने दिया है। मैं कहूंगा यदि आप इसको बढ़ाकर 25 हजार कर दें तभी उससे लोगों को कुछ लाभ हो सकता है।

प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी ने महाराष्ट्र में श्री शरद जोशी की पोलिटिकल ग्रोथ को देखते हुए एग्रीकल्चरिस्ट्स से कहा था कि किसानों की चीजों के लाभकारी दाम निश्चित किये जायेंगे लेकिन इस बजट में तो उसका कोई आभास नहीं मिलता है। इस तरह से इस बजट में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार को उनके लिए भी कुछ न कुछ सोचना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री शांता राम पोत दुखे (चन्द्रपुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री को उनके साहसी कल्पना शील और प्रगतिशील बजट के लिए बधाई देता हूं। इस बजट को प्रस्तुत करते समय उन्होंने सही मायने में श्रीमती इन्दिरा गांधी को याद रखा है। उन्होंने कहा है :—

"हमारी विशाल और विविध जनसंख्या के किसी भी वर्ग को यह अहसास न हो कि उसे भुला दिया गया है। उनकी उपेक्षा करना हमारी सामुहिक हानि है।"

इस प्रकार उन्होंने इस बजट को प्रस्तुत करते समय श्रीमती इन्दिरा गांधी को याद रखा है।

परिवार नियोजन पर विशेष रूप से अधिक जोर देने के लिए मैं माननीय वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं। हर साल हमारी आबादी 1.5 करोड़ बढ़ जाती है उसके लिए 14 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही प्रति वर्ष 7,900 नये मकान और 40 नये स्कूल बनाने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वित्त मन्त्री के समक्ष यह एक विशाल कार्य है।

पर्यावरण के लिए 36 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिए मैं वित्त मन्त्री को वास्तव में बधाई देना चाहता हूं। इससे पहले पर्यावरण के पहलू पर ध्यान नही दिया गया। गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्ष लगाने पर अधिक जोर दिया गया है। हाल ही में हुए लोक सभा चुनावों में विशाल जनादेश, विशाल बहुमत श्री राजीव गांधी को मिला है। योजना

से होने वाले लाभ के बारे में बात करते हुए श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा थीं कि हमारी योजना से जो लाभ होता है उसके परिणामस्वरूप हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले इस सभा में अनेक सदस्यों ने कहा था कि हमारे वन नष्ट हो रहे हैं और वनों की प्रतिशतता गिर रही है। इसलिए, वृक्षारोपण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि दो बहु-राज्यीय परियोजनायें चल रही हैं। उनमें से एक इन्चामपल्ली परियोजना है जो आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच चल रही है। दूसरी है भोपाल पटनम् परियोजना जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच चल रही है। इन परियोजनाओं में वन की बहुत सारी भूमि आ रही है। जिससे लगभग 1 लाख जनजाति के लोग प्रभावित हो रहे हैं और इनसे वनों की हो रही हानि को देखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि इन परियोजनाओं पर पुन: विचार किया जाए क्योंकि पर्यावरण के पहलू पर समुचित विचार किया जाना चाहिए।

टेलीवीजन और रेडियो पर लायसेंस शुल्क समाप्त करने के लिये मैं वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं टेलीवीजन और रेडियो शिक्षा के साधन हैं और वे जन संचार के माध्यम हैं। उनसे शिक्षा मिलती है और मनोरंजन प्राप्त होता है और अब के विलास की वस्तु न रहकर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आवश्यक हो गये हैं।

इस बजट में आज आदमी को राहत दी गई है। आयकर के मामले में 40 लाख कर दाताओं को बहुत बड़ी राहत दी गई है। जैसाकि श्रीमती गांधी कहती थी और जिसका हमारे वित्त मन्त्री ने भी अपने भाषण में कहा है कि हमें न ये भारत में विश्वास है और नये भारत की प्रगति होनी चाहिए। इस बजट का यही संदेश है और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : अब यह निश्चित हो चुका है कि यह एक ऐसा बजट है जिसकी आलोचना कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करेगा। इससे पहले भी मैं देख चुका हूं कि अनेक सदस्यों की ओर से आलोचना की जाती रही है किन्तु कोई सृजनात्मक आलोचना नही गई है। उदाहरण के तौर पर, अब जबकि पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, तो विरोधी दलों का कोई भी सदस्य यह नहीं कहता कि इस अन्तर को किस तरह पूरा किया जाएगा। यदि कोई भी सदस्य इस बात का सुझाव देता कि सैकड़ों करोड़ के इस अन्तर को किस विशेष उपाय से पूरा किया जा सकता है, तो यह कहा जा सकता था कि यह एक समुचित और एक रचनात्मक आलोचना है। किन्तु ऐसा नहीं किया गया है और किसी भी पहलू पर कोई रचनात्मक आलोचना नहीं की गई है।

आज पालकीवाला ने स्पष्ट वक्तव्य देते हुए कहा है कि यह एक अच्छा बजट है। यह बात नहीं है कि पिछले बजट खराब थे। किन्तु श्री पालकीवाला के प्रति पूरे आदर के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि वे प्राय: विरोध के लिए बजट का विरोध किया करते थे। क्योंकि गत 30-35 वर्षों से देश प्रगति कर रहा है और हर साल श्री पालकीवाला यही कहते रहे हैं कि बजट खराब

[श्री शांताराम नायक]

है और इससे मुद्रा स्फीति बढ़ेगी इत्यादि इत्यादि। किन्तु हम देख रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है ? इसका अर्थ है कि वह गलत सिद्ध हो चुके हैं। अन्यथा देश ने इतनी तरक्की नहीं की होती।

मैं अपने संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और द्वीप के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं और मेरा वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह कुछ बातों पर ध्यान दें। इस देश में 9 संघ राज्य क्षेत्र और 22 राज्य हैं। सभी 9 संघ राज्य क्षेत्रों के बजट सीधे केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किए जाते हैं। केन्द्र सरकार हमें सीधे धन प्रदान करती है। आज गोवा, दमन और द्वीप जैसे संघ राज्य क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अच्छी है और यह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है क्योंकि केन्द्र सरकार पिछले अनेक वर्षों से बजट सहायता देती रही है। अब समय आ गया है कि संघ राज्य क्षेत्र गोवा दमन और दीव को पूरे राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, मैं चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाए क्योंकि यदि हमारे संघ राज्य क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अच्छी है और यह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है तो केन्द्र सरकार इस बात पर विचार कर सकती है कि क्या इसे राज्य का दर्जा दिया जा सकता है अथवा नहीं, अन्यथा संघ राज्य क्षेत्र का स्तर बहुत दयनीय है। अभी कुछ ही समय पहले गृह मंत्री महोदय ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम में संशोधन करने संबंधी एक विधेयक प्रस्तुत किया है। कुछ ही दिन पूर्व हमने दल बदल विरोधी विधेयक प्रस्तुत किया था और यह कानून, जिसमें इस देश के संविधान में संशोधन किया हमारे संघ राज्य क्षेत्र पर लागू नहीं होता क्योंकि हमारे यहां संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1969 लागू होता है जबकि आप संविधान द्वारा शासित है। हम भी चाहते हैं कि हम पर भी भारत का संविधान पूरी तरह लागू किया जाए अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि संविधान में संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में भी एक अध्याय जोड़ा जाए।

यदि संघ राज्य क्षेत्र में मंत्रिमंडल प्रशासक अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई सिफारिश करता है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह उसे अस्वीकार भी कर सकता है जबकि किसी राज्य में मंत्रिमडल द्वारा दिए गए सुझाव को राज्यपाल को मानना पड़ता है।

मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र का केवल भौतिक विकास ही नहीं अपितु सांस्कृतिक विकास भी किया जाना चाहिए। जब गोवा स्वतंत्र हुआ, तो भारत का संविधान पहले ही बना हुआ था। हमें भी इसमें शामिल कर लिया गया किंतु हमारी भाषा कोंकणी को आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ऐसा किया जाना चाहिए। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि गोवा के दूरदर्शन केन्द्र की क्षमता 10 किलोवाट है तथापि टावर ऊंचाई पर्याप्त न होने के कारण केवल 1 किलोवाट क्षमता का ही उपयोग होता है। मेरा अनुरोध है कि चूंकि गोवा कला और संस्कृति का केन्द्र है, यहां दूरदर्शन के लघु कार्यक्रम बनाने के लिए इंजीनियरिंग उपकरण उपलब्ध कराए जाए।

अंत में मैं कहूंगा कि वहां कानूनी सहायता कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है। तथापि मेरा सुझाव है कि वहां कानूनी सहायता निदेशालय बनाया जाए।

*श्री पी० शनमुगम (पांडिचेरी) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे 1985-86 के लिए प्रस्तुत सामान्य बजट पर वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया। मुझे खुशी है कि युवा और गतिशील प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में इस सभा में प्रस्तुत किये गये इस युग प्रवर्तक को व्यापक समर्थन मिला है। यद्यपि यह नयी सरकार का पहला बजट है, तथापि हमारे देश के लोगों ने इसका स्वागत किया है। हमारे वित्त मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह सभा में यह अभूतपूर्व बजट पेश करने के लिए समूची सभा प्रशंसा के पात्र है। खाद्यान्नों का उत्पादन 1982-83 में 1300 लाख टन से बढ़कर 1983-84 में 1510.50 लाख टन हो गया। विद्युत उत्पादन 7.6% से बढ़कर 13.5% हो गया। कोयले का उत्पादन 6.9% हो गया। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पा लिया गया है। निर्यात से मिलने वाली मुद्रा में 23% वृद्धि हुई। 1984 में चूंकि हमारे पास प्रचुर मात्रा में संसाधन थे इसलिए हमारी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से शेष ऋण नहीं लेना पड़ा। भारत की सुदृढ़ अर्थ-व्यवस्था से ईर्ष्या करने वाले देश में सांप्रदायिक दंगे भड़का रहे हैं तथा श्री लंका जैसे पड़ोसी देशों का भारत-विरोधी गति विधियों के लिए समर्थन भी कर रहे हैं। महोदय आप जानते हैं कि श्री लंका में तमिलों पर किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। हमारे विपक्षी दल सरकार द्वारा किए गए हर काम का विरोध करते हैं, क्योंकि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। जब तक वे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी नहीं हो सकती।

कपड़ा उद्योग में 125 रुग्ण इकाइयां हैं। उन्हें हर साल घाटा हो रहा है। वाणिज्य राज्य मंत्री द्वारा सभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार इन कपड़ा मिलों में आधुनिक मशीनरी लगाने के लिए 130 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद, राष्ट्रीय कपड़ा निगम को 590 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। यह मेरी समझ से बाहर की बात है कि गैर सरकारी कपड़ा मिलों को मुनाफा कैसे हो रहा है, जबकि राष्ट्रीय कपड़ा निगम को मिलों के घाटा हो रहा है यह मुख्यतः राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रभारी अधिकारियों की अक्षमता और अकार्यकुशलता का परिणाम है। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम अक्षम अधिकारियों का आश्रय स्थल बन गया है। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम में ऊपर के लेकर नीचे तक समूचे प्रशासन को बदलने के लिए आमूल्य निर्णय लिए जाने चाहिए। केवल तभी हम राष्ट्रीय कपड़ा निगम से अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं।

मैं संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी से निर्वाचित किया गया हूं। पांडिचेरी में केवल एक ही बड़ी कपड़ा मिल है जिसका नाम ऐंग्लो-फ्रेंच टेक्सटाइल मिल है। जून, 1983 से यह बन्द पड़ी है। 7500 श्रमिक जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। पांडिचेरी प्रशासन के पास

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

[श्री पी० शनमुगम]

इस मिल को अपने अधिकार में लेने के लिए पैसा नहीं है। 7500 श्रमिक, उन पर आश्रित 40000 लोग और पांडिचेरी के अन्य लोग निरंतर मांग कर रहे हैं कि केन्द्र सरकार को इस मिल का राष्ट्रीयकरण करके इसे राष्ट्रीय कपड़ा निगम को सौंप देना चाहिए। पिछले 20 महीनों से पांडिचेरी की अर्थ-व्यवस्था कठिनाई में है। कल एक संसदीय प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय वित्त और वाणिज्य मन्त्री ने बताया कि इस मिल के राष्ट्रीयकरण की संभाव्यता का पता लगाने के लिए जांच दल नियुक्त किया गया है। मैं चाहता हूं कि जांच शीघ्र कराई जाए तथा रिपोर्ट के प्राप्त होने के तुरन्त बाद इस मिल को पुनः चालू किया जाए। माननीय वित्त मन्त्री को 7500 श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को मौत के पंजे से बचाना चाहिए।

मैं यहां यह कहने के लिए बाध्य हूं कि यहां तक कि दक्षिण में भी राष्ट्रीय कपड़ा निगम की जो मिलें लाभ कमा रही थीं, उन्हें भी घाटा होना शुरू हो गया है। माननीय वित्त मन्त्री को इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय कपड़ा निगम को लाभप्रद संस्था बनाने के लिए समुचित कदम उठाए जाने चाहिए।

पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी है जहां केन्द्र सरकार के कार्यालय हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उद्योग हैं जिपमेर—एशिया का प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तथा विश्व विख्यात अरविन्द आश्रम है, जहां विश्व के सभी भागों से हजारों श्रद्धालु आते हैं। वहां फ्रांस की सेना के हजारों सेवानिवृत्त कार्मिक है, जिन्हें मोटी पेंशन मिल रही है। इससे वहां आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरंतर वृद्धि हुई है। वहां आवास की बहुत कमी है तथा किराये बहुत अधिक है। इसका पांडिचेरी प्रशासन के कर्मचारियों के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। वे काफी समय से मांग कर रहे हैं कि पांडिचेरी को वी०-2 नगर बनाया जाए, जिससे उन्हें किराया भत्ता अधिक मिल सकेगा। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री इस ओर ध्यान दें तथा आवश्यक कार्यवाही करें। इसी भांति कराइक्कल, माही, एनम आदि को भी 'सी' श्रेणी का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सके। दो वर्ष पूर्व भूतपूर्व नागर विमानन मन्त्री ने पांडिचेरी हवाई अड्डे का शिलान्यास किया था। तब से लोग आशा किए हुए हैं कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन पांडिचेरी और मद्रास के बीच हवाई सेवा आरम्भ करेगी। दुर्भाग्य से शिलान्यास के बाद, वहां अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। कम से कम सातवीं पंचवर्षीय योजना में, पांडिचेरी हवाई-अड्डे का निर्माण पूरा किया जाना चाहिए तथा पांडिचेरी तथा मद्रास और अन्य महानगरों के बीच वायु सेना शुरू की जानी चाहिए। हाल ही में, पांडिचेरी में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित मंत्रालय ने कार्यभार सम्भाला है। मेरी मांग है कि पांडिचेरी विधान सभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने योग्य माना जाए। इस समय उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं है। सभी संघ राज्य क्षेत्रों को संविधान की परिधि में लाया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्ता (मोतीहारी) : माननीय सभापति जी, हमारे कर्मठ वित्त मन्त्री महोदय ने जो 1985-86 का बजट पेश किया है, उसका मैं स्वागत करती हूं और इतना अच्छा बजट पेश करने के लिए धन्यवाद देती हूं।

वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट पेश किया है उसके द्वारा एक नई दिशा दी गई है। यह एक उल्लेखनीय और क्रांतिकारी बजट है और इससे देश में विकास की प्रक्रिया तेज होगी। इस बजट के द्वारा भारत को गतिशीलता प्रदान की गई है।

मैं यह कहना चाहती हूं कि पहली बार केन्द्रीय सरकार ने आंकड़ों में न जाकर के बजट में विकास की ओर विशेष ध्यान दिया है। इसमें दूसरी बात यह है कि योजनाबद्ध खर्च और गैर-योजनाबद्ध खर्च के लिए बराबरी का व्यवहार किया गया है। इसमें प्राइवेट लोगों को भी पूरा प्रोत्साहन दिया गया है।

इसमें सब से बड़ी बात यह है कि हमारे कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में अनिवार्य जमा योजना और सम्पदा कर खत्म करने की जो बात कहीं गयी थी उसका पूरी तरह से वित्त मन्त्री महोदय ने पालन किया है। इस तरह से सरकार ने अपने चुनाव घोषणापत्र के पालन में अभी से कदम उठाने शुरू कर दिये हैं।

यह एक ऐसा बजट है जिसके द्वारा समाज में हर वर्ग को राहत मिलती है। देश का कोई भी वर्ग इस बजट में अछूता नहीं रहा है। हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा और वैजयन्तीमाला जी भी कह रही थी कि इस बजट से गरीबी हटेगी और अमीरों को भी फायदा होगा। इस बजट से मध्यम आय वर्ग को भी फायदा होगा और पेंशन पाने वालों को भी फायदा होगा। पहली बार जो उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दिया गया है उससे हमारे उद्योगपतियों को भी यह दिखाना होगा कि वे किस सीमा तक जाकर उद्योगों का विकास करते हैं और देश का विकास करते हैं। उद्योगों को प्रोत्साहन देने से मुद्रास्फीति घटेगी।

इस बजट में 141 करोड़ रुपये के नये कर लगाये गये हैं और 3,349 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है। माननीय सभापति जी, घाटे का बजट हमेशा ही अवांछनीय नहीं होता है। घाटे के ऐसे भी बजट होते हैं जो मूल्यों के स्थिरीकरण और मुद्रास्फीति को रोकने में सहायक होते हैं। यह बजट भी मुद्रास्फीति को रोकने में सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

देश की सातवीं पंचवर्षीय योजना पहली अप्रैल से लागू होगी। छठी पंचवर्षीय योजना में जो हमारी उपलब्धियां हैं उनके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं। कृषि में हमारी जो उल्लेखनीय उपलब्धि हुई है उसके कारण हमारा आर्थिक ढांचा दृढ़ हुआ है, मजबूत हुआ है। इसके

[श्रीमती प्रभावती गुप्ता]

द्वारा आर्थिक विकास के लिए हमारी आधारभूत संरचना हुई है और इससे सप्तम पंचवर्षीय योजना में हमारी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत सुदृढ़ होगी ।

जहां मैं इस बजट की बहुत सारी बातों का स्वागत करती हूं वहां मैं उनसे यह भी अनुरोध करती हूं कि गरीबों के उपयोग में आने वाली चीज केरोसीन तेल पर वह टैक्स न बढ़ाएं बल्कि उसे और भी कम कर दें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे बिहार की राजधानी पटना में एक उच्च शक्ति सम्पन्न दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना की जाए । यह मैं मांग करती हूं कि वहां इस केन्द्र की स्थापना हो ।

इतना कहकर मैं आपका धन्यवाद करती हूं ।

श्री बनवारी लाल बैरवा (टोंक) : मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इतना सक्षम और संतुलित बजट देश को दिया है। हमारे नौजवान प्रधान मन्त्री जी के मार्गदर्शन में जो बजट तैयार हुआ है उससे हमारे भारत के नौजवानों की आशाएं और आकांक्षाएं पूरी होती है उनमें आगे बढ़ने का संकल्प दृढ़ होता है ।

माननीय सभापति जी, बजट प्रायः हर साल ही आये हैं और हर साल ही हम लोग कुछ न कुछ कदम आगे बढ़े हैं । यह बड़ा मौजूं वक्त था जबकि हमारे वित्त मन्त्री जी ने इतना बढ़िया बजट पेश किया है और समाज के जितने भी सैक्शन हैं, उन सबके लिए इसमें प्रावधान किया है । इसमें सभी को समुचित राहत देने की कोशिश की गई है, खासतौर पर उद्योगपतियों और सरकारी कर्मचारियों को इनकम टैक्स के मामले में और बहुत से टैक्सेस के अन्दर उन लोगों को राहत दी गई है । सभापति महोदय, समय का अभाव है, इसलिए मैं पूरे बजट के विस्तार में न जाकर केवल कुछ मुख्य-मुख्य बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत देश का नक्शा बदला है, गांवों की हालत बदली है । आज जरूरत इस बात की है कि इस ओर अधिक ध्यान दिया जाए । हम लोग चुनाव में कह कर आए थे कि जितना पैसा खर्च किया गया है, अगले बजट में उससे दुगना-तिगुना पैसा इसमें मिलेगा । गांवों की हालत आज भी ठीक नहीं है । आज गांव का आदमी ज्यादा इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है । वह बिजली के लिए तरसे, पानी के लिए तरसे, सड़क के लिए तरसे, स्कूल के लिए तरसे या अस्पताल के लिए तरसे, इसके लिए वह तैयार नहीं है । मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि इन तमाम समस्याओं को माननीय मन्त्री महोदय प्राथमिकता के आधार पर देखें । जब हम लोग गांव में जाते हैं तो वहां के लोग शहर की तरफ इशारा करके कहते हैं कि बिजली

तो शहर में जल रही है और वोट आप हमसे मांगते हैं। बिजली के लिए आपने 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, वह पर्याप्त नहीं है। इसके लिए और प्रावधान करने की आवश्यकता है। हमारे यहां राजस्थान में सभी साधनों से कुल मिलाकर 1730 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। हमारा बिजली का मुख्य स्रोत कोटा का आर० ए० पी० है। जैसाकि आपने पैराग्राफ 45 में कहा है जो भी साधन उपलब्ध हैं, उनको मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए आप व्यवस्था करेंगे। इसलिए आप कोटा के इस एटामिक पावर प्लांट को अवश्य देखिए। जब यह बन्द हो जाता है तो हमारी विद्युत क्षमता भी आधी रह जाती है। कभी पांच घंटे, कभी छः घंटे, कभी आठ घंटे बिजली देते हैं। आज कास्तकार 5 घंटे बिजली लेने के लिए तैयार नहीं है। वह कहता है कि जब शहर में 24 घंटे बिजली देते हैं तो गांव में भी 24 घंटे बिजली दीजिए। उनकी ओर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, आज देश को आजाद हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी देश में पीने के पानी की समस्या हल नहीं हुई है। इस ओर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

अन्त में मैं अपने प्रान्त की बात कहना चाहता हूं। हमारी राजस्थान नहर, जिसका इंदिरा-गांधी नहर नामकरण किया गया है, यह हमारे प्रांत या देश की ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की एक-मात्र इतनी लम्बी नहर होगी। इसको शीघ्र पूरा कराइए। इसी तरह से बीसलपुर डैम का काम भी शीघ्र पूर्ण कराइए। इससे हमारे जिले का कायाकल्प होगा और अजमेर में पेयजल की व्यवस्था होगी। इससे सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक आदि तमाम जगहों पर सिंचाई की व्यवस्था होगी। इससे 66 हजार हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। इसी तरह से मैं फसल बीमा योजना का स्वागत करता हूं। इसको अन्य फसलों पर भी लागू किया जाए तो इससे और अधिक लाभ होगा। वैसे यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इसी तरह से जो हम गरीब लोगों को लोन देते हैं तो उनको पूरा लोन मिलना चाहिए। जैसे किसी को बैलगाड़ी के लिए लोन देना है तो उसको इतना लोन मिलना चाहिए कि उसकी बैलगाड़ी उतने पैसे में आ जाए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य कृपया अपनी सीट पर बैठेंगे ? यदि वे बोलते रहे तो कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

डा० के० जी० अदियोडी (कालीकट) : आदरणीय समापति जी, नई सरकार में लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया था उसे उसने यह विकासशील बजट प्रस्तुत करके उचित सिद्ध कर दिया है। इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली, समृद्ध तथा सतत विकासजन्य बनाना है। इस बजट में बुनियादी अन्तर है तथा यह लीक से हटकर है क्योंकि इसमें वार्षिक वित्तीय समायोजनों के अतिरिक्त समग्र सातवीं योजना काल में विकास के लिए दिशा निर्दिष्ट है।

[डा० के० जी० अदियोदी]

परन्तु, आशावान अनुमानों के बावजूद, कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों में अनुकूल सामंजस्य की कमी तथा ईप्सित साक्ष्यों और लक्ष्यों के उचित मूल्यांकन के अभाव के कारण वार्षिक लक्ष्य पिछड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, व्यापारिक वर्ग तथा जमींदारों की बहुत बड़ी आय पर कर नहीं लग पाता क्योंकि उनकी आय का सही निर्धारण करने और कर वसूल करने के लिए समुचित मशीनरी नहीं है। अतः, मैं यह महसूस करता हूं, कि कर वसूली करने वाली वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि कर अपवंचन तथा आय छिपाने के मामलों को क्षीघ्रता से तथा प्रभावशाली ढंग से रोका जा सके। अधिकारियों को इस कार्य हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए उन्हें इसके अनुकूल बनाया जाना चाहिए तथा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को तुरन्त इनाम देना चाहिए और भ्रष्ट तथा अयोग्य अधिकारियों को दण्ड दिया जाना चाहिए।

2.00 म० प०

कर या दर बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान करों को ठीक प्रकार से वसूल करने से बहुत राजस्व प्राप्त हो सकता है। नये बजट को इस दिशा में मोड़ना प्रशंसनीय है।

केरल राज्य में एक वित्त मन्त्री के रूप में मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि मैंने विद्यमान कानून में सुधार करके बिक्री कर तथा कृषि कर से तीन गुना राजस्व वसूल करवाया था। 1973-74 में बिक्री कर से 40 करोड़ रुपए वसूल करने का हमारा लक्ष्य था। लेकिन पूर्ण अध्ययन करने के बाद तथा दरों को बढ़ाए बिना उसी वर्ष में हमने 120 करोड़ रुपए वसूल किए। अतः समय की मांग यह है कि हमें सभी खामियों को दूर करना चाहिए तथा पुराने कानूनों को फिर से दूर करना चाहिए। निष्ठावान अधिकारियों को इस मामले में आगे आना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए।

वित्त मन्त्री ने औद्योगिक उन्नति और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की आवश्यकता पर बल दिया है। जिन राज्यों ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भारी सफलताएं प्राप्त की हैं वे औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से प्रगति करने में असफल रही हैं। उदाहरण के तौर पर, हमारा अपना छोटा लेकिन सुन्दर केरल राज्य, जिसे विश्व बैंक ने भी एक सामाजिक विकास के नमूने के तौर पर सराहा है, उत्पादक गतिविधियों में अधिक धनराशि लगाने की स्थिति में नहीं है। यह घाटे की अर्थव्यवस्था जैसी पुरानी बीमारी के शिकंजे में फंसा हुआ है। सामाजिक कार्यों पर अधिक खर्च ही मुख्य कारण है कि यह राज्य औद्योगिक विकास में प्रगति नहीं कर सका है। हमारे राज्य में प्रत्येक पंचायती क्षेत्र में एक उच्च विद्यालय है। माध्यमिक शिक्षा न केवल लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए मुफ्त है। प्रत्येक पंचायती क्षेत्र में एक औषधालय है।

हमारे यहां सब जगह सड़कें हैं और पक्के पुल बनाए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमारे राज्य में दूसरे राज्यों की अपेक्षा पक्की है क्योंकि हम अन्य राज्यों से बहुत आगे हैं इसीलिए हमें दंडित किया जा रहा है। जब तक वित्त आयोग तथा योजना आयोग के निदेश पदों में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा तब तक हमारा देश औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेगा।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इन दो विषयों विशेषकर वित्त आयोग के निदेश-पदों पर विचार करे। पिछले कई वर्षों से उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अतः इस पर विचार करना होगा। राज्यों को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए।

मैं सदन का अधिक समय नहीं ले रहा हूं। इस समय मैं अपने चुनाव क्षेत्र के लिए वकालत नहीं कर रहा हूं। मैं वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं और बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपाल गंज) : सभापति जी, माननीय वित्त मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी द्वारा जो वर्ष 1985-86 का बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। समर्थन इस मायने में करता हूं क्योंकि बजट के द्वारा निश्चित रूप से यह कोशिश की गई है कि कुछ गरीबों का उत्थान किया जायेगा। समयाभाव के कारण चन्द शब्दों में खासकर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्य मन्त्री के रूप में इनकी काफी ख्याति रही। हम लोग तो बिहार प्रदेश के हैं फिर भी यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का अपने आप में एक इतिहास है। जो भी इन्सान आपत्ति में पड़ता है, वह खासकर काशीनगरी विश्वनाथ की पूजा करने के लिए जाता है।

यहां मैं आपको दूसरा विश्वनाथ के रूप में देखकर चन्द बातें निवेदन करना चाहूंगा। जहां आपने टी० वी० को बजट में कर-मुक्त किया है, वहीं आपने गैस, नमक, कैरोसिन आयल आदि पर कर बढ़ाया है जो कि खासतौर से गरीब तबके के लोगों द्वारा दैनिक इस्तेमाल की वस्तुएं हैं। हमारे हिन्दुस्तान में 55 प्रतिशत आबादी देहातों में निवास करती है और ये वह लोग हैं जो कि अपनी मांगों के लिए नारे नहीं लगा सकते, पैसे के अभाव में अपनी फरयाद आप तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए मेरा अनुरोध है कि दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं पर जो आपने कर-वृद्धि की है, कम-से-कम बीड़ी, नमक, गैस, मिट्टी के तेल पर जो टैक्स बढ़ाया है, उसमें आप कुछ रियायतों की घोषणा करेंगे। हमारे देश के प्रधान मन्त्री ने बिहार के दौरे के समय यह घोषणा की थी कि जब उत्पादन-क्षमता घटेगी तो वित्त पर भार अमूमन बढ़ेगा। आपको देखना चाहिए कि उत्पादन क्षमता कैसे बढ़े। यदि आप बिहार की ओर देखें तो वहां रौहतास इंडस्ट्रीज, हथुआ शुगर फैक्ट्री और चम्पारन में अनेकों फैक्ठरियां बन्द पड़ी हुई हैं। इस बजट में भी बिहार की बन्द मिलों के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है जबकि वित्त विभाग द्वारा उन बन्द पड़े उद्योगों के लिए प्रावधान होना

[श्री काली प्रसाद पांडेय]

चाहिए था। आप चूंकि अनुभवी व्यक्ति हैं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बिहार की बन्द पड़ी मिलों के लिए बजट में इस बजट में प्रावधान करते हुए यह भी देखें कि वहां जिन स्कूलों के भवन नहीं हैं, जिन स्कूलों में खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी बजट में प्रावधान किया जाए। मैं अंत में आपसे तीन प्रमुख निवेदन करना चाहता हूं—सबसे पहले तो आप बिहार की तमाम बन्द पड़ी मिलों को तुरन्त चालू करवाने की व्यवस्था करें, दूसरे गैस, नमक, कैरोसिन तेल आदि दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर वृद्धि को वापस करें और तीसरे, गोपालगंज में जो कि नेपाल और पश्चिमी चम्पारन को जोड़ता है, वहां कोई उद्योग स्थापित करने की व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए० के० पंजा (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किए गये बजट का समर्थन करता हूं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब से यह बजट प्रस्तुत किया गया है। तब से ऐसा लगता है कि पहली बार इस सदन में एक विचारोत्तेजक बजट प्रस्तुत हुआ है। इसकी चर्चा न सिर्फ इस सदन में या लाबी में या केन्द्रीय कक्ष में हो रही है है बल्कि सारे भारत में हो रही है? प्रसिद्ध तथा विख्यात अर्थशास्त्रियों तथा विशेषज्ञों ने इस बजट पर विचार-विमर्श करना शुरु कर दिया है।

2.08 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

मुझे विश्वास है कि ऐसे विचार-विमर्श फलदायक होंगे। अब तक हमने अखबारों तथा विभिन्न अन्य पत्रिकाओं में इस बजट के विभिन्न पहलुओं का समर्थन तथा उनकी आलोचना पढ़ी है। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री न केवल सदस्यों के भाषणों के नोट ले रहे होंगे बल्कि विभिन्न लोगों तथा अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न पहलुओं पर जो प्रकाश डाला गया है, उसका भी विशलेषण कर रहे होंगे। ऐसी चर्चा क्यों शुरू हुई है? मेरे विचार में नई दिशा के कारण। जब कभी भी नया दृष्टिकोण अपनाया जायेगा उस पर अनेक प्रकार से वाद-विवाद होंगे। अगर आप इस बजट पर गौर करें तो आप पायेंगे कि इसमें आर्थिक प्रबन्ध पर जोर दिया गया है। विरोध पक्ष ने व्यर्थ ही यह आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री ने गांधी जी, नेहरू जी तथा इंदिरा जी द्वारा स्थापित किए गए समाजवादी मार्ग को तिलांजली दे दी है। यह सही नहीं है। अगर हम सारे बजट का विशलेषण करके देखें तो हमें पता चलेगा कि वित्त मंत्री ने 70 करोड़ लोगों के हितों का ध्यान रखा है! अगर हम ध्यानपूर्वक जांच करे तो हमें पता चलेगा कि सारा बजट विभिन्न वर्गों जैसे बहुत गरीब वर्ग, गरीब वर्ग, कम आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग तथा अमीर वर्ग में बांटा गया है।

हमें सारी 70 करोड़ जनता का ध्यान रखना है और ऐसा करते समय यह कोशिश बिल्कुल संतुलित रही है। अगर हम इसे अपनी घर की बात समझें तो मैं कहूंगा कि वित्त मंत्री ने एक मां की तरह व्यवहार किया है। सारे घर में भिन्न-भिन्न किस्म के सदस्य होते हैं विभिन्न आय वर्ग के, विभिन्न प्रकार से आय करने की प्रवृत्ति वाले कुछ व्यापार करते है; कुछ बिना किसी शिक्षा के हैं, कुछ की शिक्षा अच्छी हुई है लेकिन आय कम है। मेरे विचार में यह बचट बजत को बढ़ाने वाला पूंजी निवेश को बढ़ावा देने वाला और उत्पादन को बढ़ाने वाला है।

विपक्ष ने बजट की यह कह कर आलोचना की है कि इसमें जिनके पास अधिक है उन्हें अधिक राशि अपनी जेबों में रखने की अनुमति दी गई है। बचत के पहलू से, मेरे विचार में, जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था का संबंध है, इस बजट ने इस पहलू पर एक नई रोशनी डाली है। लेकिन इससे अन्ततः रोजगार के अवसर भी अवश्य बढ़ेंगे। रोजगार कौन देगा ? क्या हम सभी बेरोजगार लोगों को सिर्फ सरकारी उपक्रमों या सरकारी दफ्तरों चाहे वह राज्यों में हो या केन्द्र में रोजगार दे सकते हैं ? उन्हें कृषि क्षेत्रों में या निजी क्षेत्रों में या निजी क्षेत्रों में रोजगार दिलाना होगा। इसीलिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया ताकि बचत हो सके और उस बचत से अवश्य ही उनका विस्तार होगा तथा रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

मैं आपके माध्यम से पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है। उस पर विशेष ध्यान देने वाली एक बात को वित्त मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। जैसे ही वित्त मंत्री ने इस सदन में बजट प्रस्तुत किया, वहां की सरकार वहां की सारी सरकारी मशीनरी केन्द्रीय सरकार के खिलाफ लोगों को यह कहकर भड़काने लगी कि बजट से सरकार काला बाजारियों तथा जमाखोरों को बढ़ावा दे रही हैं तथा उन्हें बाजार से सामान निकालकर बनावटी कमी बनाकर अनावश्यक मूल्य वृद्धि करने के लिए पूरा संरक्षण दे रही है। अगर बजट के कारण थोड़ी सी भी मूल्य वृद्धि होती है तो सामान को बाजार से निकालकर उसकी जमाखोरी करके अधिक मूल्यों पर बेचने की छूट दे रखी है। टैक्सी-हड़ताल वहां पर जबरन करवाई गई मिनि बसों की हड़ताल वहां पर जबरन करवाई गई तथा पेट्रोल पम्प बन्द कर दिये गए है ! राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मेरे विचार में राज्य सरकार कालाबाजारियों को ऐसी अनुमति दे रही है ताकि केन्द्रीय सरकार पर दोष डाला जा सके। मैं चाहता हूं एक विशेष दल पश्चिम बंगाल में बजट के वास्तविक प्रभाव का पता लगाने के लिए भेजा जाना चाहिए। अतः एक विशेषज्ञों का दल वहां पर जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हां, हां।

श्री ए० के० पंजा : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इस बजट की लगभग 10 मदों का विश्लेषण किया और कहा कि "यह कम की गयी है यह कम की गई".....

जब हम विद्यार्थी थे तब हम श्री इन्द्रजीत गुप्त को तार्किक वाद-विवाद के लिए आमंत्रित किया करते थे। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यहां अपने भाषण में गणित विश्लेषण किया है। उन्होंने एक-

[श्री ए० के० पंजा]

दो, तीन, चार बार "कभी" का उल्लेख किया पर किसी भी समाज सुरक्षा उपायों अथवा अन्य लाभदायक उपायों का कोई जिक्र नहीं किया ! श्री इन्द्रजीत गुप्त एक ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने आप को श्रमिकों की आवाज को बुलंद करने का दावेदार मानती है : उन्होंने तालाबन्दी की स्थिति में श्रमिकों को सुरक्षा दिये जाने तक का भी उल्लेख नहीं किया । मेरे विचार में न सिर्फ उन श्रमिकों को लाभ मिलना चाहिए जो छंटनी में निकाल दिये जाते है बल्कि सेवानिवृतों को भी, लाभ मिलना चाहिए !

श्री गुप्त जी फसल बीमा योजना को भी भूल गए हैं । उन्होंने इसके पक्ष में एक शब्द भी नहीं कहा । पहली बार इसको बजट में शामिल किया गया है । इसी प्रकार और 10 अच्छी बातें बजट में शामिल की गई हैं ।

बहुत से विपक्षी सदस्य मुद्रा-स्फीति की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे बहुत बड़ा खतरा है । कुल 3349 करोड़ रु० के लगभग वित्तीय घाटा होने का अनुमान है । मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारा कुल घाटा 3660 करोड़ रुपये है और यदि हम इसमें से 311 करोड़ रुपये जिसे सरकार और अधिक कर लगा कर पूरा कर लेगी, कम कर दें तो कुल 3349 रुपये का घाटा रहता है । पिछले वर्ष जब 3985 करोड़ रुपये का घाटा था तब मुद्रा-स्फीति कुल 5% ही हुई थी । इस वर्ष जो कदम उठाए गए हैं उनके फलस्वरूप अन्त में यह एक अच्छा बजट सिद्ध होगा । जैसा कि हमारे युवा वित्त मंत्री ने कहा कि किसी एक को गहनों से सजाने का कोई फायदा नहीं बल्कि हमें देखना चाहिए कि विभिन्न आय वर्गों के 70 करोड़ लोगों को एक साथ लेकर चला जाए तथा उन्हें अच्छा भोजन और अच्छा माहौल दिया जाए ।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री बी० के० गढ़वी (बनासकांठा) : समय अधिक न होने के कारण मैं केवल दो तीन मुद्दे सरकार के ध्यान में लाऊंगा ।

पहला यह है कि जब कभी भी हम आर्थिक समीक्षा पर दृष्टिपात करते हैं—इसी वर्ष की नहीं बल्कि किसी भी वर्ष की और जब कभी भी वित्त मंत्री द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि अपूरित घाटे से मुद्रा स्फीति नहीं होगी तो यह अनुमान किया जाता है कि यह तभी संभव होगा जबकि हमारी खेती अच्छी होगी । इस बजट का कुछ वर्गों ने अच्छा स्वागत किया है । परन्तु कृषि के सम्बन्ध में मैं यही कहूंगा कि पैट्रोलियम उत्पादों की मूल्य-वृद्धि के कारण इस बजट ने किसानों पर वास्तव में भारी बोझ डाल दिया है । किसान अब आधुनिक तकनीक को प्रयोग में ला रहे हैं । वे ट्रैक्टर और डीजल पम्प सेट आदि चलाते हैं जहां तक बिजली का सम्बन्ध है यह

नहर से सिंचाई करने के बाद किसानों के लिए सबसे सस्ता साधन है। यह उचित समय है जबकि हम किसानों के हितों को इस दृष्टिकोण से देखें कि कृषि क्षेत्र को भी बिजली उत्पादन का एक निश्चित प्रतिशत मुहैया कराया जाए। अभी तक देश में जो कुल विद्युत उत्पादन होता है जिसमें करोड़ों रुपयों की पूंजी लगी हुई है उसका 58 प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र को जाता है तथा कृषि क्षेत्र का हिस्सा कुल 17 प्रतिशत है। हमें इस बात की सराहना करनी पड़ेगी कि इन कठिनाइयों के बावजूद भी इस देश के किसान देश को आर्थिक कठिनाइयों से बचाते रहे हैं।

इसलिए ही हम डींग हांकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है क्योंकि किसान इसका बचाव कर जाते हैं। अतः मैं कहता हूं कि एक ऐसी नीति होनी चाहिए कि देश में कुल विद्युत उत्पादन का कम से कम 35 प्रतिशत बगैर किसी लाग लपेट के कृषि क्षेत्र के लिए मुकर्रर किया जाए।

अन्यथा निवेश लागत ऊंची होने से और कृषि लागत बढ़ जाने से किसानों की कठिनाइयां भी बढ़ेंगी। हम रोज यह सुनते हैं कि उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं विशेष रूप से नकदी फसलों के हमारा व्यापार-संतुलन अनुकूल नहीं है। यह कहा है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का प्रयाप्त भंडार है। यह हमारे व्यापार की वजह से पर्याप्त नहीं है बल्कि विदेशों से भेजे जा रहे धन की वजह से पर्याप्त है।

जो व्यक्ति विदेश में नौकरी करते हैं वे देश में धन भेज रहे हैं और इस प्रकार हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति बेहतर है, परन्तु जहां तक व्यापार का सम्बन्ध है, स्थिति इसके विपरीत है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कम से कम किसानों की नकदी फसलों, जैसे कि अरंडी, का निर्यात किए जाने के रास्ते खोजे जाने की आवश्यकता पर ध्यान दें। पिछले वर्ष 20 किलो अरंडी के 100 रुपये मिल रहे थे और इस वर्ष केवल 60 से 65 रुपये। पिछले वर्ष 20 कि० ईसबगोल के 150 रुपये मिल रहे थे इस वर्ष इसके 100 रुपये से अधिक नहीं मिल रहे हैं। इसी प्रकार पिछले वर्ष 20 कि० ग्राम जीरे के 250 रुपये मिल रहे थे और इस वर्ष कीमत बहुत ही कम है। इस लिए जब नकदी फसलों के ही दाम गिर रहे हैं·····(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया अब उपसंहार कीजिए।

श्री बी० के० गढवी : महोदय, मैं जानता हूं कि समय बहुत कम है और मैं विषय के साथ न्याय करने की स्थिति में नहीं हूं। परन्तु मेरा जोर इस बात पर है कि औद्योगिक दृष्टि से बजट विकासोन्मुख और एक बहुत ही अच्छा बजट है। मैं समझता हूं कि ये पहले वित्त मंत्री हैं जिनकी स्वतंत्र उद्यम मंच के लोगों ने महती सराहना की है।

परन्तु मैं उस पहलू को नहीं ले जा रहा हूं।

जहां तक आम आदमी का सम्बन्ध है वित्त मंत्रालय ने पिछले दिन ही कहा था कि कीमतें

[श्री वी० के० गढवी]

नहीं बढ़ रही हैं, कल एक अधिसूचना जारी की गई थी कि मूल्यों में एक खास ढंग से वृद्धि होगी और आज हम सुनते हैं कि सुपर बाजार में भी कीमतें बढ़ रही हैं।

चाहे जमाखोर या कालाबाजारिये हेरा-फेरी कर रहे हैं अथवा कीमतें किसी अन्य कारण से बढ़ रही हैं। सरकार को इस मामले में अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी अन्यथा बजट की तमाम उपलब्धियां के बावजूद आम आदमी को कोई लाभ नहीं होगा। अतः मैं आशा करता हूं कि मैंने जो दो सुझाव पेश किए हैं सरकार उन पर विचार करेगी।

श्री अनादि चरण दास (जयपुर): सभापति महोदय, केन्द्र सरकार के वर्ष 1985-86 के बजट का समर्थन करते हुए मैं कुछ ऐसे नुक्ते सामने रखना चाहता हूं जो सरकार की नीति। कार्यक्रम बनाते समय वित्त मन्त्री के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। सबसे पहले मैं वित्त मंत्री को गरीब परिवारों के कमाऊ सदस्यों की दुर्घटना में होने वाली मृत्यु के खतरे को समाहित करने के लिए उन्होंने जो सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करने का प्रस्ताव किया है और उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। मैं गतिशील और युवा प्रधान मंत्री को भी इस वर्ष से देश में फसल बीमा योजना लागू करने के लिए बधाई देता हूं। इन योजनाओं से गरीब परिवारों को उनके कठिन आर्थिक संकट के समय मदद मिलेगी तथा इन नई योजनाओं से हमारे किसान भाइयों को भी लाभ पहुंचेगा।

देश की नींव बहुत कुछ सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली मजबूत आर्थिक नीति पर निर्भर है। रुपये की कीमत अब अपने निम्नतम ह्रास तक पहुंच गई है अर्थात् यदि हम रुपए की वर्तमान कीमत की इसकी 1947 की कीमत से तुलना करें तो यह अब केवल 13 पैसा रह गई है जब हम अपने लोगों को कोई लाभ देने की बात सोचते हैं तो उसकी गणना पैसों के संदर्भ में की जाती जाती है। वर्तमान समय में इतनी अधिक मुद्रा-स्फीति क्यों है ? मेरे विचार से जो धन किसी कार्यक्रम योजना विशेष के लिए निर्धारित किया जाता है उसे उसी योजना के लिए उचित रूप से खर्च नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप उत्पादन प्रभावित होता है अपने देश में हम गरीबों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चला रहे हैं जैसे कि आई० आर० डी० पी०, ई० आर० पी०; एन० आर० ई० पी०; सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, आर० एल० ई० जी० पी०, अनुसूचित जाति घटक योजना आदिवासी उप-योजना; आदि। मेरे अध्ययन के अनुसार इन योजनाओं को उस भावना और लगन से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है जिससे ये बनाई गई हैं। सरकार द्वारा गरीब लाभ भोगियों को दिए जा रहे ऋण की रकम का राज सहायता भाग वास्तव में बैंक अधिकारियों, सरकारी अफसरों और दलालों की जेब में जा रहा है। इसके अलावा इन योजनाओं के तहत वास्तविक लाभ भोगियों को दी जाने वाली ऋण की रकम इन लाभ योगियों द्वारा उचित रूप से प्रयोग में नहीं लाई जा रही है बल्कि शादी-ब्याह, जन्म-मृत्यु उत्सवों, गृह-निर्माण आदि जैसे अलाभकारी कार्यों में खर्च की जा रही है। वास्तव में ऋण की इस रकम का उपयोग ऋण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि बैंकों द्वारा लोगों को उपयोग्य ऋण दिए जाने के लिए उपलब्ध किया जाना चाहिए क्योंकि निजी साहूकारी प्रथा समाप्त कर दी गयी है। ऋण राशि पर जो सब्सिडी

दी जाती है वह नहीं दी जानी चाहिए और इसके स्थान पर कुछ वर्ष तक ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाना चाहिए ताकि लाभ-भोगी सौ प्रतिशत ऋण राशि वापस कर सकें। वास्तव में ब्याज का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाए। इससे ऋण राशि में हेराफेरी नहीं होगी तथा मुद्रा-स्फीति पर भी काबू रखा जा सकेगा। सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कहा जाए कि वे अपने खर्च में कम से कम दस प्रतिशत की कटौती करें। इस समय, इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास अपने अतिथि गृह हैं, किराए की कारों का काफला है, किराए के अतिथि गृह हैं तथा ये इनके रख रखाव पर लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। प्रति नियुक्ति पर किसी अन्य विभाग में जाने वाले सरकारी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलता है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की बचत होगी।

मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन इस प्रकार निर्धारित किए जाए कि किसी भी कर्मचारी को 1000/- रुपये प्रति माह से कम और 3000/- रुपये प्रतिमाह से अधिक न मिलें। सरकारी कर्मचारियों की सेवा-अवधि 30-33 वर्ष से घटाकर केवल 20 वर्ष कर देनी चाहिए तथा सेवा-निवृति के बाद कर्मचारियों को 10 वर्ष की अग्रिम पेंशन दी जानी चाहिए। इससे उन्हें अपनी कमाई और पेंशन राशि को व्यापार कार्य और निवेश कार्य में लगाने में मदद मिलेगी। सरकार को ऐसी ही उद्यमियों को नए व्यापार कार्य में प्रवेश करने को प्रोत्साहन देना चाहिए तथा सरकार को अथवा किसी वित्तीय संस्था को किसी नए स्नातक आदि को व्यापार क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसकी सहायता अथवा उसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। इस नीति से अधिक लोगों के लिए रोजगार के बड़े रास्ते खुलेंगे तथा अधिक संख्या में नए परिवारों को सरकारी सेवा में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। नए नए स्नातकों, जिन्हें सरकार वित्तीय सहायता देती है, के पास न तो अपनी कोई पूंजी होती है और न ही कोई अनुभव। नई फैक्ट्री अथवा नया उद्योग स्थापित करते समय ऋण राशि का बहुत सा भाग अधिकारियों को खुश करने अथवा उनके मनोरंजन में खर्च हो जाता है। परिणाम यह होता है कि उन्हें भी शराब आदि पीने की बुरी आदत पड़ जाती है। उक्त सुझाव से मुद्रा स्फीति पर भी रोक लगेगी।

अन्त में, मैं काले धन को उजागर करने के लिए किये गये प्रयत्नों के लिए अपने गतिशील युवा प्रधानमन्त्री और वित्त मन्त्री का धन्यवाद करता हूं तथा आशा करता हूं कि काले धन को उजागर करने के लिए और अधिक कारगर कदम उठाए जाएंगे।

सभापति महोदय : श्रीमती फूलरेणु गुहा

श्रीमती फूलरेणु गुहा : महोदय मैं बजट का समर्थन करती हूं.....

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव (मैनपुरी) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[श्री बलराम सिंह यादव]

मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सदन में बोलने के लिए जिनको आप इंगित करते हैं, इस सम्बन्ध में क्या नियम और कायदे हैं। (व्यवधान) शनिवार को मुझ से कहा गया था कि मैं दो-तीन बजे बोलूंगा लेकिन अभी तक मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। आपका नाम सूची में है आपको यथा समय बोलने के लिए कहा जाएगा।

श्रीमती फूलरेणु गुहा (कन्टई) : महोदय, मैं वित्त मंत्री को ऐसे साहसिक बजट के लिए बधाई देती हूं। मैं कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहूंगी जो बजट-चर्चा के सीमा क्षेत्र में आते हैं। मैं समाज और महिला कल्याण मंत्रालय के परिवर्तित नामकरण का स्वागत करती हूं। इस सम्बन्ध में, मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगी कि छठी योजना में भी अच्छी खासी धनराशि महिलाओं के विकास हेतु आवंटित की गई थी, परन्तु जहां तक हमें ज्ञात है, इसकी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है और इसलिए इस विषय में कुछ भी ज्ञात नही हो सकता कि इस रकम को किस प्रकार खर्च किया गया और कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिला। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि धनराशि के आवंटन से सम्बन्धित प्रगति पर नजर रखने के लिए योजना आयोग में एक प्रथक कक्ष की स्थापना की जाए।

मुझे खेद है कि सीमा क्षेत्रों में महिलाओं को अनैतिक व्यापार में अत्यन्त प्रचलित रही हैं तथा इसमें वृद्धि हो रही हैं हम सभी जानते हैं कि सरकार को इस बुराई की जानकारी है और वह इसे रोकने के लिए सभी संभव उपाय बरत रही है। परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बुराई विशेष रूप से महिलाओं के अनैतिक व्यापार की बुराई को रोकने के लिए शीघ्र जोरदार तथा प्रभावी कदम उठाये जायें। देश में महिलाओं के प्रति अपराध वृद्धि पर हैं। न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाये तथा अपराधियों को सख्त सजा दी जाये। यदि आवश्यक हो तो वर्तमान कानूनों में परिवर्तन किया जाये।

मैं सामाजिक सुरक्षा योजना का स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि विपक्ष कहेगा कि यह बहुत तुच्छ उपाय है। परन्तु उनको समझना चाहिए कि यदि कोई बात शुरू की जाती हैं तो उसका विस्तार भी किया जा सकता है। अतः मैं हृदय से इस योजना का स्वागत करता हूं। इस बारे में भारत सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार से निवेदन करता हूं कि मिदनापुर जिले को इस योजना के अधीन पहले जिलों के रूप में लिया जाये। शायद आपको याद होगा कि मिदनापुर जिले के तामलुक उप-डिवीजन में 1947 में पहली प्रान्तीत सरकार गठित हुई थी। अतः मेरा निवेदन है कि मिदनापुर जिले को इस योजना में सम्मिलित किया जाये। इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं अनुरोध करता हूं कि तामलुक और दीघा से रेल सेवा शुरू की जाये। दीघा पश्चिम बंगाल का

समुद्रतटीय क्षेत्र है। इसे न केवल भारतीय समुद्र तटीय क्षेत्र अपितु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट के रूप में भी विकसित किया जाना चाहिए।

चूंकि मिट्टी के तेल का उपयोग गरीब से गरीब व्यक्तियों द्वारा भी किया जाता है अतः मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस के मूल्य में बिलकुल वृद्धि न की जाये। इसी तरह डीजल के मूल्य में भी वृद्धि न की जाये।

अंततः मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि सम्पदा शुल्क को पूरी तरह समाप्त न किया जाये। मैं महसूस करता हूं कि देहा में आप कराधान के कुछ स्तर में आने वाले व्यक्तियों पर सम्पदा शुल्क लगाया जाना चाहिए।

मैं कई अन्य बातों पर बोलना चाहता था परन्तु समयाभाव के कारण मैं केवल यही कहकर समाप्त करता हूं कि मैं हृदय से इस बजट का समर्थन करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि भाषण की लम्बाई पर कोई कराधान लगाया जाता है तो आपको कोई कर नहीं देना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव (मैनपुरी) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत 1985-86 के बजट पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस बजट का पूरे देश में हर वर्ग, हर जगह के लोगों ने आम तौर से स्वागत किया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को ऐसा बजट प्रस्तुत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में ऐसी बहुत सी रियायतें दी हैं, जिसकी सर्वत्र सराहना की जा रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था मजबूत हो। इस बजट से हमें ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से माननीय प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी, के नेतृत्व में हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था मजबूत होगी।

आजादी के बाद से अब तक उद्योगों के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत प्रगति की है और आज भी यदि गरीबी को हमें खत्म करना है, अगर बेरोजगारी को खत्म करना है तो उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, वित्त मंत्री जी को, कि उन्होंने उद्योगों लिए बहुत-सी सुविधायें दी हैं और दुनिया जिस तेजी से प्रगति कर रही है, दुनिया जिस तेजी से औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, उसका मुकाबला हम उनके निर्णयों से कर सकेंगे।

मान्यवर, उद्योगों के बारे में हम लोग यह देखते हैं कि जहां-जहां उद्योग लगे हैं, यदि हम विद्युत की समुचित व्यवस्था नहीं करते, विद्युत की सप्लाई उनको नहीं होती तो निश्चय ही हम

[श्री बलराम सिंह यादव]

अपना औद्योगीकरण का सपना पूरा नहीं कर सकते। इसलिये माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे राज्य सरकारों से बात करें कि विद्युत की उनकी कठिनाइयों को कैसे तेजी से हल किया जा सकता है ताकि देश का औद्योगीकरण तेजी से हो सके।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि की जो समस्यायें हैं उनको हमें देखना पड़ेगा। हमारे वित्त मंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहे हैं और उस समय मुख्य मंत्री की हैसियत से उन्होंने हमारे प्रदेश में जो निर्णय लिये थे, उत्तर प्रदेश का इतिहास हमेशा-हमेशा के लिए उनको याद करेगा। आज हमारी सरकार बधाई की पात्र हैं, उसने गेहूं का समर्थन मूल्य 157 रुपये तय किया है। लेकिन, मान्यवर, फसल बीमा की जो योजना लागू की गई है, जिसकी घोषणा इस सदन में बजट प्रस्तुत करते समय की गई है, हमें यह देखना होगा कि ऐसा न हो कि वह योजना कागजों पर ही रह जाए। क्योंकि कई प्रदेशों में पहले से बीमा फसल योजना चल रही है, लेकिन उसका कार्यान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा है। आज हमारी सरकार को यह चाहिये कि फसल बीमा योजना का जो प्रारूप है उसको प्रभावी ढंग से जनसाधारण में प्रचारित और प्रसारित किया जाए ताकि लोग समझ सकें कि फसल बीमा योजना क्या है और किस तरह से इस योजना का लाभ किसानों को मिल सकता है।

तिलहन और दलहन गरीबों का खाद्य-पदार्थ है, लेकिन इनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। इसलिए हमारी सरकार को चाहिए कि देश में जितने कृषि विश्वविद्यालय और कृषि वैज्ञानिक हैं, उनको इस काम पर लगाया जाय कि वे इनकी ऐसी किस्में ईजाद करें जिससे पर-हैक्टेअर पैदावार बढ़े और उनकी कीमतें नीचे आयें ताकि ये चीजें गरीबों को सस्ते दामों पर सुलभ हो सकें।

एन० आर० ई० पी० और एल० आर० ई० जी० पी० हमारे देश में बहुत क्रांतिकारी योजनाएं हैं, जिनके लिए हम अपनी भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर इन योजनाओं को देश में लागू किया था। लेकिन मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं—आपकी एल० आर० ई० जी० पी० की योजना बहुत अच्छी योजना है, आम जनता ने इसका बड़ा भारी स्वागत किया है, लेकिन इसके अन्तर्गत जो काम हुए हैं, यदि उनके मैन्टेनेन्स के लिए भारत सरकार ने पैसे की व्यवस्था न की तो जो करोड़ों रुपया आप अपनी तरफ से बहा रहे हैं, वह बेकार हो जाएगा। इसके लिए प्रावीजन भारत सरकार की तरफ से होना चाहिए। प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है, वे इसके लिए पर्याप्त धन-राशि की व्यवस्था नही कर पा रही है। आप जो भी सड़कें या जो भी सम्पत्ति बनायेंगे, यदि उनके मेन्टेनेन्स की व्यवस्था न की गई तो दो-तीन वर्षों में वह सारे-का-सारा पैसा बेकार हो जाएगा।

सभापति महोदय, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जिसे डाकू-ग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। वहां पर जितनी भूमि है उसकी एक तिहाई ऊसर भूमि है। माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से देखा हुआ है। वह ऐसा क्षेत्र है जहां आदमी दिन-और-रात चैन से नहीं सो पाता है। आये-दिन हत्या, डकैती आदि सारी बातें होती हैं। मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो भी इस तरह के जिले हैं, उनके लिए भारत सरकार की तरफ से अलग से योजना होनी चाहिए ताकि उनका समन्वित विकास हो सके। वहां की गरीबी खत्म हो सके, वहां की बेरोजगारी खत्म हो सके और वहां पर बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे लग सकें।

अन्त में, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बहुत अच्छा और और प्रगतिशील बजट पेश किया, उसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री श्रीहरि राव (राजा मुन्द्री) : सभापति महोदय, यह अच्छा बजट है। यह ऐसा बजट है जिसका कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। परन्तु किनके लिए ? देश के सभी लोगों के लिए नहीं अपितु कुछ ही लोगों के लिए यह अच्छा है—यह बजट उन्हीं व्यक्तियों के लिए अच्छा है जो गरीब लोगों का शोषण करके धन अर्जित करते हैं। जो लोग कठोर मेहनत से आजीविका कमाते हैं, उनकी क्या स्थिति है। निश्चय ही यह बजट सभी के लिए अच्छा नही है, विशेषतः जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं तथा जो हमारी कुल जन-संख्या के 55% से अधिक हैं। किसी भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान होती हैं। किसी भी वित्त मन्त्री को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि गरीब से गरीब व्यक्तियों को ये मूलभूत आवश्यकतायें उपलब्ध कराई जायें। जीवित रहने के लिए कुछ भोजन चाहिए, सुरक्षित रहने के लिए छत एवं शरीर ढकने के लिए कपड़ा। ऐसा लगता है कि माननीय वित्त मन्त्री इन मूलभूत बातों को भूल गए हैं। वित्त मन्त्री ने हमारे इन गरीब व्यक्तियों को बिलकुल कोई राहत प्रदान नहीं की है। इन गरीब लोगों ने बड़ी उम्मीद बांधकर कांग्रेस पार्टी को सत्तारूढ़ किया है। उन्हें माननीय वित्त मन्त्री द्वारा यह उपहार मिला है कि उन्होंने इन्हें पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। कभी भी गरीबों के प्रति ऐसी उपेक्षा नहीं बरती गई। परन्तु मैं माननीय वित्त मन्त्री को बताना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस पार्टी गरीबों को भूल जाती है तो गरीब लोग भी कांग्रेस पार्टी को भूल जायेंगे। भूल तो वे अवश्य जायेंगे परन्तु इस पार्टी को अच्छा सबक सिखाने के बाद। अतः कृपया गरीब व्यक्तियों का कम महत्व न समझें।

महोदय, चूंकि मेरे पास समय कम है अतः मैं कुछ ही सुझाव दूंगा। यदि उन्हें क्रियान्वित किया जाये तो बजट सभी को स्वीकार्य हो जायेगा।

*तेलगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री ओहरि राव]

महोदय डीजल के मूल्य में वृद्धि अक्षम्य है। यदि आप उसमें एक पैसे की वृद्धि करते हैं तो जब तक माल उपभोक्ता के पास पहुंचता है तब तक वृद्धि दस रुपए हो जायेगी। इसका प्रभाव समाज में सभी लोगों पर पड़ेगा। अतः डीजल के मूल्य में प्रस्तावित पर्याप्त वृद्धि को वापस लिया जाना चाहिए।

मिट्टी के तेल तथा गैस के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है। कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए देश की महिलाओं को कैसा अद्भुत उपहार दिया गया है। गैस के प्रति सिलिंडर पर अब पांच रुपए बढ़ा दिए गए हैं। माननीय वित्त मन्त्री महोदय को आम गृहणी को तंग नहीं करना चाहिए अतः इस वृद्धि को वापस लेना चाहिए।

महोदय, रुपए के मूल्य में जल्दी से ह्रास होता जा रहा है। अब उसके मूल्य पहले से छः गुना कम है। उपहार कर के लिए 5000 रुपए की छूट सीमा बहुत कम है। यदि कोई दादा अपने पौत्र को कोई अमूल्य उपहार देना चाहता है तो 5000 रुपए की सीमा में ऐसा किस प्रकार कर सकता है। दुर्भाग्य से इतने वर्षों से इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। अतः मेरा सुझाव है कि इसकी सीमा को बढ़ाकर कम-से-कम 30,000 रुपए कर दिया जाये।

मैं यह भी सुझाव दूंगा कि आयकर से छूट की सीमा बढ़ाकर 25000 रुपए की जाए। उत्पादन में लगे उद्योग इस समय गम्भीर समस्या का सामना कर रहे हैं। इस स्थिति में अधिकतर लोग उद्योगों में अपना धन लगाने को तैयार नहीं हैं। उनके पूंजी लगाने से उत्पादन बढ़ सकता है तथा कई बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है। परन्तु पूंजी लगाने से पूर्व नेए उद्यमियों को उनकी पूंजी तथा माप के स्रोत बताने के लिए अधिकारियों द्वारा तंग किया जाता है। इसके किसी भी तरह के स्पष्टीकरण से उनकी सन्तुष्ठि नहीं होती। अतः इन नियमों में छूट की तुरन्त आवश्यकता है। मेरा माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध है कि वह इन नियमों में तत्काल छूट दें। यह बहुत आवश्यक है। यदि संबद्ध नियमों में सुधार किया जाता है तो बहुत से अन्य लोग उद्योगों में अपना पैसा लगायेंगे। इससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा और राष्ट्र सम्पन्न बनेगा तथा इससे बेरोजगारी की समस्या का भी काफी हद तक समाधान होगा। हमारे देश में प्रगति का चक्र चलेगा तथा समृद्धि आयेगी।

महोदय, मेरे द्वारा दिए गए सुझाव अत्यन्त औचित्यपूर्ण हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय वित्त मन्त्री महोदय इन्हें स्वीकार करने में संकोच नहीं करेंगे तथा इस बजट में अपेक्षित सुधार करेंगे। यदि बजट में यह सुधार समाविष्ट कर लिए जाते हैं तो वास्तव में यह बजट बहुत अच्छा तथा अभूतपूर्व होगा और सभी के लिए स्वीकार्य बन जायेगा। मुझे अवसर देने के लिए बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रामदेव राय (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, वित्त मन्त्री महोदय द्वारा जो 1985-86 का बजट पेश किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं और उस क्रम में दो-चार निवेदन भी पेश करना चाहूंगा।

केन्द्रीय बजट से हमारे देश की आकृति आम जानता के सामने जाती है और जनता अपने सुख-चैन के लिए सोचती और विचार करती है और उसके अनुकूल सरकार से आशा रखती है। उस आशा की पूर्ति के लिए हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने कोशिशें की हैं और यह निःसंदेह ही हमारे अगले भविष्य का सूचक है। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, माननीय वित्त मन्त्री जी ने एक नई पहल दी है जिससे हमारी आशाएं पूरी होने की संभावना ही नहीं है बल्कि हमारा मनोबल बढ़ा है कि हम और क्षेत्रों में और भी कामयाबी हासिल करेंगे।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में बिजली की मूल समस्या है, जिसकी पूर्ति देश के किसी भी राज्य में उस अनुपात में नहीं होती, जितनी कि होनी चाहिए। मैं खासकर बिहार की चर्चा आपके सामने करना चाहूंगा। जितनी हमारी क्षमता है, उसके मुताबिक हमारे यहां बिजली का उत्पादन नहीं होता है जिसके कारण हम उनकी जरूरतों की पूर्ति नहीं कर पाते। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि बिहार देश की सेवा में किसी भी राज्य से पीछे नहीं रहता है। फिर भी उसकी कठिनाइयों पर यदि हमारे वित्त मन्त्री जी ध्यान नहीं देंगे, तो निःसन्देह बिहार-वासियों के मन में क्षोभ पैदा होगा और उनका मनोबल गिरेगा। क्योंकि हम बड़े मंसूबे के साथ देश में कदम-ब-कदम चलने को मजबूत और कटिबद्ध रहते हैं।

हमारा उद्योग बहुत पीछे है। मैं अपने यहां के उद्योग का पूरा चित्र आपके सन्मुख पेश कर आपको कठिनाई में नहीं डालना चाहता किन्तु मैं आपके सामने अपने यहां की आम जनता की समस्या को रखना अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

आज समस्तीपुर का ठाकुर पेपर मिल्स वर्षों से बन्द पड़ा है। हमारा बिहार उद्योग के क्षेत्र में पहले ही बहुत पिछड़ा है। आप जानते हैं कि समस्तीपुर बिहार के उत्तरी भाग में स्थित है जहां से कि सत्यनारायण बाबू और ललित बाबू आते थे। उनके अभाव में आज समस्तीपुर का विकास ठप्प प्रायः पड़ा हुआ है। चाहे वह रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे वह उद्योग का क्षेत्र हो। हमारी प्रधान मन्त्री जी ने देश को आगे बढ़ाने का जो साहसिक कदम बढ़ाया है, उसमें हमारी समस्तीपुर और बिहार की जनता हमेशा उनकी खिदमत के लिए तैयार रहेगी।

हमारे यहां सिंचाई की बात को लीजिए। कृषि मन्त्री जी इस समय यहां नहीं हैं। मैं वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि लेयर टैस्टिंग केन्द्र के द्वारा बिहार में अनेकों बड़े व्यास के

[श्री रामदेव राय]

नलकूप खुदवाकर पड़े हुए हैं, कितना व्यास होना चाहिए इसका ध्यान नहीं रखा गया है। अगर उन नलकूपों को आप राज्य सरकार को सौंप दें तो उनसे बिहार की सिंचाई की एक बड़ी समस्या का निदान हो सकता है। अन्यथा यह नलकूप बेकार पड़ा रह जाएगा।

हमारे यहां नदियों का जल बेकार पड़ा हुआ है। अगर हम नदियों का जल इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमें दोहरा लाभ होगा। जहां एक साधारण नलकूप बनवाने में दो लाख रुपया खर्च होता है वहां उतनी ही लागत में इन नदियों से सिंचाई योजना लागू होने से जनता को दोहरा लाभ मिल सकता है। इन नदियों के जल से नलकूप की अपेक्षा अधिक और बहतर उपज होती है। बिहार में पांच-पांच नदियां हैं—गंगा, गण्डक, ..सी, वाया, बलान बेंती। इनके जल का उपयोग सिंचाई के लिए होना चाहिए। बिहार में जो ट्यूबवैल वहां बेकार पड़े हुए हैं उनकी मरम्मत का कार्य शीघ्र कार्यान्वित होना चाहिए। इसके लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करे।

अब मैं शिक्षा नीति की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चे बहुत अच्छे ढंग से केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ते हैं लेकिन आप को गांवों के बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान देना होगा। हम एक शिक्षा नीति बनाने जा रहे हैं जिससे गरीब और अमीर के बच्चे समान शिक्षा प्राप्त कर सकें। मेरा अनुरोध होगा कि इसको शीघ्र क्रियान्वित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस नीति के अन्तर्गत तमाम बच्चे एक समान व्यवस्था के भीतर ही विद्यालयों में पढ़ेंगे। इसके लिए आप ध्यान दें क्योंकि आप देश से गरीबी को मिटाने के लिए कृत-संकल्प हैं।

मैं अपने प्रधान मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे बड़े धीरज, साहस और वीरता के साथ देश की पतवार को अपने हाथ में लिए हैं। हम लोग भी उनके साथ कदम-ब-कदम चलने के लिए कृत-संकल्प हैं और हममें उनके कार्यों से भावनाओं से हम में विश्वास जगा है और हम आत्म-विश्वास के साथ कह सकते हैं—

युग युग का तम दूर हुआ,
नवप्रभात विहंसने वाला है।
सदियों के पिछड़ेपन का
काला इतिहास बदलने वाला है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने बड़े संकल्प के साथ यह बजट पेश किया है जो घरों, कस्बों और खेत-खलिहानों में प्रकाश फैलायेगा। हम सब लोग आपके साथ कदम पर कदम मिलाकर चलने को तैयार है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री जी० एस० धोत्रे (घाणे) : मैं आज सदन में अपना पहला भाषण दे रहा हूं। इसका

विषय है इस वर्ष का बजट । मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जोकि मेरा भाषण सुन रहे हैं ।

मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

हर व्यक्ति ने इस बजट की प्रशंसा की है क्योंकि अनेक को रियायतें दी गई हैं तथा देश के विकास के लिए प्रगतिशील कदम उठाये गये हैं ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक वेतन आयोग नियुक्त किया है । इससे राज्यों के समक्ष समस्या पैदा हो गई है । राज्य सरकारों के कर्मचारी भी अब अधिक वेतनों के लिए आन्दोलन कर रहे हैं । तथा हड़ताल कर रहे हैं । क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को भी कुछ वित्तीय सहायता देगी ताकि वे भी अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ा सके ? क्या केन्द्र तथा राज्यों के बीच ऐसा कोई संबंध है ?

जहां तक बोनस का प्रश्न है हमारी यह धारणा है कि बोनस अधिक उत्पादन करने वालों को दिया जाता है । यह फैक्टरी के मजदूरों को दिया जाना चाहिए । अब केन्द्रीय सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को बोनस दिया है । राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों के प्रति इस मामले में क्या करना है । राज्य सरकारों के कर्मचारी भी बोनस की मांग पर हड़ताल कर रहे हैं । बोनस के मामले पर राज्य सरकारों और उनके कर्मचारियों के बीच विवाद होगा ।

अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक परामर्श के जरिए यह समस्या हल की जानी चाहिए ताकि केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय हो सके ।

पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के संबंध में जोकि आमतौर पर वन्य क्षेत्र होते हैं, हमने 1980 में एक अधिनियम पारित किया है जिसके अंतर्गत मामला केन्द्रीय सरकार को भेजे बिना एक इंच भूमि भी, नही दी जा सकती ।

केन्द्रीय सरकार को फाइल को निकालने में दो या तीन वर्ष तक का समय लगता है । ऐसी परिस्थितियों में किसी पिछड़े क्षेत्र या आदि वासी क्षेत्र को विकसित करना कैसे सम्भव है ? उन्हें भूमि चाहिए और इसलिए मेरा निवेदन है कि भूमि का आवंटन करने का अधिकार राज्य मंत्रिमंडल या राज्य के मुख्य मंत्री को दिया जाना चाहिए जिससे कि मुख्य मंत्री इस शर्त पर भूमि प्रदान कर सके कि वे अन्य वन भूमि पर वन विकास हेतु अपनी परियोजनाओं में से धन प्रदान करेंगे । मेरा निवेदन है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि प्रदान करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति को राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दिया जाए ।

बम्बई शहर में 80 लाख लोग बसते हैं । इनमें से 42 लाख लोग झोपड़-पट्टियों में बसते

[श्री जी० एस० घोलप]

हैं। जल सप्लाई की वहां क्या स्थिति है ? सड़कों की क्या स्थिति है ? रेलों की क्या स्थिति है ? इन सभी समस्याओं को राज्य सरकार को हल करना है और इन सभी समस्याओं को हल करना राज्य सरकार के लिए असम्भव है। बम्बई केवल महाराष्ट्र का नगर नहीं है, यह तो सारे राष्ट्र का शहर है। इसलिए केन्द्र सरकार को कुछ अनुदान या धन देकर राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए। हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने अनुरोध किया है कि केवल बम्दई शहर के लिए ही एक हजार करोड़ रुपये दिये जाएं। कम से कम कुछ धनराशि तो दी ही जानी चाहिए। मेरा माननीय वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वह इस पर ध्यान दें।

दुर्घटनावश मृत्यु के लिए कुछ प्रावधान किया जा रहा है। हम महाराष्ट्र में इस प्रणाली का पहले से ही पालन कर रहे हैं जिसमें दुर्घटनावश मृत्यु के मामले में, व्यक्ति 2,000 रुपए पाने का अधिकारी होता है और यहां पर 3,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। यह अच्छा है। यह 'दुर्घटना द्वारा मृत्यु' नहीं होनी चाहिए परन्तु इसे 'दुर्घटनावश मृत्यु' कहा जाना चाहिए और सर्पदंश, वज्रपात, बिजली का करंट लगने आदि के मामलों में, जहां अकस्मात मृत्यु हो जाती है उन्हें भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए और 3,000/- रुपए की राशि दी जानी चाहिए। मेरे विचार से यही भावना है और सरकार वह सब करेगी।

जहां तक मछुआरों की बात है, उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले डीजल पर उन्हें विक्रय कर देना पड़ता है। परन्तु गहरे-समुद्र में मछली पकड़ने के मामले में, जहां प्रयोग में लाये जाने वाले जलपोत बड़े होते हैं, उन्हें डीजल पर बिक्री-कर के भुगतान से विमुक्त रखा जाता है। इस प्रकार की छूट छोटे मछुआरों को नहीं दी जाती है। इस असमानता को समाप्त किया जाना चाहिए और छोटे मछुआरों को भी छूट मिलनी चाहिऐ।

इन शब्दों के साथ, मैं बजट का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम रतन राम (हाजीपुर) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत 1985-86 के बजट का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और समर्थन करते हुए माननीय वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान कुछ बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वित्त मंत्री महोदय ने बड़ी कृपा करके प्रावीजन फार एक्सपेंशन आफ पावर इन सेंट्रल सेक्टर, किया है। इसकी रकम 1446 से बढ़ाकर 2090 करोड़ रुपया दिया गया है।

कोयले की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। बिहार में देश का 60 प्रतिशत कोल प्रोडक्शन होता है। पर जहां तक विद्युतीकरण का प्रश्न है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक छोटा सा कहल गांव जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उसको छोड़कर विद्युतीकरण

की दिशा में सेंट्रल सेक्टर में कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया गया है जबकि इसकी सारी सुविधा बिहार में है। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि विद्युतीकरण जो कि जीवन का एक इतना बड़ा अंग बन गया है जहां जीवन के हर क्षेत्र में आज पावर की आवश्यकता होती है बिहार में एक पावर स्टेशन दिया जाए। जीवन की किसी भी दिशा में देखें, इसकी व्यवस्था करने की बहुत आवश्यकता है। आज छोटे उद्योग में देखें, बड़े उद्योग में देखें, कृषि में देखें, विद्युतीकरण हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। इसलिए जहां 60 परसेंट कोयले का उत्पादन बिहार में होता है वहां पर सेंट्रल सेक्टर में, आवश्यक रूप से थर्मल पावर स्टेशन, विशेषकर छोटा नागपुर के क्षेत्र में लगवाने का कष्ट करें।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सेंट्रल प्लान में 4141 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4900 करोड़ रुपया कर दिया गया है, इसमें 18.3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर गरीबों के लिए कल्याणकारी कार्य होंगे। इसके लिए मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी तरह से जो गरीब लोगों के लिए एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाने पर इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई है, आज से पहले कभी ऐसा काम नहीं किया गया था। इसका स्वागत करता हूं। हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने गरीब वर्गों के लिए जो सारा जीवन भर काम करते हैं और उनका किसी वजह से बीमा नहीं हुआ है तथा मृत्यु हो जाती है, उसके लिए तीन हजार रुपए की व्यवस्था की है। सारे देश में महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेषकर लड़कियों के लिए हायर सेकण्डरी तक फ्री एजुकेशन करने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए भी वह बधाई के पात्र हैं। छोटे किसान और मार्जिनल फारमर्स को जो क्राप इनश्योरेंश के द्वारा राहत मिलने वाली है, उसके लिए भी मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। हमारे बिहार में ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि डीजल तथा किरोसीन आयल में जो वृद्धि हुई है, उसमें कमी करने की कृपा करें जिससे राहत हो सके।

[अनुवाद]

श्री मूल चंद डागा (पाली) : सभापति जी, मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों और उद्योगपतियों से मिल चुके हैं, क्या कभी इन्होंने गरीब लोगों को भी बुलाकर पूछा है। मुझे पता है, इनका जवाब हां में ही मिलेगा।.....(व्यवधान) मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपके बजट के, अन्दर आज...पावर्टी...हेनरी जार्ज के शब्दों में "गरीबी खुले मुंह वाला वह निष्ठुर नरक है जो कि सभ्य समाज की छत्रछाओं में पनपता है। और यह घोर नरक है।"

[हिन्दी]

आपके डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट टैक्सेज हैं, उनकी रिकवरी क्या होती है। 1971 से एक फीगर देना चाहता हूं :

[श्री मूल चन्द डागा]

[अनुवाद]

कुल राशि 4658 करोड़ रुपए थी और वसूल केवल 537 करोड़ रुपए वसूल किया गया था।

[हिन्दी]

1971-72 में 88.47 परसेन्ट रिकवरी कम हुई।

[अनुवाद]

बाद के वर्षों के आंकड़े निम्न प्रकार थे : 1972—73 86.24%, 1974-75—88.24% 1975-76—8475%, 1976-77—86.91%, 1977-78—88.68%, 1978-79, और 89 43%

[हिन्दी]

जब आपकी इतनी परसेन्टज रिकवरी नहीं होती है तो 89.43 परसेन्ट आप इंकम टैक्स लगाते हैं। इसकी रिकवरी की जो फीगर्स आई है, उनसे मालूम होता है कि आप किस प्रकार देश को आगे बढ़ाने के लिए इन्कम टैक्स के अंदर रिकवरी नहीं कर पाते हैं। आपने "काफी-पोसा" के अन्दर कुछ केसेज चालान किए हैं। यह बता दीजिए कि कितनी प्रापर्टी रिकवरी की गई और कितने आदमियों को प्रास्प्रासीक्युट किया गया। आपके आंकड़े बताते हैं कि किसी के खिलाफ भी प्रासीक्युशन कम्पलीट नहीं हुआ।

[अनुवाद]

प्रशासनिक व्यय में भी तीन-चार गुणा वृद्धि हुई है। केवल सम्मोपरि भत्तो का खर्च 1976-77 में 49 करोड़ रुपये और 1977-78 में 56.21 करोड़ रुपये और 1978-79 में यह72.09 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

इसी प्रकार 1980-81 में भी आपका 72 करोड़ का बजट था। आपने जो रिकवरी इन्कम टैक्स में की है, वह आप अच्छी तरह से जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर के बारे में बता रहा हू···(व्यवधान) 64 गुना बढ़ गया है। डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट, टैक्सेज से आपको जो आमदनी होनी चाहिए, उसका 89 परसेंट इवेजन आफ दी टैक्सेज है।

सभापति जी, यह तो बड़ी अजीब बात है, यदि आप इतना कम समय देंगे तो कैसे काम

चलेगा। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि टैक्सेशन बढ़ाने से आपको लाभ नहीं हो सकता क्यों उसका प्रभाव गरीब लोगों पर ही पड़ेगा जो पहले से ही काफी दबे हुए हैं। जितना पैसा आप टैक्सेशन के रूप में लगाते हैं, वह बीच वाले ही खा जाते हैं और गांव के लोगों तक वह फायदा नहीं पहुंचता। सभापति जी, चूंकि आप बार-बार घण्टी बजाते हैं इसलिए मैं अन्त में सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि टैक्सेशन बढ़ाने की बजाए यदि आप प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करें तो आपको अधिक लाभ हो सकता है और इस तरह से आपको लाखों-करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। यदि आप टैक्सेशन बढ़ाते रहे तो उससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा बल्कि काला धन बढ़ता जाएगा जो पहले से ही काफी मात्रा में हमारे यहां मौजूद है और हर साल उसमें करोड़ों रुपयों की वृद्धि होती जा रही है।

3.00 म० प०

सोवियत संघ के दूतावास के एक राजनयिक श्री इगोर ग्वेजा के लापता हो जाने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : महोदय, नई दिल्ली में सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के राजदूतावास के सूचना विभाग में सहचारी श्री इगोर ग्वेजा के पिछले सप्ताह लापता हो जाने से सम्बन्धित उद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा।

रविवार, 17 मार्च की शाम को सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के राजदूतावास के एक अधिकारी ने नई दिल्ली पुलिस प्राधिकारियों को यह रिपोर्ट दी कि श्री गेजा उस दिन सुबह अपने घर से हमेशा की तरह सैर के लिए लोदी गार्डन गये थे लेकिन लौटे नहीं हैं। इस बात को लेकर उक्त अधिकारी ने चिंता व्यक्त की थी और सोवियत संघ के राजदूतावास की ओर से श्री ग्वेजा का पता लगाने में भारत सरकार की सहायता का अनुरोध किया था। यह मामला औपचारिक रूप से सोवियत दूतावास द्वारा अगले दिन सुबह विदेश मन्त्रालय की जानकारी में भी लाया गया था।

लापता सोवियत राजनयिक का पता लगाने के लिए पुलिस प्राधिकारियों ने जोरदार खोज की। पिछले सप्ताह उन्होंने इस दिशा में सभी सम्भव कदम उठाये लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

इगोर सोवियत दूतावास बराबर अपनी यह चिंता व्यक्त करता रहा कि श्री ग्वेजा के

[श्री खुर्शीद आलम खां]

साथ कोई दुर्घटना न हो गई हो। 23 मार्च की रात को उन्होंने यह भी कहा कि मुमकिन है कि वे नई दिल्ली स्थित अमरीकी राजदूतावास में हों।

सोवियत राजदूतावास द्वारा व्यक्त आशंकाओं की गंभीरताओं को देखते हुए और चूंकि भारत सरकार भी इस मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए बहुत चिंतित थी इसलिए हमने अमरीकी राजदूतावास से इस सम्बन्ध में तत्काल स्पष्टीकरण मांगा।

हमारे पूछताछ करने पर अमरीकी दूतावास ने कुल 24 मार्च को विदेश मंत्रालय को बताया कि "नई दिल्ली स्थित सोवियत दूतावास के सूचना विभाग के एक कर्मचारी ने भारत से बाहर किसी स्थान पर अमरीका की सरकार से राजनीतिक शरण मांगी जो उसे दे दी गई है" और यह भी बताया गया कि वह संयुक्त राज्य अमरीका में सुरक्षित और ठीक-ठीक है। इसके बाद हमने उसी दिन सोवियत राजदूतावास को यह सूचना दे दी।

हमने इस घटना के सम्बन्ध में अपनी गंभीर चिंता से अमरीका की सरकार को अवगत करा दिया है और उनसे कहा है कि वह इस घटना से संबद्ध पूरी जानकारी हमें दें। भारत सरकार इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार कर रही है कि सोवियत राजदूतावास का एक अधिकारी उपर्युक्त परिस्थितियों में किस प्रकार भारत से चला गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक छोटा-सा स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : यह नियमाधीन अनुमेय नहीं है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको कुछ पूर्व नियमों का पालन भी करना चाहिए, केवल नियमों का ही कठोरता से पालन नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय : सदन के नियम पूर्व निर्णयों से ऊपर हैं और इस मुद्दे पर नियम बहुत ही स्पष्ट है।

3.05 म० प०

सामान्य बजट, 1985-86—सामान्य चर्चा
और
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1984-85

[अनुवाद]

वित्त और वाणिज्य तथा पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : सभापति महोदय, वित्त

मन्त्रालय में अपने थोड़े से अनुभव से मैं अनुभव करता हूं·····कि वित्त मन्त्री एक फटा हुआ थैला होता है और पहली ही दृष्टि में, शायद उसमें छेद करने की एक जन्मजात इच्छा होती है। ठीक है, छिद्र करवाना मेरी व्यावसायिक आदत है और अपने मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त से भी थपथपी पाना मेरा अपवादत्मक भाग्य है। ठीक है, चाहे यह आलोचना हो या थपथपी, मैं तो दोनों का ही आभारी रहूंगा क्योंकि कम से कम वे इस बात से तो सहमत हैं कि बजट के रूप में जो कुछ मैंने सभा में प्रस्तुत किया है उसमें कुछ सार है ।

महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, उनका भी जिन्होंने बधाई दी है और उनका भी जिन्होंने आलोचना की है और उनकी बुद्धिमता से मैं प्रभावित हुआ हूं। मैं इस बजट में बहुत से विचार बनाने में, प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी से मिले मार्गदर्शन और सहयोग को भी रिकार्ड में लाना चाहता हूं। महोदय, मुझे विपक्ष में बैठे माननीय सदस्यों की प्रतिक्रिया को देखने के पहले भी अवसर मिले हैं और यह प्राय: बजट के समय ही देखने को मिलता है और इसमें कोई नई बात नहीं है। मेरी कठिनाई यह है कि विपक्ष में बैठे मेरे मित्र कभी भी वर्तमान की बात नहीं करते हैं। मैंने बड़े ध्यान से उनके भाषण सुने हैं, उनके तर्क तो ठीक हैं, उनकी वाकपटुता भी कुछ अच्छी है, परन्तु उनका गणित कमजोर है। उनका बड़ा ही सरल सा नुस्खा है, अर्थात, 'योजना का आकार बढ़ाइये, अपने करों को कम कीजिए, ऋण मांगने में ढील कीजिए तो शीघ्रता, से आपका घाटा कम होता चला जाएगा। मैं जानता हूं। विपक्ष के कुछ सदस्य उछल पड़ेंगे और कहेंगे कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश को तो भूल ही गये हैं।' जैसाकि कुछ माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे थे और श्री डागा का कहना था कि उन्होंने खर्चे को कम करने के तरीके सुझाए हैं और मैं उन्हें भूल गया हूं और निश्चय ही वे यह मेरे कान में यह कहने से नहीं चूकेंगे कि निस्सन्देह राज्यों के ओवर ड्राफ्टों का समंजन करने के बाद और चुनाव-क्षेत्रों की कुछ मुख्य परियोजनाओं हेतु प्रदान करने के बाद ही। उनकी कामनाओं का यही गणित हो सकता है, परन्तु यह निश्चित रूप से उन कामनाओं का गणित नहीं है जो वित्त मंत्रालय को चलाती हैं। यह एक बड़ा ही कठोर सत्य है जिसका हमें सामना करना पड़ता है और इसी बात को मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं।

महोदय, यह कहा गया है कि यह एक जोखिम भरा बजट है। वास्तव में ही मैंने जोखिम उठाया है। मुझे संसद में जोखिम विहीन बजट लेकर नहीं आना चाहिए था। इसके लिए बजट भी महत्वहीन हो जाता। हमें चार प्रकार की छूट के समक्ष, संसाधनों की अड़चन थी।

प्रथम है योजना के आकार को कम करना और इस प्रकार विकास को जोखिम में डालना।

द्वितीय कराधान की कठोर और कड़वी खुराक देना जिससे और अधिक कर अपवंचन को बल मिले और एक सीमा के बाद यह स्वयं मुद्रास्फीती को ओर उन्मुख होगा।

तीसरा है भारी ग्रहण लेना जिससे भविष्य में अनुपयोगी ग्रहण का जोखिम उठाना पड़े।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

चतुर्थ है कि पर्याप्त खाद्यान्न भण्डार और विदेशी मुद्रा रिजर्व की अच्छी स्थिति की पृष्ठ-भूमि में, एक सहनीय घाटे को दिखाना और कर सुधार की आवश्यकताओं को उजागर करना तथा योजना को लागू करने हेतु विकास की गति को बनाए रखना होगा।

हमने चतुर्थ छूट को अपनाया है। निश्चय ही, कोई भी किसी भी अन्य विकल्प को अपनाने के लिए स्वतन्त्र है, परन्तु निश्चय ही उस विकल्प का अर्थ योजना में कटौती करना या कराधान की और सख्त खुराक देना इन परिधियों के भीतर, मैं नहीं समझता कि कोई व्यावहारिक समाधान हो सकता है। कुछ न कुछ जोखिम तो उठाना ही पड़ता, और वही हमने किया है। योजना के घाटे का इतना जोखिम नहीं है, परन्तु मेरे विचार से सम्पूर्ण परिस्थिति और उसकी जटिलताओं को समझने में कुछ घाटा हुआ है।

प्रधान मन्त्री महोदय ने कहा है कि सरकार का आर्थिक दर्शन बजट में झलकेगा और वही हमने सही ढंग से किया है। यह केवल आंकड़ों की बाजीगरी मात्र नहीं है, यह तो विश्वास की अभि-व्यक्ति है और प्रत्येक विश्वास के सुसंगत खतरे होते हैं तथा हमने अपने आपको खतरों का सामना करने के लिए भी तैयार कर लिया है।

हम यह मानते हैं कि बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय औजार है और जब यह अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करता है तो अर्थव्यवस्था बजट से कहीं अधिक मुख्य है और इसलिए हमने स्वयं को अर्थव्यवस्था तथा उसके विकास से सम्बद्ध रखा है और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को अनुरूप प्रेरणा प्रदान करना हमारे ध्यान में है।

एक यह बात कही गई है कि लीक से हटकर चाल चली है। यह सच है कि हमारा विगत था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। यह बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में हुआ है कि हमारे, राजनीतिक नेतृत्व ने देश को न केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता की ओर बढ़ाया, अपितु आर्थिक स्वतन्त्रता की ओर भी बढ़ाया है और सदैव की भांति वे अवबोधन आज भी उतने वैध है। यह उस समय की परिस्थिति की प्रतिक्रिया थी और स्वतन्त्रता के बाद भी यही हुआ। हमारे समक्ष विदेशी मुद्रा की भी अड़चनें थीं। विकास की भी विवशतायें थीं, हम रातों-रात नया बाजार विकसित नहीं कर सकते और अपनी परम्परागत वस्तुओं का निर्यात नहीं बढ़ा सकते। विदेशी संसाधनों का बहाव जैसाकि हम अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार चाहते थे वे अनुरूप नहीं था। उस समय हमने आयात स्थानापन्न का निर्णय लिया था और यह सही किया। उसके लिए स्पष्टतया एक संरक्षणात्मक शासन था और वह ठीक था। और इस संरक्षणात्मक शासन में, आयात स्थानापन्न हमारे औद्योगिकीकरण और हमारी प्रगति का प्रतीक बन गया। इससे उद्योग का एक मणिपरक विकास हुआ और हमारे पास जो औद्योगिक आधारभूत ढांचा है, वह हमारे तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व की दूरदर्शिता के कारण बन सका है।

जहां तक उद्योग और प्रमुख उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में रखने की चिंता की बात है, यह सही नीति थी कि हम सरकारी क्षेत्र को बनाएं और आज भी हमारी यही चिन्ता है।

मैं इस विषय में सभी संदेहों का निराकरण करते हुए श्री जवाहरलाल नेहरू के वचन उद्धृत करना चाहता हूं—

"आयोजना के सम्बन्ध में आधारभूत बात है औद्योगिकीकरण करना और इसका अर्थ है आधारभूत उद्योगों को पहला दर्जा देना।"

आधारभूत उद्योगों और भारी उद्योगों को विकसित करने का एक कारण था और मुझे विश्वास है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त मुझ से सहमत होंगे कि यही एक सही नीति थी। सर्व प्रथम, अर्थ-व्यवस्था के उपनिवेशवादी ढांचे को बदलना था क्योंकि प्रारम्भ में हमारी अर्थव्यवस्था विकसित देशों को कच्चा भेजन और कतिपय उपभोक्ता वस्तुओं उद्योग की स्थापना करना ही था। उपनिवेशवादी साम्राज्य विकासशील देशों अथवा अपने अधीनस्थ देशों में कोई भारी उद्योग स्थापित करने के विरुद्ध था। इसी कारण हम दुःख उठाते रहे। भारी उद्योगों की स्थापना सही दिशा में सही कदम था। यह भी आवश्यक था कि हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश से दूर ही रखें। क्योंकि यदि हमने भारी उद्योगों की स्थापना न की होती और इसे स्वयं की विकसित न किया होता तो देर सवेर हमें संसाधनों, तकनीक और सहायता के लिए दबाव झेलने पड़ते। हमने दूर-दर्शिता से काम लिया। परन्तु आज यह सब भी हो रहा है। यह संरक्षात्मक में ऊंचा लाभ कमाने वाले उद्योगों को फलने-फूलने दिया है। इसके एक परिणामस्वरूप संरक्षात्मक बाजार का निर्माण भी हुआ है जहां लागत सम्बन्धी अकार्यकुशलता से उद्योग को अधिक हानि नहीं पहुंचती और इससे अक्षयतन्त्र में अधिक कीमतें भी सहन की जा सकती हैं।

अब समय आ गया है कि हम स्थिति का पुनरावलोकन करें कि यह निश्चित करे कि इसमें कैसे सुधार हो सकता है। यहां अतीत से टूटने का नहीं भविष्य से जुड़ने का प्रश्न दांव पर लगा है इसी सन्दर्भ में हमें यह देखना है कि हमने जो करना है उसके पहले मूल्यांकन करना होगा। वर्तमान स्थिति में भी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन कर यह निश्चित करना होगा हमें किस दिशा में जाना है। हम विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाईयों का भी सामना कर रहे हैं। महोदय, हम जानते हैं कि आज भी विकसिय देश विकासशील देशों को रियायत देने से वंचित रख रहे हैं। हमारे ओ० डी० ए० और आई० डी० ए० बंद किए जा रहे हैं तथा वे हमें वाणिज्यक शर्तों पर अधिक से अधिक उधार लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि अधिक कीमती पैसा है। तेल उत्पादन की जो आज हम मिल न रही है, उतनी अधिक नहीं है अपेक्षाकृत कम है! आने वाले वर्षों में तेल के कारण बचने वाली हमारी हमारी विदेशी मुद्रा उतनी नहीं रहेगी। आई० एम० एफ० ऋणों की अदायगी भी आरम्भ हो जाएगी। इस संदर्भ में अभी हमें यह सोचकर चलना है कि हमें इन कठिनाइयों का सामना करना होगा। हमें अपनी कमर कस लेनी चाहिए तथा उस रास्ते नहीं जाना चाहिए जिस पर कुछ दक्षिण अमेरिकी देश चल रहे हैं। पैट्रोलियम उत्पादों पर हमारी विदेशी मुद्रा का बहुत

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

बड़ा भाग खर्च होता है और यह हमारे आयात की एक बड़ी मद है। इस कारण से हमने देश को एक संकेत देने का निर्णय किया है कि हमें इस ऊर्जा के स्थान पर अन्य ऊर्जा का प्रयोग कर इसे सुरक्षित रखना होगा और इसे बर्बाद नहीं होने देना है। हमें इसके विषय में लापरवाह नहीं होना चाहिए। खाद्य तेलों के आयात को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। कभी कभी बलिदान भी करने पड़ते हैं।

इसी प्रकार, निर्यात के लिए जो प्रोत्साहन दिया गया है इसलिए नहीं दिये गए हैं। चमड़ा अथवा चाय के निर्यात के लिए जो प्रोत्साहन दिया गया है वह इस दृष्टि से दिया गया है कि मूल रूप से ये रोजगार देने वाले उद्योग हैं जिनमें बहुत से लोग रोजगार से लगे हैं। अतः वहां से वह विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है जिसकी हमें सख्त जरूरत है।

महोदय, इस दृष्टि से दूसरी आर्थिक वास्तविकता यह है कि हमारे पास साधनों की कमी है; रुपये का अभाव है। अब राजस्व से गैर-योजना व्यय पर खर्च किया जाता है। गैर-योजना व्यय का मतलब बेकार का खर्च नहीं है। इस व्यय का 70 प्रतिशत रक्षा, ब्याज की अदायगी, लिये गए ऋणों से सम्बद्ध संविदा दायित्वों से सम्बन्धित खर्च, देश के अन्दर लिए गए ऋण, बांड, बचत और लघु बचत आदि तथा उर्वरक और खाद्यान्नों पर दी गई राज सहायता सम्बन्धी खर्च शामिल है। इस वर्ष का वित्त आयोग—इस सम्बन्ध में 1200 करोड़ रुपये का राशि होगी। आज राजस्व केवल गैर-योजना व्यय को ही संतुलित कर पाता है, योजना अधिकतर उधार के धन पर ही निर्भर है।

खर्च किए गए प्रत्येक रुपये से होने वाले लाभ के विषय में बहुत ही सावधान रहना है। क्योंकि उधार का धन ऊंची कीमत पर मिला है, इससे केवल एक प्रतिशत अथवा दो प्रतिशत का लाभ होगा जबकि धन की कीमत सात अथवा आठ प्रतिशत बढ़ जाएगी और देर सबेर आर्थिक तन्त्र एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में पड़ जाएगा। अतः जब हम कहते हैं कि सरकारी क्षेत्र को जन-कल्याण में योगदान करना चाहिए तो हम सरकारी क्षेत्र का महत्व कम नहीं आंकते बल्कि वास्तव में हम स्वयं को एक अधिक स्वस्थ और अधिक लाभदायक सरकारी क्षेत्र के लिए प्रस्तुत कर रहे होते हैं।

उद्योगों और को दी गई रियायतों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रति झुकने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। अभी-अभी श्री उन्नीकृष्णन् ने उल्लेख किया है कि प्रोत्साहन का गैर-सरकारी-किया जा रहा है। मैं एक पैरा पढ़ूंगा :

"इस ढांचे के कुछ प्रमुख दोष निम्नलिखित है ;—

सरकार के कार्यकलापों और उद्यमिय के कार्यकलापों के बीच कोई स्पष्ट अन्तर नहीं किया

गया है। विभिन्न विभागों अथवा क्षेत्रों के बीच रुकावटें हैं। राज्य ने उद्यमियों पर कड़ा नियंत्रण रखा है। वस्तु उत्पादन, कीमत का नियम और बाजार की नियमनकारी भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। और वितरण के क्षेत्र में अत्यन्त समानता बरती गई है। इसके परिणाम स्वरूप उद्यमों और कर्मकारों का उत्साह, उनकी पहल, रचनात्मक भूमिका बहुत प्रभावित हुई है तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था उतनी सशक्त नहीं रही है जितनी यह रहनी चाहिए थी।"

यह उद्धरण हमारे दस्तावेज से नहीं लिया गया है। यह चीन की कम्युनिष्ट पार्टी की 12वीं केन्द्रीय समिति के तीसरे अधिकारिक सत्र की कार्यवाही से लिया गया है।

(व्यवधान)

मैं केवल इसलिए इसको उद्धृत कर रहा था क्योंकि हम पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार दक्षिणपंथ की ओर जा रही है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बड़ागरा) : यह.....(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप अपनी सिद्धान्तवादी विचारधारा के बारे में फैसला कर लीजिए। मित्र सभी जगह मिलेंगे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप चीन के साथ मुकाबला क्यों कर रहे हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है, आप इसे क्या कहते हैं—एक पूंजीवादी देश ?

(व्यवधान)

चीन सरकार द्वारा उद्धृत आंकड़े बतलाते हैं कि व्यक्तिगत पहल को प्रोत्साहन देने वाली नई नीति के रूप में दी गई व्यक्तिगत व्यापार की छूट से व्यक्तिगत व्यापार में कर्मकारों की संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। वर्ष 1983 की तुलना में इस सम्बन्ध में 27% वृद्धि के पश्चात 1984 के अन्त में इनकी कुल संख्या 30 लाख हो गई थी। अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक कर्मकारों की संख्या में तदनुरूपी वृद्धि 3 प्रतिशत से भी कम थी।

यह एक मूल मुद्दा है। हम सभी जानते हैं, प्रत्येक सुबह, हमारे पास, चाहे हम सरकारी पक्ष से सम्बन्धित हों अथवा विपक्ष से, बहुत से नौजवान हमारे घर आते हैं। उनमें से नब्बे प्रतिशत रोजगार की अर्जी लेकर आते हैं। क्या हमारा अनुभव यह नहीं रहा है कि यदि सांसद होने के नाते 200 प्रार्थियों में से हम एक लड़के को भी रोजगार दिलवा दें तो हमें खुशी होती है ? इस

[श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह]

समस्या का समाधान क्या है और हमारी क्या प्रतिक्रियां होनी चाहिए ? वस्तुस्थिति यह है कि अधिकांश बेरोजगार नौजवान कृषि क्षेत्र से आ रहे हैं। वे नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं।

(व्यवधान)

हमें इस समस्या को समझना चाहिए। इस मामले में यह एकदम स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र उन्हें खपाने में असमर्थ है इसीलिए हम इन बातों पर विचार कर रहे हैं। उनमें से कुछ को सार्वजनिक क्षेत्र में काम दिलाया जा सकता है और कुछ को क्लर्क, अधिकारी आदि की सरकारी नौकरियां दी जा सकती हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच जाएंगे। हम उन्हें कहां खपाएं। उनको हम क्या अवसर दें। क्या उद्योगों को और अन्य सेवा क्षेत्रों को प्रोत्साहन देकर हम इन लोगों को कुछ नौकरियां तथा लघु उद्योगों को कुछ सहायता नहीं दे सकते ? मैं इससे सहमत हूं और इसी कारण लघु उद्योगों का प्रावधान रखा गया है। जब नियमित क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलता है तो लघु उद्योगों को भी मिलता है। अतः यह हमारी मूल विचारधारा है और इस पक्ष को कहीं उलझाया नहीं गया है। हम अनुभव करते हैं कि इसका अनुकूल प्रभाव होगा और इससे बेरोजगारी समाप्त करने में भी सहायता मिलेगी।

डा० वत्सा सामन्त : आपके आर्थिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि इसमें 3 करोड़ रुपये कम हैं।

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह : मैं सहमत हूं। माननीय सदस्यों ने हमारी अर्थ व्यवस्था की की तीसरी वास्तविकता—गरीबी, विदेशी मुद्रा की कमी अथवा रुपये की कमी—का उल्लेख किया है जिससे हम आंख नहीं मूंद सकते तथा हमें वही योजना बनानी पड़ती है जो रोजगार दे सके तथा जो आय का वितरण कर सके। हमें अपने सोच विचार को इसी संदर्भ में कार्यान्वित करना पड़ता है। जैसा कि मैं जानता हूं मैं इस सम्बन्ध में पता लगाऊंगा कि जब गैर-सरकारी क्षेत्र की बात आती है तो हमें देखना है गैर-सरकारी क्षेत्र कितना गैर-सरकारी जबकि इसमें इतना अधिक सरकारी धन लगा हुआ है ? परन्तु जिसमें इतना अधिक सार्वजनिक धन लगा हो उसे बीमार बना देना समाजवाद नहीं है। इस सम्बन्ध में हमारा भी एक स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ यह है कि जहां इतनी अधिक मात्रा में सार्वजनिक धन लगा हो, उस क्षेत्र को भी अस्तित्व में रहना चाहिए। सरकारी क्षेत्र से बाहर का यह क्षेत्र, जिसे हम गैर-सरकारी-क्षेत्र कह सकते हैं, भी सरकारी क्षेत्र की मदद करता है। सरकारी क्षेत्र में जो आधारभूत उत्पाद उत्पादित किए जा रहे, चाहे वह इस्पात हो, चाहे अल्यूमीनियम अथवा कोई अन्य उत्पाद, यदि सरकारी क्षेत्र में उत्पादित उस उत्पाद को खपाने के लिए कोई अन्य क्षेत्र न हो तो यह स्वस्थप्रद और उन्नतिशील नहीं होगा। हम अपने सरकारी क्षेत्र को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं ? मैं समझता हूं हमें इन जटिलताओं से मुखातिब होना चाहिए और उनको वाग्जाल में ही नहीं उलझा देना चाहिए अन्यथा हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। आंकड़े बतलाते

हैं कि 1960 और 1980 के बीच उद्योग में श्रम शक्ति 11 प्रतिशत से बढ़कर मात्र 13 प्रतिशत हुई जबकि कम आय वाले विकासशील देशों में इसी अवधि में यह 7 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गई तथा मध्यम आय वाले विकासशील देशों में 15 प्रतिशत से बढ़कर 21 प्रतिशत हो गई। छठी योजना में हमने कृषि, विद्युत और अन्य क्षेत्रों में काफी तरक्की की है परन्तु औद्योगिक क्षेत्र में हम अपने लक्ष्य से काफी पीछे हैं। समय आ गया है कि हम अपनी गति बढ़ाए तथा अपने लक्ष्य पर पहुंचे। बजट में शामिल प्रस्तावों के पीछे यही आधारभूत बात रही है।

रद्द किए जा रहे लाइसेंसों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि सभी लाइसेंसों गैर-सरकारी क्षेत्र और मुक्त उद्यमियों को दिए जा रहे हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : एम० आर० टी० पी०

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एम० आर० टी० पी० आदि पुराने शब्द हैं। उन्होंने फेरा का उल्लेख नहीं किया है। परन्तु वर्तमान कार्य-प्रणाली को क्या हो गया है? हमें इसे देखना चाहिए। किसी ने कहा है कि उद्यमशीलता बहुत हद तक सरकार द्वारा नियंत्रित तन्त्र के इर्द-गिर्द कार्य करने के समान है। इस नियंत्रण बहुलता की बहुत सी शर्तें हैं—हमारा विवेक पर आधारित नियंत्रण है, अविवेकी नियंत्रण नहीं। लाइसेंस प्राप्त करने का अर्थ है संस्थागत वित्त की प्राप्ति, शायद ब्याज की रियायती दरों पर वित्त प्राप्ति, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए हमारे अन्य विदेशी मुद्रा संसाधनों की प्राप्ति। लाइसेंस का कागज स्वयं में धन हैं और बहुत से इसे रखे ही रखते हैं तथा नए उद्यमी कीमतें ऊंची रखते हैं। आज समय अधिक नियंत्रण का नहीं है परन्तु आज प्रतियोगिता को उद्भाषित करने का समय है और इसी से लोगबाग ठीक हो सकते हैं। नियंत्रण में उनका निहित स्वार्थ होता है एक रेल के डिब्बे में जैसे जिनको जगह मिल जाती है वे प्लेट फार्म पर खड़े व्यक्ति को अन्दर नहीं आने देते, वे डिब्बे का दरवाजा बन्द कर देते हैं। ऐसी ही मनः स्थिति विभिन्न बड़े व्यापारिक घरानों की है। जिसकी शिकायत करते है उसकी शिकायत होनी शुरू हो जाती है। हमें उन्हें अन्दर और बाहर प्रतियोगिता के सामने लाना चाहिए और मैंने अपने बजट भाषण में यही कहा था।

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : वे कह रहे वे पहले जिन नीतियों को अपना रहें थे गलत थी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं उसी बात पर आता हूं जब हम प्रतिस्पर्द्धा का तत्व हटा देते हैं और लाइसेंस/परमिट का ढांचा खड़ा कर देते हैं तो हम प्रतिस्पर्द्धा के उस तत्त्व को निकाल देते हैं जो अन्ततः आम आदमी के लिए कम कीमतों की व्यवस्था नहीं होने देता।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : तो अभी तक इतने वर्षों तक आप जो कुछ करते रहे, वह गलत था।

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह : उस संदर्भ में यह गलत नहीं था। हमें अब इस पर विचार करना पड़ेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 'लाइसेंस' परमिट राज। आपकी सरकार ने कायम किया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उस वक्त ऐसा करना जरूरी था। आज के संदर्भ में हमें देखना होगा कि इस समय हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं। यदि हमने आलोचनात्मक दृष्टि से परखा होता तो हमें सोचना पड़ता कि दांव पर क्या लगा हुआ है। उस समय हमें वित्तीय नियंत्रण का ही आश्रय लेना पड़ता क्योंकि वह अर्थ व्यवस्था की उन्नति का काल था। आज हम बेहतर स्थिति में हैं। हमें दूसरी दृष्टि से सोचना पड़ेगा।

लघु उद्योग क्षेत्र के बारे में हमने कहा है कि हमने इसकी ओर ध्यान दिया है। लघु एककों का कार्य व्यापार जब 70 लाख रुपये हो जाता था तब उन्हें उत्पादन शुल्क में रियायत का लाभ नहीं मिला करता था परन्तु जैसाकि मैंने कहा है कि अब यह सीमा 35 लाख तक हो सकती है और धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर 75 लाख रुपये अथवा उससे भी अधिक किया जा सकता है। इस प्रकार हमने इसका ध्यान रखा है।

बड़ी कम्पनियों को धन मिल सकता है। परन्तु छोटी कम्पनियों को धन मिलना कठिन है। वे ब्याज का आग्रह कर रहे थे। अब हमने थोड़ा सा अधिक ब्याज देने का प्रयत्न किया है और इस तरह थोड़ी सी और अधिक पूंजी के साथ वे बड़ी कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

विज्ञापन के क्षेत्र में स्थिति यह है कि बड़ी कम्पनियां विज्ञापन पर व्यय कर रही हैं वे इसका खर्च उठा सकती है क्योंकि उनका कुल व्यापार अधिक है जबकि नई कम्पनियां, चाहे उनका खर्च कितना भी हो, बगैर रियायत के धन प्राप्त नहीं कर सकतीं। हमने इसलिए यह तरीका अपनाया।

अब कर ढांचे में सुधार को लें। यह कहा गया है कि कर-सीमा में जो छूट दी गई है वह सभी छूट सफेद पोशों को दी गई है, बेहतर जिन्दगी जी रहे लोगों को दी गई है। श्री दत्ता सामन्त ने ऐसा कहा था—मुझे नहीं पता कि वे यहां हैं अथवा नहीं।

एक माननीय सदस्य : वे यहां हैं।

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह : उन्होंने कहा कि इस रियायत का लाभ सफेद पोश लोगों को ही मिलेगा तथा साथ ही उन्होंने सिफारिश की कि·····

डा० दत्ता सामन्त : आपने मेरी बात को ठीक से समझा नहीं है। इन मध्यम वर्ग के कामगारों को लाभ मिला है। हमारे कुछ कामगारों को लाभ मिला है। मैं उनकी उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं उन पांच से छः लाख असंगठित गरीब मजदूरों के बारे में कह रहा हूं जिनके लिए कुछ नहीं किया गया है। 15000 रु० से 18000 रुपये बढ़ाए जाने पर आप जो कुछ देते हैं वह केवल कुछ लोगों के पास जाता है लेकिन इसे 20,000 रु० तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। आपने जो कुछ दिया वह ठीक दिया लेकिन इसे 20,000 या 25,000 रु० तक बढ़ा दिया जाना चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एक ही सांस में उन्होने कहा कि इसे 25000/- रु० तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। यदि हम 18,000/- रु० तक बढ़ाते हैं तो इसका लाभ मध्यम वर्ग के लोगों को मिलता है और अगर हम इसे 25,000 रु० तक बढ़ाते हैं तो इसका लाभ श्रमिक वर्ग को मिलेगा।

विकास, उत्पादिकता, बचत और करों का सही अनुपालन ही सामान्य उद्देश्य है। यह धारणा थी कि करों को कम किया जाए लेकिन छूटें वापस ली जाएं। स्थिति यह थी कि उच्च सीमांत कर दर थी किन्तु उसमें अनेक छूटें दी गई थीं। इसलिए वास्तव में बड़ी कम्पनियां थी जो बिल्कुल कर नहीं दे रही थीं। वे सभी कर छूटों का लाभ उठा रहीं थीं, हमने वे सभी छूटें वापस ले ली हैं जिनसे वे कर देने से साफ बच जाते थे। लेकिन साथ ही हमने कर दर बनाई है जो उचित होगी और जिसका अनुपालन किया जाएगा। क्या हो रहा था ? उचित कर दर न होने की वजह से हम केवल दर प्राप्त कर रहे थे, हमें कर नहीं मिल रहा था कर दर एक नारा बन कर रह गया था। हमारा आशय व्यवसाय से है जब हम कहते हैं कि उस पर कर लगाना चाहिए और हम इसे वसूल करेंगे और वहां इससे बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह नहीं है कि हमने निगमित क्षेत्र को छूटों से भर दिया है। फिर भी आप यदि बजट देखें तो यह पता चलेगा कि हम निगमित क्षेत्र से 251 करोड़ रुपये वसूल करने जा रहे हैं जैसा कि आप बात कर रहे हैं हमने निगमित क्षेत्र को छूटें उपहारस्वरूप नहीं दे रहे हैं।

मैं निजी कर पर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि यह उसी स्तर का है जिसे हम नीचे लाए हैं।

अनिवार्य जमा योजना के बारे में श्री कृष्णा अय्यर ने कहा कि यह क्षोभकारी था। हमने उसे दूर कर दिया है हम इसके लिए वचनबद्ध भी थे। यह हमारे कर प्रस्तावों के सम्बन्ध में था आप पूछ सकते हैं; यदि आप इन छूटों को देते हैं तो आप राजस्व कहां से प्राप्त करेंगे ? मैं वास्तव में इन छूटों से ही राजस्व प्राप्त करूंगा। कराधान नियमों का अच्छी तरह से पालन करने के द्वारा ही मैं राजस्व प्राप्त करूंगा। इन परिवर्तनों के ये मुख्य मान्यताएं हैं।

यह कहा गया है कि यह बजट अमीरों के समर्थन में है यह अमीरों के समर्थन में है क्योंकि हम कर चोरी करने वालों से निपटने के लिए विशेष अदालतें बनाने जा रहे हैं। यह अमीरों के समर्थन में है क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना चैक के 10,000 रुपये से अधिक ऋण या अग्रिम लेता

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

है और अपराध करता है । हम ऐसे व्यक्तियों को छः महीने से सात वर्ष तक के लिए जेल में बन्द कर सकते हैं । यह अमीरों का समर्थन करता है क्योंकि आय उद्ग्रहण करने का अधिकार छीन लिया गया है । यह अमीरों का समर्थन करता है क्योंकि हमने अयोग्य प्रबन्धकों को यह नोटिस दिया था कि यदि वे उद्योगों को बिगाड़ेंगे तो उन्हें वित्तीय संस्थानों तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा । यह अमीरों का इसलिए समर्थन करता है क्योंकि सांविधिक इक्विटी अनुपात जिसे निजी क्षेत्र में जाना चाहिए था उसे हमने एक प्रतिशत तक बढ़ा दिया है तथा इसे सरकारी क्षेत्र की तरफ उपलब्ध कराया है । मैं कहना चाहता हूं कि ये ठोस तथ्य हैं ।

जब श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि यह बजट सुस्पष्ट है तब मैंने सोचा था कि यह इस स्तर तक साफ होगा । बजट तो साफ है लेकिन यदि देखने की दृष्टि धुंधली है तो मैं इसे साफ नहीं कर सकता हूं ।

एक बात जो हमने की है । मैं सभी माननीय सदस्यों के योजना में साथ-साथ एक दीर्घ-कालिक वित्तीय नीति के सम्बन्ध में विचार चाहता हूं क्योंकि आर्थिक वास्तविकता अलग-अलग नहीं हुई है । और यदि यह अलग-अलग नहीं है तो हमारे उत्तर भी अलग-अलग नहीं हो सकते हैं । योजना को पूरा करने के लिए व्यापार, वित्तीय, कृषि और उद्योग की नीतियों को एक विशाल प्रयास के रूप में एकीकृत किया जाना चाहिए । आज योजना में हमें बचत, रोजगार, निवेश जैसी आर्थिक समुच्चय देखने हैं और वे परस्पर सम्बद्ध हैं । लेकिन यह साख, वित्तीय नीति, निर्यात तथा आयात नियंत्रण या लाइसेंस देने सम्बन्धी ठोस बातों पर आधारित नहीं है । मैं समझता हूं कि यही मेरा उद्देश्य है और मैं आशा करता हूं कि जब तक योजना का दस्तावेज तैयार होगा तब तक हम योजना के साथ-साथ दीर्घकालिक वित्तीय नीति बना सकेंगे । इस बजट सत्र के बाद इस पर मैं एक व्यापक वाद-विवाद शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं माननीय सदस्यों से भी योगदान देने के लिए अनुरोध करता हूं ताकि हम राष्ट्र के लिए अच्छे और उपयोग निदेश और नीति बना सके ।

कुछ समस्याओं के बारे में बात करते समय मैं साधनों की स्थिति के बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं । श्री माधव रेड्डी जी ने जब वादविवाद शुरू किया तो उन्होंने एक बात कही थी कि राज्यों को कम साधन दिए जा रहे हैं । यह पांच वर्ष में पहली बार है कि राज्यों को केन्द्रीय सहायता में 39 प्रतिशत की वृद्धि दी गई है । गत वर्ष में यह 13 प्रतिशत थी और जनता पार्टी के शासनकाल में यह केवल 22 प्रतिशत थी । 1979-80 में यह बहुत कम थी । मुझे आंकड़े याद नहीं हैं । ऋण की राशि 10 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई और जबकि यह किया गया है तो हम पर दोष लगाया जा रहा है कि हम राज्यों को धन देने के लिए प्रतिबंध लगा रहे हैं । मैं प्रचार के लिए गरीबी का प्रयोग नहीं करना चाहता हालांकि मैं इसे कर सकता हूं । केन्द्रीय सहायता में 40 प्रतिशत की वृद्धि देने के बजाय, चूंकि गत वर्ष यह 13 प्रतिशत थी, मैं इस वर्ष 15 प्रतिशत वृद्धि कर सकता था और यह कहा जाता कि मैंने दर बढ़ा दी है और

इस प्रकार केन्द्रीय बजट में मैंने 20 प्रतिशत तक की वृद्धि की है जो केवल 7 प्रतिशत है जिसके बारे में मेरी आज आलोचना की जा रही है। मैं इसको कर सकता था लेकिन राज्यों के हित के सम्बन्ध में हमारी रुचि समाचारपत्रों के माध्यम से प्रचार प्राप्त करने की नहीं है बल्कि हमारी रुचि और है और आज हम अपराधी हैं क्योंकि हमने राज्यों को विश्वास दिया है। हम कृषि, सिंचाई, शिक्षा, गरीबी के कार्यक्रमों को बढ़ाना चाहते थे और आज मुझे दोषी ठहराया जा रहा है क्योंकि मैंने इस बात पर विश्वास था कि राज्य इसे कर सकते हैं और राज्यों को अधिक धन आवंटित किया है, क्या राज्य गरीबी विरोधी है ? जब श्री पंजा ने पश्चिम बंगाल का उल्लेख किया तो उस तरफ से कुछ टिप्पणियां की गई थीं। छठवी योजना के पहले चार वर्षों में राज्य सरकार का योजना व्यय 1,796 करोड़ रुपये था—कुल परिव्यय के 51 प्रतिशत से कुछ अधिक का और इनमें से 1796 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल सरकार ने खर्च किए, केन्द्रीय प्रशासित संसाधन या रिजर्व बैंक आफ इंडिया से 1700 करोड़ रुपये आए थे। 4 वर्षों में इन व्ययों में राज्य सरकार के बजट और सरकारी क्षेत्र के योगदान से केवल 96 करोड़ रुपये भी निगण्य थे। और हम पर आरोप है। "तुम्हारा घाटा क्यों बढ़ रहा है ? तुमने घाटे की व्यवस्था क्यों की है ? आप मुद्रास्फीति की ओर क्यों जा रहे हैं।" अब यह क्या स्थिति है क्या इसका कोई कम मूल्यांकन कर सकता है ?..... (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अपने पश्चिम बंगाल में से क्या लिया है। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं अपने शब्दों को सौम्य बना सकता हूं। मैं अपनी आवाज को मधुर बना सकता हूं लेकिन मैं तथ्यों को सौम्य नहीं कर सकता... (व्यवधान)

सभापति महोदय : वित्त मन्त्री जी को अपनी बात कहने दो।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय। मेरी केवल यही प्रार्थना है कि इस विवाद को पश्चिम बंगाल के विरुद्ध व्यंग के रूप में बर्बाद नहीं करना चाहिए।... (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं पश्चिम बंगाल के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : शांति, शांति। कृपया आप अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, हमारे बजट के बारे में यह कहा जाता है कि यह अमीरों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मोटर कार पर 11 प्रतिशत से कम कर नहीं किया गया है।... (व्यवधान) और पश्चिम बंगाल सरकार ने बिक्री कर 11 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

कर दिया है। अब यह कमी उथल-पुथल क्रांति के अनुरूप है··· (व्यवधान) हमें कुछ कहने से पहले, हमें यह देखना चाहिए··· (व्यवधान) हटाया जाना चाहिए।

इस बजट के बारे में यह कहा जाता है कि यह गरीबों के विरुद्ध है। यह गरीबों के विरुद्ध कहां जाता है क्योंकि हमने 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए 18.3 प्रतिशत आबंटन बढ़ा दिया है। यह गरीबों के विरुद्ध कहा गया है क्योंकि हम सन्तप्त परिवार जिसके पास आगे के लिए कुछ नहीं है, के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लाए हैं। यह गरीबों के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि हम किसानों के लिए जिनके पास पहले इस तरह की कोई राहत नहीं थी, फसल बीमा योजना लाए हैं। यह गरीबों के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि हमने कामगरों के लिए बोनस 750 रुपये से 1600 रुपये कर दिया है। यह निर्धनों के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि हमने कामगारों को देय राशि का सुरक्षित ऋण का रूप दे दिया है। यह गरीबों के विरुद्ध है क्योंकि हमने छटनी भत्ते को 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक बढ़ा दिया है जिसकी हमने छूट दी थी····· (व्यवधान) यह गरीब विरोधी है क्योंकि प्रबन्ध में कामगारों के अधिक संख्या में भाग लेने के लिए हम वचनबद्ध हैं। यह गरीब विरोधी है क्योंकि हमने··· (व्यवधान)

आई० आर० डी० पी० और एन० आर० ई० पी० योजनाओं के लिए आबंटन में कमी के बारे में केवल एक बात कही गई है। इस तरफ के माननीय सदस्यों ने भी इसका उल्लेख किया है। जैसा कि मैंने सदन में यह बात कही है कि हम इसका उत्तर देंगे। कई राज्य कह रहे हैं कि वे अपनी योजनाओं को अन्तिम रूप नहीं दे सकते हैं। कई योजनाओं में राज्यों से अंशदान का 50 प्रतिशत आता है। इसकी चर्चा नहीं की जानी चाहिए। मैंने सदन में कहा था कि किसी भी तरह से इस कमी के द्वारा निर्धन विरोधी कार्यक्रम में नुकसान नहीं होगा। इसके लिए सरकार वचनबद्ध है।

श्री रेड्डी ने पहाड़ी क्षेत्र के कार्यक्रम में कमी के बारे में बताया। हमने 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो गत वर्ष से अधिक है। अनुसूचित जातियों के संघटक योजना के लिए केंद्रीय योजना आबंटन में जो 1984-85 के बजट प्राक्कलन में 140 करोड़ रुपये थे उसे 165 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। जनजातीय क्षेत्र कार्यक्रम के लिए आबंटन को 126 करोड़ रुपये से 140 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बताया है कि शक्ति निजी क्षेत्रों को दी गई है। मैं नहीं जानता यदि वह शक्ति के बारे में सैनिक की सूक्ति को भूले हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह भिन्न शक्ति थी कि विद्युत शक्ति।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुद्रास्फीति और इसके प्रभाव के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। जब दूसरी बार तेल के मूल्य में वृद्धि की गई जिसके साथ पेट्रोलियम उत्पादों में वृद्धि हुई तो जनता पार्टी यहां थी और विपक्ष के कई सदस्य सरकार में थे। उस समय, वे तेल के मूल्यों

में किसी प्रकार का समायोजन नहीं कर सकें। अन्त में वे मुद्रा स्फीति में जकड़ गए थे। उन्होंने तेल की कीमत में वृद्धि नहीं की और वे सिर्फ चुपचाप बैठ गए। अन्त में 22 प्रतिशत मुद्रास्फीति बढ़ गई थी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : कब ? किस वर्ष ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 1979-80 में।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : तब जनता पार्टी नहीं थी। आपकी साजिश के कारण इसे हटा दिया गया था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि जनता पार्टी वहां नहीं थी तो कौन था।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जब आप जून 1979 के बारे में बता रहे हैं तो आप 1977, 1978 और 1979 के बारे में क्यों नहीं बताते हो।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस सरकार का पतन हो गया था क्योंकि अनेक सदस्यों ने दल बदल दिया था।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : विद्युत और रेलवे में घटिया कार्य किए जाने के कारण राष्ट्रीय आय में 4.8 प्रतिशत की गिरावट आई। औद्योगिक उत्पादन में 1.4 प्रतिशत की गिरावट आई थी और उस समय पूरी राजस्व नीति एकाएक अस्त-व्यस्त हो गई थी जब हम सत्ता में आए तो हमें पेट्रोलियम के मूल्य में 50 प्रतिशत बढ़ाने को मजबूर होना पड़ा था। हमने हिम्मत से यह काम किया और मुद्रास्फीति की दर ऊपर नहीं आई। मुद्रा स्फीति की दर 16.7 प्रतिशत तक कम कर दी गई जबकि तुम्हारे पास यह 22 प्रतिशत से अधिक थी। इसमें 2.4 प्रतिशत तक और आगे कमी की गई। हमने साहस से काम किया और अर्थव्यवस्था को वास्तविकताओं का सामने करने में सक्षम बनाया और हमें इसके अच्छे नतीजे मिलें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कही। कृपया माननीय मन्त्री महोदय के जवाब सुने।

श्री बी० के० गडवी : तत्कालीन वित्त मन्त्री श्री एच० एम० पटेल यहां है। आप इनसे पूछकर सच्चाई का पता लगा सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सार्वजनिक तेल कम्पनियों ने जिन नई कीमतों की घोषणा की है। आपके मतानुसार क्या वे बढ़ाए गए शुल्कों को देखते हुए उचित है ? एक से आपको 600 करोड़ रु० मिल रहा है और नई कीमतों से 100 करोड़ मिल रहा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : डालर की विनिमय दर से वृद्धि होने से जो 1000 करोड़ रु० अधिक लगेंगे उसका क्या होगा ? आपने डालर की विनिमय दर में हुई वृद्धि का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से प्राप्त होने वाले ऋणों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में एक प्रश्न पूछा था लेकिन इस प्रश्न पर आप उसे लागू नहीं कर रहे हैं। डालर की विनिमय दर में वृद्धि के कारण 1,000 करोड़ रु० अतिरिक्त व्यय होगा और इसका निराकरण कर लिया गया है।

प्रो० एन० जी० रंगा : श्री पुजारी ने एक दिन इसकी चैर्चा की थी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अब मैं छोटी सी वस्तु साबुन की बात करता हूं। मैं इस मुद्दे को इसलिए स्पष्ट करना चाहूंगा क्योंकि इस बारे में कई गलतफहमियां हैं। पहले 7,800 रु० प्रति मीट्रिक टन से कम कीमत के टॉयलट सोप पर मूल्यानुसार 5 प्रतिशत वसूल किया जाता था। इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। अब 10,000 रु० प्रति मीट्रिक टन तक की कीमत वाले साबुनों पर 5 प्रतिशत शुल्क लगेगा। लेकिन मंहगे साबुनों पर यदि विरोधी दल के सभी सदस्य मंहगे साबुन इस्तेमाल करते हैं तो—उनसे मुझे कुछ प्राप्त करने का हक है। इस पर लगने वाले शुल्क की सीमा को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। यह सच हैं। मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि नहाने या कपड़ा धोने के साबुनों के 80 प्रतिशत उत्पादन को 5 प्रतिशत की रियायती दर से फायदा होगा। इसलिए उपर्युक्त वृद्धि का गरीब व्यक्तियों तथा धोबियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टेलिविजन के बारे में कुछ गलत धारणा है। मुद्दा उठाया गया था कि टेलिविजन पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया गया है जबकि बीड़ी पर कर लगा दिया गया है। टेलिविजन के मामले में मूल खरीदकर्ता तथा निर्माता से कर वसूल किया जा रहा है। हमने केवल लाइसेंस के लिए भागदौड़ करने की समस्या को खत्म किया है। ऐसा नहीं है कि टेलिविजन पर कर समाप्त कर दिए गए हैं और बीड़ी पर लगा दिए गए हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : बीड़ी में तो रियायत दी जानी चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कितनी ? देखिए धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य बीड़ी में रुचि रखते हैं या सिगरेट में।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मुझे किसी में रुचि नहीं है। मुझे तो गरीबों के हित में रुचि है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है। इस दल के सदस्यों में भी इस बारे में आम सहमति है। सब मांग कर रहे हैं कि बीड़ी पर से कर हटाया जाए। इसलिए हम बीड़ी पर लगाए अतिरिक्त कर को समाप्त करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मिट्टी के तेल के बारे में क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय सदन द्वारा की गई हर्ष ध्वनि के लिए मैं आभारी हूं। लेकिन इससे मुझे लगभग 10 करोड़ रु० की हानि हुई है।

एक माननीय सदस्य : यह तो गरीबों के मनोरंजन का साधन है।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : यह खुशी की बात है कि हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने चिलम का ध्यान रखा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, बहुत से सदस्यों ने कृषकों तथा कृषि क्षेत्र के प्रति चिंता व्यक्त की है। किसान तो अर्थव्यवस्था के मेरुदण्ड होते हैं। उन्हीं के योगदान से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। हमने निर्णय लिया है कि मद 68 के अन्तर्गत आने वाले सभी कृषि उपकरणों, इनमें बिजली से चलने वाले उपकरण भी शामिल हैं, पर बिक्री शुल्क नहीं लगेगा।

एक माननीय सदस्य : डीजल इंजन और ट्रैक्टर के बारे में क्या किया गया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, कृषि क्षेत्र के लिए मेरा प्रस्ताव है कि मुर्गीपालन उपकरणों जैसे इन्क्यूबेटरों, पौल्ट्री फीड मिक्सरों एंड ग्राइंडरों को बिक्री शुल्क से छूट दी जाए। यह सब कृषि क्षेत्र तथा किसानों के लिए है। डीजल और मिट्टी के तेल के बारे में मैं आपको पहले ही कारण बता चुका हूं। उनकी कीमतों में हुई वृद्धि तथा उसके पीछे क्या तर्क था इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन माननीय सदस्यों, कृषि क्षेत्र तथा समाज के उस गरीब वर्ग को, जो डीजल तथा मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं, राहत देने के लिए 16 मार्च 1985 को हाईस्पीड डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में की गई वृद्धि को 7 पैसे प्रति लीटर की दर से कम करने का निर्णय लिया गया है।

एक माननीय सदस्य : पान मसाला के लिए क्या किया गया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : पान मसाले के लिए···?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं सदन की भावनाओं के अनुरूप करूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय इसकी वसूली मुझे कहीं और से करनी पड़ेगी। जब ये रियायतें दी गई थीं तो दक्षिण के मेरे एक माननीय मित्र मेरे पास आए और उन्होंने मुझे पान-मसाला जैसा कुछ दिखाया...। इसकी मैं अलग से जांच करूंगा। लेकिन पान मसाले के बारे में आम राय यही है कि इस पर कर लगाए रखा जाए।

एक माननीय सदस्य : बेशक आप पान मसाले पर बढ़ा दीजिए।...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : पान आयातकर्त्ताओं के बारे में क्या रहा ?

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आपको बता दूं कि पान आयातकर्त्ताओं पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

महोदय, इसकी वसूली मुझे कहीं और से करनी पड़ेगी। बहरहाल, मेरा गणित का ज्ञान उतना नहीं है जितना विरोधी दल के सदस्यों का है। इसकी वसूली मुझे कहीं और से करनी होगी। अतः मैं सिगरेट पर उत्पाद शुल्क की वृद्धि का प्रस्ताव रखता हूं (व्यवधान)। प्रति सिगरेट में एक पैसे की दर से वृद्धि का प्रस्ताव है। 10 सिगरेट के जिस पैकेट का बिक्री मूल्य 3 रु० से अधिक है उस पर अधिक शुल्क लगेगा। सिगरेट की उन सस्ती किस्मों पर जिनकी कीमत प्रति पैकेट (10 सिगरेट) लगभग 60 पैसे है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस 4 00 ब० प० उपाय से 95 करोड़ रु० के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। अधिसूचनाओं की प्रतियां सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सामान्य बजट पर हुई चर्चा में भाग लिया...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया वित्त मन्त्री को उत्तर देने दीजिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नमक के बिना खाना नहीं बनाया जा सकता। नमक के बारे में रेल मन्त्री जवाब देंगे। नमक पर कर में वृद्धि नहीं की गई।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : खाना पकाने की गैस के लिए क्या किया ?

(समाप्त)

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1984-85 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तंभ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत सरकार की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :

मांग सं० 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 96, 100, 101, 104, 105, 108 और 109"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत—अनुदानों की अनुपूरक मांगें, 1984-85 (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	2	3	4
कृषि मन्त्रालय			
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	35,85,000	—
2.	कृषि	19,30,01,000	—
3.	मीन उद्योग	1,62,00,000	—
4.	पशु पालन और डेयरी विकास	1,000	—
7.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	10,27,000	—

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	2	3	4
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
9.	रसायन और उर्वरक मन्त्रालय	119,59,34,000	—
	वाणिज्य मंत्रालय		
10.	वाणिज्य मंत्रालय	19,15,000	—
11.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	3,000	—
12.	वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प	22,98,55,000	141,35,89,000
	संचार मंत्रालय		
17.	डाक-तार पर पूंजी परिव्यय	—	49,00,00,000
	रक्षा मंत्रालय		
18.	रक्षा मन्त्रालय	45,47,17,000	2,000
19.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	393,64,00,000	—
21.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	62,61,39,000	—
23.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	—	39,60,00,000
	शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय		
25.	शिक्षा	69,57,000	10,00,000
26.	संस्कृति विभाग	4,75,75,000	—
27.	पुरातत्व	1,80,00,000	—
	ऊर्जा मन्त्रालय		
31.	गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	3,000	—

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	2	3	4
	विदेश मंत्रालय		
32.	विदेश मन्त्रालय	8,79,27,000	—
	वित्त मन्त्रालय		
33.	वित्त मन्त्रालय	1,67,24,000	—
34.	सीमा-शुल्क	5,56,90,000	15,65,05,000
35.	संघ उत्पाद-शुल्क	7,71,83,000	—
36.	आय पर कर, सम्पदा शुल्क, धन कर और दान कर	9,41,48,000	—
37.	स्टाम्प	—	1,50,50,000
38.	लेखा परीक्षा	13,79,24,000	—
39.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	8,76,50,000	—
40.	पेंशनें	19,57,07,000	—
41.	अफीम, और एल्केलाइड कारखाने	—	8,54,000
43.	वित्त मन्त्रालय का अन्य व्यय	5,000	168,05,92,000
44.	सरकारी सेवकों आदि को उधार	—	13,45,00,000
	खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय		
45.	खाद्य विभाग	253,21,22,000	21,90,62,000
46.	नागरिक पूर्ति विभाग	—	1,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	2	3	4
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय			
47.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय	5,00,000	—
48.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	4,17,06,000	12,22,94,000
49.	परिवार कल्याण	10,12,88,000	—
गृह मन्त्रालय			
50.	गृह मन्त्रालय	1,49,12,000	—
52.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	1,83,03,000	—
53.	पुलिस	82,98,19,000	7,68,21,000
54.	अन्य प्रशासनिक और सामान्य सेवाएं	54,17,48,000	4,60,60,000
55.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	5,42,17,000	—
56.	दिल्ली	34,54,22,000	5,000
57.	चण्डीगढ़	5,04,94,000	—
58.	अंदमान और निकोबार समूह	3,12,86,000	1,61,68,000
59.	दादरा और नगर हवेली	44,99,000	—
60.	लक्षद्वीप	2,47,35,000	84,69,000
उद्योग मंत्रालय			
61.	उद्योग मन्त्रालय	20,15,000	—
62.	उद्योग	37,03,79,000	—
63.	ग्राम और लघु उद्योग	—	2,53,75,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	2	3	4
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
64.	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय	21,34,000	—
65.	सूचना और प्रचार	6,47,19,000	—
66.	प्रसारण	13,42,21,000	5,16,87,000
	श्रम और पुनर्वास मंत्रालय		
68.	श्रम विभाग	16,77,000	—
69.	श्रम और रोजगार	57,18,06,000	7,00,000
	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय		
71.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय	23,58,000	—
	योजना मंत्रालय		
75.	योजना आयोग	59,43,000	—
	ग्रामीण विकास मंत्रालय		
76.	ग्रामीण विकास मन्त्रालय	1,000	—
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय		
77.	नौवहन और परिवहन मन्त्रालय	47,11,000	—
78.	सड़कें	8,64,90,000	10,98,52,000
79.	पत्तन, दीप-स्तम्भ और नौवहन	4,000	4,000
80.	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	1,000	12,12,50,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	2	3	4
इस्पात और खान मंत्रालय			
82.	इस्पात विभाग	138,98,24,000	449,97,46,000
83.	खान विभाग	1,000	24,55,00,000
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय			
85.	मौसम विज्ञान	36,59,000	—
86.	विमानन	—	1,000
निर्माण और आवास मंत्रालय			
88.	निर्माण और आवास मन्त्रालय	18,76,000	—
89.	लोक निर्माण	1,87,18,000	—
91.	आवास और नगर विकास	1,65,00,000	2,00,01,000
इलेक्ट्रोनिक्स विभाग			
96.	इलेक्ट्रोनिक्स विभाग	1,000	1,000
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग			
100.	भारतीय सर्वेक्षण	3,47,70,000	—
101.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अनुदान	8,50,00,000	—
पूर्ति विभाग			
104.	पूर्ति विभाग	4,75,000	—
105.	पूर्ति और निपटान	25,00,000	—
संसद, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग			
108.	संसदीय कार्य विभाग	3,35,000	—
109.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	1,85,000	—

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1985-86 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग संख्या 1 से 106 के संबंध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत 1985-86 के लेखानुदान (सामान्य) की मांगों की सूची

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	2	3	4
कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय			
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	78,57,000	—
2.	कृषि	41,38,40,000	3,71,00,43,000
3.	मीन उद्योग	4,47,80,000	1,64,01,000
4.	पशुपालन और डेरी-विकास	22,71,77,000	7,89,01,000
5.	सहकारिता	2,41,80,000	38,98,67,000
6.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	14,81,000	—
7.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगियां	24,73,19,000	—
8.	ग्रामीण विकास विभाग	1,88,22,14,000	7,52,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
9.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	2,06,31,51,000	27,27,83,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	2	3	4
वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय			
10.	वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय	57,33,000	—
11.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	1,35,87,38,000	18,20,58,000
12.	वस्त्र हथकरघा और हस्तशिल्प	43,75,32,000	36,62,97,000
13.	पूर्ति और निपटान	2,54,05,000	—
संचार मंत्रालय			
14.	संचार मंत्रालय	92,46,000	7,12,33,000
15.	विदेश संचार सेवा	7,54,20,000	2,33,33,000
16.	डाक सेवाएं	1,31,59,16,000	5,91,33,000
17.	दूर संचार सेवाएं	5,43,73,33,000	1,51,59,83,000
रक्षा मंत्रालय			
18.	रक्षा मंत्रालय	79,48,33,000	26,91,87,000
19.	रक्षा पेंशनें	84,74,79,000	—
20.	रक्षा सेवाएं—थल सेना	7,97,84,70,000	—
21.	रक्षा सेवाएं—नौ सेना	1,00,32,50,000	—
22.	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	2,88,32,23,000	—
23.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	—	1,54,25,33,000
शिक्षा मंत्रालय			
24.	शिक्षा मंत्रालय	60,87,000	—
25.	शिक्षा	82,05,17,000	8,40,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
	पर्यावरण और वन मंत्रालय		
26.	पर्यावरण विभाग	4,73,79,000	—
27.	वन और वन्य जीवन विभाग	8,44,85,000	—
	विदेश मंत्रालय		
28.	विदेश मंत्रालय	33,90,92,000	7,11,33,000
	वित्त मंत्रालय		
29.	वित्त मंत्रालय	2,18,90,000	6,000
30.	सीमा शुल्क	13,21,19,000	6,91,66,000
31.	संघ उत्पाद शुल्क	16,15,68,000	—
32.	आय पर कर, संपदा शुल्क, धन कर और दान कर	18,05,77,000	—
33.	स्टाम्प	7,25,61,000	1,12,75,000
34.	लेखा परीक्षा	21,96,24,000	—
35.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टंकसाल	26,76,79,000	16,36,41,000
36.	पेंशनें	26,63,87,000	—
37.	क्लोरीन और एल्केलाइड फैक्टरी	24,14,18,000	1,18,58,000
38.	राज्य सरकारों को अंतरण	7,65,83,49,000	—
39.	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	1,70,80,37,000	5,71,55,08,000
40.	सरकारी कर्मचारियों आदि को उधार	—	20,68,50,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय			
41.	खाद्य विभाग	2,08,46,30,000	19,11,49,000
42.	नागरिक पूर्ति विभाग	91,73,000	1,33,84,000
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय			
43.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	33,31,000	—
44.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	52,67,88,000	17,90,53,000
45.	परिवार कल्याण	88,94,33,000	1,86,33,000
गृह मंत्रालय			
46.	गृह मंत्रालय	1,25,85,000	—
47.	मंत्रीमंडल	1,23,54,000	—
48.	पुलिस	97,45,71,000	6,40,32,000
49.	अन्य प्रशासनिक और सामान्य सेवाएं	46,65,97,000	6,99,91,000
50.	पुनर्वास	25,30,56,000	1,29,33,000
51.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	65,66,39,000	36,69,76,000
52.	दिल्ली	67,67,51,000	45,82,19,000
53.	चण्डीगढ़	11,19,44,000	6,24,58,000
54.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	10,63,06,000	6,18,60,000
55.	दादरा और नगर हवेली	1,37,62,000	98,33,000
56.	लक्षद्वीप	3,14,81,000	55,52,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
	उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय		
57.	उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय	1,85,91,000	16,000
58.	उद्योग	17,92,08,000	51,14,00,000
59.	ग्राम उद्योग और लघु उद्योग	34,10,25,000	25,50,67,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
60.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	27,21,000	—
61.	सूचना और प्रचार	7,72,19,000	30,50,000
62.	प्रसारण	28,70,10,000	20,45,14,000
	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय		
63.	सिंचाई विभाग	29,77,31,000	4,41,44,000
64.	विद्युत विभाग	38,49,31,000	2,80,76,11,000
	श्रम मंत्रालय		
65.	श्रम विभाग	30,31,000	—
66.	श्रम और रोजगार	29,99,40,000	18,66,000
	विधि और न्याय मंत्रालय		
67.	विधि और न्याय मन्त्रालय	5,46,11,000	—
68.	न्याय प्रशासन	17,86,000	—
	संसदीय कार्य मंत्रालय		
69.	संसदीय कार्य मंत्रालय	8,24,000	—

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
	पैट्रोलियम मंत्रालय		
70.	पैट्रोलियम मंत्रालय	42,71,000	45,23,31,000
	योजना मंत्रालय		
71.	योजना	1,28,25,000	—
72.	सांख्यिकी	4,46,83,000	—
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
73.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	10,70,50,000	5,85,000
74.	भारतीय सर्वेक्षण	7,90,16,000	1,67,000
75.	मौसम विभाग	5,19,69,000	1,22,30,000
76.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	26,30,58,000	45,00,000
77.	गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	20,09,41,000	40,00,000
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय		
78.	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	1,01,14,000	—
79.	सड़कें	38,44,17,000	45,49,94,000
80.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	17,20,23,000	21,07,48,000
81.	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	2,25,27,000	26,50,02,000
	समाज और महिला कल्याण मंत्रालय		
82.	समाज और महिला कल्याण मंत्रालय	21,26,97,000	11,08,000
	इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय		
83.	इस्पात विभाग	2,43,11,000	1,17,32,83,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
84.	खान विभाग	20,47,79,000	50,24,16,000
85.	कोयला विभाग	24,74,48,000	1,77,50,01,000
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय			
86.	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	22,64,000	—
87.	विमानन	10,95,57,000	15,13,50,000
88.	पर्यटन	3,03,40,000	2,23,63,000
निर्माण और आवास मंत्रालय			
89.	निर्माण और आवास मंत्रालय	37,17,000	—
90.	ब्लोक निर्माण	20,61,10,000	11,57,22,000
91.	जलपूर्ति और मल निकासी	50,16,66,000	—
92.	आवास और नगर विकास	6,00,77,000	14,46,85,000
93.	लेखन सामग्री और मुद्रण	10,31,32,000	—
परमाणु ऊर्जा विभाग			
94.	परमाणु ऊर्जा विभाग	22,41,000	—
95.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं	32,46,76,000	71,94,39,000
96.	न्यूकलीय विद्युत स्कीमें	75,94,03,000	32,96,20,000
संस्कृति विभाग			
97.	संस्कृति विभाग	5,44,67,000	—
98.	पुरातत्व विभाग	2,65,83,000	—

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
	इलेक्ट्रानिकी विभाग		
99.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	9,32,50,000	8,40,83,000
	महासागर विकास विभाग		
100.	महासागर विकास विभाग	4,32,43,000	11,66,000
	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग		
101.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	2,54,85,000	—
	अन्तरिक्ष विभाग		
102.	अन्तरिक्ष विभाग	24,59,26,000	18,36,44,000
	युवा कार्यक्रम और खेल विभाग		
103.	युवा कार्यक्रम और खेल विभाग	5,60,60,000	21,66,000
	संसद, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		
104.	लोक सभा	1,89,70,000	—
105.	राज्य सभा	66,49,000	—
106.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	1,88,000	—

4.03 अ० प०

विनियोग (संख्यांक-3) विधेयक, 1985*

[अनुवाद]

वित्त, वाणिज्य तथा पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि

* दि० 25.3.85 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित ।

वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने पर विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

मैं प्रस्ताव** करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : माननीय मंत्री ने कुछ रियायतों की घोषणा करके बहुत अच्छा काम किया है । मैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, खासकर विशाखापत्तनम का मामला उठाना चाहता हूं । यह एक विशाल उपक्रम है जिसका परिव्यय 8,300 करोड़ रुपये के लगभग ।

सभापति महोदय : आपने कोई नोटिस नहीं दिया है ।

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : विनियोग विधेयक के स्तर पर हम निवेदन कर सकते हैं ।

सभापति महोदय : कृपया लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का नियम 218 (6) देखें ।

श्री एस० एम० भट्टम : अन्तिम चरण में हम चर्चा कर सकते हैं । 8300 करोड़ रुपये दिए गए हैं···

सभापति महोदय : कृपया नियम देखिए ।

श्री एस० एम० भट्टम : विनियोग विधेयक के समय हम चर्चा में भाग ले सकते हैं तथा मामले पर अन्तिम टिप्पणी दे देंगे ।

सभापति महोदय : क्या आपने सूचना दी है ?

श्री एस० एम० भट्टम : सूचना की आवश्यकता नहीं है ।

सभापति महोदय : जब तक आप सूचना नहीं देंगे मैं आपको बोलने के लिए कैसे बुला सकता हूं ? आपको सूचना अवश्य देनी होगी । तब मैं यदि आप को पुकारूं, तो आप बोल सकते हैं । आपका ध्यान केवल लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 218 (6) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा ।

श्री एस० एम० भट्टम : आपको इसी स्टेज पर मुझे चर्चा में भाग लेने की अनुमति देनी होगी । यह मेरी जायज मांग है ।

सभापति महोदय : आपको पहले सूचित करना चाहिए । जहां तक विनियोग विधेयक का सम्बन्ध है, उसके बारे में एक विशेष नियम है । कृपया उसे देख लें ।

श्री एस० एम० भट्टम : मैं इसके बारे में नहीं जानता ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

4.08 म० प०

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक*, 1985

[अनुवाद]

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1985-86 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1985-86 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1985-86 की एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1985-86 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

* दिनांक 25-3-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित ।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : महोदय, इस स्टेज पर मुझे बोलने की अनुमति दी जाए। मैंने लिखित रूप में दे दिया है।

सभापति महोदय : मैंने आपका ध्यान नियम की ओर आकर्षित कराया है। नियम सदन का है तथा जब तक नियम में संशोधन न हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं नियम को तोड़ नहीं सकता। सदन अब विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगा।

श्री एच० एम० पटेल (साबरकंठा) : यद्यपि आपने हमारा ध्यान नियम की ओर आकर्षित किया है। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष का हमेशा यह प्रक्रिया रही है कि विनियोग विधेयक पर टिप्पणी करने की अनुमति देते रहे हैं, इसकी सूचना चाहे दी हो या नहीं। यह उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है और इस स्वविवेक का उपयोग सदा अनुमति देने के हक में ही हुआ है न कि इसके विपरीत।

सभापति महोदय : जब तक सदन सहमत न हो, नियम रद्द नहीं किया जा सकता। कोई नियम तभी रद्द किया जा सकता है जब पूरे सदन की सहमति हो। यदि सदन इससे सहमत है तो मैं ऐसा कर सकता हूं। खैर, मैं माननीय सदस्य को तृतीय वाचन के समय स्पष्टीकरण हेतु अनुमति दे दूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : मैं कह रहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रति रवैया ठीक नहीं है। विशेष तौर से मैं विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के सन्दर्भ में कह रहा हूं। इस वर्ष केवल 215 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि पिछले वर्ष 650 करोड़ रुपये

दिए गए थे। 8300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में से इस वर्ष केवल 215 करोड़ रुपये दिए गए हैं जबकि इस उपक्रम को एक हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इस हालत में यह परियोजना निर्धारित अवधि में कभी भी पूरी नहीं हो सकती। क्या यह उचित है ? क्या एक सार्वजनिक उपक्रम को दी जाने वाली राशि में इस तरह से भारी कमी की जा सकती है ? क्या माननीय मन्त्री इस पर विचार करेंगे तथा इसके लिए समुचित व्यवस्था करेंगे ?

श्री वक्कम पुरुषोत्तम (अलप्पी) : सभापति महोदय, विधेयक के तृतीय वाचन के दौरान ये सामान्य नीति या विधेयक के क्रियान्वयन के बारे में बोल सकते हैं। तृतीय वाचन में ये कोई विशिष्ट मामला नहीं उठा सकते।

सभापति महोदय : यह कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। यह बिल्कुल ठीक है।

श्री एस० एम० भट्टम : मैं विशेष रूप से माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि इस पहलू पर विचार करें। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निर्माण अवधि उन्हें आवश्यक रूप से कम से कम करनी होगी ताकि वे निर्धारित समय के दौरान ही पूरे हो सकें। वरना लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। प्रारम्भ में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की अनुमानित लागत 2839 करोड़ रु० थी परन्तु अब यह 8300 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस दर से हम कभी भी परियोजना को पूरा करने में सफल नहीं होंगे। कृपया इस पर अवश्य विचार करें तथा इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करें। यही मेरी विनती है।

डा० वत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में तथा वित्त मन्त्री के बजट भाषण में सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि सभी प्रकार के वस्त्रों के सम्बन्ध में चाहे वह विद्युत करघे पर बना हो या हथकरघे पर। वस्त्र नीति का निर्णय सरकार द्वारा किया जाएगा। पिछले 6-7 महीने से बम्बई, अहमदाबाद, दिल्ली तथा कानपुर में पहले से ही 3 लाख कपड़ा मिल कर्मचारी बेरोजगार हैं। हर बार सरकार उन्हें यही आश्वासन देती है कि वह वस्त्र नीति की घोषणा करने जा रही है। यह मुख्य तथा महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि कब इसकी घोषणा की जाएगी तथा इसकी कितनी शीघ्र घोषणा की जाएगी तथा उससे क्या राहत मिलेगी क्योंकि इसके बिना इन शहरों में कर्मचारी वाकई मर रहे हैं। यहां तक कि दिल्ली में भी चार मिलें बन्द पड़ी हैं। मन्त्री महोदय यह स्पष्ट करें कि इस मामले में सरकार का क्या रुख है ?

श्री बी० सोभनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : माननीय वित्त मन्त्री बता रहे थे कि यह सरकार कृषि को सबसे अधिक महत्व दे रही है। परन्तु अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण की सुविधाओं के अभाव में परेशान हैं तथा उन्हें महाजन लोगों से ऊंची ब्याज की दरों पर ऋण लेने पर मजबूर होना पड़ता है। क्या वित्त मन्त्री 'नाबार्ड' के द्वारा दी जाने वाली राशि को 200 करोड़ रुपये और अधिक बढ़ा देंगे ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : माननीय मन्त्री ने डीजल तथा मिट्टी के तेल पर कुछ रियायत दी है। परन्तु पैट्रोलियम की कीमतों में अधिक बढ़ोत्तरी का बस तथा यातायात पर प्रभाव पड़ेगा। अब राज्यों को मजबूरन बसों के किराये में बढ़ोत्तरी को स्वीकार करना होगा तथा इससे यात्रियों को बहुत परेशानी होंगी।

अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में आप कुछ इमदाद देंगे ताकि राज्य सरकारें वह इमदाद को बस-मालिकों को दे सकें ताकि वह बस के किराए न बढ़ाने के सम्बन्ध में आश्वस्त कर सके।

श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : सूखाग्रस्त क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता किस आधार पर दी जाती है। कर्णाटक के 135 तालुकों में से 103 तालुक सूखा से प्रभावित हैं तथा कर्नाटक सरकार ने लगभग 255 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता हेतु तीन ज्ञापन दिए हैं, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने केवल 32 5 करोड़ रुपये ही दिए हैं। कर्नाटक के माननीय मुख्य मन्त्री आपको तथा कर्णाटक के सभी सदस्यों को बार-बार यही याद दिला रहे हैं—अभी तक केन्द्रीय सरकार ने 30 करोड़ रुपया हमें दिया है। जिनकी प्रतियां हमें भी प्राप्त हुई हैं। राज्य को अधिक खर्चा करना पड़ता है तथा वे ओवरड्राफ्ट के लिए मजबूर हो जाते हैं तो केन्द्रीय सरकार उस पर आपत्ति करती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस आधार पर यह सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि नेशनलाइज्ड बैंकों के द्वारा किसानों को जो ऋण दिए जाते हैं उन पर मूल से कई गुना ज्यादा चक्रवृद्धि ब्याज वसूल किया जाता है, तीन हजार लोन का 15 हजार वसूल किया जाता है जबकि सिविल प्रोसीजर कोड में यह प्रावधान है कि मूल के दुगुने से अधिक की वसूली नहीं की जा सकती है। मनीलेंडिंग से सम्बन्धित जो कानून है उसमें भी इसी प्रकार का प्रावधान है लेकिन बैंकों में इस सम्बन्ध में कोई नियम न होने के कारण किसान लूटे जा रहे हैं, उनकी जमीने नीलाम की जा रही हैं। इसलिए मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं क्या वे इस सम्बन्ध में कोई नियम-कानून बनायेंगे जिससे कि गरीब किसान बैंकों कि इस लूट से बच सकें ?

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : सभापति महोदय, मैं भी आपके द्वारा एक विशेष बात की ओर माननीय वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री ने बड़ी कृपा करके बीड़ी पर से टैक्स को छोड़ दिया—उसके लिए धन्यवाद, लेकिन यह पहली सरकार थी जिससे हम कुछ उम्मीद करते थे परन्तु अ.प सोडा पर टैक्स बढ़ा दिया फिर शराब को किस खुशी में छोड़ दिया, यह मैं जानना चाहूंगा। शराब एक ऐसी चीज थी जिस पर आप टैक्स लगा सकते थे लेकिन आपने नहीं लगाया।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं। राज्य सरकारों के पास संसाधनों के लिए राजस्व है परन्तु जहां तक केन्द्रशासित क्षेत्रों का सम्बन्ध है—विशेषरूप में अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह का—इन क्षेत्रों में नौवहन सेवाओं और अन्य बातों के लिए हम पूरी तरह सरकार पर निर्भर हैं। मैं जानना चाहूंगा क्या केन्द्र शासित प्रदेश अण्डमान और निकोबार पर उचित ध्यान दिया जायेगा।

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरी) : महोदय, मैं बोनस के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। बोनस अधिनियम 1965 में पहले निम्न सीमा 750 रुपये एवं अधिनियम सीमा 1600 रुपये थी। देश में कर्मचारी संघों ने आंदोलन किए थे और बहुत से ज्ञापन पत्र भी दिए थे और प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के साथ भी इस मसले पर बातचीत की थी कि 750 रुपये की निम्न सीमा को बढ़ाकर 1600 रुपये तथा 1600 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया जाए। मैं जानना चाहूंगा क्या वित्त मंत्री जी इस विषय पर फिर से विचार करेंगे और कर्मचारी संघों की मांगों को स्वीकार करेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस की ओर से जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया, मैं कहना चाहूंगा कि बैंक द्वारा दिए गए कृषि ऋणों को निर्धारित समय पर न लौटाने की सूरत में सहकारिता एवं बैंक दण्डात्मक राशि वसूल करते हैं। सामान्य साहूकारों का जहां तक सम्बन्ध है उनके लिए **ऋण राहत अधिनियम** है परन्तु बैंकों और सहकारी समितियों के बारे में ऐसा कोई विधान नहीं है। अतः इस पर विचार किया जाना चाहिए कि किस अवस्था में किस तरह से किसानों को इस तरह की दण्डात्मक राशि से राहत दिलायी जा सके। किसानों को दिए गए ऋण की रकम से दुगुनी रकम न वसूल की जाये। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : मैं कहना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी संख्या में रुग्ण उद्योग बंद हो गए हैं। बहुत से श्रमिक भुखमरी के कगार पर हैं मैं जानना चाहती हूं कि इस गम्भीर विषय के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है। यह बहुत ही गम्भीर विषय है। महोदय बहुत से श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे। पश्चिम बंगाल की अर्थ-व्यवस्था तहस-नहस हो जायेगी।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने सदन में बताया है कि 39 प्रतिशत स्टेट्स का शेयर बढ़ाने जा रहे हैं, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन जिन क्षेत्रों में हमारे सेंट्रल लेवल पर एलोकेशन कम हुआ है, जैसे ट्राइबल वैलफेयर क्षेत्र में, शैडयूल्ड कास्ट वैलफेयर क्षेत्र में, बैकवर्ड वैलफेयर क्षेत्र में, डेजर्ट डवेलपमेंट क्षेत्र में, तो

[श्री राम प्यारे पनिका]

क्या माननीय वित्त मंत्री राज्यों को लिखेंगे कि वे अपने रिसोर्सेज से उनके लिए धन आवंटित करें ?

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : सभापति महोदय, इस साल बारिश कम होने से हमारे देश के कई नगरों और गांवों में पीने का पानी नहीं मिल रहा है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मध्य प्रदेश में 45 जिले हैं, जिनमें से 25 जिलों में सूखा पड़ा हुआ है। इन जिलों में पीने का पानी न मिलने की वजह से भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। इन जिलों में पीने का पानी मिल सके, इसके लिए क्या वित्त मन्त्री जी कोई व्यवस्था करेंगे ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह प्रश्न पहले ही उठाया जा चुका है। यह फिर से चर्चा का विषय बन जाएगा। अगर कोई स्पष्टीकरण चाहें तो आप पूछ सकते हैं।

श्री आशुतोष साहा (दमदम) : महोदय, क्या वित्त मन्त्री जी इस ओर ध्यान देंगे कि कम्पनी को समाप्त होने की दशा में श्रमिकों के लिए भी पेंशनभोगियों के समरूप योजना होगी।

[हिन्दी]

श्री जी० भूपति (पेदापल्ली) : आंध्र प्रदेश में गरीबों के लिए दो रुपए किलो चावल ...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह बात पहले ही कही जा चुकी है।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : पहला मुद्दा था कि सार्वजनिक क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है और विशाखापतनम इस्पात संयंत्र के लिए आवंटन बहुत कम है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्रों की उपेक्षा नहीं हो रही है और विशाखापतनम इस्पात संयंत्र को उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप और जो संसाधन हमारे पास हैं के अनुसार आवंटन किया गया है। कपड़ा मिलों के बारे में डा० दत्ता सामंत ने एक मुद्दा उठाया था कि नीति की घोषणा कब की जायेगी। मैं उनकी चिन्ता समझ सकता था कि इस उद्योग की मुख्य समस्या रुग्णता है। हमने बम्बई में रुग्णता के दो पहलू देखे हैं, हथकरघा और विद्युतकरघा तथा संगठित क्षेत्र और श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर के बीच में संतुलन को ध्यान में रखते हुए सामंजस्य पूर्ण नीति बनाई जाएगी साथ ही रुग्णता तथा फाइबर इत्यादि पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा (टैक्स्टाइल एडवाइजरी बॉडी) वस्त्र सलाहकार समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। एक दल

समिति बनाई गई थी जिसने अपनी सिफारिशें दे दी हैं और एक विशेषज्ञ समिति ने भी अपनी सिफारिशें दे दी हैं। इन सिफारिशों के आधार पर जल्दी से जल्दी हम एक नीति बनायेंगे।

जहां तक कृषि ऋण को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने का सम्बन्ध है, मैं इसमें वृद्धि नहीं कर सकता क्योंकि यह जनता का पैसा है। बसों के किराये के बारे में पूछा जा रहा है अगर आर्थिक सहायता दी जा रही है तो कम से कम इसे तो छोड़ा जा सकता था परन्तु किरायों को क्यों बढ़ाया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक किरायों का संबंध है यह निश्चित करना निगमों का काम है। स्वायत्तशासी निकाय स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति के बारे में, मेरे विचार से राज्यों की विशेष दिक्कतों को देखते हुए विशेष सहायता प्रदान करने के लिए चर्चा की जरूरत है। जब योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। योजना आयोग इन बातों पर चर्चा करेगा और समायोजन या समझौता हो सकता है। परन्तु इस वक्त तुरन्त मैं नहीं कह सकता कि कितनी सहायता प्रदान की जायेगी।

बैंक ऋण ब्याज के बारे में मैं कहूंगा कि यह दुगुने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी नहीं चाहेगा कि यह दुगुना हो। एक बात आवश्यक है कि इसकी अदायगी वक्त पर होनी चाहिए। दूसरी बात है सारा पैसा जो हम करों के रूप में प्राप्त करते हैं, वह सार्वजनिक निधि के रूप में बैंक में जमा किया जाता जिसे कर्ज के रूप में दिया जाता है। परन्तु अगर इसकी अदायगी नहीं होती है तो एक दिन बैंक को कर्जदारों की तलाश करनी होगी। मुझे स्पष्ट रूप में बता देना चाहिए कि हमें वसूली में तेजी लानी होगी और बैंकिंग प्रणाली के लिए यह एक महत्वपूर्ण चीज है। अगर समय पर पैसे की वसूली नहीं होगी तो कुछ अन्य गरीब लोग इससे वंचित होंगे।

एक और मुद्दा उठाया गया कि एल्कोहल पर क्यों नहीं कर लगाया गया ? एल्कोहल दो प्रकार के हैं एक तो औद्योगिक एल्कोहल और एक जीने वाला एल्कोहल। मेरे विचार से माननीय सदस्य का मतलब पीने वाले एल्कोहल से है। यह राज्य का विषय है और यहां हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते। बोनस के बारे में, यह राशि 750 रुपये थी और अब इसे बढ़ाकर 1600 रुपये कर दिया गया है। प्रश्न यह था : क्यों नहीं हम इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर देते ? इस पर हमने इस वक्त वृद्धि कर दी है और इसे हम और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते।

रुग्ण उद्योगों की हमारी नीति के बारे में हमने बजट में घोषणा कर दी है और वह है कि यदि कम्पना की कुल पूंजी घट कर 50 प्रतिशत रह जाती है तो कम्पनी को 'जनरल बॉडी' की बैठक बुलानी होगी इसके पश्चात ही उसे फैक्ट्री अथवा उद्यम को चलाने का अधिकार होगा। और अगर यह शत प्रतिशत समाप्त हो जाती है तो इसे फैक्ट्री को चलाने का कोई अधिकार नहीं होगा। और हमें उन लोगों के विरुद्ध भी कार्यवाही करनी होगी जो अपने निजी स्वार्थों के लिए गुप्त रूप से इन उद्योगों को रुग्ण बनाते हैं··· (**व्यवधान**)।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

कतिपय संघ शासित प्रदेशों में नौवहन सुविधाओं के बारे में नौवहन मंत्रालय की मांगों के दौरान चर्चा का जा सकती है।

श्री मनोरंजन भक्त : परन्तु वित्त का आवंटन तो आपको ही करना है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : परन्तु इस पर चर्चा से पहले मैं अग्रिम रूप में वित्त का आवंटन नहीं कर सकता।

पीने के पानी आदि की योजनाएं राज्य सरकार के अन्तर्गत आती हैं।

राज्यों को सामान्य आवंटन किया जाता है और राज्य सरकारें इन योजनाओं को क्रियान्वित करती हैं।

ईकाईयों के बंद होने की दशा में मजूरी पेंशन के समतुल्य करने की बात को मैंने नोट कर लिया है और मैं माननीय सदस्य को स्थिति से अवगत कराऊंगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.33 म० प०

संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक
सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक
अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सदन मद संख्या 14, 15 और 16 को एक साथ लेगा।

वित्त, वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सम्पदा-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

ये सभी विधेयक जिनका प्रस्ताव किया गया है आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा ही किये गये है। ज्ञापन के साथ आयोग के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई, सभा-पटल पर 24 जुलाई, 1984 को रखा गया जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 281 में अपेक्षित था।

संविधान के अनुच्छेद संख्या 280(3) के अन्तर्गत आयोग को निम्न के सम्बन्ध में भी सिफारिशें करती हैं :

(क) संघ तथा राज्यों के बीच में करों के शुद्ध आगम का, जो उनमें विभाजित होता है या होवे, वितरण के बारे में, तथा राज्यों के बीच ऐसे आगम में तत्सम्बन्धी अंशों के बंटवारे के बारे में :

(ख) संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन सहायक अनुदान देने में पालनीय सिद्धांत; और

(ग) सुस्थित वित्त के हित में आयोग को सौंपे हुए किसी अन्य विषय के बारे में।

आयकर के मामले में और सहायतार्थ अनुदान के बारे में आयोग की सिफारिशें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं जबकि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सम्पदा शुल्क सम्बन्धी सिफारिशें संसदीय कानूनों द्वारा लागू की जाती हैं। शेष सिफारिशों को कार्यकारी आदेशों के द्वारा लागू किया जाता है।

मैंने आज विचार करने के लिए जो तीन विधेयक प्रस्तुत किए हैं, वे संघ उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क से होने वाली विशुद्ध आय के वितरण के सम्बन्ध में, आठवें वित्त आयोग द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय को संसद द्वारा कानून बना लागू करने के सम्बन्ध में है।

इससे पहले कि मैं इन तीनों विधेयकों के बारे में कुछ कहूं, मैं आठवें वित आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य जानते हैं कि राष्ट्रपति के आदेश से आठवां वित्त आयोग 1984-85 से 1988-89 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए सिफारिशें करने के उद्देश्य से जून 1982 में नियुक्त किया गया था।

आयोग ने वर्ष 1984-85 के लिए अंतरिम रिपोर्ट 14 नवम्बर 1983 को प्रस्तुत की। सरकार ने अन्तरिम प्रतिवेदन में आयोग द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार कर लीं और वर्ष

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

[श्री जनार्दन पुजारी]

1984-85 के लिए इन्हें कार्यान्वित किया गया। 30 अप्रैल 1984 को, आयोग ने 1984-85 से 1988-89 तक पांच वर्ष की पूरी अवधि के लिए अन्तिम रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। सरकार ने वर्ष 1984-85 की अन्तरिम रिपोर्ट में आठवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का पालन करते रहने तथा 1985-86 से 1988-89 तक केवल 4 वर्षों के लिए आयोग की अन्तिम रिपोर्ट को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया।

आयोग की रिपोर्ट और उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन 24 जुलाई, 1984 को सभा पटल पर रखा गया था। आयोग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1984-85 की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार न किए जाने के कारणों का उल्लेख व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 4 मे संक्षिप्त रूप से किया गया है।

रिपोर्ट तथा सरकार के निर्णय के सम्बन्ध में 8 और 9 अगस्त 1984 को इस सम्मानित सभा में सविस्तार वाद-विवाद किया गया था। अतः आयोग द्वारा की गई सिफारिशों तथा उन पर सरकार के निर्णयों के विभिन्न पहलुओं पर अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि मैं आयोग द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 1984 – 89 की 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्यों को 39,452 करोड़ रुपये के संसाधनों का स्थानांतरण किया जाना है जबकि सातवें वित्त आयोग द्वारा पूर्ववर्ती पांच वर्षों—1979—84, में स्थानांतरित किए गए 20,843 करोड़ रुपयों के संसाधनों की तुलना में यह 89% अधिक है। इस स्थानांतरण की योजना से 12 राज्यों को 26775 करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे। दूसरी ओर 11 राज्यों का घाटा पूरा करने के लिए 1691 करोड़ रुपए के सहायक अनुदान दिए जाने की सिफारिश की गई है। जिन राज्यों को घाटा हुआ है उन्हें अतिरिक्त सहायक अनुदान दिए जाने की सिफारिश की गई है ताकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर मंहगाई भत्ता दिया जा सके। प्रशासन का स्तर ऊंचा उठाने तथा विशेष समस्याओं का समाधान करने के लिए 17 राज्यों को 967 33 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने की सिफारिश की गई है। आयोग ने 1984-89 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 602 करोड़ रुपए की राशि केन्द्र की ओर से सहायक अनुदान देने की भी सिफारिश की जो 22 राज्यों में राहत कार्यों पर होने वाले व्यय के लिए वित्त जुटाने हेतु दिए जाने वाले सीमांत धन (मार्जिन मनी) का आधा है।

जबकि आयकर में राज्यों का अंश 85% रख लिया है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्के में उनका अंश 40% से बढ़ाकर 45% कर दिया गया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में राज्यों के अंश का अतिरिक्त 5% उन 11 राज्यों के लिए रखा गया है, जिन्हें घाटा हुआ, ताकि उनके अनुमानित घाटे के अनुपात से उनमें उसका वितरण किया जा सके। पहली बार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और आयकर के बड़े भाग को राज्यों में वितरण के लिए एक समान फार्मूले की सिफारिश की गई है।

रेल यात्री किराये में वृद्धि करने के एवज में वार्षिक प्रतिपूरक अनुदान की मात्रा 23 करोड़ से बढ़ाकर 95 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

1984—79 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए शेष केन्द्रीय ऋणों के समेकन और पुनः निर्धारण द्वारा तथा कुछ राशि बट्टे खाते में डालकर राज्यों को 2285.39 करोड़ रुपये के ऋण की राहत देने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा 1984 85 में कम बचत ऋणों के पुनः भुगतान के सम्बन्ध में यह सिफारिश की गई है कि पुनर्भुगतान में छूट देकर 117.08 करोड़ रुपये की राहत जारी रखी जाए। कार्यकुशलता के साथ-साथ अच्छे वित्तीय प्रबंध, परिसम्पत्तियों के बेहतर रखरखाव और व्यय में बचत को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों की प्राप्तियों और व्यय के आंकलन के मामले में आयोग ने आदर्श रवैया अपनाया है। आयोग ने सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं, परिवहन उपक्रमों, औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों आदि में किए गए पूंजी निवेश से समुचित आय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया।

राज्यों के बीच क्षेत्रीय असंतुलन कम करने के उद्देश्य से आयोग ने एक संसाधन-अंतरण सूत्र तैयार किया है जिसके माध्यम से संसाधनों का पुनःवितरण किया जाएगा। इस सूत्र का आधार अधिकतम प्रति-व्यक्ति आय वाले राज्य और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य के बीच संसाधनों का अन्तर कम करना है। राज्यों को ऋण में राहत देने के मामले में भी आयोग ने इस बात को ध्यान में रखा।

अब मैं आज प्रस्तुत किए गए तीन विधेयकों का संक्षिप्त उल्लेख करना चाहता हूं। पहले विधेयक में मूल उत्पाद शुल्क में भागीदारिता और वितरण की व्यवस्था की गई है। जैसा कि पहले कहा गया है आठवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि 1984—89 की अवधि के दौरान राज्यों को सभी वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क का 45% भुगतान किया जाना चाहिए। इसमें से 40% भाग को 22 राज्यों में वितरण किए जाने की सिफारिश की गई है जबकि शेष 5% भाग आंकलिक घाटे के अनुसार उन 11 राज्यों को उन्हें हुए घाटे के अनुपात में वितरित करने के लिए रखा गया है। 1985-86 से 1988-89 तक चार वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में अनुमानतः 18,920 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए जाने हैं।

दूसरा विधेयक अर्थात संपदा शुल्क संशोधन विधेयक का उद्देश्य वित्त आयोग द्वारा चालू वर्ष के लिए अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का पालन करने के सरकार के निर्णय को औपचारिक रूप देना है। जैसा कि बजट भाषण के दौरान मैंने जिक्र किया, सम्पदा शुल्क अधिनियम यथासमय रद्द कर दिया जाएगा। इस विधेयक को पास करके, आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट के सम्बन्ध में राज्यों को 1984-85 में अस्थायी तौर पर किए गए भुगतान को अंतिम माना जाएगा।

तीसरे विधेयक का उद्देश्य चीनी, तम्बाकू और कपड़ों पर लगाए गए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से होने वाली विशुद्ध आय के वितरण के सम्बन्ध में सिफारिशों को लागू करना है। जैसा

[श्री जनार्दन पुजारी]

कि सभा को जानकारी है, ये शुल्क राज्य सरकारों की सहमति से उन वस्तुओं पर लगाए गए बिक्री कर के एवज में 1957 से ही लगाए जा रहे हैं। इस योजना में यह व्यवस्था की गई है कि संघ राज्य क्षेत्रों को देय आय के भाग के अलावा एकत्र किए गए समूचे धन को वित्त आयोग द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार राज्यों के बीच वितरित कर दिया जाए। आठवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि शुल्क से होने वाली आय को राज्य के घरेलू उत्पादन तथा जनसंख्या को बराबर आधार मानकर राज्यों के बीच बराबर बांट दी जाए। इस सम्बन्ध में राज्यों को 1985-86 से 1988-89 तक 4 वर्षों के लिए अनुमानत: 3318 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए जाने हैं।

मूल उत्पाद-शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और सम्पदा-शुल्क, जिसको राज्यों में वितरण करने के लिए ये तीन विधेयक आज प्रस्तुत किए गए हैं, के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 270 के अन्तर्गत राज्यों को आयकर से होने वाली विशुद्ध आय का 85% भी मिलेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि अगले 4 वर्षों में राज्यों को 5706 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत राज्यों को अगले 4 वर्षों में 2,937 करोड़ रुपये का सहायक अनुदान भी देय है। राज्यों को वर्ष 1985-86 से दिए जाने वाले कर-अंश का स्थानांतरण और सहायक अनुदानों का भुगतान करने के सम्बन्ध में सभी सांविधिक और विधिक औपचारिकताएं चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले ही पूरी कर दी जायेंगी।

आयोग की कुछ अन्य सिफारिशें भी हैं जिन्हें कार्यपालिका के आदेशों द्वारा क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। इनके सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य अभिकरणों से परामर्श करके विभिन्न स्तर पर जांच की जा रही है। इनमें से जिन दो सिफारिशों की ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वे रेल यात्री किराये पर कर और ऋण राहत को रद्द करने के एवज में राज्यों को सहायक अनुदान देने के सम्बन्ध में हैं। आयोग ने रेल किराया अनुदान 23.15 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 95 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है। यह सिफारिश संसद की रेल अभिसमय समिति की स्वीकृति के लिए उन्हें भेजी गई है। जहां तक ऋण राहत और केन्द्रीय ऋणों को बट्टे खाते में डालने का सम्बन्ध है, केन्द्रीय बजट में आवश्यक प्रावधान किया गया है और औपचारिक आदेश यथासमय जारी किए जायेंगे।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि सरकार ने आयकर पर अधिभार को समाप्त करने का निर्णय लिया है जैसा कि बजट भाषण में पहले ही कहा जा चुका है। आठवें वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में सिफारिश की है। इस तरह देखा जा सकता है कि सरकार ने इस मुख्य सिफारिश को अविलंब क्रियान्वित किया है। इसी तरह जैसा कि वित्त आयोग ने सिफारिश की, सरकार ने लदान पत्रों तथा ऋण पत्रों पर स्टाम्प शुल्क बढ़ाने का निर्णय किया था जिसकी पूरी आय राज्यों को मिलेगी। मुझे खुशी है कि वित्त आयोग के सुझाव पर, सरकार ने आय कर और निगम कर के बीच वसूली की लागत के निर्धारण की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी नियुक्त की है।

अन्त में मैं दोहराना चाहता हूं कि सरकार का यह वायदा है कि संघ-राज्य वित्तीय संबंधों से समानता लायी जायेगी ताकि समग्र राष्ट्रीय विकास के अंतरंग अंग के रूप में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिले। वित्त आयोग की सिफारिशों पर हमारे निर्णय सौहार्दपूर्ण संघीय वित्तीय सम्बन्धों में हमारी दृढ़ आस्था के द्योतक है जो कि तीव्र और संतुलित आर्थिक विकास के लिए परमावश्यक है।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसुदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : सभापति महोदय, मैं इन तीनों बिल का विरोध कर कर रहा हूं। आठवें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट 24 जुलाई 1984 को सदन के सामने पेश की गई थी। उसमें 1984 से 1989 तक की सिफारिशें थी। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से बगैर कंसल्ट किए हुए 1984 की सिफारिशों को रोक दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि एक्साइज ड्यूटी का जो चालीस परसेंट 22 स्टेट्स के लिए था, वह किसी को भी नहीं मिला। इसमें वैस्ट बंगाल का 325 करोड़ रुपये का टोटल घाटा था। फाइनल रिपोर्ट में 11 स्टेट के लिए जो 5% की अलग से व्यवस्था थी, उसको भी आपने रोक दिया। इसमें 1984-85 में वैस्ट बंगाल का शेयर 19.081 परसेंट यानि टोटल अमाउन्ट लगभग 90 करोड़ बैठता है। राजस्थान का 1.940% था। वह भी राजस्थान को नहीं मिला। राजस्थान सरकार को 1985 से 1989 तक कोई भी पैसा मिलने वाला नहीं है। आठवें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के अनुसार पहले साल रुपया मिलने वाला था। उसके बाद नहीं। 5% के बारे में जो स्पेशल-एड है, उसमें 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89 वर्ष में वैस्ट बंगाल का शेयर हर साल घटाया गया है। 1984-85 में 19.081% था, 1985 में 16.273%, 1986 के लिए 11.934%, 1987 के लिए 7.935% और 1988 के लिए 0.5% रखा गया है। एक्साइज ड्यूटी का जो हिस्सा मिलने वाला था, उसको घटा दिया गया जबकि दूसरे राज्यों के लिए बढ़ गया। 11 स्टेट्स के लिए ग्रान्ट-इन-एड 2200 करोड़ रुपये रखा गया। उसमें से पहले साल का शेयर 644.39 करोड़ था जबकि वैस्ट बंगाल के लिए 142.11 करोड़ था, जो कि मिला ही नहीं। सदन में बार-बार कहा जाता है कि वैस्ट बंगाल से ओवर-ड्राफ्ट आता है। यह बात ठीक है। इसके साथ-साथ यह भी याद रखना चाहिए कि ओवर-ड्राफ्ट है 215 करोड़ और केन्द्रीय सरकार से पहले साल में मिलना चाहिए था 325 करोड़। लेकिन आपने उसको नहीं दिया इसलिए 215 करोड़ का ओवर-ड्राफ्ट लेना पड़ा। अगर इस ओवर-ड्राफ्ट को इसके साथ एडजस्ट कर दिया जाए तो हमें आपको पैसा देना पड़ेगा। हमारे उस तरफ के वैस्ट बंगाल के साथी ओवर-ड्राफ्ट के बारे में काफी हल्ला करते हैं ··· (व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : सिर्फ सुझाव देते हैं।

श्री सैयद मसुदल हुसैन : मैं यह कहना चाहता हूं कि जो 325 करोड़ रुपया रोक दिया गया है, उसको 215 करोड़ के साथ एडजस्ट कर दें तो हमारी सरकार को 110 करोड़ रुपया मिल जायेगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी . आपकी पूरी मदद करूंगा अगर आप गरीबों को काम दिलवाएं और गड़बड़ न करें । ·· (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया इधर-उधर की बात न करें (व्यवधान) यदि इधर-उधर की बात की जायेंगी तो उन्हें कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद मसुदल हुसैन : सभापति जी, अभी हमारे वैस्ट बंगाल के एक माननीय सदस्य ने कहा कि वे हमारी मदद करेंगे ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : पश्चिम बंगाल के सभी सदस्यों के लिए, एक तीसरा मेम्बर बनाया जाये ।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसुदल हुसैन : जहां वे हमारी मदद करने की बात करते हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि वैस्ट बंगाल की पर-कैपिटा इंकम नेशनल इंकम से ज्यादा है । जहां समूचे देश की पर-कैपिटा इंकम 13.40 है, वहां इस साल वैस्ट बंगाल की पर-कैपिटा इंकम 16.06% बढ़ी है । वहां कोई मिसयूज ऑफ मनी नहीं हो रहा है ·· (व्यवधान) ·· यह तथ्य है । आपने वैस्ट बंगाल को मिलने वाला ग्रान्ट-इन-ऐड तथा रेलवे फ्रेट का शेयर, फर्स्ट ईयर का रोक दिया है, मैं अपनी स्टेट की तरफ से कहूंगा कि आप उसको दे दीजिए । इसके साथ-साथ आपने जो एस्टेट ड्यूटी एबौलिश की है, वह तो स्टेट का शेयर था । अब एस्टेट ड्यूटी एबौलिश होने की वजह से उसका कुछ-न-कुछ रिफ्लैक्शन तो स्टैट में जरूर आयेगा । इस हालत में मेरा केन्द्रीय सरकार को सुझाव है कि आठवें फाइनेंस कमीशन ने जो सिफारिशें वर्ष 1984-89 के लिए की हैं, उन रिकमैन्डेशन्स को आप पूरी-पूरी मान लीजिए । और साथ ही आपने जो अमैंडमेंट्स दी हैं, उनको हटा लीजिए इतना कहते हुए, मैं अपना स्थान लेता हूं ।

[अनुवाद]

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : संसद में बजट प्रस्ताव पास किए जाने के तत्काल बाद ही 1984 में ही आठवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन पेश कर दिया गया था । किन्तु केन्द्र सरकार राज्यों के 2000 करोड़ रुपये के आवंटन को रोके रही । इस प्रकार, राज्यों को पूरे एक साल तक इस राशि से वंचित रखा गया । केन्द्र सरकार पूरे एक साल तक इस राशि को अपने पास रोके रही और अब यह राशि आवंटित कर रही है । यदि आयोग की सिफारिश के अनुसार यह राशि राज्यों को एक साल पहले प्राप्त हो जाती तो उनकी विकास योजनायें कितनी आगे बढ़

जातीं। वित्त मंत्री बहुत ही स्पष्टवादी हैं जो उन्होंने यह कहा है कि इससे राज्यों का कोटा 35% से 39% तक बढ़ जाएगा। यह केवल एक भ्रम है, क्योंकि बढ़े हुए कोटे में से जो राशि केन्द्र सरकार एक वर्ष तक रोके रही, उससे राज्य अनेक विकास कार्य कार्यान्वित नहीं कर सके। इस प्रकार 2000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को रोके रखने का वित्त मंत्री अथवा पिछली सरकार का कार्य राज्यों के साथ कुछ भेद-भाव प्रदर्शित करता है। इसलिए, इसका लाभ उठाते हुए वित्त मंत्री का यह कहना कि राज्य सरकारों का कोटा 39% बढ़ा दिया गया है, ठीक नहीं है और उसका श्रेय उनको नहीं जाता है।

5.00 म० प०

श्री जनार्दन पुजारी : अपना विचार व्यक्त करते हुए कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ मुद्दे इन विधेयकों के दायरे में नहीं आते। वास्तव में, एक मुद्दा है कि वित्त आयोग ने इन सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया था। यहां एक निकाय है, जो सांविधिक निकाय है और जो एक स्वतंत्र निकाय है और इस निकाय में विशेषज्ञ हैं। इस निकाय ने केन्द्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले हिस्से की सिफारिश की थी। यहां मैं, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि जहां तक केन्द्र सरकार का प्रश्न है, उसके संसाधनों की बड़ी जोरदार जांच और संवीक्षा होती है और इस निकाय ने स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से कार्य किया था। इस निकाय ने कोई पक्षपात नहीं किया है और उसने अर्थव्यवस्था और उपलब्ध संसाधनों की सभी कठिनाइयों और सभी पहलुओं पर विचार किया है और तत्पश्चात उसने जो सिफारिश की है, वह न्यायोचित सिफारिश है। मैं यह भी कह सकता हूं गत वर्ष इस सभा में इस प्रतिवेदन पर पर्याप्त विचार-विमर्श किया गया था। केवल सत्तारूढ़ पक्ष के ही नहीं अपितु विपक्षी दल के माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया था और माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों का उत्तर दिया गया था तथा वे सब बातें सभा से बाहर भी प्रकाशित हुई थीं। राज्य सरकारों को भी इस बात की जानकारी है। इसलिए, आज जो मुद्दे उठाये गये हैं, उनके सम्बन्ध में मुझे और कुछ नहीं कहना है।

राज्यों और केन्द्र के आपसी सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए संसाधन जुटाने का कर्त्तव्य राज्यों का भी है किन्तु मुझे बताया गया है और इस सभा में भी ऐसा कहा गया है कि जहां तक घाटे की अर्थ व्यवस्था का सम्बन्ध कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के राज्यों में ऐसा है, पर फिर भी इस वर्ष कोई नया कर नहीं लगाया गया है। यहां, मैं यह बात एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संसाधन जुटाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर भी है। यह कर्त्तव्य केवल केन्द्र सरकार का ही नहीं है। किन्तु वे अलोकप्रिय नहीं होना चाहती हैं। वे चाहतीं है कि केन्द्र सरकार अलोकप्रिय हो जाय। वे कोई कर नहीं लगाना चाहतीं, वे कोई गलतफहमी नहीं पैदा करना चाहती है, वे अपने राज्य के लोगों में बहुत अधिक लोकप्रिय होना चाहती हैं। किन्तु केन्द्रीय सरकार के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। केन्द्रीय सरकार एक ऐसी एजेन्सी है जिसके उत्तरदायित्व अधिक हैं और इसीलिए उसे संसाधन बढ़ाने होते हैं। इसी प्रकार, संसाधन बढ़ाने का कर्त्तव्य राज्य सरकारों का भी है।

5.02 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने प्रारम्भिक भाषण में ही सारे मुद्दों के बारे में कह चुका हूं। मैं राज्यों के हिस्से के बारे में भी कह चुका हूं और एक विस्तृत भाषण आरम्भ में ही दिया जा चुका है। इसलिए, सभा के विचारार्थ मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 4 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी अब यह प्रस्ताव पेश कर सकते हैं कि विधेयक को पारित किया जाये।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय; मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंडवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है कि :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.07 म० प०

अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाता) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि अनिवार्य जमा योजना (आय कर दाता) अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस छोटे और साधारण से विधेयक का उद्देश्य अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकर दाता) अधिनियम, 1974 में संशोधन करना है जिससे किश्त की पुनर्अदायगी और ब्याज के भुगतान को एक वर्ष तक और स्थगित किया जा सके, अन्यथा इस राशि की अदायगी वित्त वर्ष 1985-86 में देय हो जायेगी।

जैसा कि वित्तमंत्री ने बजट भाषण में बताया था, आयकर दाता द्वारा अनिवार्य रूप से राशि जमा कराने की स्कीम को अप्रैल, 1985 से समाप्त किया जा रहा है। अपने चुनाव घोषणा पत्र में हमने जो वायदा किया था, उसे पूरा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तथापि समग्र आय और व्यय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बात का प्रावधान करना उचित समझा गया है कि पहले जमा करायी गई राशि की किश्त और उसके ब्याज की अदायगी को, जो वित्त 1985-86 में देय हो जाती है, एक वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया जाय।

मै माननीय सदस्यों का ध्यान दो महत्त्वपूर्ण मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूं। पहली बात यह है, कि अदा न की गई राशि पर ब्याज मिलता रहेगा। दूसरी यह कि इस विधेयक में निहित प्रस्तावों से अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकर दाता) अधिनियम 1974 में अन्य उपबन्धों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनमें अत्यधिक कठिनाई के मामलों में, अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी करने

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

वाले व्यक्तियों के मामले में जमा राशि की पुनर्अदायगी का प्रावधान किया गया है। जो राशि अन्यथा वित्त वर्ष 1985-86 में देय हो जायगी ब्याज सहित उसकी अदायगी वित्त वर्ष 1986-87 में की जायगी।

अनिवार्य राशि जमा कराने की आवश्यकता को समाप्त करके तथा आयकर की दरों को घटाकर आयकर दाताओं को जो राहत दी गई है, उसे ध्यान में रखते हुए, मुझे आशा है कि मैं जिस त्याग की मांग कर रहा हूं उससे अधिक असुविधा नहीं होगी।

महोदय, मुझे विश्वास है कि सभा उस विधेयक का समर्थन करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अनिवार्य जमायोजना (आयकर दाता) अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, श्रमिकों द्वारा अनिवार्य जमा योजना के विरोध को ध्यान रखते हुए, इस योजना को समाप्त करने का प्रस्ताव बहुत अच्छा है। किन्तु, श्रमिकों से पैसा लेते समय सरकार ने यह वचन और आश्वासन दिया था कि अमुक दिन रुपया लौटा दिया जाएगा। भुगतान को रोके रखने से बहुत अधिक परेशानी तो नहीं होगी किन्तु मैं इस बात को गम्भीरता से ले रहा हूं क्योंकि यह सरकार जनता की है और रुपया स्वीकार करते समय इस सरकार ने कुछ वचन दिया था। यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इससे आप जनता से तथा कार्मिकों से धन एकत्र कर रहे हैं। आप जनता से कई तरीकों से धन एकत्र कर रहे हैं। राज्य सरकारें भी दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक जमा योजनाओं के अन्तर्गत धन एकत्र करती हैं। इनकी वापसी की कोई भी तिथि हो सरकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से उनका पालन करती आयी है। यदि आप इस धनराशि की अदायगी में विलंब करके गलत काम करेंगे तो सरकार अपनी विश्वासनीयता खोयेगी तथा समय पर अदायगी करके इसे धन की कोई हानि नहीं होगी। यदि सरकार अदायगी अभी कर देती है तथा बैंक से ऋण लेकर काम चलाती है तो मेरे विचार में सरकार को अधिक लाभ रहेगा। अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अदायगी में विलम्ब न करें तथा यदि धन की कमी पड़ती है तो बैंक से ऋण ले लें। जनता को देय ब्याज की दर बच जायेगी, बैंकों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज लगभग समान ही है। अत: इस प्रकार आप मध्यम वर्ग और शिक्षित वर्ग के लोगों को दिलाए अपने वचन का पालन करेंगे। तथा बाद में जब सरकार जनता से धन की मांग करेगी तो लोगों को धन देने में संकोच नहीं होगा। अत: मेरा कहना है कि जनता को दिए गए वचनों का पालन होना चाहिए। अत: मैं सरकार से फिर आग्रह करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले ले तथा धन की तुरन्त अदायगी करे। धन की कमी होने पर आप बैंकों तथा दूसरी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य ने एक बात कही है—परन्तु हमें अन्य बातों पर

[श्री जनार्दन पुजारी]

भी विचार करना होगा। सरकार ने आयकरों में कमी कर दी है तथा लोगों को इससे लाभ पहुंचेगा। फिर अनिवार्य जमा योजना समाप्त की जा रही है। इसका अर्थ है कि अगले वर्ष उन्हें इसमें धन देने की आवश्यकता नहीं है।

अदायगी स्थगित करने के कुछ कारण हैं। हमारे संसाधनों पर बोझ है। जब किस्तों की अदायगी स्थगित की जायेगी तो ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। माननीय सदस्य श्रमिक नेता होने के नाते जानते हैं कि हमें कमजोर वर्गों की जरूरतें पूरी करनी हैं। हमने कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है तथा हमें रक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करना है तथा विकास के लिए कलापों को बनाये रखना है। माननीय सदस्य जानते हैं कि जब हम जनता को बहुत सी रियायतें दे रहे हैं तो जनता एक और वर्ष के लिए प्रतीक्षा कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाता) अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.14

पंजाब राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प, राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, पंजाब बजट, 1985-86—सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की मांगें (पंजाब), 1985-86 तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पंजाब), 1984-85

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 18, 19, 20, 21 और 22 को एक साथ लेते हैं।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत, राष्ट्रपति द्वारा पंजाब के सम्बन्ध में जारी की गई 6 अक्तूबर, 1983 की उद्घोषणा को 6 अप्रैल, 1985 से आगे 6 महीनों की अवधि के लिए लागू किये रखने का अनुमोदन करती है।"

महोदय, जैसा कि सभा को पता है :

उपाध्यक्ष महोदय : आप विधेयक भी पुरःस्थापित कर सकते हैं।

श्री एस० एम० मट्टम (विशाखापत्तनम) : राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक एक प्रथम मामला है। यह उद्घोषणा को बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पहले स्वीकार किया जा चुका है कि मद संख्या 18 से 22 को एक साथ लिया जाये। इसीलिए मैंने घोषणा की थी कि इन पर एक साथ चर्चा की जाये। इन सब का सम्बन्ध पंजाब से है।

श्री एस० एम० मट्टम : परन्तु सांविधिक संकल्प पर अलग से चर्चा की जानी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी बातों की चर्चा करेंगे।

श्री एस० एम० मट्टम : कुछ औचित्य या प्रक्रिया होनी चाहिए। आप सदैव कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ पहलुओं पर आग्रह करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : बात यह है कि अपने भाषण के दौरान जो भी बात आप कहना चाहें कह सकते हैं। आप संकल्प पर, विधेयक पर अथवा दोनों पर बोल सकते हैं।

श्री एस० एम० भट्टम : जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है, यह एक भिन्न मामला है। परन्तु क्या मंत्री महोदय को पहले संकल्प नहीं रखना है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : वह उद्घोषणा सम्बन्धी सांविधिक संकल्प पहले रखे। 22 तक की मदे एक साथ ली जा सकती है। यदि सांविधिक संकल्प पृथक रूप से लिया जाता है तो सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा हुई थी तथा यह निर्णय लिया गया था कि सभी मदें एक साथ ली जा सकती हैं। 3 घंटे की अवधि दी गई है। इसीलिए सभी मदें साथ-साथ ली गई हैं। आपकी यह बात कार्य मंत्रणा समिति में बता देनी चाहिए थी।

श्री एच० के० एल० भगत : यह ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति में इस बात पर विचार हुआ। उपाध्यक्ष महोदय ने ठीक ही बताया है, कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया है कि इन सभी मामलों को एक साथ लिया जा सकेगा और इसके लिए तीन घंटे दिए जायेंगे। यह कार्यमंत्रणा समिति का निर्णय है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह निर्णय हुआ था। इसे सभा ने स्वीकार किया। अब आप इससे पीछे हट रहे हैं।

श्री एस० एम० भट्टम : हम पीछे नहीं हट रहे हैं। प्रश्न प्रक्रिया सम्बन्धी पहलू का है जिसे मैं बता रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब हमने कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है तो यह बात आपको उस समय बता देनी चाहिए थी। चर्चा के लिए तीन घंटे का समय दिया गया है। इन सभी को एक साथ जोड़ा गया है।

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : संकल्प पर पृथक चर्चा की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मामला उठा सकते हैं। जब आप बोलें तो आप संकल्प पर अधिक प्रकाश डाल सकते हैं। इन सभी बातों का सम्बन्ध पंजाब से है। इसीलिए इन्हें इनके साथ जोड़ दिया गया है। मंत्री महोदय उत्तर देते समय सभी बातों का उत्तर देंगे।

श्री एच० के० एल० भगत : प्रयत्न यह है कि तीन घंटों के भीतर सभी मामले पूरे किए जाने हैं। प्रत्येक मद की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। सभी मदें औपचारिक तौर पर सभा के समक्ष रखी जायेंगी और उन्हें तीन घंटे के भीतर स्वीकार करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए हम इन सभी मामलों पर एक साथ चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० एम० भट्टम : यदि इसे पूर्वोदाहरण बना लिया गया तथा यदि भविष्य में भी ऐसे होने लगा तो इससे कुछ जटिलताएं पैदा होंगी। इसे समझा नहीं जा रहा है। हमें व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति नहीं है। तकनीकी दृष्टि से यह प्रक्रियात्मक कमी है जो कि एक गम्भीर बात है। आप सभा में चर्चा के लिए सांविधिक संकल्प, एक विधेयक और बजट इन तीन मदों को एक साथ कैसे ले सकते हैं ? क्या पहले ऐसा कभी हुआ है ? क्या अतीत में ऐसा पूर्व दृष्टांत रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि पहले भी कई अवसरों पर ऐसे मामलों पर सभा में एक साथ चर्चा की गई है। परन्तु मतदान के समय हम पर मामले को पृथक-पृथक लेते हैं। कार्यमंत्रणा समिति को भविष्य के लिए सूचित किया जा सकता है। भविष्य में इस बात पर ध्यान रखा जाये। आप कार्यमंत्रणा समिति के सदस्य है। हम अगली बार इस पर ध्यान देंगे।

श्री एस० एम० भट्टम : आपको अपना विनिर्णय देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यमंत्रणा समिति में रखूंगा। मैं कार्यमंत्रणा समिति को माननीय सदस्यों की राय से अवगत करा दूंगा।

श्री एच० के० एल० भगत : प्रक्रिया की दृष्टि से सभी मदों को पृथक लिया जाना होता है। कार्यमंत्रणा समिति का अभिप्राय यही था कि 3 घंटे में सभी मामलों पर चर्चा पूरी की जा सके।

श्री एस० एम० भट्टम : चर्चा पृथक रूप से की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प तथा राज्य की विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन सम्बन्धी विधेयक पर एक साथ चर्चा हो सकती है। इस तरह की व्यवस्था है। मतदान के समय हम इन मामलों को पृथक-पृथक ले सकते हैं। भविष्य के लिए सदस्यों के विचारों से कार्यमंत्रणा समिति को अवगत करा दिया जाएगा।

मंत्री महोदय, मद संख्या 19 पर दिए गए विधेयक को भी पेश करें।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि पंजाब राज्य और चण्डीगढ़ संघराज्य क्षेत्र को लागू होने में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत, राष्ट्रपति द्वारा पंजाब के

सम्बन्ध में जारी की गई 6 अक्तूबर, 1983 की उद्घोषणा को 6 अप्रैल, 1985 से आगे 6 महीनों की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि पंजाब राज्य और चण्डीगढ़ संघराज्य क्षेत्र को लागू होने में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखायी गई मांग संख्या 1 से 41 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां पंजाब राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदानों की मांगों (पंजाब) 1985-86 की सूची

मांग संख्या	मांग का शीर्षक	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजीगत रुपए
1	2	3	4
1.	राज्य विधान मण्डल	58,91,000	—
2.	मंत्री परिषद्	42,94,000	—
3.	न्याय प्रशासन	2,80,68,000	—
4.	चुनाव	61,40,000	—
5.	राजस्व	7,54,37,000	—
6.	उत्पाद शुल्क तथा कराधान	3,24,10,000	—
7.	वित्त	41,58,33,000	—
8.	लोक सेवा आयोग	10,21,000	—
9.	सिविल सचिवालय	2,74,51,000	—

मांग संख्या	मांग का शीर्षक	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखा अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजीगत रुपए
1	2	3	4
10.	जिला प्रशासन	4,01,19,000	—
11.	पुलिस	28,00,94,000	—
12.	जेलें	2,54,17,000	—
13.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	2,26,80,000	14,20,000
14.	फुटकर सेवाएं	3,22,80,000	—
15.	पुनर्वास, राहत तथा पुनर्स्थापन	6,37,000	—
16.	शिक्षा	1,11,13,33,000	—
17.	तकनीकी शिक्षा, विज्ञान तथा टैक्नालोजी	1,78,62,000	28,00,000
18.	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य	43,56,27,000	50,000
19.	आवास तथा शहरी विकास	1,32,21,000	6,02,80,000
20.	सूचना तथा प्रचार	1,28,51,000	—
21.	पर्यटन तथा सांस्कृतिक मामले	45,29,000	10,00,000
22.	श्रम, रोजगार तथा औद्योगिक प्रशिक्षण	4,92,72,000	8,52,000
23.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	14,77,16,000	57,50,000
24.	आयोजना तथा सांख्यिकी	87,15,000	—
25.	सहकारिता	4,73,20,000	8,55,14,000
26.	कृषि	20,45,08,000	2,05,90,000
27.	भूमि तथा जल संरक्षण	1,85,17,000	—
28.	खाद्य	1,01,30,000	4,57,44,20,000

मांग संख्या	मांग का शीर्षक	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखा अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजीगत रुपए
1	2	3	4
29.	पशु पालन	6,57,88,000	—
30.	डेरी विकास	33,46,000	—
31.	मछली पालन	56,28,000	—
32.	वन	8,56,06,000	4,50,000
33.	सामुदायिक विकास	28,70,88,000	—
34.	उद्योग	5,84,30,000	3,94,00,000
35.	सिविल विमानन	32,27,000	2,50,000
36.	सड़कें तथा पुल	12,18,30,000	23,27,50,000
37.	सड़क परिवहन	37,27,82,000	6,00,00,000
38.	बहुद्देश्यीय नदी प्रयोजनाएं	6,75,29,000	20,81,80,000
39.	सिंचाई, जल विकास तथा बाढ़ नियन्त्रण	34,42,86,000	27,03,37,000
40.	भवन	30,01,67,000	9,15,98,000
41.	राज्य सरकार द्वारा कर्जे तथा पेशगियां	—	1,31,37,69,000

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 के समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक रशियां पंजाब राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :

मांग संख्या : 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38 और 40।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत 1984-85 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (पंजाब) की सूची

मांग संख्या	मांग का शीर्षक	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखा अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रु०	राजस्व रु०
1	2	3	4
3.	न्याय प्रशासन	87,53,000	—
5.	राजस्व	2,59,25,000	—
7.	वित्त	9,64,08,000	—
9.	सिविल सचिवालय	54,42,000	—
10.	जिला प्रशासन	27,80,000	—
11.	पुलिस	6,61,07,000	—
16.	शिक्षा	22,35,,57,000	—
17.	तकनीकी शिक्षा, विज्ञान और टैक्नालोजी	75,04,000	—
18.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3,27,64,000	—
19.	आवास और शहरी विकास	23,42,000	—
20.	सूचना और प्रचार	20,82,000	—
21.	पर्यटन और सांस्कृतिक मामले	1,73,000	—
22.	श्रम, रोजगार तथा औद्योगिक परिक्षण	58,74,000	—
23.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	34,96,000	—
25.	सहकारिता	49,88,000	—
28.	खाद्य	31,54,000	—

मांग संख्या	मांग का शीर्षक	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखा अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजीगत रुपए
1	2	3	4
29.	पशु पालन	12,08,000	—
31.	मछली पालन	4,99,000	—
32.	वन	9,21,000	—
34.	उद्योग	10,31,000	4,72,000
35.	सिविल विमानन	10,60,000	—
36.	सड़कें तथा पुल	—	1,20,00,000
38.	बहुद्देश्यीय नदी परियोजनाएं	40,64,000	2,66,61,000
40.	भवन	1,63,91,000	11,80,000

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, जैसा कि सभा को पता है, पंजाब में विद्यमान स्थिति को देखते हुए, राज्यपाल की सिफारिश पर, 6 अक्तूबर, 1983 को, पंजाब के बारे में, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन, उदघोषणा की गई थी और राज्य विधान सभा को निलम्बिताधीन रखा गया था।

राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को 5 अप्रैल, 1984 तक चलना था। तथापि, स्थिति में किसी प्रकार के सुधार के चिन्ह न दिखाई देने पर, संसद की स्वीकृति से उद्घोषणा को 6 अप्रैल, 1984 से छः मास के लिए और बढ़ाया गया। उद्घोषणा की अवधि को 5 अक्तूबर, 1984 को समाप्त होना था। राज्य में अनिश्चितता की स्थिति जारी रही और राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाना आवश्यक हो गया। विद्यमान तत्कालीन संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार, उद्घोषणा को एक वर्ष से अधिक की अवधि से आगे जारी नहीं रखा जा सकता था, इसलिए 6 अक्तूबर, 1984 को जारी की गई उद्घोषणा को पंजाब राज्य के बारे में अधिकतम दो वर्ष तक और जारी रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356(5) को, संविधान (अड़तालीसवां) संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा संशोधित किया गया।

परिणामस्वरूप, संसद की अनुमति से उद्घोषणा की अवधि को 6 अक्तूबर 1984 से छः

महीनों के लिए और बढ़ाया गया। उद्घोषणा 5 अप्रैल, 1985 के बाद लागू नहीं रहेगी। सरकार पंजाब की स्थिति का निरन्तर पुनरीक्षण कर रही है और कामना करते हैं कि एक चुनी हुई सरकार, यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो शीघ्र सत्ता सम्भालेगी। यद्यपि राज्य में, विगत कुछ मास में, परिस्थिति में कुछ सुधार हुआ है, परन्तु फिर भी उग्रवादी तत्व अहिंसा और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की छुटपुट वारदातों में संलिप्त हैं। प्राधिकारीगण सतर्क हैं और राज्य में पूर्ण सामान्य स्थिति बहाल करने में कुछ और समय लगेगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, एक मन्त्रीमण्डलीय उप-समिति, जिसमें तीन वरिष्ठ मन्त्री हैं, का गठन पंजाब समस्या का अध्ययन करने और यथासंभव शीघ्रता से शांतिपूर्ण समझौते के लिए विकल्प ढूंढ़ने के लिए किया गया है, आजकल मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। इस उद्देश्यार्थ कई अकाली नेताओं को हाल ही में छोड़ा गया है। ऐसी आशा की जाती है कि सरकार की यह पहल राज्य में और अधिक अनुकूल वातावरण बनायेगी और अकाली नेतृत्व की ओर से सार्थक उत्तर मिलेगा। फिर भी, स्थिति पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों और विचारणों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रपति शासन की अवधि को, वर्तमान अवधि के समाप्त हो जाने के बाद और आगे छः मास तक बढ़ाने की आवश्यकता है।

मैं सरकार की इस इच्छा को जोर देकर कहना चाहूंगा कि नितान्त आवश्यकता न होने पर, राष्ट्रपति शासन को एक दिन भी और आगे नहीं बढ़ाया जायेगा।

स्थिति को जिस प्रकार स्पष्ट किया गया, उसको ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय सदन से निवेदन करता हूं कि वे इस संकल्प को स्वीकृति प्रदान कर दें।

जहां तक दूसरे मुद्दे की बात है जैसा कि सदन जानता है, केन्द्रीय शासित प्रदेश चण्डीगढ़ और पंजाब के अशान्त क्षेत्रों पर लागू किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 को 1984 में संशोधित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में समाविष्ट किए गए धारा 14क के प्रावधान में उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया है जिनके अधीन और जिस श्रेणी के लोगों को तीन मास से अधिक और छः मास से कम अवधि के लिए बन्दी बनाया जा सकता है और यह सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना किया जा सकता है।

ये प्रावधान अस्थाई प्रकृति के हैं चूंकि अब तो वे केवल 3 अप्रैल, 1985 से पूर्व बन्दी बनाए गए व्यक्तियों के मामले में ही लागू होते हैं।

माननीय सदस्यों को राज्य की स्थिति का पता है और इसलिए मैं इसके विस्तार में जाना आवश्यक नहीं समझता हूं। जिन परिस्थितियों में 1984 में अधिनियम में धारा 14क जोड़ने की आवश्यकता पड़ी थी, सब मिलाकर वे आज भी विद्यमान हैं। पंजाब और चण्डीगढ़ के अशान्त क्षेत्र में राष्ट्र-विरोधी और असामाजिक तत्वों को निष्क्रिय करने में अधिकारियों को सफल बनाने के

[श्री एस० बी० चव्हाण]

लिए, अधिनियम की धारा 14क के उपबन्धों को संशोधित करना आवश्यक है, जिससे कि इसके सीमाक्षेत्र में उन लोगों को भी लाया जा सके, जिन्हें 3 अप्रैल, 1985 को या उसके बाद, परन्तु 3 अप्रैल, 1986 से पूर्व बन्दी बनाया जाए।

तदनुसार, विधेयक में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को संशोधित करने की बात कही गई है। मैं इस सम्मानित सदन को आश्वासन दिलाता हूं कि विधेयक को लाने का प्राथमिक उद्देश्य है आशन्त क्षेत्रों में राष्ट्र-विरोधी, असामाजिक और साम्प्रदायिक तत्वों से निपटने का।

श्री सी० जंगारेड्डी (हनमकोंडा) : मैं सरकार से कुछ आंकड़े देने का निवेदन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री एस० एम० भट्टम बोलेंगे। आप श्री भट्टम के बाद बोल सकते हैं।

श्री सी० जंगारेड्डी : जब सरकार एक विधेयक के माध्यम से एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हैं तो, उन्हें उसे स्पष्ट भी करना चाहिए। वे यह आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं कि कितने लोग मरे हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि माननीय सदस्य ने मेरा भाषण ध्यान से सुना होता तो वह उस मुद्दे पर सन्तुष्ट हो जाते जिसे वे अब उठा रहे हैं। यदि उन्हें आंकड़े चाहिए तो वे मेरे पास हैं। मैं सूचना तो दे सकता हूं, बशर्ते मुझे यह पता चल जाए कि उन्हें कैसी सूचना चाहिए। यदि आपकी रुचि यह जानने में है कि 1984-85 में कुल कितनी जानें गईं और कितने अपराध हुए तो, वह मैं देने को तैयार हूं। परन्तु आपको अपनी बात उठानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं, उठा सकते हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : 1.1.1984 से लेकर····· की अवधि के दौरान उग्रवादियों की गतिविधियों के कारण हुई घटनाओं से सम्बद्ध आंकड़े·····

श्री राम मंगल पांडे (देवरिया) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। संसदीय प्रजातंत्र में यह पहली बार हुआ है कि मैं सुन रहा हूं कि विधेयक के कार्य एवं उद्देश्य को स्पष्ट नहीं किया गया है। यदि माननीय सदस्यों को कोई सूचना चाहिए तो वाद-विवाद के माध्यम से मिलेगी। यहां पर एक विशिष्ट स्थिति है। मैं नहीं जानता कि आपने कौन सी प्रक्रिया अपनाई है।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों को मैंने यही स्पष्ट किया था। परन्तु, मन्त्री महोदय आंकड़े प्रस्तुत करने लगे तो मैं उन्हें रोक थोड़े ही सकता हूं।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं सारी सम्पूर्ण बहस को समेटना चाहता था। मैं ये आंकड़े

1-1-1984 से 30-6-1984 की अवधि के दौरान उग्रवादी गतिविधियों की घटनाओं के बारे में दे रहा हूं, हत्याएं—घटनाओं की संख्या 220, हत्याओं की संख्या 273, घायलों की संख्या 217, विस्फोट 66, मृतकों की संख्या 10, घायलों की संख्या 107; तोड़फोड़ की घटनाएं 137, घायलों की संख्या 3; अन्य—404, हत्याओं की संख्या 77, घायलों की संख्या 132। इस अवधि में मारे गए लोगों की कुल संख्या 360 और घायलों की संख्या 459।

1.7.1984 से 28.2.1985 तक कुल जोड़ : हत्यायें—घटनाओं की कुल संख्या 53, मारे गये लोगों की संख्या 38, घायलों की संख्या 44, विस्फोट—कुल संख्या 23, मृतकों की संख्या 5, घायलों की संख्या 74; तोड़-फोड़—63, घायलों की संख्या 1, अन्य—घटनाओं की कुल संख्या 360, मृतकों की संख्या 38, घायलों की संख्या 33।

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : राज्य सभा में कुछ समय पहले किसी चर्चा के दौरान, मुझे भलीभांति याद है कि उस समय कुछ सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हुए विभिन्न मुद्दे उठाए थे। इसी प्रकार विभिन्न अवसरों पर कांग्रेस संसदीय दल की चर्चा के दौरान यह प्रश्न उठा था और बाद में पंजाब में भी प्रधान मन्त्री महोदय के पंजाब के दौरे के समय उठा था। आरम्भ में ही, मैं बता देना चाहता हूं कि इस मामले पर राज्य सभा में भी चर्चा हुई थी और कांग्रेस संसदीय दल और पंजाब के बाहर दोनों स्थानों पर ही चर्चा हुई थी परन्तु अभी तक इस सदन में अभी तक नहीं हुई है। इस सभा का सम्मान इतना घटा दिया गया है और इस पर मैं आपका ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहूंगा, महोदय, क्योंकि आप एक सम्मानित निकाय की अध्यक्षता कर रहे हैं जिसका कि सम्मान और प्रतिष्ठा को आपको बनाए रखना है और अनुरक्षित रखना है। इसे मैंने चर्चा के लिए किसी न किसी रूप में बनाए रखने का प्रयास किया है, परन्तु सभी मार्ग अवरुद्ध कर दिए गए थे। मैंने एक अल्प सूचना प्रश्न की सूचना दी थी, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी और हम पंजाब की समस्या पर अलग से चर्चा चाहते थे, परन्तु सभा के समक्ष इनमें से किसी को भी नहीं लाया गया। अवरोध जारी है, बत्यारोध जारी है और समय की मांग के कारण मन्त्री महोदय को सभा के समक्ष लाने के लिए बाध्य होना पड़ा है, क्योंकि उद्घोषणा अप्रैल के महीने में समाप्त होने वाली है। अब देखना यह है कि इस मामले में सभा को कैसे बेवकूफ बनाया गया है। हाल के काल में ऐसा प्रथम बार हुआ है कि यह सभा के समक्ष लाया गया है। यह वास्तव में ही बड़ी सुखद स्थिति है और यह देखकर मुझे भारी मनस्ताप हुआ है।

इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जब सभा का सत्र हो तो नीतियों सम्बन्धी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय केवल सभा में ही लिया जाकर और कहीं नहीं लिया जाना चाहिए। परन्तु उस परिपाटी को नहीं बनाए रखा गया है और यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। यदि हमें पाठ पर नहीं निर्भर करना है तो कौन हमारी सभा के अधिकारों और प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा? अतः, मेरा आपसे एक बार फिर अनुरोध है आप यह पुनर्विचार करें कि क्या किसी मंत्री

[श्री एस० एम० भट्टम]

के लिए यह उचित है —चाहे किसी का कितना ऊंचा ही स्थान क्यों न हो प्रधान मन्त्री से उसकी खिंचाई होनी चाहिए—कि वह महत्वपूर्ण मामलों से सम्बद्ध कोई भाषण सभा में न करके उससे बाहर करे। समाचार-पत्रों ने 3-4 दिन से लगातार उन आर्थिक उपायों का ढोल पीटा जिनकी घोषणा प्रधान मन्त्री महोदय को आगामी पंजाब के दौरान करनी है और उपायों का स्वरूप भी निरूपित किया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि यह जन-चर्चा का विषय है तो मन्त्री और दलीय स्तर पर इस पर चर्चा चल रही थी। हमें अंधेरे में रखा गया है और हमें स्थिति का पता नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सभा को कतई विश्वास में नहीं लिया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष को विश्वास में लेकर उससे विचार-विमर्श किया जाए। मैं इस क्षण उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अतः, सभा को विश्वास में लिया जाए। वे जो रवैया अपना रहे हैं और अपनाना चाहते हैं वह उद्घाटित करना चाहिए। उन्हें समय-समय पर बिगड़ती हुई परिस्थिति से सभा को अवगत कराते रहना चाहिए।

मुझे अच्छी तरह याद है कि सरकार ने एक मन्त्रीमण्डलीय उप समिति का गठन किया है। उस उप समिति का क्या हुआ। यह कितनी बार मिली है ? उस समिति द्वारा क्या निर्णय लिए जाते हैं। कुछ समय पूर्व समाचार-पत्रों में यह छपा था कि दूसरे सदन में उत्तर देते समय गृह मन्त्री महोदय ने कहा है कि समिति ने पंजाब का दौरा करने और उससे सम्बद्ध विभिन्न समस्याओं पर जनमत एकत्र करने का निर्णय लिया है।

उस प्रस्ताव का क्या हुआ ? क्या यह तथ्यों का पता लगाने वाली समिति है ? या ये फिर दोबारा इधर-उधर की हांक रहे हैं ? किन मामलों पर वे सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं ? क्या वे प्रत्येक व्यक्ति से सबूत इकट्ठा करेंगे ? उनका वास्तव में क्या करने का मकसद है ? हमें इसके बारे में ठीक पता नहीं है।

इस पर विस्तार से कहने की बजाय मैं माननीय मन्त्री से अर्ज करूंगा कि वह सदन को इस बारे में कुछ बतायें कि इस समिति अथवा उप समिति ने अभी तक कौन-कौन से विशेष कदम उठाए हैं तथा प्रस्तावित दौरे के दौरान जब भी वह हो और यदि होता भी है तो वे किस प्रकार की जांच करना चाहते हैं ? क्या वे विभिन्न राजनीतिक दलों को आमंत्रित करने जा रहे हैं या उन लोगों को बुला रहे हैं जो अपनी इच्छा से इस कार्य में शामिल होना चाहते हैं जब दौरा करने का इरादा हो। यह सब करने के लिए वे कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं ? ये सभी चीजें बिल्कुल स्पष्ट करनी पड़ेंगी। यह अनावश्यक तथा व्यर्थ है। इस प्रकार के दौरे से कोई खास तथा ठोस परिणाम नहीं निकलेगा तथा इस प्रयोजन की सिद्धि में किसी निश्चित नतीजे पर पहुंचने में इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। मेरी पहली आशंका यही है। जिसे मैं बता रहा हूं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप वह न करें। मेरा डर यह कि इससे कोई लाभ नहीं

होगा। तो तब क्या आप इस समस्या का हल मिल-जुल कर या किसी अन्य तरीके से कर रहे हैं या आपके दिमाग में कुछ और है ? पंजाब की इस पेचीदी समस्या का शान्तिपूर्ण हल केवल बातचीत करके ही किया जा सकता है। पंजाब की समस्या देश में पिछलें तीन वर्ष से है। तो अब बातचीत कैसे शुरू की जाए ? इसमें पहल कौन करे ? सर्वप्रथम वे कौन सा कदम उठाएं ? इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सरकार ने अकाली नेताओं की रिहाई करके पहला कदम उठाया है। लेकिन कुछ नेता अभी भी जेल में हैं। वे सोचते हैं कि इस रिहाई से अच्छा वातावरण बना है। मैं स्वीकार करता हूं तथा मैं सरकार को उनकी रिहाई के लिए तथा पंजाब समस्या का हल निकालने हेतु उनके प्रयास के लिए उन्हें बधाई देता हूं। परन्तु कुछ नेताओं की रिहाई के पश्चात् यह कार्य रोक क्यों दिया गया है ? बाकी लोगों को क्यों नहीं रिहा किया गया है ? वे जेल में अभी भी क्यों सड़ते रहें ? ऐसा करने से यदि सरकार यह समझे कि किसी तरह की बातचीत से कोई लाभकारी परिणाम निकलेगा, मुझे डर है कि समस्या बातचीत द्वारा हल करने में तब तक कोई सफलता नहीं मिलेगी जब तक वे कुछ लोगों को जेल में ही रहने देंगे तथा दूसरे रिहा किए गए अन्य नेताओं से बातचीत जारी रखे। अधूरा काम करने से कोई फायदा नहीं है। या तो आप सभी लोगों को रिहा कर दें या स्थिति जैसी है वैसी ही रहने दें। अतः बातचीत शुरू करने के लिए उचित वातावरण के आसार नजर नहीं आते। यही मेरा प्रथम मुद्दा है।

अखबारों में यह छपा है कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस संसदीय दल को सम्बोधित करते हुए यह कहा था कि सरकार अन्य नेताओं की रिहाई के प्रश्न पर भी विचार कर सकती है तथा यह सच है कि वास्तव में विचार कर भी रही है। हां, राज्य सभा में माननीय गृह मन्त्री से जब इस प्रश्न पर पूछा गया तो उनका जवाब कुछ और ही था। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के विरुद्ध कुछ मामले हैं तथा जब तक वे मामले चल रहे हैं सरकार इस विषय में कोई कार्य करने में सफल नहीं हो सकती। उस दिन यह स्थिति थी जो उन्होंने राज्य सभा में जवाब देते वक्त बताई। तत्पश्चात् प्रधानमन्त्री को यह कहने का श्रेय दिया जा रहा है कि वह वास्तव में नेताओं की रिहाई के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। तो अब हमारी स्थिति क्या है ? अन्य नेताओं के बारे में अन्तिम स्थिति क्या है ? उनकी रिहाई यदि वास्तव में उचित वातावरण लाने में सहायक है तो हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए ताकि समस्या को सन्तोषजनक तथा शांतिपूर्ण तरीके से शीघ्र हल करने के लिए और अधिक उचित वातावरण तैयार हो सके।

प्रधानमन्त्री को कई बार यह कहने का श्रेय भी जाता है कि पंजाब समस्या का हल उन्हें शीघ्र उपलब्ध होने की आशा है। उन्होंने यही कहा है। मैं इसके बारे में अति प्रसन्न हूं कि उन्होंने समाधान ढूंढ़ने का संकल्प किया है। केवल यही नहीं, उसके बारे में उन्होंने यह कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो हमारी स्वर्गीय प्रधानमन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात् नई दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर जो दंगे हुए उनकी जांच भी कराई जाएगी। ऐसा साप्ताहिक रविवार (सन्डे) में छपा है जब इसके संवाददाता ने प्रधानमन्त्री का इंटरव्यू लिया। बाद में गृह मन्त्री ने

[श्री एस० एम० मट्टन]

कहा कि ऐसा करने से समस्या के पूरा समाधान ढूंढने में यदि कोई मदद मिल सकती है तो हम इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। महोदय बात दरअसल यह है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात् दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में जो दंगे हुए उनकी जांच करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार तैयार है। मेरे विचार से विश्वास दिलाने के लिए यह कदम अति आवश्यक तथा जरूरी है। मसला यह है कि आपस में विश्वास नहीं रहा है। आपसी नासमझी तथा इसी प्रकार की अन्य चीजें समाप्त होनी चाहिएं। मान लीजिए यदि वे सरकार बनाते हैं तो उन्हें आप छोड़ नहीं सकते। दरअसल वे बहादुर स्वतन्त्रता सेनानी हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में योगदान दिया है। हम उनको धोखा नहीं दे सकते अथवा उनकी कृतज्ञता को स्थायी रूप से छोड़ नहीं सकते। यदि सरकार इसकी न्यायिक जांच के आदेश दे दे तो मुझे आशा है कि इससे और अधिक अच्छे आपसी सम्बन्ध बढ़ेंगे तथा पंजाब समस्या के उचित तथा शीघ्र समाधान में यह सहायक सिद्ध होगी। सरकार को इस पर गहराई से विचार करना होगा।

महोदय, हमारे प्रधानमन्त्री कितने अच्छे हैं जिन्होंने फिर यह कहा है और जो हमें अखबारों से पता चला है तथा जो उनके कांग्रेस संसदीय दल में दिए गए भाषण पर आधारित है। यहां तक कि बातचीत शुरू करने के लिए आनन्दपुर साहिब संकल्प को आधार न मानने की शर्त पर भी जो नहीं दिया गया है। किसी प्रकार की शर्त नहीं रखी गई। उन्होंने केवल उन्हें कुछ खण्डों के ऊपर ही आपत्ति है। वह ठीक है। केवल उन्हीं खंडों के ऊपर आपत्ति है जो देश की एकता तथा अखंडता के विरुद्ध हैं। यह ठीक भी है जो भी हल निकाला जाए वह संविधान से बाहर न हो। मेरे विचार से संविधान के क्षेत्र के बाहर कोई हल नहीं निकाला जा सकता। संविधान एक है तथा देश एक है तथा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसके हिस्से नहीं किए जा सकते तथा देश को बांटने वाली तथा देश के विरुद्ध लड़ने वाली किसी भी ताकत के सामने हम नहीं झुकेंगे। हमारा दल इस तरह के समाधान के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है तथा हम इसमें कोई योगदान नहीं दे सकते। इसलिए यह बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमन्त्री ने बड़े ही स्पष्ट तथा साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि समस्या का हल करने के लिए वह आनन्दपुर साहिब संकल्प को वापिस लेने तथा इस पर अधिक जोर देने की बात को न उठाने के लिए तैयार हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा कहा है तथा इसलिए ऐसा कहने के बाद उन्होंने एक बात और कह दी। वह सेना को हटाने के लिए भी तैयार हैं। मानते हैं कि इसका खंडन किया गया, अखबारों में भिन्न-भिन्न विचार छपे हैं। एक पक्ष के पदाधिकारियों ने एक बात कह दी तथा दूसरे पक्ष के पदाधिकारियों ने दूसरी बात कह दी। वह वहां से सेना हटाने तथा सामान्य वातावरण लाने के लिए तैयार हैं तथा लोकतन्त्रीय ढंग से निर्वाचित सदस्य फिर से आ जाएं, लोकतन्त्र बहाल हो जाए तथा निर्वाचित प्रतिनिधि पंजाब की स्थिति को पूर्ण रूप से सम्भाल लें। महोदय इरादे तो बहुत अच्छे हैं, उद्देश्य बहुत अच्छा है तथा मूल रूप से रास्ता भी बहुत ठीक अपनाया है। ऐसी स्थिति होते हुए, अगला कदम क्या है? यह सब कहने के बावजूद आपके दिमाग में जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए आप

अगला कदम क्या उठा रहे हैं। सांविधिक संकल्प में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। मन्त्री महोदय इसकी अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाना चाहते हैं परन्तु यह विधेयक—राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम—जो स्वीकृत करने तथा पारित करने के लिए, विचार के लिए पेश किया गया है, एक वर्ष बढ़ाने के लिए है। क्यों ? तथा जब उन्हें खुद भी यह विश्वास नहीं है कि क्या किया जाना है, तो उन्हें एक वर्ष तक बढ़ाने के आगे आना चाहिए। यह 6 महीने के लिये ही क्यों हो ? परन्तु मैं तो इसे बिल्कुल ही बढ़ाने नहीं देना चाहता। जितनी शीघ्र इसे हम कर दें यह हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। इस सन्दर्भ में मैं तेलगु से एक पंक्ति उद्धृत करूंगा—आलस्यम अमृतम विपर्ययन। इसका अर्थ है कि यदि अमृत में भी देर की जाए तो यह भी विष बन जाता है। इसीलिए, इसमें और देरी तथा टालमटोल नहीं होना चाहिए। जब तक आप इस पर विचार नहीं करेंगे तथा समाधान नहीं ढूंढेंगे साम्प्रदायिकता की खतरनाक प्रवृत्ति देश को हड़प लेगी तथा सभी पर अपना कब्जा कर लेगी तथा अन्त में ऐसी स्थिति पैदा कर देगी जिस पर हम नियन्त्रण नहीं कर पायेंगे।

सिखों तथा हिंदुओं में अलगाव-वादी विचार पहले से ही है। लगातार दुश्मनी चल रही है। मुझे 'लगातार' कहने का खेद है। ऐसा कभी नहीं हो सकता तथा ऐसा कहना गलत है। क्योंकि हम भी तो उसी थैली के चट्टे-बट्टे हैं तथा उसी वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं। हम एक हैं, हम एक होने के लिए बाध्य हैं। लेकिन इस तरह की शत्रुता क्यों ? सारे का सारा सिख समुदाय, जहां कहीं भी वे हैं—चाहे वे पंजाब में हों, चाहे वे देश के अन्य भागों में हों—अपने आपको अलग सा महसूस करते हैं। यह बहुत बुरी बात है तथा हमें यह बुराई समाप्त करनी होगी। आपको उनमें आत्मविश्वास जागृत करना होगा तथा जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, वे सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। वे मांगें हैं क्या ? मांगें धार्मिक किस्म की है तथा वे लगभग मान ली गई हैं। परन्तु जहां पर कुछ ऐसी मांगें हैं जो क्षेत्र से सम्बन्ध रखती हैं वे समाधान का विरोध नहीं करती। केवल राजनीतिक समस्यायें समाधान में रुकावट पैदा करती हैं। अब सरकार राजनीतिक समस्याओं का हल कैसे करना चाहती है ? कानून तथा व्यवस्था की समस्या को सरकार कैसे हल करना चाहती है ? यदि आप सेना या सीमा सुरक्षा बल तैनात कर दें तथा उनकी गश्त बढ़ा दें, तो क्या यह समस्या का हल कर पायेगी? क्या इसने समस्या का हल हुआ है? मैं यह नहीं कहता कि यह गलत है परन्तु ऐसा तभी करें जब आवश्यक हो। उचित समय पर इन सेनाओं को हटा देना चाहिए। उचित समय क्या है इसका निर्णय गृह मन्त्री लेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि इन उपायों से कोई लाभ नहीं होगा तथा इनसे अभी परिणाम नहीं निकलेगा।

कितने ही अवसरों पर कठोर कानून, जिन्हें काला कानून कहा गया है, लागू किए गए हैं परन्तु उन्हें किसी विशेष हालातों में आवश्यक समझा गया। ठीक है, आप ऐसा कीजिए तथा उन्हें कुछ समय तक जारी रखिए परन्तु उनसे आप समस्या का हल नहीं कर सकते। ऐसे कानून होने के बावजूद भी, आतंकवादियों की गतिविधियां जारी हैं तथा आप उन्हें रोकने में सफल नहीं हो

[श्री एस० एम० भट्टम]

पाए। यहां तक कि कल ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की चण्डीगढ़ में गोली मार कर हत्या कर दी गई तथा एक विद्यार्थी नेता को भी गोली से मार दिया गया। तथा हम इन आतंकवादियों की गतिविधियों को रोक नहीं पाए। वास्तव में यह पंजाब में नहीं हो रहा है परन्तु देश के अन्य भागों में हो रहा है और दूसरे देशों में भी हो रहा है। वहां आतंकवादियों की गतिविधियां जारी हैं। इन पर बड़ी सख्ती से नियन्त्रण करना होगा। इस तरह की हरकतें कोई भी करें हम उसके विरुद्ध हैं। हम इसकी पूरी तरह से निन्दा करते हैं परन्तु, इसके साथ-साथ आप समस्या का समाधान केवल बातचीत करके ही निकाल सकते हैं। इसका और कोई रास्ता नहीं है।

अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए आगे आयें। यहां सम्बन्धित लोगों से बातचीत करने का प्रश्न है। वह विरोधी दल की सलाह लेते हैं या नहीं यह कोई खास बात नहीं है। प्रधानमन्त्री ने एक बार कहा था कि अधिकांशतः अकालियों का मत ही स्पष्ट नहीं है कुछ अन्य लोग भी हैं। वे अन्य लोग कौन से हैं जिनसे वह समस्या पर बातचीत करने जा रहे हैं ? प्रत्येक व्यावहारिक प्रयोजन के लिए हमें यह मानना होगा कि समाधान आवश्यक रूप से अकालियों के साथ मिलकर ही किया जा सकता है तथा अकालियों को छोड़कर और किसी के साथ नहीं।

इस सम्बन्ध में मैं गृह मन्त्री का ध्यान उनके सम्मानित पूर्ववर्ती गृह मन्त्री द्वारा दिए गए भाषण की ओर आकर्षित करूंगा जो उन्होंने कुछ समय पहले परामर्शदात्री समिति की बैठक के दौरान दिया लगता है। वह कह गए कि कांग्रेस पार्टी अकालियों के साथ मिलकर मिली-जुली सरकार बनाने के लिए भी तैयार हैं।

यह उन पर निर्भर करता है कि वे अकालियों के साथ किस प्रकार का समझौता कर सकते हैं, उनके साथ किस प्रकार का सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः गृह मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे सभी संबंधित पक्षों और सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलें और इस समस्या का समाधान ढूंढ़ने के लिए समुचित कदम उठाएं और सद्भावपूर्ण वातावरण बनायें।

प्रधानमन्त्री जी ने हाल ही में पंजाब के बारे में घोषणा की है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, इसके पीछे नेक इरादे हैं, प्रशंसनीय इरादे हैं। पंजाब का औद्योगिक विकास करना हो या पंजाब में प्रमुख परियोजनाएं लगानी हों, ये सब अच्छी बातें हैं, भले ही बजट में उनका उल्लेख न किया गया हो। इससे कोई अन्तर भी नहीं पड़ता। जहां तक विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का सम्बन्ध है, वे कहते हैं कुछ वित्तीय कठिनाइयां हैं और धन नहीं है। परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ तो करना ही होगा। निस्संदेह, इन दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती। बहरहाल, मुझे आशा है कि सरकार को सद्बुद्धि प्राप्त होगी और वह विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए पर्याप्त

धनराशि आबंटित कर सकेगी। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है उनमें कोई समानता नहीं है। प्रधानमंत्री ने पंजाब में कुछ प्रमुख आर्थिक राहतों की घोषणा की है। ऐसी रियायतें देना अच्छी बात है। इसलिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं पुनः आपत्ति करता हूं कि इस प्रकार घोषणाएं सभा में नहीं, बल्कि बाहर की जा रही हैं जो कि मेरे विचार में न केवल देश के लोकतांत्रिक हितों के लिए बल्कि सभा की प्रतिष्ठा के लिए भी हानिकारक हैं।

श्री राजमंगल पांडे (देवरिया) : महोदय, यह एक साधारण विधेयक है और इस पर अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं कि कुछ समय से देश में विघटनकारी शक्तियां सक्रिय हैं। प्रारम्भ में, जब लोगों को इस स्थिति का अहसास नहीं हुआ था, हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी को इस स्थिति का अहसास हो गया था और उन्होंने संसद में तथा उसके बाहर आंतरिक दंगों और सीमा से लगते पड़ोसी देशों द्वारा आक्रमण किए जाने की बात कही थी। तब हमें कुछ आशंकाएं थी। शुरू में हमारे राजनीतिक विपक्षी दलों ने इसे एक चाल समझा परन्तु बाद में वे गलत साबित हुए। तत्पश्चात् जो कुछ हुआ उसे सारा देश जानता है और हमारी सेना को भी कार्यवाही करनी पड़ी। यह सर्वविदित है। अब भी स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया है।

हमने सोचा था कि अकालियों को रिहा करने की हमारी एकपक्षीय कार्यवाही से और उनसे सौहार्दपूर्ण ढंग से बात करने से शायद उनकी भावनाएं शांत होंगी और इसी दिशा में ही प्रधानमंत्री जी द्वारा कोच फैक्ट्री लगाने की घोषणा और अन्य घोषणाएं की गईं। मेरे विचार में यह नीति सम्बन्धी मामला नहीं है। यह सब ऐसी स्थिति में उनकी भावनाएं शांत करने के लिए है जिससे पंजाब के लोग यह महसूस करें कि वे इस देश का एक अंग है और पंजाब का विकास राष्ट्रीय विकास का एक भाग है। जनता के दो वर्गों के बीच विद्वेष के कारण जो घाव हो गए हैं सरकार को उन्हें भरने के लिए अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करना चाहिए।

अतः यह विधेयक, जिसके द्वारा तीन महानों के लिए शक्ति प्रदान की गई थी, अब किसी व्यक्ति को और छः महीनों तक नजरबन्द रखने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ताकि जब तक स्थिति सौहार्दपूर्ण नहीं होती और पंजाब में स्थिति पूर्णतया सामान्य नहीं होती ये घटनाएं होती रहेंगी।

यह विधेयक इस अर्थ में अत्यन्त साधारण विधेयक है कि जिस व्यक्ति को तीन अप्रैल, 1985 तक अथवा तीन अप्रैल, 1986 से पहले नजरबन्द किया जा सकता था, उसे अब भी नजरबंद किया जा सकता है क्योंकि पहले जो आदेश किया गया था, वह अब समाप्त हो गया है। अतः इस विधेयक को पारित करना राष्ट्र हित में है। इस विधेयक के पारित करने से आहत भावनाओं को शांत करने में बहुत सहायता मिलेगी। मेरे विपक्षी मित्र ने कहा है कि एकपक्षीय कार्यवाही का अर्थ केवल कुछ रियायतें देना ही नहीं है बल्कि अकालियों की भावनाओं को शांत करना भी है

[श्री राजमंगल पांडे]

जिनके साथ कोई समझौता अथवा गुप्त समझौता किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि उनके मन में क्या है। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि एकतरफा कार्यवाही से कुछ नहीं हो सकता। हमारे प्रधानमंत्री ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत संविधान के अन्तर्गत की जाएगी। जहां तक अन्य मांगों का संबंध है, यदि देश की प्रतिष्ठा अथवा एकता को चोट नहीं पहुंचती तो हम अन्तिम सीमा तक जाने को तैयार हैं। अतः यदि अकालियों का बातचीत करने का इरादा है तो उनमें और हमारे नेता के बीच बातचीत में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। परन्तु इसके साथ ही मेरे विचार में उन्होंने अपना रवैया रंचमात्र भी नरम नहीं किया है। वे कहते हैं उनका आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव जहां का तहां है। उनके उस प्रस्ताव में क्या है ? खालसा राज को प्रमुखता दी गई है। हम भारतीय लोकतन्त्र में खालसा राज को प्रमुखता कैसे दे

6.00 म०प० सकते हैं जबकि अन्य राज्यों को भी इतनी प्रमुखता देनी पड़ेगी ? और अन्य राज्यों के लोग भी उतने ही अच्छे है जितने वहां के। यदि हम एक राज्य को मान्यता प्रदान करते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि अन्य राज्य सिर नही उठायेंगे। इस प्रकार यह देश की एकता के विरुद्ध है और कोई भी सरकार इस प्रकार की स्थिति स्वीकार नहीं करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांडे जी आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। हम अब सभा स्थगित करते हैं।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 26 मार्च, 1985/5 चैत्र, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिंटर्स, 20, अन्सारी रोड, दरियागंज, दिल्ली-2